खण्ड–476, अंक–3
मंगलवार, 18 श्रावण, शक संवत् 1933
(09 अगस्त, 2011 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(पन्द्रहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2011)

(खण्ड 476 में 05 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2011

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-7
कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज विषयक नियम-311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग ...	9
क्रान्ति दिवस के अवसर पर श्री प्रमोद तिवारी द्वारा प्रस्तुत श्रद्धांजलि प्रस्ताव	9-10
प्रश्नोत्तर (जारी)	10-13
भारतीय जनता पार्टी के छः विधायकों द्वारा पार्टी बदलने विषयक जन सन्देश टाइम्स में प्रकाशित भ्रामक समाचार के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न .... (जारी)	13
प्रश्नोत्तर	13-71
प्रदेश में बी0ए0/बी0एस0सी0/बी0काम0 में एडमीशन न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न .... (जारी)	71
वित्तीय वर्ष 2011-2012 के अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण ...	71
प्रदेश के बी0ए0/बी0एस0सी0/बी0काम0 में एडमीशन न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	71-72
दिनांक 8 अगस्त, 2011 को सदन में कतिपय सदस्यों द्वारा कृषि मंत्री पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में कृषि मंत्री का स्पष्टीकरण	72-74
अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	74
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	74-76
जनपद जौनपुर में रामझारी महाविद्यालय गम्भीरन की फर्जी मान्यता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	76-77
जनपद इलाहाबाद के म्योर रोड स्थित नजूल भूमि बड़े-बड़े बिल्डरों को फ्री-होल्ड करने तथा नगर भूमि सीमा रोपण अधिनियम, 1976 के आड़ में धन दोहन के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	77
विधान सभा क्षेत्र राबर्ट्सगंज के अन्तर्गत नक्सल प्रभावित ग्राम चकरिया में विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	77
नगर पंचायत सिधौली, सीतापुर में डूडा विभाग द्वारा बनाये गये नलकूपों को चालू किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	77
जनपद उन्नाव के मौरावां क्षेत्र में शासन की नीति के अनुरूप 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	78

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बांदा के ब्लाक कमासिन में बनाये जा रहे चेक डैमों में घटिया सामग्री का प्रयोग किये जाने की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	78
विधान सभा क्षेत्र मुण्डेरा बाजार, जनपद गोरखपुर के चौरी-चौरा में कतिपय टूटी एवं धंसी हुई सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	78-79
प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही दुग्ध सहकारिता संस्था की खराब हालत एवं उसके कर्मचारियों की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	79
विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर जनपद बलरामपुर स्थित ललिया महराजगंज मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	79-80
श्री अभय सिंह इण्टर कालेज, पिपरहा, एटा के प्रबन्धक के विरुद्ध आपराधिक मामला पंजीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	80
आगरा में भगवान टाकीज से दयाल बाग तक की जर्जर और गड्ढायुक्त रोड को दुरुस्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	80-81
जनपद गोरखपुर-डोमिनगढ़ में सेतु निगम द्वारा निर्माणाधीन सेतु इलाहीबाग को दुर्गाबाड़ी की तरफ मोड़कर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	81
जनपद सीतापुर के अन्तर्गत तहसील महमूदाबाद स्थित किवानी नदी पर बना पुल दुरुस्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	81-82
जनपद बरेली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत क्यारा में हरदोई के मूल निवासियों का फर्जी प्रमाण-पत्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	82
जनपद प्रतापगढ़ एवं रायबरेली सहित अन्य जनपदों में सैकड़ों की संख्या में तदर्थ शिक्षकों को हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	82-83
विधान सभा क्षेत्र फाजिलनगर जनपद कुशीनगर में बसने वाले मुसहर जाति की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	83
जनपद गोरखपुर विधान सभा क्षेत्र पिपराइच में 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	83
उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम घुघली महराजगंज के नये क्रेता द्वारा बुलाये गये असामाजिक तत्वों द्वारा रात के अंधेरे में दुकान नष्ट कर लूटने तथा अन्य मामले के सम्बन्ध में ए0डी0एम0, महराजगंज के स्पष्ट आश्वासन के बावजूद प्राथमिकी दर्ज न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	84

विषय	पृष्ठ-संख्या
लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में 24 घण्टा विद्युत आपूर्ति बहाली के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	84-85
जनपद बागपत बड़ौत एवं खेकड़ा में मान्यवर कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना के भवनों के निर्माण में घोर अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	85
आजमगढ़ मण्डल में प्रभारी अभियन्ता पैकफेड द्वारा सिविल डिप्लोमा न होने पर भी अभियन्ता का विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	85-86
ग्राम सोनौली, तहसील इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर में आई बाढ़ से उत्पन्न स्थिति सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	86
श्री राम अवध सिंह यादव, सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक तिलक इण्टर कालेज कोटवा, इलाहाबाद की वाह्य सेवाओं को जोड़कर पेंशन संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	86-87
अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल मथुरा शहर की जीर्ण हो चुकी सड़कों की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	87
जनपद सहारनपुर में तैनात संयुक्त शिक्षा निदेशक श्रीमती कमला चौहान द्वारा लगातार स्कूलों की मान्यता में अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने में किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	87-88
सीतापुर-शाहजहांपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारों पर लगे बेशकीमती हरे-भरे वृक्षों की कीमती लकड़ी को अवैध रूप से बेचे जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	88
तहसील घाटमपुर कानपुर नगर में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) न्यायालय की स्थापना एवं वैकल्पिक व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	88-89
जनपद लखनऊ में पुराने जर्जर विद्युत तारों को बदले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	89
जनपद उन्नाव के अन्तर्गत मवईखानपुर मार्ग पर बनी एक बड़ी पुलिया के टूट जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	89-90
उ0 प्र0 के 13 जनपदों में गोड़ जाति के लोगों को अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	90
जनपद एटा के निर्वाचन क्षेत्र निधौलीकलां के अमर शहीद मनवीरशाहा को राज्य सरकार द्वारा सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	91

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद रामपुर की बिलासपुर एहरौ शीशगढ़ क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	91
उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संघ लि0, लखनऊ के कर्मचारियों का स्थानान्तरण न होने के कारण व्याप्त असंतोष होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	92
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	92-94
संविधान के अनुच्छेद-164 (2) के अन्तर्गत मंत्रि-परिषद् को राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (जारी)	94-96
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने विषयक औचित्य का प्रश्न	96-97
संविधान के अनुच्छेद 164(2) के अन्तर्गत मंत्रि-परिषद् को राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ...	97-99
एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की नियुक्ति संस्थान द्वारा नियमों के विपरीत किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	99-101
जनपद मुजफ्फरनगर के कुकड़ा चौक से नवीन मण्डी मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न(जारी)	101
जनपद जौनपुर के तहसील शाहगंज के बुरहन, सुईथाकलां तथा गोड़बड़ी द्वारा विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	101
लखनऊ स्थित विधायक निवास दारुलशफा के ए, बी व सी ब्लाकों के पास फैली गन्दगी की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	101-102
जनपद मुजफ्फरनगर के कुकड़ा चौक से नवीन मण्डी मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	102-103
एम0डी0 केस्को से दिनांक 15 जून, 2011 को बुनकरों की समस्याओं के सम्बन्ध में मिलने पर उनके द्वारा अपमानित एवं मुकदमा किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	103-105
कार्मिक अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-13/6/2001-का-1-2011, दिनांक 11 जनवरी, 2011 (सदन के पटल पर रखी गई)	105
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-2682/71-2-11-सी0एम0यू0-6 /2003, दिनांक 29 जुलाई, 2011 (सदन के पटल पर रखी गई) ...	106
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-2683/71-2-11-सी0एम0यू0-6 /2003, दिनांक 29 जुलाई, 2011 (सदन के पटल पर रखी गई) ...	106
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-2/2006 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	106

विषय	पृष्ठ-संख्या
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-12/2006 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	106
श्री इरफान सोलंकी के खिलाफ लगाये गये चार्जेज का ब्योरा दिये जाने की मांग ...	106-112
उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-09/2010 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखा गया)	112
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के वित्तीय वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 का आर्थिक चिट्ठा एवं आय-व्ययक खाता (सदन के पटल पर रखा गया) ...	112-113
सदन के स्थगन एवं व्यवहार पर श्री अध्यक्ष द्वारा खेद प्रकाश	113-114
उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2011 (दिनांक 4 फरवरी, 2011 से 21 फरवरी, 2011 तक) नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	114
लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-12-2008 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) ..... (सदन के पटल पर रखा गया)	114
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2010-2011) का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	114-115
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2010-2011) का तृतीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	115
उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2010-2011) का चतुर्थ प्रतिवेदन .... (प्रस्तुत किया गया)	115
उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2010-2011) का पंचम् प्रतिवेदन .... (प्रस्तुत किया गया)	115
उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2010-2011) का षष्टम् प्रतिवेदन .... (प्रस्तुत किया गया)	115
उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2010-2011) का सप्तम् प्रतिवेदन .... (प्रस्तुत किया गया)	115
उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2010-2011) का अष्टम् प्रतिवेदन .... (प्रस्तुत किया गया)	115
जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड फूलबेहड़ के ग्राम पंचायत नरहर गांव के सम्पर्क हेतु पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मनोहर लाल प्रधान आदि निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	116
जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सहपऊ के ग्राम राजनगर को ग्राम मगरू से जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री रामवीर सिंह आदि निवासीगण जनपद महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	116

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद के ग्राम पल्हावत भट्टा से ग्राम कुरावली तक लेपन स्तर पर मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अली मोहम्मद आदि निवासीगण जनपद महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)...	116
जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सहपऊ के ग्राम आरती से ग्राम नरायानपुर बाद तक मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री विनोद कुमार चौहान आदि निवासीगण जनपद महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)...	116
जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद में मड़नई मोड़ ग्राम कुंजलपुर भट्टा तक लेपन स्तर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक चौ0 जय नारायन सिंह आदि निवासीगण जनपद महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	117
जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद के अम्बेडकर ग्राम नानऊ बिजलीघर से ग्राम नौपुरा तक लेपन स्तर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने जाने विषयक श्री मुरारी लाल आदि निवासीगण जनपद महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	117
जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद-मथुरा मार्ग पर स्थित जयदेव सिंह, सी0ओ0 के भट्टे से ग्राम नगला रद्दू प्राइमरी पाठशाला तक लेपन स्तर मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री लीलाधर आदि निवासीगण जनपद महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)... ...	117
जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद के ग्राम कुकरगवां से जलेशर रोड रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री विनोद चौहान आदि द्वारा निवासीगण जनपद महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	117
जनपद महामायानगर को तहसील सादाबाद के ग्राम नगला (भाग कुरसण्डा) में रजवाहा दघैंटा के पुल के प्राथमिक विद्यालय तक लेपन स्तर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री नत्थी लाल आदि निवासीगण जनपद महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)... ...	118
जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद के ग्राम एदलपुर से ग्राम मड़नई मार्ग के शेष भाग का लेपन स्तर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री गोपाल सिंह आदि निवासीगण जनपद महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	118

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद के ग्राम खेड़ा कलरोठी से नगला पूठा तक लेपन स्तर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री धीरी सिंह आदि निवासीगण जनपद महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)...	118
जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद में सादाबाद-वहरदोई मार्ग पर नगला वैरु (वरी) से छत्तरगढ़ी तक लेपन स्तर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री किशन सिंह आदि निवासीगण जनपद महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	118-119
भारतीय जनता पार्टी के छः विधायकों द्वारा पार्टी बदलने विषयक जन सन्देश टाइम्स में प्रकाशित भ्रामक समाचार के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न	119-122
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	122-124
शोभित विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 (पुरःस्थापित)	124-125
नियम-56 के अन्तर्गत नियम-311 की परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	125-190
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (पारित)	190-198
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2011 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (संकल्प अस्वीकृत एवं विधेयक पारित)	198-202
'द ग्लोकल यूनिवर्सिटी' उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 (पारित)	202-224
उत्तर प्रदेश चौहदवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2005-2006) के प्रथम प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर विचार करने सम्बन्धी प्रस्ताव ...	224-225
श्री सलिल विश्नोई, स0वि0स0, उ0प्र0 द्वारा श्री अब्दुल समद, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बाबूपुरवा, कानपुर नगर तथा अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना पर उ0प्र0 चौदहवीं विधान सभा के विशेषाधिकार समिति (2005-2006) के प्रथम प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध स्वविवेक से सुविचारित निर्णय लेने हेतु मा0 अध्यक्ष, विधान सभा को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव ... (स्वीकृत)...	225-226

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर प्रभावी नियंत्रण लगाने हेतु रोजगारपरक शिक्षा एवं कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दिये जाने, प्रदेश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रभावी नीति बनाये जाने तथा प्रदेश के किसानों को उनकी फसलों के लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु सरकार द्वारा कार्य योजना बनाये जाने विषयक श्री जोखू लाल यादव द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 19 फरवरी, 2009 को सदन में प्रस्तुत प्रस्तावों पर चर्चा (जारी)	226-227
उत्तर प्रदेश से मांस के निर्यात को प्रतिबन्धित करने हेतु पशुवध पर तत्काल रोक लगाये जाने विषयक श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल कैलाश डेरी वाले द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 16 फरवरी, 2010 को सदन में प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा (जारी)	227
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	227-230
प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा अभिसूचित जाति बाहुल्य दो हजार प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य	230-232
जनपद प्रतापगढ़ की क्षेत्र पंचायत मंगरौरा में कार्यरत खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य	232-233
जनपद सिद्धार्थनगर स्थित चेतिया बाजार, तिलौली बाजार एवं सकारपार में विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य ...	233-234
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की आयु सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	235-237
प्रदेश के परिषदीय अध्यापकों की वेतन विसंगति को दूर कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम बिशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	237
पूर्वी जिलों में रेशम उत्पादन के सम्बन्ध में चलाई जा रही योजनाओं में वित्तीय अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर रेशम उद्योग मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	237

विषय	पृष्ठ-संख्या
बदायूं स्थित कबूलपुरा छोटी जयारत-कुरुऊ मार्ग पर सोत नदी पर रपटा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश चन्द्र गुप्ता द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	237-238
प्रतापगढ़ के थाना मान्धाता अन्तर्गत शनिदेव धाम कुशफरा में पुलिस चौकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उदयभान करवरिया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	238-239
मथुरा शहर से अलीगढ़ जाने वाले मार्ग पर जमुना नदी पर पड़ने वाले क्षतिग्रस्त पुल का सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुरा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य	239-240
वाराणसी नगर निगम द्वारा नया कर लगाये जाने से पूर्व सदन की स्वीकृति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ...	240-241
जनपद मिर्जापुर के चुनार विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पूर्वांचल विकास निधि एवं विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से स्वीकृत 12 गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य	241-242
नत्थियां	243-258

उत्तर प्रदेश विधान सभा
पन्द्रहवीं विधान सभा के सदस्यों की सूची

मंगलवार, दिनांक 9 अगस्त, 2011

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-366

1.	अंगद यादव, श्री	आजमगढ़
2.	अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
3.	अकीलुर्रहमान खाँ, श्री	मुरादाबाद
4.	अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
5.	अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
6.	अजय तोमर, डा0	बागपत
7.	अजय यादव, श्री	एटा
8.	अजय राय, श्री	वाराणसी
9.	अजय सिंह, श्री	जालौन
10.	अनन्त कुमार मिश्रा, श्री	फर्रुखाबाद
11.	अनिल कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
12.	अनिल कुमार अहिरवार, श्री	महोबा
13.	अनिल कुमार दोहरे, श्री	कन्नौज
14.	अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
15.	अनिल चौधरी, डा0	हाथरस (महामायानगर)
16.	अनीस अहमद खाँ उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
17.	अनुग्रह नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
18.	अनूप कुमार गुप्ता, श्री	सीतापुर
19.	अनूप सण्डा, श्री	सुल्तानपुर
20.	अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
21.	अब्दुल समद अंसारी, हाजी	वाराणसी
22.	अब्बास अली जैदी उर्फ रूश्दी मियां, श्री	फैजाबाद
23.	अमरेश कुमार शुक्ल, श्री	बाराबंकी
24.	अमित गौरव, श्री	एटा
25.	अमीता सिंह, श्रीमती	सुल्तानपुर
26.	अमेरिका प्रधान, श्री	गाजीपुर
27.	अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
28.	अम्बिका सिंह, श्री	गोरखपुर
29.	अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
30.	अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री	बाराबंकी
31.	अरविन्द गिरि, श्री	लखीमपुर खीरी
32.	अरविन्द सिंह यादव, श्री	कन्नौज
33.	अरशद खान, श्री	पीलीभीत
34.	अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
35.	अलाउद्दीन, श्री	बलरामपुर
36.	अलीम हाजी, श्री	बुलन्दशहर
37.	अवध पाल सिंह यादव, श्री	एटा
38.	अवधेश वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
39.	अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री	महराजगंज
40.	अवस्थी बाला प्रसाद, श्री	लखीमपुर खीरी
41.	अशोक कंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
42.	अशोक कुमार राणा, श्री	बिजनौर
43.	अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
44.	अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री	हमीरपुर
45.	अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
46.	आदित्य पाण्डेय, श्री	फतेहपुर

47. आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
48. आर0 ए0 उस्मानी, (डा0) श्री लखीमपुर खीरी
49. आर0 के0 चौधरी, श्री लखनऊ
50. आर0 के0 शर्मा, पंडित बरेली
51. आरिफ अनवर हाशमी, श्री गोण्डा
52. आलोक कुमार शाक्य, श्री मैनपुरी
53. आसिफ, श्री हरदोई
54. इकबाल महमूद, श्री मुरादाबाद
55. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
56. इमरान महसूद, श्री सहारनपुर
57. इरफान सोलंकी, श्री कानपुर नगर
58. ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री सिद्धार्थनगर
59. उत्कर्ष वर्मा 'मधुर', श्री लखीमपुर खीरी
60. उदयभान करवरिया, श्री इलाहाबाद
61. उदयराज, श्री उन्नाव
62. उदयलाल मौर्य, श्री वाराणसी
63. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
64. ओम प्रकाश सिंह, श्री मिर्जापुर
65. ओम प्रकाश सिंह (ओ0पी0सिंह), श्री सुल्तानपुर
66. ओमवती देवी, श्रीमती बिजनौर
67. कमलेश चन्द दिवाकर, श्री कानपुर देहात
68. काजिम अली खाँ उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
69. कालीचरन राजभर, श्री गाजीपुर
70. काशीराम, श्री रामपुर
71. कुवेर सिंह, श्री एटा
72. कुलदीप सिंह गंगवार, श्री फर्रूखाबाद
73. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
74. कृपा शंकर सिंह, श्री उन्नाव
75. कृष्ण कुमार, श्री बहराइच
76. कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री हरदोई
77. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री लखीमपुर खीरी
78. कृष्णाराज, श्रीमती लखीमपुर खीरी
79. के0 के0 सचान, डा0 जौनपुर
80. केदारनाथ वर्मा, श्री बलिया
81. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
82. कैलाश साहू, श्री झांसी
83. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
84. कौकब हमीद खाँ, श्री बागपत
85. कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत बलरामपुर
86. खातून तौफीक, श्रीमती सिद्धार्थनगर
87. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
88. गिरीश चन्द्र, श्री मुरादाबाद
89. गुटियारी लाल दुबेश, श्री आगरा
90. गुरू प्रसाद मौर्य, श्री इलाहाबाद
91. गुलाम मोहम्मद खान, श्री बहराइच
92. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस (महामायानगर)
93. घूराराम, श्री बलिया
94. चन्द्रदेव, श्री आजमगढ़
95. चन्द्र प्रकाश मिश्र ''मटियारी'', श्री सुल्तानपुर
96. चन्द्रभद्र सिंह, श्री सुल्तानपुर
97. चन्द्रवीर सिंह, श्री मेरठ
98. चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री सिद्धार्थनगर
99. छत्रपाल सिंह, श्री बरेली
100. छोटे सिंह, श्री जालौन
101. जगदीश नारायण राय, श्री जौनपुर
102. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
103. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
104. जगपाल, श्री सहारनपुर
105. जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री महराजगंज

106. जमीरउल्ला, श्री अलीगढ़
107. जयवीर सिंह, श्री मैनपुरी
108. जयवीर सिंह, ठाकुर अलीगढ़
109. जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह, श्री कुशीनगर
110. जावेद अंसारी एडवोकेट, श्री जौनपुर
111. जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री चन्दौली
112. जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
113. जोखू लाल यादव, श्री इलाहाबाद
114. ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0 वाराणसी
115. ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री फर्रूखाबाद
116. त्रिभुवन दत्त, श्री अम्बेडकरनगर
117. दद्दन मिश्रा, श्री श्रावस्ती
118. दद्दू प्रसाद, श्री चित्रकूट
119. दयाराम, श्री कौशाम्बी
120. दशरथ प्रसाद चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
121. दाउद अहमद, श्री हरदोई
122. दिनेश प्रसाद, श्री चित्रकूट
123. दीनानाथ कुशवाहा, श्री देवरिया
124. दीनानाथ पाण्डेय, श्री वाराणसी
125. दीपक कुमार, श्री उन्नाव
126. दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री झाँसी
127. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
128. दूधराम, श्री बस्ती
129. धर्मपाल, श्री गाजियाबाद
130. धर्मपाल यादव डी0पी0 यादव, श्री बदायूँ
131. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
132. धर्मराज निषाद, श्री अम्बेडकरनगर
133. धर्म सिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
134. धर्मी रावत, श्रीमती बाराबंकी
135. धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री बरेली
136. धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री बलरामपुर
137. धीरेन्द्र प्रसाद, श्री शाहजहांपुर
138. धू राम लोधी चौधरी, श्री हमीरपुर
139. नकुल दूबे, श्री लखनऊ
140. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
141. नन्दिता शुक्ला, श्रीमती गोण्डा
142. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
143. नारायण सिंह, श्री आगरा
144. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
145. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
146. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहाँपुर
147. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
148. पशुपति, श्री गाजीपुर
149. पी0 के0 राय, डा0 कुशीनगर
150. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
151. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
152. प्रजापालन, श्री एटा
153. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
154. प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री बदायूं
155. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
156. प्रमोद तिवारी, श्री प्रतापगढ़
157. प्रमोद सिंह, श्री देवरिया
158. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
159. प्रेमलता कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
160. फतेह बहादुर, श्री महराजगंज
161. फरहत हसन, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
162. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
163. फसीहा बशीर चौधरी (गजाला लारी),श्रीमती देवरिया
164. फागू चौहान, श्री मऊ
165. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
166. बलबीर, श्री मुजफ्फरनगर

167. बलराम सिंह सैनी, श्री मुरादाबाद
168. बादशाह सिंह, श्री हमीरपुर
169. बासुदेव सिंह ''बाबा'', श्री बुलन्दशहर
170. बिमलेश सिंह, श्रीमती अलीगढ़
171. बिरजू राम, श्री जौनपुर
172. बृजेश सौरभ, श्री प्रतापगढ़
173. बैजनाथ दूबे, श्री गोण्डा
174. ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री देवरिया
175. भगवत शरण गंगवार, श्री बरेली
176. भगवती प्रसाद सागर, श्री झाँसी
177. भगवान दास, श्री सन्तकबीरनगर
178. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
179. भगेलू राम, श्री सुल्तानपुर
180. भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री इटावा
181. मंजू, श्रीमती बलिया
182. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
183. मदन भैया उर्फ मदन गोपाल, श्री बागपत
184. मधुबाला, श्रीमती संत रविदासनगर (भदोही)
185. मधुसूदन शर्मा, श्री आगरा
186. मनोज चौधरी, श्री सहारनपुर
187. ममतेश शाक्य, श्री एटा
188. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
189. महबूब अली, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
190. महिपाल सिंह, श्री सहारनपुर
191. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
192. महेन्द्र सिंह, श्री अलीगढ़
193. महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री इटावा
194. महेश चन्द्र वर्मा, डा0 औरैया
195. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूँ
196. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर देहात
197. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
198. माधव पासवान, श्री गोरखपुर
199. मिथलेश कटियार, श्रीमती कानपुर देहात
200. मिथिलेश पाल, श्रीमती मुजफ्फरनगर
201. मीता गौतम, कु0 बाराबंकी
202. मुरलीधर, श्री फतेहपुर
203. मुस्लिम खाँ, श्री बदायूँ
204. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
205. मोहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
206. मोहम्मद इरशाद खान, श्री लखनऊ
207. मोहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
208. मोहम्मद जलील खान, श्री गोण्डा
209. मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
210. मोहम्मद ताबिश खां, श्री सन्तकबीरनगर
211. मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
212. यशपाल सिंह, श्री बिजनौर
213. यशपाल सिंह चौहान, श्री अलीगढ़
214. यशवन्त सिंह, डा0 मुजफ्फरनगर
215. यसपाल सिंह रावत, श्री गोरखपुर
216. योगराज सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
217. योगेन्द्र सागर, श्री बदायूँ
218. योगेश वर्मा, श्री मेरठ
219. रंगनाथ मिश्र, श्री सन्त रविदासनगर (भदोही)
220. रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0 कानपुर देहात
221. रघुराज प्रताप सिंह ''राजा भइया'', कुं0 प्रतापगढ़
222. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
223. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
224. रतनलाल अहिरवार, श्री झाँसी
225. रमेश गौतम, श्री गोण्डा

226. रमेश चन्द्र विन्द, डा0 मिर्जापुर
227. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
228. रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री सहारनपुर
229. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
230. राकेश धर त्रिपाठी, डा0 इलाहाबाद
231. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
232. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
233. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
234. राजकुमार सिंह गौतम, डा0 गाजीपुर
235. राजदेव सिंह, श्री जौनपुर
236. राजपाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
237. राजपाल सिंह, श्री गाजियाबाद
238. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
239. राजमती निषाद, श्रीमती गोरखपुर
240. राजाराम कोरी उर्फ त्यागी, श्री रायबरेली
241. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
242. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
243. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री प्रतापगढ़
244. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
245. राजेन्द्र सिंह, डा0 आगरा
246. राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री गोरखपुर
247. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
248. राजेश कुमार, श्री लखीमपुर खीरी
249. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
250. राजेश यादव, श्री शाहजहाँपुर
251. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
252. राधामोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
253. राधे लाल रावत, श्री उन्नाव
254. राधे श्याम गुप्ता, श्री फतेहपुर
255. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
256. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
257. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
258. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
259. राम प्रकाश कुशवाहा, पी0एच0डी0, डा0 कानपुर नगर
260. राम प्रकाश यादव, श्री फिरोजाबाद
261. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
262. राम बिशुन आजाद, श्री गोण्डा
263. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
264. राम शिरोमणि शुक्ल, श्री प्रतापगढ़
265. राम सागर अकेला, श्री श्रावस्ती
266. रामसेवक, श्री सुल्तानपुर
267. राम सेवक सिंह पटेल, श्री बदायूँ
268. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
269. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
270. रिजवान अहमद खाँ, श्री ज्योतिबाफूलेनगर
271. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
272. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहाँपुर
273. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
274. लखीराम नागर, श्री मेरठ
275. लल्लू सिंह, श्री फैजाबाद
276. लाल जी यादव, श्री सिद्धार्थनगर
277. लाल जी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
278. वकार अहमद शाह, डा0 बहराइच
279. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
280. वारिस अली, श्री बहराइच
281. विजय कुमार, श्री गाजीपुर
282. विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री मुरादाबाद
283. विजय पाल सिंह, श्री बरेली
284. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
285. विद्या चौधरी, श्रीमती आजमगढ़
286. विद्यासागर गुप्त, श्री लखनऊ
287. विनोद कुमार, श्री प्रतापगढ़

288. विनोद कुमार हरित, श्री मेरठ
289. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
290. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
291. विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री बांदा
292. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
293. विश्वनाथ, श्री कुशीनगर
294. वीरेन्द्र कुमार, श्री हरदोई
295. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
296. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
297. बृज सिंह उर्फ बृज कुंवरि, श्रीमती गोण्डा
298. वेदराम भाटी, श्री बुलन्दशहर
299. शब्बीर अहमद, श्री बहराइच
300. शम्भू चौधरी, श्री कुशीनगर
301. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
302. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
303. शिव गणेश ''लोधी'', श्री रायबरेली
304. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
305. शिव प्रसाद यादव, श्री इटावा
306. शिवबालक पासी, श्री रायबरेली
307. शिवशंकर, श्री बलिया
308. शीशराम, श्री बिजनौर
309. शेख नसीरुद्दीन सिद्दीकी, श्री फिरोजाबाद
310. शेरबहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
311. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
312. श्याम किशोर शुक्ला, श्री लखनऊ
313. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
314. श्याम नरायण यादव, श्री आजमगढ़
315. श्याम लाल, श्री बलरामपुर
316. श्रीपति आजाद, श्री महराजगंज
317. श्रीभगवान पाठक, श्री बलिया
318. संग्राम सिंह, श्री बाराबंकी
319. संजय कपूर, श्री रामपुर
320. संजय कुमार त्रिपाठी, श्री प्रतापगढ़
321. संजीव दरियाबादी, ''बन्टी''ए श्री कानपुर नगर
322. संदीप अग्रवाल, श्री मुरादाबाद
323. संध्या, कुमारी मैनपुरी
324. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
325. सत्य नारायण जैसल, श्री सोनभद्र
326. सत्यपाल सिंह, चौ0 अलीगढ़
327. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
328. सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्धनगर
329. सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0 बागपत
330. सदल प्रसाद, श्री गोरखपुर
331. सनातन पाण्डेय, श्री बलिया
332. सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री आजमगढ़
333. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
334. सिद्धार्थ शंकर, डा0 लखनऊ
335. सिनोद कुमार शाक्य, श्री बदायूँ
336. सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री गाजीपुर
337. सी0 एम0 प्रसाद, श्री सोनभद्र
338. सीमा द्विवेदी, श्रीमती जौनपुर
339. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
340. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
341. सुखलाल, श्री पीलीभीत
342. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
343. सुनील शर्मा, श्री गाजियाबाद
344. सुन्दर लाल लोधी, श्री उन्नाव
345. सुन्दर सिंह, श्री बुलन्दशहर
346. सुभाष, श्री बलिया
347. सुमन देवी कुशवाहा, श्रीमती ललितपुर
348. सुभाष पाण्डेय, श्री जौनपुर
349. सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री आजमगढ़
350. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
351. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर

352. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
353. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री लखनऊ
354. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
355. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
356. सुल्तान बेग, श्री बरेली
357. सुशील कुमार, श्री चन्दौली
358. सूरजपाल सिंह ठाकुर, श्री आगरा
359. सूर्यभान, श्री मिर्जापुर
360. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
361. सोबरन सिंह, श्री मैनपुरी
362. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
363. हरगोविन्द भार्गव, डा0 सीतापुर
364. हसरत उल्ला, श्री एटा
365. हुकुम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
366. होराम सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर

नोट :-आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, परिवार कल्याण तथा सहकारिता मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) भी सदन में उपस्थित थे।

कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज विषयक नियम-311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, कल लखनऊ में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा बर्बरता की सारी सीमा पार करते हुये बुरी तरह से लाठीचार्ज किया गया, गिरने के बाद हमारे कार्यकर्ताओं को बूटों से रौंदा गया।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग स्थान ग्रहण करें, मैं आपकी बात सुन लूंगा।

श्री प्रमोद तिवारी-

एक-एक कार्यकर्ता को घेरकर चार-चार पुलिसकर्मियों ने बर्बरता से पीटा, यह बर्बरता की पराकाष्ठा है। आन्दोलन करने का अधिकार आजाद भारत में सबको है। कार्यकर्ताओं को इतनी बर्बरता से पीटा गया कि इससे जनरल डायर भी शर्मिन्दा हो सकता है।

(इस बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य सदन के वेल में आ गये)

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन को 10 मिनट के लिये स्थगित करता हूं।

(व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 1 मिनट पर सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिये स्थगित कर दी। 11 बजकर 11 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

क्रान्ति दिवस के अवसर पर श्री प्रमोद तिवारी द्वारा प्रस्तुत श्रद्धांजलि प्रस्ताव

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आज क्रान्ति दिवस है मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि देश की आजादी में बहुत से लोगों ने योगदान दिया है लेकिन उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे अधिक है। मैं आपकी अनुमति से एक प्रस्ताव सदन में पढ़ना चाहता हूं और सम्पूर्ण सदन से आग्रह करता हूं कि कृपापूर्वक इसे स्वीकृत करें।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, क्या यह आपके संज्ञान में है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री प्रमोद तिवारी-

''आज क्रान्ति दिवस के अवसर पर यह सदन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, क्रान्तिवीरों तथा शहीदों के प्रति कृतज्ञता अर्थित करता है जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर भारत को आजाद कराया है, यह सदन उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है।''

इसके अलावा मान्यवर, मुझे कुछ और नहीं कहना है। इसमें किसी स्तर पर सरकार को या किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

आज पूरे देश में क्रान्ति दिवस के अवसर पर पूरे देश के नागरिक शहीदों, क्रान्तिकारियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को नमन कर रहे हैं जिनके बलिदान, योगदान और कुर्बानियों की बदौलत आज आजाद भारत में हम लोग स्वतंत्रता की किरण में हैं।

''ऐसे क्रान्तिकारी दिवस के अवसर पर उन तमाम शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, जिन्होंने भारत को आजाद कराया है, यह सदन उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है।''

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

लखनऊ में मेट्रो ट्रेन संचालन की योजना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव (अनुपस्थित)-

**1-क्या आवास एवं शहरी नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में मेट्रों ट्रेन संचालन की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो इसमें कितने रुपये का बजट है और यह योजना कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य है तथा मेट्रो किस-किस क्षेत्र से होकर चलेगी ?

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग तथा कृषि मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

श्री हां।

दिल्ली मेट्रों रेल कार्पोरेशन द्वारा लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना की प्रस्तुत डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार जनवरी, 2011 की दरों पर रु0 12,671.00 करोड़ का व्यय आंकलित किया गया है। इस योजना हेतु वर्तमान में सरकार द्वारा कोई बजट स्वीकृत नहीं है। इस योजना को पूर्ण करने की अवधि निर्माण प्रारम्भ होने से पांच वर्ष निर्धारित है। मेट्रों रेल परियोजना के निम्नलिखित मार्ग प्रस्तावित हैं :-

1-नार्थ-साउथ कॉरिडोर (एअरपोर्ट से मुंशी पुलिया) (22.994 किमी0)

2-ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर (लखनऊ रेलवे स्टेशन से बसन्त कुंज) (11.098 किमी0)

3-गोमती नगर लिंक (इन्दिरा नगर से पत्रकारपुरम) (3.547 किमी0)

प्रदेश के स्कूलों में मध्यान्ह भोजन वितरण की योजना

**2-श्यामदेव राय चौधरी- (दादा)

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बच्चों को गुणवत्तायुक्त ताजा मध्यान्ह भोजन के वितरण हेतु कोई कार्य योजना बनाने व लागू करने पर सरकार विचार करेगी ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (डा0 धर्म सिंह सैनी)-

कार्य योजना पूर्व से ही बनाई जा चुकी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत अच्छी योजना है और गरीब बच्चों में शिक्षा के प्रति आकर्षण पैदा करने के लिये इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन बीते दिनों में हम लोगों ने अखबारों के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर यह पाया कि मध्याह्न भोजन वितरण में अनेक प्रकार की विसंगतियां आती रही हैं, खराबियां आती रही हैं जिसके कारण बहुधा बच्चे बीमार भी पड़ते रहे हैं, सड़ा हुआ खाना वितरित किया जाता रहा है। इस सम्बन्ध में कई बार इस माननीय सदन में प्रश्न भी आये। मैंने पूछा था कि क्या कोई कार्ययोजना आपने बनायी है ? मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि इन सारी विसंगतियों के आलोक में जो पहले से बनी हुई कार्ययोजना है या जो नयी कार्ययोजना है, वह क्या है, यह बता दें तब मैं अपना अनुपूरक पूंछूगा। कृपया पहले कार्ययोजना पर प्रकाश डालें ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मान्यवर, मध्याह्न भोजन योजना में सुधार के लिये माननीया मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी के निर्देशन में सबसे पहले रसोइयों को नियुक्त करने का आदेश हुआ और उन्हें एक हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय पर नियुक्त किया गया।...जिससे कि खाना बनाने में, परोसने में सहूलियत हो सके और बच्चों को सही खाना मिल सके। दूसरे जिन वस्तुओं से, जिन तेल और मसालों से इस तरह की घटनायें होती रही हैं, डिब्बा बंद तेल या घी, एगमार्क मसाले और हरी सब्जियां, साफ-सथुरा खाद्यान, इन सब चीजों में सुधार हुआ है और में जहां तक समझता हूं। इन सवां चार वर्षों में जो ऐतिहासिक सुधार मध्याह्न भोजन में इस सरकार ने किया है, यह सराहनीय कार्य है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह योजना देखने में बड़ी आकर्षक लगती है लेकिन स्कूलों में जाईये, बच्चों से पूछिये खाना कैसा मिला तो योजना का भण्डाफोड़ हो जाता है। मैंने भी 10-20 स्कूलों में बच्चों से पूछा, खाना क्या मिला तो बताते हैं कि नमक और चावल और उसमें भी कंकड़ की काफी मिलावट। स्थिति क्या है, स्कूलों में रजिस्ट्रेशन तो भोजन की मात्रा को देखते हुये करा दिया जाता है, बच्चे वहां पर जाते नहीं, ग्राम प्रधान और हेड मास्टर में मल्ल युद्ध का एक कार्यक्रम बन गया है, संघर्ष चलता रहता है। चिन्ता इस बात की है कि सरकार ने जो योजना बनायी है उसका कार्यान्वयन हो जाए उसका लाभ बच्चों तक पहुंच जाय। चूंकि यह सवाल इसी चिन्ता से ग्रसित होकर किया गया। योजना तो बना ली गयी, योजना, योजना भवन तक होगी या आप तक पहुंची होगी, उस योजना का परिणाम नीचे तक पहुंचे, वह तो नहीं हो पा रहा है। एक आवरण मात्र है लेकिन वास्तविकता क्या है, उस वास्तविकता को देखते हुये, समस्त सदन की भावनाओं को देखते हुये, इसमें सत्तापक्ष और विपक्ष का प्रश्न नहीं है, पूरे प्रदेश में चिन्ता का विषय बना हुआ है। उस चिन्ता को दृष्टिगत रखते हुये आप इसमें कुछ सुधार करेंगे। सुधार के रूप में सुझाव कुछ दूं। खाना जो मिलता है वहां पर जब चुनाव होंगे तो चुनाव के साथ-साथ वह खाना बनाने वाले बदल जाते हैं। फलां प्रधान ने उसकी नियुक्त की, उसने उसको नियुक्ति की उसको हटा दिया जाए। इस व्यवस्था में आप ऐसा करें कि ब्लाक स्तर पर एन0जी0ओ0 टाइप कुछ बनाये जो खाना बनाने में रुचि लेते हों ?

(कई सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये हाथ उठाने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह आप लोग कौन सा योग कर रहे हैं ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मान्यवर, हमने मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिये पूरा मेन्यू बनाया है और आप कहें तो पूरा पढ़ करके सुना दूं। प्रत्येक विद्यालय की दीवार पर इसे लिखवाया गया है और जो प्रतिबंधित है वह नहीं बनेगा और जो इसमें अनुमन्य है वह भोजन बनाया जाता है। जहां तक आदरणीय हुकुम सिंह जी ने कहा, हमारे वरिष्ठ सदस्य है चुनाव के बाद में रसोइये बदल दिये जाते हैं जो रसोइये रखे जाते हैं उनमें भी एक नियम बनाया है बच्चे के खून के रिश्ते का या तो उसकी मां, चाची, ताई, बुआ होंगी यानि उसके परिवार के लोग होंगे, बाहर का कोई रसोईया नहीं रखा जायेगा। इसलिए मैं समझता हूं कि जहां तक चुनाव के बाद अदल-बदल देने की शिकायत आती है तो सम्भवतः आप भी शिकायत करेंगे कि बदला जाना चाहिये। अगर सही खाना बन रहा है तो उसे बदले जाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

आप केवल किसी भी जिले के किसी विद्यालय में जब आपको समय मिले भोजन के टाइम पहुंच जाईये। अगर भोजन भरपेट कर आईये और सुरक्षित आ जाईये तो मैं समझूंगा कि योजना सफल है।

डा0 अजय तोमर-

मान्यवर मुझे आपके माध्यम से एक जानकारी लेनी है हमारे जो इन बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हैं वह अधिकतर ऐसे परिवारों के है कम से कम पश्चिम में माननीय मंत्री जी भी उसी क्षेत्र के हैं कि भट्ठे पर जो मजदूरी करते हैं दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के जून जुलाई में ऐसे बच्चों का परिवार गांव में वापस आ जाता है जून जुलाई में उनका एडमीशन हो जाता है और वर्षा ऋतु खत्म होते होते वह लोग जैसे जैसे भट्ठे का काम शुरू होता है वह सारा का सारा परिवार बच्चों सहित भट्ठे पर माइग्रेट हो जाता है। मेरा यह कहना है कि जो उन बच्चों की संख्या है उसकी कोई रैंडम चेकिंग कराने की व्यवस्था करेंगे कि उनके नाम से छात्रवृत्ति अटेंडेंस सब चली आ रही है क्या उनके नाम से जो फैमलियां माइग्रेट हो गई है उनके बच्चों के नाम से जो पैसा निकाला जा रहा है और जो भोजन बनाया जा रहा है इसका भी कोई आंकलन किया जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी, क्या इस तरह की कोई सूचना है ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है फिर भी मैं माननीय सदस्य की शंका को दूर करना चाहता हूं इसके लिये एक सूची बना दी गई पूरे जिले की पूरे प्रदेश के प्रत्येक स्कूल की कि कहीं कहीं डबल नामांकन न हो। दूसरी बात समय-समय पर हमारे अधिकारी भी और जिले के अन्य प्रशासनिक अधिकारी स्कूल में जाकर इसकी जांच करते हैं अगर कही इस तरह की कोई शिकायत पाई जाती है तो वहां के प्रधानाध्यापक या दूसरे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाती है।

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह है कि किसी किसी ब्लाकों में जिले में एन0जी0ओ0 के माध्यम से खाना वितरण कराया जाता है हमारे जनपद जौनपुर में किन्हीं किन्हीं ब्लाकों में एक एन0जी0ओ0 को खाना बनाने के लिये दे दिया गया वह खाना बनाकर स्कूलों में सर्व करते हैं। अध्यक्ष जी कितनी विसंगति है हम घर में तो गरम खाना खाने की बात करते हैं और बच्चों को 6 घण्टे पहले बना हुआ खाना पैकेट में देते हैं तो मेरी समझ में नहीं आ रहा हे कि उनको सही खाना हम कैसे खिला पाएंगे। मेरा अनुपूरक के माध्यम से अनुरोध है कि इस एन0जी0ओ0 को बन्द करने के बारे में क्या आप विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

सीमा जी अभी सुधार के सम्बन्ध में माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा कि एन0जी0ओ0 के माध्यम से खाना बनवायेंगे कि नहीं।

श्रीमती सीमा द्विवेदी-

मेरा प्रश्न यह है कि मंत्री जी बतायें कि एन0जी0ओ0 चलने की क्या आवश्यकता है ?

भारतीय जनता पार्टी के छः सदस्यों द्वारा पार्टी बदलने विषयक 'जनसंदेश टाइम्स' में प्रकाशित भ्रामक समाचार के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जो 6 विधायक खड़े हुये हैं इनके नाम से आज के जनसंदेश में केवल भ्रामक स्थिति पैदा करने के लिये, इनकी छवि धूमिल करने के लिये एक समाचार प्रकाशित कराया गया। मान्यवर, अगर आप भी संरक्षण नहीं देंगे तो कौन देगा। यह सारे सदस्य यहां पर आपके सामने बैठे हुये हैं इनके नाम लिख-लिखकर समाचार छापा गया है कि यह पार्टी बदलने वाले हैं और भाजपा के बारे में भी यही टिप्पणी की गई है। यह हमारे सम्मान का प्रश्न नहीं है क्या ? मान्यवर, यह हमारे विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है क्या ?

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, अभी क्वैश्चन आवर चल रहा है।

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी, अभी प्रश्नकाल चल रहा है प्रश्नकाल के बाद सुन लेंगे।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

डा0 पी0 के0 राय-

अध्यक्ष जी, मेरा एक छोटा सा अनुपूरक है क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंग कि प्रदेश में कुछ जगहों पर एन0जी0ओ0 के द्वारा स्वादिष्ट, गुणवत्तायुक्त गरम खाद्य पदार्थ उन बच्चों को उपलब्ध कराया जा रहा है यदि हां, तो वह कौन सी जगहें है और उनके अनुश्रवण की क्या कोई व्यवस्था है क्या विभाग ने इस बात को सुनिश्चित किया है कि उनके पास उतने बड़े तादात में भोजन उपलब्ध

कराने के लिये उनके पास इन्फ्रास्ट्रक्चर है, ट्रांसपोर्ट करने के लिये उनके पास इन्फ्रास्ट्रक्चर है या नहीं ? इतना छोटा सा प्रश्न है।

डा0 धर्म सिंह सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी जहां एन0जी0ओ0 खाना बना रहे हैं उनकी गुणवत्ता को परखने के लिये, देखने के लिये या उनके पास गरम खाना पहुंचाने के लिये संसाधन हैं कि नहीं हैं, यह सब सारी चीजें देखकर ही एन0जी0ओ0 को भोजन बनाने का काम दिया जाता है। इसके बावजूद वहां के जिलाधिकारी और हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी इस बात का अनुश्रवण बार-बार करते रहते हैं और यदि कहीं इस तरह की कोई शिकायत पाई जाती है तो ब्लैक लिस्ट करके उस एन0जी0ओ0 को हटा दिया जाता है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर माननीय मंत्री जी द्वारा काफी प्रकाश डाला गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी द्वारा दिये गये उत्तर के सन्दर्भ में एक अनुपूरक सवाल करना चाहता हूं। आपने बताया कि मेन्यू दीवार पर अंकित कर दिया गया है और उसी के अनुसार ही भोजन विपरीत होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो आज की स्थिति है, जो हम लोगों का नैतिक पतन है, भ्रष्टाचार जिस तरह से आज फैला हुआ है इसमें कोई दो राय नहीं है कि दीवार पर जो आपके लिखी हुई इबारत है उसके अनुसार शायद ही कहीं पर अपवादस्वरूप गुणवत्तायुक्त भोजन वितरति किया जाता हो। मेरा दावा है कि जितनी संख्या बताकर राशन उठाया जाता है उसमें काफी बड़ा गैप है तो आपने यह कहा कि इसकी बीच-बीच में परीक्षण निरीक्षण बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा कराया जाता है। तो मेरा एक सुझाव है और अनुपूरक भी है कि क्या आपके पास कोई इस तरह की सूची है, या आपको जानकारी है कि कहीं इस व्यवस्था से इतर कोई गड़बड़ी पाई गई और उनके खिलाफ कार्यवाही की गई। आपके पास कोई सूचना है ? या यह मान लिया जाय कि राम राज्य की स्थापना हो गई है।

डा0 धर्म सिंह सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी माननीया मुख्यमंत्री बहिन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर प्रत्येक माह प्रत्येक विभाग की समीक्षा बैठक होती है और उसमें इस चीज को हम भी खुद और अन्य विभाग के मंत्री वहां इस चीज की समीक्षा करते हैं और जहां कहीं इस तरह की शिकायत पाई जाती हैं वहां उनके खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश भी देते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आगरा में एक प्रकरण सामने आया था और वहां प्रधान अध्यापक को नोटिस दिया गया। अलीगढ़ में 2 प्रकरण आये थे सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी को इस सम्बन्ध में नोटिस दिया गया। बरेली में 5 प्रकरणों में प्रधानों को नोटिस दिया गया। वाराणसी में 4 ग्राम प्रधानों को नोटिस दिया गया। गोरखपुर में दो विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों को नोटिस जारी किया गया। रमाबाई नगर में 2 ग्राम प्रधानों को गुणवत्ता खराब पाये जाने के सम्बन्ध में निलम्बित किया गया। उन्नाव में 1 प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही हेतु डी0पी0आर0ओ0 को पत्र भेजा गया। बिजनौर में 5 ग्राम प्रधानों और प्रधानाध्यापकों को चेतावनी दी गई।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बी0 एड0 एवं बी0पी0एड0 डिग्री धारकों की माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नियुक्ति किये जाने की मांग

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

*1-क्या माध्समिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बी0एड0 एवं बी0पी0एड0 डिग्री धारकों को माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सरकार नियुक्ति प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)-

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में नवीन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। इन विद्यालयों में अन्य राजकीय हाईस्कूलों की भांति ही उ0प्र0 अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 1983 (यथासंशोधित) के प्राविधानुसार शिक्षकों की नियुक्ति किये जाने की नीति है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न था कि बी0एड0 एवं बी0पी0एड0 डिग्री धारकों को माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सरकार नियुक्ति दी जायेगी ? मानीनय शिक्षा मंत्री जी ने एक नीति बताई कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली, 1983 (यथासंशोधित) के प्राविधानुसार शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह नीति क्या है, क्योंकि इसमें यथासंशोधित है और इसके साथ ही साथ इसमें नियुक्ति कब तक की जायेगी मैंने पूछा था, माननीय मंत्री जी ने कहा उपरोक्तानुसार। यह उपरोक्तानुसार क्या है ? इसमें एक समय सीमा बता दें और यह नीति क्या है जिसके अन्तर्गत यह नियुक्तियां की जायेगी ? कृपया यह बताने का कष्ट करें।

श्री रंगनाथ मिश्र-

माननीय अध्यक्ष जी, यह नियुक्ति राजकीय हाई स्कूल जो विद्यालय खुल रहे हैं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जो 254 स्कूल खोले गये हैं और इसमें सब पद सृजन कर दिये गये हैं और लगभग 318 स्कूलों को इस वर्ष संचालित करने की अनुमति दी गई हैं और इसके पद सृजन की कार्यवाही गतिमान है। जहां तक संशोधन का सवाल है इसमें मैं माननीय सदस्य को वह कापी दे दूंगा जिसमें संशोधन किया गया है उसमें थोड़े बहुत परिवर्तन हुये हैं उसकी कापी हम माननीय सदस्य को दे देंगे। जहां तक यह सवाल है कि कब तक भरा जाएगा तो 15 दिन के अन्दर लगभग 2032 राजकीय हाईस्कूल शिक्षकों के लिये विज्ञापन निकाले गये हैं जो हफ्ते दस दिन के अन्दर भर लिये जायेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने बहुत ही तकनीकी शब्दों में उस योजना के बारे में पढ़ने का काम किया चूंकि यह प्रश्न सदन में आ गया है इसलिये मैं अनुपूरक के माध्यम से जानना चाहता हूं मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि बी0 पी0 एड0 डिग्री धारकों को भी आप नियुक्ति देंगे जो समय सीमा आपने बताई है जो आपने पहले विज्ञापन कर दिया था और नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है उसमें कितने दिन में नियुक्ति हो जाएगी वह बात अलग है हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि इसमें बी0पी0एड0 के लोगों की नियुक्ति, जो नियुक्ति आपने बताई है इस नियुक्ति के अन्तर्गत बी0 पी0 एड0 के लोगों की नियुक्ति की जा रही है इस नियुक्ति में क्या उन लोगों की नियुक्ति का भी प्राविधान था ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

इसमें स्पष्ट लिखा है कि बी0 एड0 की अर्हता प्रशिक्षण देने के लिये है और बी0 पी0 एड0 का जहां तक सवाल है तो विद्यालयों में जहां शारीरिक शिक्षा देने के लिये अध्यापकों की आवश्यकता होगी वहां बी0 पी0 एड0 के लोगों की नियुक्ति की जाएगी।

श्री संजय कपूर-

मान्यवर, इन्होंने समय सीमा निर्धारित की है जो विद्यालय खोले जायेंगे उसमें अध्यापक की नियुक्ति कितने समय में कर देंगे। मैं यह बताना चाहता हूं कि दो साल पहले मेरे जनपद रामपुर में –

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न अलग है।

श्री संजय कपूर-

जो विद्यालय है उसमें आज तक अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हुई है तो क्या समय सीमा है कि इतने समय में वहां नियुक्ति करा देंगे ?

श्री अध्यक्ष-

नहीं, नहीं यह दूसरी बात है मंत्री जी यह बता रहे हैं कि जो नये विद्यालय संचालित किये गये हैं उनकी संख्या बताये हें उनके पद सृजन को बता दिये हैं उसकी कट आफ डेट भी बता दी है जो कालेज चल रहे हैं उसका प्रश्न अलग है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जो नियुक्ति होने जा रही है उसकी प्रक्रिया क्या है और एपाइन्टिंग अथारिटी क्या है ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय ओझा जी को जो जिज्ञासा है उसको स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो एल0 टी0 ग्रेड के शिक्षकों को नियुक्त करने के लिये जो नियमावली बनी हे उसमें ज्वाइन्ट डायरेक्टर को अधिकृत दिया गया है राजकीय हाई स्कूल के लिये जो एडेड विद्यालय है उसके लिये चयन बोर्ड अधिकृत है। यह जो प्रक्रिया चल रही है यह मेरिट के आधार पर है मान्यवर, हमारे

ज्वाइन्ट डायरेक्टर जितने एप्लीकेंट हैं उनकी मेरिट बना रहे हैं और मेरिट के अनुसार उनकी नियुक्ति हो रही है इण्टरनेट पर इसकी पारदर्शिता है कहीं आपको दिक्कत है तो आप बता सकते हैं।

प्रदेश में खाद्य पदार्थों में हो रही मिलावट रोकने की योजना

*2-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खाद्य सामग्रियों में हो रही मिलावट को रोकने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसका क्या प्रारूप है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

जी हां। प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध कार्यवाही हेतु विशेष जांच दल/खाद्य निरीक्षकों के माध्यम से सघन प्रवर्तन की कार्यवाही कराते हुये नमूने संग्रहीत कराकर नमूनों का विश्लेषण राजकीय/क्षेत्रीय जन विश्लेषक प्रयोगशालाओं में कराया जाता है। अपमिश्रित पाये गये नमूनों के लिये उत्तरदायी निर्माता/विक्रेता के विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं तत्संबंधी नियमावली, 1955 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-272/273 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर उक्त अधिनियम, 1954 की धारा-7/16 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में वाद योजित कराये जाने की कार्यवाही की जाती है। उक्त अधिनियम की धारा-16 में आर्थिक दण्ड से लेकर आजीवन कारावास तक के दण्ड का प्राविधान है।

विभाग द्वारा प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट/नकली सामान की बिक्री के विरुद्ध विभागीय खाद्य निरीक्षकों/विशेष जांच दल के माध्यम से सघन प्रवर्तन की कार्यवाही कराते हुये दिनांक 01-01-2011 से 30-06-2011 तक की अवधि में अपमिश्रिण के लिये दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-272/273 के अन्तर्गत 212 व्यक्तियों के विरुद्ध 133 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी और 100 व्यक्तियों को गिरफ्तार कराया गया तथा रु0 78,66,185/- मूल्य के खाद्य पदार्थ जब्त/नष्ट कराये गये। उक्त अधिनियम, 1954 की धारा-7/16 के अन्तर्गत मा0 न्यायालयों में 2242 वाद योजित कराये गये, जिसमें 213 व्यक्तियों को सजा तथा रु0 5,57,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अपमिश्रण के मामले में वर्ष 2010 में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-272/273 के अन्तर्गत 590 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी और 597 व्यक्तियों को गिरफ्तार कराया गया तथा रु0 5,56,95,568/- मूल्य के खाद्य पदार्थ जब्त/नष्ट कराये गये। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा-7/16 के अन्तर्गत दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मा0 न्यायलयों में 3789 वाद योजित कराये गये, जिसमें 540 व्यक्तियों को सजा तथा रु0 7,24,170/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

यह सूच्य है कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 (जिसके प्राविधान दिनांक 05-08-11 से लागू हो रहे हैं) की धारा-49 से 67 में विभिन्न प्रकृति के अपराधों के लिये अलग-अलग दण्डों का प्राविधान है, जिसमें अधिकतम रु0 10 लाख तक के जुर्माने तथा आजीवन कारावास तक के दण्ड का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

(संसदीय कार्यमंत्री ने लिखित उत्तर पढ़ना शुरू किया लेकिन श्री अम्बिका चौधरी के कहने पर मा0 अध्यक्ष ने उसे पढ़ा हुआ मान लिया)

श्री राम बिशुन आजाद-

माननीय अध्यक्ष जी, जनजीवन से जुड़ा हुआ मेरा यह प्रश्न है, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उससे स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में मिलावटखोरों द्वारा भारी पैमाने पर खाद्य पदार्थों में मिलावट की जा रही है। मान्यवर, आपने जो यह बताया है कि दिनांक 01-01-2011 से 30-06-2011 तक की अवधि में अपमिश्रण के लिये दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-272/273 के अन्तर्गत 212 व्यक्तियों के विरुद्ध 133 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी और 100 व्यक्तियों को गिरफ्तार कराया गया। यह सूचना 01-01-2011 से 30-6-2011 तक की है, मान्यवर और आपने बताया है कि उक्त अधिनियम, 1954 की धारा-7/16 के अन्तर्गत मा0 न्यायालयों में 2242 वाद योजित कराये गये जिसमें 213 व्यक्तियों को सजा तथा रु0 5,57,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया और दूसरी बात आपने यह कहा कि वर्ष 2010 मे ंदोषी पाये गये 590 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। मान्यवर, इसके अलावा आपने यह भी बताया है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा-7/16 के अन्तर्गत दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मा0 न्यायालयों में 3789 वाद योजित कराये गये, जिसमें 540 व्यक्तियों को सजा तथा रु0 7,24,170/- के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रत्येक जनपद में वर्ष 2010-11 और वर्ष 2011-12 में आज तक कितने-कितने सैम्पलिंग किए गए और यह भी बता दें कि कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज कराया गया है ? मान्यवर, यह जो आपने कहा है कि 10 लाख रुपया तक जुर्माना तथा आजीवन कारावास तक का प्राविधान है, उत्तर प्रदेश में किसी एक व्यक्ति का नाम मंत्री जी बता दें, जिस पर 10 लाख का जुर्माना हुआ हो या उसे आजीवन करावास हुआ हो ?

श्री अध्यक्ष-

आजाद जी, आपने प्रत्येक जनपद का पूछा है, यह कहां सम्भव है ? अरे, ऐसा अनुपूरक करिए, इन्होंने एक कप्सालिडेटेड बता दिया कि इतने इस वर्ष में मुकदमें हुए और इतने वाद योजित है। आप कोई स्पेशिफिक प्रश्न पूछिए।

श्री राम बिशुन आजाद-

माननीय अध्यक्ष जी, यह जनजीवन से जुड़ा हुआ सवाल है, खाद्य पदार्थों में भारी पैमाने पर मिलावट हो रही है, किसी एक व्यक्ति का नाम बता दें जिस पर 10 लाख का जुर्माना हुआ हो या आजीवन कारावास की सजा हुई है ?

श्री अध्यक्ष-

आजाद जी, अपमिश्रण से ज्यादा तो ध्वनि-प्रदूषण है। (हंसी)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने पूरा उत्तर पढ़ा नहीं। मान्यवर, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006, जिसके प्राविधान दिनांक 05-08-11 से लागू हो रहे हैं, जिसमें

10 लाख के जुर्माने की व्यवस्था है। अभी 05-08-11 से यह प्रभावी हुआ है उसमें जुर्माने तथा आजीवन कारावास तक के दण्ड का प्राविधान है। बाकी मान्यवर, जो दोषी व्यक्ति पाए गए हैं, वर्ष 2010 में 540 व्यक्तियों को सजा और 7,24,170/- रुपये का जुर्माना हुआ और इसी तरह से 30-06-2011 तक का जो दिया है उसमें 213 व्यक्तियों को सजा तथा रु0 5,57000/- के अर्थदण्ड की सजा हुई है।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, मेरे जवाब का उत्तर नहीं आया। आपने साफ-साफ कहा है कि उक्त अधिनियम, 1954 की धारा-7/16 के अन्तर्गत मा0 न्यायालयों में वाद योजित कराये जाने की कार्यवाही की जाती है और इस अधिनियम की धारा-7/16 में अर्थदण्ड से लेकर आजीवन दण्ड तक का प्राविधान है। आपने जो भारत सरकार के अधिनियम के बारे में बताया है, यह 05-08-11 से लागू किया गया है। लेकिन आपने पहले ही बता दिया है कि धारा-7/16 के अन्तर्गत आर्थिक दण्ड से लेकर आजीवन कारावास तक के दण्ड का प्राविधान है। तो आप एक भी व्यक्ति का नाम बता दें जिसे आजीवन कारावास का दण्ड हुआ है ?

श्री अध्यक्ष-

न्यायालय ने ऐसा कोई फैसला किया होगा, तो क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कोई सूचना है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सजा तो कितनों को हुयी है, कितने वर्ष का कारावास हुआ है, इसकी सूचना नहीं है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जवाब देते हुए मिलावटखोरों और अपमिश्रण करने वालों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता और अधिनियम के अन्तर्गत अनेक मुकदमें दर्ज करने की बात कही और साथ में यह भी उल्लेख किया है कि दिनांक 05-08-2011 से खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 के दण्डों का प्राविधान किया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दिनांक 05-08-2011 तो हो गया, तो अब जो मिलावटखोरी में पकड़े जाएंगे तो क्या उनके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता और इस तरह के अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमें दर्ज होंगे या सिर्फ केवल खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत मुकदमे दर्ज होंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, भरतीय दण्ड संहिता धारा-272/273 तो प्रभावी है ही, इसमें भी होंगे और दूसरे में भी दर्ज होंगे।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अगर तीन विभिन्न अधिनियमों में मुकदमे दर्ज होने हैं तो शासन ने कोई नीति तय की होगी कि किस प्रकार के अपराधों में भारतीय दण्ड संहिता में, किस प्रकार के अपराधों में खाद्य अपमिश्रण में और किस प्रकार के अपराधों में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम में मुकदमें दर्ज होंगे ? अगर कोई निश्चय हुआ हो तो हमें बता दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, जो जिस कैटेगरी का दोषी होगा उस कैटेगरी के हिसाब से मुकदमें दर्ज होंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह गम्भीर विषय है और इस प्रश्न पर आज नहीं बल्कि पिछले सभी सत्रों में बड़ी गम्भीरता से इस सदन में चर्चा की गयी है, सरकार ने भी चर्चा की है और विपक्ष ने भी की है। सरकार ने अपनी चिन्ता भी व्यक्त की है। लेकिन जब त्योहार आते हैं और जब शादी ब्याह का मौसम आता है तो जितनी घटनाओं का आपने उल्लेख किया कि 212 व्यक्तियों के विरुद्ध 133 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। मान्यवर, 133 से ज्यादा छापों की खबर अकेले लखनऊ में आती है, 133 से ज्यादा छापे मारे जाने की खबर कानपुर में आती है। मान्यवर, इसमें अपमिश्रण में दो तरह की स्थितियां हैं। एक तो इसमें सब-स्टैंडर्ड है।

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं अनुपूरक कर रहा हूं। मान्यवर, 2 तरह के अपमिश्रण की स्थितियां हैं। एक तो अधोमानक है और दूसरा खाद्य पदार्थों में ऐसी वस्तुओं की मिलावट है जो सीधे-सीधे जहरीली वस्तुएं हैं। अधोमानक और जहरीली की स्थितियों में अलग-अलग कार्यवाही का प्रावधान होता है। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि जो उन्होंने आंकड़े दिये हैं इन आंकड़ों में की गयी कार्यवाही से खाद्य पदार्थों के अपमिश्रण पर पूरे प्रदेश में पूरी तरह से रोक लग जाएगी या यह प्रयास अपर्याप्त है, अगर अपर्याप्त है तो आगे क्या करने की योजना है ? यह बता दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, खाद्य अपमिश्रण के प्रभावी नियंत्रण के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने खाद्य और औषधि प्रशासन निदेशालय और इस विभाग को अलग करने का काम किया और सीधे अपने नियंत्रण में रखा है। हमारे और इस विभाग के प्रयास से काफी अंकुश भी लगा है। हमारा प्रयास है कि निश्चित तौर पर खाद्य अपमिश्रण को पूरी तरह से बंद कराने का प्रयास किया जाये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरा सीधा प्रश्न यह था कि क्या आप इस प्रयास से संतुष्ट हैं ?

इससे रोक लग जायेगी और अगर नहीं संतुष्ट हैं तो क्या नया कदम उठायेंगे, मेरा सीधा प्रश्न है। आप बताइये तो मैं अनुपूरक पूंछू। अगर सरकार संतुष्ट हो तो कह दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, अभी इन्होंने एक योजना जो मा0 मुख्य मंत्री जी ने पुरानी योजना के बावजूद एक नयी योजना अलग से बनायी है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हमें यदि आप ही संरक्षण नहीं देंगे तो फिर कहीं से नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, नहीं आपको पूरा संरक्षण रहेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं पुनः पूछता हूं कि क्या 133 मुकदमों से पूरे प्रदेश में रुक गया है। मान्यवर, मैं सदन को निश्चित सूचना देता हूं कि एक दिन में 133 से ज्यादा छापे एक दिन में लखनऊ में पड़े हैं और ये पूरे प्रदेश का आंकड़ा 133 दे रहे हैं। इसका मतलब यह हो गया कि सरकार इस पर गम्भीरता से कार्यवाही कर ही नहीं रही है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, खाद्य अपमिश्रण और नकली मिथ्या छाप औषधियों के उत्पादन और विक्रय में संलिप्त संगठित अपराधियों, माफियाओं के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु शासन के आदेश 4-3-10 द्वारा राज्य स्तर पर मुख्यालय में अपर आयुक्त, अभिसूचना/प्रवर्तन के नेतृत्व में एफ0डी0ए0 टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अपर आयुक्त, अभिसूवना के पद पर पुलिस महानिरीक्षक तथा उनके अधीन एक पुलिस उपाधीक्षक, चार पुलिस निरोक्षकों के पद सृजित हैं। मान्यवर, इसके साथ-साथ ही इस विभाग के द्वारा वेबसाइट भी डेवलप किया गया है जिसमें सीधे जनता अपनी शिकायत भी कर सकती है। मान्यवर, जहां तक छापों की बात कर रहे हैं तो 1 जनवरी, 2011 से 30 जून, 2011 तक 134332 निरीक्षण हुये, 7939 छापे मारे गये, नमूना संग्रह किया गया।

श्री अम्बिका चौधरी-

क्या सरकार 133 मुकदमों से संतुष्ट है, है या नहीं है। अगर ये 12.20 तक यही उत्तर देना चाहते हैं तो हम सुन लेंगे लेकिन मान्यवर, आप हमें संरक्षण दें।

श्री अध्यक्ष-

आप पूरी बात सुन लीजिये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, 5831 नमूना संग्रह किया गया, 2242 वाद दायर किये गये और 213 लोगों को सजा हुयी है। मान्यवर, जो छापे में दोषी पाये जायेंगे, उन्हीं के खिलाफ वाद दायर होगा, सबके खिलाफ नहीं होगा तो मान्यवर, छापे निश्चित ज्यादा होंगे और निरीक्षण ज्यादा होंगे लेकिन जो दोषी पाये गये, उन्हीं के खिलाफ वाद योजित हुये और उसमें न्यायालय को सजा देने का अधिकार है और उन्होंने सजा दी।

श्री अम्बिका चौधरी-

इसका मतलब अब तक जितनी कार्यवाही हुयी है, उससे सरकार संतुष्ट है। आप इतना तो कह दीजिये, बस इतना ही पूछ रहे हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह एक अनवरत प्रक्रिया है और निश्चित रूप से कार्यवाही हो रही है।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने जो योजनाओं के बारे में बताया है। यह बात सही है और सब मानते भी होंगे कि उत्तर प्रदेश में मिलावटखोरों का जाल बहुत मजबूती से बढ़ रहा है। अभी जो इसमें अनुपूरक के रूप में है कि छापे मारे जाते हैं लेकिन जांच का जो विषय है तो लेबोरेटरी पूरे प्रदेश में बहुत कम है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, केवल सुझाव के रूप में एक बात कह रहा हूं कि यदि प्रत्येक जनपद में जो नमूनों की जांच की व्यवस्था लेबोरेटरी के रूप में वहां स्थापित हैं क्योंकि जो नमूने लिये जाते हैं तो उसके लिए प्रत्येक लेबोरेटरी की स्थापना हो। इसके बारे में क्या मा0 मंत्री जी इस सदन में बताने का काम करेंगे ताकि जो मिलावटखोर हैं, उनके नमूनों की जांच ठीक प्रकार से और जल्दी हो और उनको सजा मिले। आपके आदेश, निर्देश ये सब सही हैं लेकिन मौके पर कुछ नहीं होता। आज मिलावटखोर पूरे प्रदेश में हर चीज में मिलावट कर रहे हैं, आप कोई भी चीज लेने जाइये, उसमें मिलावट है। क्या मा0 मंत्री जी लेबोरेटरीज़ स्थापित करने का काम करेंगे ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, प्रत्येक जनपद में अभी सम्भव नहीं है। मान्यवर, अभी 5 जगहों पर जांच की प्रयोगशालायें हैं। झांसी में एक और स्थापित करने का विचार है और यह प्रक्रिया, प्रक्रियाधीन है।

श्री हुकुम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, समस्त उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ प्रश्न है, मान्यवर, यह सभी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है और उत्तर भी काफी विस्तार से आया है। मैं यह मानता हूं कि कोई भी सरकार यह नहीं चाहेगी कि मिलावट हो। इसका कारण क्या है कि सरकार के प्रयास के बाद भी मिलावट रुक नहीं पा रही है, इस पर जाना जरूरी है, आखिर क्या कारण है मिलावट क्यों नहीं रुक पा रही है ? ये तो मान्यवर, आंकड़े हैं, चाहे हम वहां पर बैठे हों या आप वहां पर बैठे हों। ये आंकड़े तो कोटा हैं कोटा निर्धारित किया जाता है कि 50 का इसका कोटा बना दो, 60 का इसका कोटा बना दो। उस कोटे के अन्तर्गत ही ऐसी रिर्पोटें आ जाती हैं। मान्यवर, क्या यह सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में चर्बी से देशी घी बनाया जा रहा है, और वह भी भारी मात्रा में बनाया जा रहा है ? आप मेरे साथ चलें मैं आपको ऐसे गांवों का भ्रमण करा दूं चल करके, जहां पर रात भर भट्ठी जलती है, चर्बी डाल करके उसको मिक्सचर करके देशी घी बनाया जाता है, पैकिंग करके उसको सब जगह भेजा जाता है। मान्यवर, क्या यह सही नहीं है कि आज दूध यूरिया से बनाया जा रहा है। जितनी संख्या यहां पर दुधारू पशुओं की है उससे कई गुना दूध का यहां पर उत्पादन किया जा रहा है। इसका कारण क्या है ? मैं मंत्री जी आपसे यह कहना चाहता हूं कि इन आंकड़ों के जाल में आप भ न फंसें और न ही हमें फंसाने की कोशिश करें। सही स्थिति यह है कि मिलावट रुक नहीं पा रही है और मिलावट रोकने के लिये प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिये और वह प्रभावी कार्यवाही क्या होगी ? आपने बोल दिया कि जनपद स्तर पर आप प्रयोगशाला नहीं बनवा सकते, लेकिन जनपद स्तर पर अभियान के रूप में एक कैम्पेन के रूप में इस कार्यक्रम को चलायें 1 महीने के लिये, 2-3 महीने के लिये चलायें और तब बतायें कि आपने 5000, 10000 मिलावटखोरों को बंद किया है, उनकी जमानत नहीं होनी चाहिये, उनको बंद रखना चाहिये, कम सजा होने का तो सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि वह प्रयोगशालाओं में

जा करके सारे नमूने बदलवा देते हैं। मान्यवर, उनके खिलाफ कोई न कोई एक्शन तो हो ही जाना चाहिये। मान्यवर, मंत्री जी ने तो कान ही बंद कर लिये हैं, हमारी बात वह सुनेंगे ही नहीं।

श्री लालजी वर्मा-

आपकी बात सुनने के लिये ही तो कान बंद किये हुये हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप बैठ जाएं।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रदेश में किन-किन खाद्य पदार्थों की सबसे ज्यादा सैम्पलिंग की गई। खाद्य पदार्थ कई हैं जैसे चावल, गेहूं, चीनी, दूध, घी, तेल, फल, सब्जियां आदि। किन खाद्य पदार्थों की ज्यादा सैम्पलिंग की गयी है और इन सैम्पलिंग में कितनी कार्यवाही की गई है ? प्रदेश में कितने सैम्पलिंग प्रयोगशालाओं में पड़े हुये हैं और आज तक उनकी नमूने की रिपोर्ट आपके पास नहीं आई है, आपके पास प्रयोगशालाएं केवल एक या दो हैं और वहां पर कर्मचारी भी पूरे नहीं हैं। वहां पर यह निर्माता जाते हैं और पैसा दे करके अपने सैम्पलिंग को सही करा देते हैं। मा0 अध्यक्ष जी इस विषय में आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी क्या आपके पास इसकी सूचना है कि अलग-अलग खाद्य पदार्थों में मिलावट किसमें ज्यादा हुई है और किसमें कम हुई है ?

श्री लालजी वर्मा-

दिनांक 01-01-2011 से 30-06-2011 तक विभिन्न खाद्य पदार्थों में की गयी मिलावट के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही बता देता हूं :-

कृत्रिम रक्त इसमें एफ0आई0आर0-01, नामित व्यक्तियों की संख्या-2, गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या-1, कारबाइड से पकाये फल इसमें एफ0आई0आर0-10, नामित व्यक्तियों की संख्या-13, गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या-7, अनाज एवं दाल से निर्मित पदार्थ इसमें एफ0आई0आर0-23, नामित व्यक्तियों की संख्या-45, गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या-22, पेय पदार्थ के सम्बन्ध में एफ0आई0आर0-02, नामित व्यक्तियों की संख्या-03, गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या-03, खाद्य तेल में एफ0आई0आर0-07, नामित व्यक्तियों की संख्या-08, गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या-03, इथेफान में एफ0आई0आर0-01, नामित व्यक्तियों की संख्या-01, गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या-01, फल सब्जियों, आचार एवं जैम इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है मान्यवर, इसमें कोई एफ0 आई0 आर0 नहीं है। दूध में एफ0आई0आर0-09 और नामित व्यक्तियों की संख्या-19, गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या-12, दुग्ध उत्पादन में एफ0आई0आर0-04, नामित व्यक्तियों की संख्या-11, गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या-09, नमकीन में एफ0आई0आर0-02, नामित व्यक्तियों की संख्या-02, गिरफ्तार-01, सील्ड बंद पेयजल एफ0आई0आर0-02, नामित व्यक्तियों की संख्या-06, मसाला एफ0आई0आर0-04, नामित व्यक्तियों की संख्या-07, गिरफ्तार व्यक्ति-03, सुपारी एवं पान मसाला एफ0आई0आर0-37, नामित व्यक्तियों की संख्या-53, गिरफ्तार-21, मिठाई एवं टाफी एफ0आई0आर0-12, नामित व्यक्तियों की संख्या-12,

गिरफ्तार-01, अन्य खाद्य पदार्थ-एफ0आई0आर0-19, नामित व्यक्तियों की संख्या-30, गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या-16।

श्री अध्यक्ष-

चलिये ठीक है, अब मैं अगला प्रश्न लेता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह सरकार मिलावटखोरी और अपमिश्रण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये गम्भीर नहीं है, यह सिर्फ कोटे निर्धारित कर देती है और 10-15 लोगों को पकड़वा कर वसूली के नाम पर लूटने का काम करती है, यह सरकार जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, इस नाते हम इसका बहिष्कार करते हैं।

(तत्पश्चात् श्री हुकुम सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्यगण ने सदन का त्याग किया।)

प्रदेश में बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु कार्य योजना

*3-श्री जोखू लाल यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

प्रदेश के सभी जनपदों में शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत निम्नांकित कार्यक्रम संचालित हैं :-

विद्यालयों में अध्यापकों की उपलब्धता बढ़ाने हेतु विगत 04 वर्षों में लगभग 84000 अध्यापकों की तैनाती विद्यालयों में की जा चुकी है।

विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाएं सुदृढ़ की गयी हैं। असेवित बस्तियों में नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये गये हैं तथा विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्मित कराये गये हैं। विद्यालय भवनों के रख-रखाव हेतु प्रतिवर्ष विद्यालय रख-रखाव अनुदान दिया जाता है।

राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली द्वारा विकसित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 के परिप्रेक्ष्य में कक्षा 1-8 तक का पाठ्यक्रम पुनरीक्षित किया जा चुका है तथा तद्नुसार पाठ्य पुस्तकों का पुनरीक्षण पूर्ण कर नवीन पाठ्य पुस्तकें लागू की जा चुकी हैं। कक्षा-1 से ही अंग्रेजी भाषा का शिक्षण प्रारम्भ कर दिया गया है।

कक्षा 1-8 तक के बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा कक्षा 1-5 तक के बच्चों को भाषा एवं गणित में अभ्यास के अवसर प्रदान करने के लिए निःशुल्क कार्यपुस्तिकाएं उपलब्ध करायी जाती हैं।

विद्यालयों में पठन-पाठन प्रक्रिया को उन्नत बनाने हेतु शिक्षकों के शिक्षण कौशल में संवर्द्धन के लिए नियमित रूप से शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु नवीन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित शिक्षक सन्दर्शिकाएं शिक्षकों के उपयोगार्थ विकसित की जा रही हैं।

वर्ष 2010-11 में अधिगम अभिवृद्धि कार्यक्रम (लर्निंग एनहैन्समेण्ट प्रोग्राम) के अन्तर्गत सुनियोजित प्रयास किये गये हैं। इसके अन्तर्गत कक्षा 1-2 के बच्चों में पठन कौशल एवं गणितीय दक्षता विकास हेतु कार्यक्रम संचालित किया गया है। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 एवं 7 के बच्चों को प्रयोग एवं गतिविधि के द्वारा विज्ञान एवं गणित सीखने हेतु कार्यक्रम संचालित किया गया है।

''निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009'' के परिप्रेक्ष्य में शैक्षिक गुणवत्ता संवर्द्धन एवं अकादमिक सपोर्ट प्रदान करने के लिए विकास खण्ड संसाधन केन्द्रों का पुनर्गठन किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र पर विषयवार 07 विषय-विशेषज्ञ रखे जाने की व्यवस्था की गयी है। इसके अतिरिक्त ब्लाक संसाधन केन्द्रों में अवस्थापना सुविधाओं का सुदृढ़ीकण किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, प्रश्नकर्ता कह रहे हैं कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया, तो इसे पढ़ा हुआ माना जाता है, आप बैठ जाइये।

श्री जोखू लाल यादव-

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैंने मंत्री जी से यह प्रश्न किया था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मंत्री जी के उत्तर को हमने अक्षरशः पढ़ा है और अध्यक्ष महोदय जी, यह प्रश्न प्रदेश के गरीब किसानों के बच्चों से जुड़ा हुआ है, आज प्रदेश के जो प्राथमिक विद्यालय हैं, यह हकीकत है कि उन प्राथमिक विद्यालयों में गरीब और किसान के बच्चे पढ़ते हैं, शायद यह पूरा सदन सहमत होगा जितने माननीय सदस्य होंगे, शायद ही किसी का लड़का प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाता हो। अगर हम चाहते हैं, और जो सम्पन्न लोग हैं, आज क्या कारण है मान्यवर, वह अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों में नहीं छोड़ते हैं, यहां तक कि मंत्री जी के बच्चे भी उसमें नहीं जाते होंगे ?

श्री अध्यक्ष-

जितने लोग बैठे हैं, सबके नहीं जाते होंगे।

श्री जोखू लाल यादव-

जी मान्यवर, जितने भी लोग बैठे हैं किसी के भी बच्चे वहां नहीं जाते हैं, और आपके भी बच्चे वहां नहीं जाते हैं। यह स्थिति ऐसी है, इसलिए हमारी चिन्ता है मान्यवर, कि क्या कारण है कि आखिर यह प्राथमिक विद्यालय जो शिक्षा की नर्सरी हैं, जहां गरीब किसान के बच्चे पढ़ते हैं, आज उनकी हालत यह है कि हम तमाम सारे लोग अपने बच्चों को वहां पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। आज यह चिन्ता का विषय है मान्यवर, और माननीय मंत्री जी ने, ...

श्री अध्यक्ष-

आप सीधे अनुपूरक प्रश्न करें।

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, मैं सीधे अनुपूरक पर आता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इन्होंने तमाम गुणवत्ता के उपाय बतायें हैं, कुछ अध्यापकों की नियुक्तियां की हैं, कुछ कमरे बनवायें हैं, कुछ कापी-किताब बटवाई हैं। सरकार कितनी गम्भीर है मान्यवर, यह निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम जिसका उल्लेख है माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में किया है, जहां तक मुझे जानकारी है कि बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2010 में लागू हुआ है और बेसिक शिक्षा मंत्री ने उसको 2009 में ही लागू होना बताया है, यह इन्होंने अपने उत्तर में पढ़ा है, इन्होंने कहा है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम, 2009 के परिप्रेक्ष्य में, जबकि 2010 है,

श्री अध्यक्ष-

आप सीधे अनुपूरक प्रश्न कीजिए।

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, मैं अनुपूरक ही कर रहा हूं, मान्यवर हम माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहते हैं कि एक तो यह बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू कब हुआ, अगर 2009 में लागू हुआ तो इनकी बात सही है, जहां तक मेरी निश्चित जानकारी है कि बेसिक शिक्षा मंत्री और शासन का इस तरह के गम्भीर विषय पर ऐसा जवाब नहीं आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

आप अनुपूरक कीजिए।

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, मैं अनुपूरक ही कर रहा हूं, मान्यवर, सच्चाई है कि गुणवत्ता में कमी आई है। हम माननीय मंत्री जी आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि प्रदेश में कुल कितने प्राथमिक विद्यालय हैं, उन प्राथमिक विद्यालयों में कितने अध्यापकों की जरूरत है ?

मान्यवर, आज की तारीख में कितने अध्यापक कार्यरत हैं और जो शेष अध्यापकों की नियुक्ति होनी है वह नियुक्तियां आप कब तक करने जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष-

आपका जो मूल प्रश्न है उसको आप पढ़ लें। अब कितनी की भर्ती करेंगे यह तो मूल प्रश्न से अलग है। आपने कार्य योजना का उल्लेख किया है।

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, तमाम सारे प्राथमिक विद्यालय बंद पड़े हैं। अध्यापकों की कमी है।

श्री अध्यक्ष-

वह मैं मान रहा हूं। क्या कोई कार्य योजना है यह आपने जानकारी चाही उसका उल्लेख उन्होंने कर दिया ?

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, गुणवत्ता बनाये रखने की बात है अध्यापकों की कमी है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी इस तरह की कोई सूचना है ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मान्यवर, पूरे प्रदेश भर में कुल कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षा मित्र जो हैं उनकी संख्या है 3,59544। यह बात सही है माननीय सदस्य ने शिक्षा की गुणवत्ता पर जो प्रश्न किया है, वहां गरीब और ग्रामीण अंचल के वे बच्चे शिक्षा ग्रहण करने का काम करते हैं जो कान्वेंट स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए इतना खर्च नहीं कर सकते या उनसे कान्वेंट स्कूल बहुत दूर हैं। मान्यवर, हमारी सरकार के बनने के तत्काल बाद माननीय मुख्य मंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने 88 हजार अध्यापकों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया और उनको प्रशिक्षण देकर सभी को तैनाती दे दी गयी है और तैनाती नियमावली भी इसी तरीके से बनायी गयी कि कोई भी नवनियुक्त अध्यापक उन स्कूलों में जायेंगे जो एकल हैं या बंद हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में कोई भी प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं हैं, सब में अध्यापक हैं।

(व्यवधान)

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

मान्यवर, हमारे यहां लखीमपुर में निघासन में तमाम स्कूल बंद पड़े हुए हैं।

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मान्यवर, आप पूरा उत्तर सुन लें। मान्यवर, जो हमारी अध्यापकों की तैनाती नियमावली बनी है उसमें पुरुषों के लिए 5 वर्ष की कम से कम की अवधि रखी गयी है उनकी तैनाती उन स्कूलों में रहेगी जहां कोई अध्यापक नहीं जाना चाहता था। इसी तरह से महिलाओं के लिए 2 वर्ष की बाध्यता की गयी है। मान्यवर, आज की तारीख में पूरे प्रदेश में कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं है जहां शिक्षक नहीं हैं। अगर कहीं कोई इस तरह की आपकी शिकायत है तो सदन के माननीय सदस्य लिखित में जानकारी हमें दे दें वहां के अधिकारियों के खिलाफ सौ प्रतिशत कार्यवाही की जायेगी अगर कोई विद्यालय बंद पड़ा होगा। माननीय अध्यक्ष जी, स्कूल में जाने के लिये बच्चे को साफ-सुथरा भवन, सफाई, विद्युत व्यवस्था, उन बच्चों को भी पंखें की हवा की जरूरत है, उन्हें भी कम्प्यूटर की जरूरत है।

(विपक्ष के अनेक सदस्य द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

ऐसा मालूम हो रहा है कि आप लोग प्राइमरी स्कूल में प्रवेश ले लिये हैं, आप लोग बैठें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह तरीका ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

तरीका तो अच्छा नहीं है लेकिन क्या बतायें। यह तो प्राइमरी स्कूल की गुणवत्ता की बात कर रहे हैं और यहीं गुणवत्ता गिर जा रही है। प्राइमरी की तो बात कर रहे हैं कि गुणवत्ता सुधारी जाय और सदन की गुणवत्ता को बिगाड़ा जाय, यही चलेगा। एक हमारे माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। परम्परा तो यह है कि माननीय मंत्री जी जब तक उत्तर दे रहे हैं सदस्य सुनें उसके बाद अनुपूरक करें।

डा0 धर्म सिंह सैनी-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अनिवार्य शिक्षा, 2009 का जिक्र किया। नियमावली बनाई भारत सरकार ने 2009 में और लागू किया 2010 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अन्य प्रदेशों से सर्वप्रथम आगे बढ़ करके 2011 में नियमावली बाल अधिकार अनिवार्य शिक्षा निःशुल्क शिक्षा पास कर दी है और हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक विद्यालय में डेढ़ सौ छात्रों तक एक तीस का अनुपात और डेढ़ सौ से ऊपर एक चालिस का अनुपात मय प्रधान अध्यापक के हर विद्यालय में हम अध्यापक देने के लिये सुनिश्चित करेंगे यह कार्य योजना माननीय मुख्य मंत्री जी की है।

श्री उदय राज-

माननीय अध्यक्ष जी, आज वास्तव में प्राथमिक शिक्षा का जो स्तर गिर रहा है शायद उससे भी आप बहुत अच्छी तरीके से और पूरा सदन अच्छी तरीके से वाकिफ है मैं उस पर नहीं जाना चाहता मैं सधे-सीधे मंत्री जी से एक दो अनुपूरक करना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने शिक्षा का स्तर उठाने के लिये असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय में तमाम कक्ष बनवाने की बात अपने लिखित उत्तर में कही है। मैं आपके माध्यम से माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 2011 में आज उत्तर प्रदेश में कितनी ऐसी असेवित बस्तियां बची हैं जहां प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय बनवाये जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2011 जो वर्ष आज चल रहा है इसमें कितने विद्यालयों को बनवाये जाने की स्वीकृति माननीय मंत्री जी के द्वारा या सरकार के द्वारा दी गयी है। मान्यवर, एक इसका उत्तर चाहिये। दूसरा, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने कहा कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय ऐसा नहीं है जहां पर शिक्षक न होने के कारण विद्यालय बन्द हो। मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को मैं तीन विद्यालय उन्नाव जनपद के बता रहा हूं जो आज भी अध्यापक न होने के कारण बन्द पड़े हुये हैं। एक है उन्नाव जनपद में कटरी गदनपुर आहार प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय यह दोनों विद्यालय बन्द पड़े हैं। दूसरा विद्यालय है रउतापुर उच्च प्राथमिक विद्यालय विकास खण्ड सरोसी। यह पिछले कई वर्षों से बन्द हैं और उसमें वहां के एक दो लोग भूसा भरने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, तीसरा विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय सहजना विकास खण्ड मियागंज में है जहां एक भी अध्यापक नहीं है। मान्यवर, इसके अलावा मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी ने अपने लिखित उत्तर में कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनते ही पूरे प्रदेश में अध्यापकों की कमी को देखते हुये 44 हजार शिक्षकों को नियुक्त करने का काम किया गया। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं वही पूछना चाहता हूं अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि 88 हजार शिक्षकों की भर्ती की गयी है। इसमें कौन

सी बात सही मानी जाये जो सदन में कही जा रही है वह सही मानी जाये या जो माननीय मंत्री जी ने लिखित उत्तर दिया है, वह सही माना जाये, मैं इसका भी जवाब आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

सबसे पहले तो माननीय सदस्य जी ने जिन तीन स्कूलों का जिक्र किया है, उनकी जांच करवा लूंगा, अगर वहां अध्यापक नहीं है तो वहां के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी। दूसरी जो उन्होंने 88 हजार, 84 हजार की बात कही है, 84 नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 88 हजार अध्यापकों की नियुक्ति की बात कही है। उन्होंने इसकी घोषणा की थी। 4 हजार अध्यापकों की तैनाती अभी नहीं हुयी है, उनका मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। अभी कोर्ट केस है, जैसे ही निर्णय हो जायेगा तो वह भी कम्प्लीट हो जायेंगे। इस प्रकार 88-84 का कोई मामला नहीं है।

श्री उदय राज-

मैंने जो पहला अनुपूरक किया है 2011-12 में कितने प्राथमिक विद्यालय बनाने जा रहे हैं और कितने उच्च प्राथमिक विद्यालय बनाने जा रहे हैं, उसका भी उत्तर दे दें ?

श्री अध्यक्ष-

और लोगों को इसीलिये मौका नहीं मिलता है कि अनुपूरक पूछने से पहले इतनी लम्बी भूमिका आप लोग बनाते हैं, कृपया सीमित शब्दों में आप लोग अपनी बात कहें। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने पूछा है कि 2011-12 में भी कुछ नये विद्यालय बनना प्रस्तावित हैं। अगर प्रस्तावित हैं तो उनकी संख्या क्या है ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी, भारत सरकार के सहयोग से ही राज्यांश लेकर यह योजना चलती है, हमने लगभग 12 हजार प्राथमिक विद्यालयों की भारत सरकार से डिमान्ड की है। उम्मीद है कि हमें मिल जायेंगे और खुल जायेंगे।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानकारी चाहता हूं कि अभी मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी बेसिक विद्यालयों में लाइट और पंखों की व्यवस्था की गयी है। मंत्री जी का एक आदेश गया है कि सभी विद्यालयों को 25 हजार एक सौ कुछ रुपया पंखा और लाइट के लिये और वायरिंग कराने के लिये व्यवस्था की गयी है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस जगह पर दो विद्यालय बने हुये हैं, उसके लिये भी 25 हजार रुपया किया गया है, जहां पर तीन विद्यालय बने हैं, उसके लिये भी 25 हजार रुपया किया गया है। जहां पर चार विद्यालय बने हैं, उसके लिये भी 25 हजार रुपया और जिन गांवों में आज तक बिजली गयी नहीं है और कई-कई किलोमीटर दूर लाइन है, उनमें भी आप पंखे और लाइट की व्यवस्था करने जा रहे हैं। आखिर आपने ऐसा कौन सा मापदंड अपनाया है जो 25-25 हजार रुपये सभी विद्यालयों में व्यवस्था की गयी है और जिन विद्यालयों में बिजली नहीं है वहां पर कैसे पंखे और लाइट चलेगी। क्या आप वहां पर सौर ऊर्जा की व्यवस्था करेंगे ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि एक गांव में चार-चार विद्यालय नहीं है। एक मानक है।

श्री कृष्ण गोपाल पटेल-

मैंने चार कमरे कहा है ....

डा0 धर्म सिंह सैनी-

अब आप कमरे कह रहे हैं अभी आप स्कूल कह रहे थे, विद्यालय कह रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, वह सरकार की जिम्मेदारी है जितने भी विद्यालय में कक्ष होंगे मय प्रधानाचार्य कक्ष के। उन सभी में विद्युतीकरण होगा, यह मैं आपको बताना चाह रहा हूं। दूसरी बात, माननीय सदस्य ने एक प्रश्न किया है कि 4-4 किमी0 दूर जहां बिजली की लाइनें हैं, वहां स्कूलों तक बिजली आप कैसे पहुंचाओंगे उसके संबंध में बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर विद्युत विभाग से सम्पर्क किया गया है, उनसे अनुरोध किया गया है कि जहां-जहां विद्यालयों से दूर बिजली की लाइनें है, वह वहां तक लाइन भिजवाने का कार्य करेंगे। यह मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं।

प्रदेश में सब्जियों में आक्सीटोक्सीन इन्जेक्शन लगाने की रोकथाम के उपाय

*4-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पपीता, लौकी, तरोई काशीफल, टमाटर आदि सब्जियों में आक्सीटोक्सीन इन्जेक्शन लगाकर बाजार में बेचा जा रहा है जिससे कैंसर, त्वचा रोग आदि से मानव जीवन को खतरा उत्पन्न हो रहा है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा वर्ष 2007 से अप्रैल, 2011 तक कितने लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? क्या उक्त की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

समाचार-पत्रों के माध्यम से प्रकाश में आया है कि फलों एवं सब्जियों में आक्सीटोक्सीन इन्जेक्शन लगातार बाजार में बेचा जा रहा है, जिससे कैंसर, त्वचा रोग आदि से मानव जीवन को खतरा उत्पन्न हो रहा है, परन्तु उत्तर प्रदेश में इससे संबंधित कोई भी विशिष्ट प्रकरण शासन के संज्ञान में नही आया।

आक्सीटोक्सीन इन्जेक्शन को दुरुपयोग रोकने हेतु विभिन्न जनपदों में औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2011 से 27.07.2011 तक 22 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुये 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार कराया गया तथा रु0 2,68,750/- मूल्य का आक्सीटोक्सीन जब्त कराया गया।

अपमिश्रित पाये गये नमूनों के लिये उत्तरदायी निर्माता/विक्रेता के विरुद्ध खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं तत्संबंधी नियमावली, 1955 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 272/273 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर उक्त अधिनियम, 1954 की धारा-7/16 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में वाद योजित कराये जाने की कार्यवाही की जाती है। उक्त अधिनियम की धारा-16 में आर्थिक दण्ड से लेकर आजीवन कारावास तक के दण्ड का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, उत्तर पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, उत्तर पढ़ा हुआ माना जाता है।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा सवाल था क्योंकि यह हमारे, आपके और सभी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है और मुझे आपके स्वास्थ्य की बड़ी चिन्ता है। मान्यवर, आज फलों, सब्जियों में तमाम चीजों में आक्सीटोसिन इन्जेक्शन लगाकर उन्हें दूषित करने का काम किया जा रहा है। मैंने प्रश्न में पूछा था कि जब से मैं विधायक चुनकर आया हूं यानी कि वर्ष 2007 से अप्रैल 2011 तक की सूचना मैंने जाननी चाही थी लेकिन मा0 मंत्री जी ने इसी वर्ष 01 जनवरी, 2011 से 27 जुलाई, 2011 तक की सूचना दी है। मान्यवर, अगर मा0 मंत्री जी के पास पूरी सूचना हो तो दे दें अन्यथा बाद में उपलब्ध करा देंगे क्योंकि मैंने मांगा था कि वर्ष 2007 से लेकर अब तक कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। दूसरा मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि समाचार-पत्रों के माध्यम से और इससे पहले भी कई बार यह प्रश्न इस सदन में आ चुका है कि तमाम लोग सब्जियों में आजकल भारी मात्रा में आक्सीटोसिन इन्जेक्शन लगाकर उसे दूषित करने का काम कर रहे हैं जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। प्रदेश के बाहर दूसरे प्रदेशों में भी सब्जियां जा रही हैं उनके लिए भी यह चिन्ता का विषय है। इसलिए मान्यवर, इस पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के साथ-साथ जो लोग मिलावट करते हैं जो लोग इन्जेक्शन लगाते हैं क्या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की गयी है ?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आक्सीटोसिन इन्जेक्शन बहुत महत्वपूर्ण औषधि है और नियमानुसार इसका निर्माण एवं विक्रय विशिष्ट ग्लिस्टर पैकिंग में किया जाना निर्धारित है। शासन को ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही थीं कि कतिपय निर्माताओं, विक्रेताओं द्वारा नियमों का उल्लंघन कर इसका निर्माण एवं विक्रय किया जा रहा है तथा पशुओं का दूध निकालने में इसका प्रयोग किया जा रहा है। शासन द्वारा इसे गम्भीरता से लेते हुए सम्पूर्ण प्रदेश में समय-समय पर अभियान चलाकर कार्यवाही की गई है इस कार्यवाही में जनवरी, 2011 से 27 जुलाई, 2011 तक एक आक्सीटोसिन की अवैध निर्माण इकाई पकड़ी गयी और अब तक की गई कार्रवाई में 22 प्राथमिकी दर्ज कराते हुए 20 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा उक्त कार्रवाई में दो लाख अड़सठ हजार सात सौ पचास मूल्य के आक्सीटोसिन इन्जेक्शन लिक्विड सीज किये गये।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मैंने बड़ी स्पष्ट सूचना मांगी थी 2007 से लेकर अब तक की और मा0 मंत्री जी ने जनवरी, 2011 से अब तक की सूचना दी है। मान्यवर, यदि मा0 मंत्री जी के पास पूरी सूचना हो तो बता दें नहीं हो तो बाद में उपलब्ध करा देंगे।

श्री अध्यक्ष-

उत्तर के प्रथम पैरा में लिखा है कि इससे सम्बन्धित कोई भी विशिष्ट प्रकरण शासन के संज्ञान में नहीं आया है।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मैंने जो सूचना मांगी कि कितने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, यह सूचना मैंने वर्ष 2007 से मांगी थी।

श्री अध्यक्ष-

इसी पर तो मा0 मंत्री जी ने बताया कि इस अवधि में कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया।

चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, यदि अभी पूरी सूचना न हो तो बाद में उपलब्ध करा दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, मा0 सदस्य ने जो स्पेसिफिक सूचना मांगी है उसे मा0 सदस्य को उपलब्ध करा दीजिएगा।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, ठीक है, मैं उपलब्ध करा दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, अभी एक मिनट का समय बाकी है।

प्रदेश में कान्वेन्ट स्कूलों में बी0पी0एल कार्ड धारकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था

*5-श्री मदन चौहान-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कान्वेन्ट स्कूलों में बी0पी0एल0 कार्ड धारकों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने हेतु सरकार ने कोई नीति बनाई है ? यदि हां, तो वह नीति क्या है तथा कब से लागू होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के ''सेक्सन-2 की धारा (एन) के अनुच्छेद 3, 4 में विहित प्राविधानों के अनुसार कक्षा की क्षमता के 25 प्रतिशत छात्र कमजोर एवं असमर्थ वर्ग से निकट के स्कूल में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जब तक कि यह पूर्ण न हो जाये देने हेतु कक्षा-1 से प्रविष्ट किये जायेगे।'' निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम-2009 के प्राविधानों को लागू करने की कार्यवाही प्रक्रियान्तर्गत है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार नियमावली-2011 प्रख्यापित कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में महाविद्यालयों में प्रवेश दिलाने की व्यवस्था

*6-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2011-2012 में बी0ए0/बी0एस0सी0/बी0काम0 प्रथम वर्ष में इच्छुक सभी छात्रों को महाविद्यालयों में प्रवेश दिलाने की सरकार की कोई नीति है ? क्या यह सही है कि इण्टरमीडिएट पास सभी छात्रों को प्रवेश के अवसर महाविद्यालयों में उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी इच्छुक छात्रों को महाविद्यालयों में प्रवेश मिल सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा मंत्री (डा0 राकेशधर त्रिपाठी)-

जी हां।

जी नहीं। प्रवेश की उचित व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु इच्छुक सभी छात्रों को महाविद्यालयों में प्रवेश दिलाने के संबंध में विश्वविद्यालयों के परिनियमों में व्यवस्था उपलब्ध है।

प्रदेश के पब्लिक स्कूलों में मनमानी फीस पर रोक हेतु शुल्क निर्धारण एवं शुल्क नियमन हेतु निर्गत निर्देश

*7-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पब्लिक स्कूलों द्वारा अच्छी शिक्षा के नाम पर मनमानी फीस और अन्य मद में भारी धनराशि वसूल की जा रही है जिससे आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों को संकट का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार वसूली जा रही मनमानी फीस एवं अन्य मद पर अंकुश लगाने हेतु कोई नीति बनाने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं, कतिपय पब्लिक विद्यालयों द्वारा मा0 न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर अधिक फीस ली जा रही है।

शासनादेश संख्या-1719/15-7-09-10(107)/2006, दिनांक 29-6-2009 द्वारा शुल्क निर्धारण एवं शुल्क नियमन हेतु मार्गदर्शी, सिद्धान्त निर्गत किये गये है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग में अधिकारियों की संख्या एवं कार्य का विवरण

1-श्री प्रदीप माथुर-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में कितने पद अपर संयुक्त व उप निदेशक के सृजित हैं तथा इन सृजित पदों पर कौन-कौन अधिकारी मूल पद के अनुरूप तैनात हैं ? क्या इन पदों में से कुछ पदों का कार्यभार उससे निम्न स्तर के अधिकारी को दिया गया है ? यदि हां, तो कौन-कौन से पदों का ? क्या वह अधिकारी आहरण वितरण का भी कार्य करते

हैं ? यदि हां, तो क्या वह कार्यभार शासन के आदेश से दिया गया है ? यदि नहीं, तो प्रश्नगत पदों का कार्यभार बिना शासन के अनुमोदन के किस नियम के अन्तर्गत दिया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

अपर निदेशक के 04 पद, संयुक्त निदेशक के 17 पद एवं उप निदेशक के 23 पद सृजित हैं। सृजित पदों के सापेक्ष संलग्न सूची के अनुरूप अधिकारी मूल पद पर तैनात हैं।

जी हां।

सूची संलग्न† है।

जी नही।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विश्वविद्यालय के सहायकों/कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ

2-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त विभाग के शासनादेश सं0-वे0आ0-2-401/दस-54 (एम)/2008, टी0सी0 दिनांक 18-3-2011 के अन्तर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में कार्यरत कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक सहित सभी कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या इससे सम्बद्ध कला एवं शिल्प महाविद्यालय के समान पदधारकों को भी समान वेतनमान का लाभ प्रदान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश सं0-वे0आ0-2-401/दस-54 (एन)/2008 टी0सी0 दिनांक 18.03.2011 राजकीय विभागों के लिए है। इसके द्वारा लिये गये निर्णय शैक्षणिक संस्थानों जिसमें लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं कला एवं शिल्प महाविद्यालय सम्मिलित है, के लिए प्रभावी नहीं है।

---

† (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 243-246 पर।)

जनपद बांदा चित्रकूट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत चेकडैम/नाला विकास हेतु स्वीकृत धनराशि एवं कृत कार्यों का विवरण

3-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या लघु सिंचाई एवं भू-गर्भ जल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा, चित्रकूट में वर्ष 2009-10 से मार्च, 2011 तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत परियोजनावार लघु सिंचाई विभाग को कितनी धनराशि प्राप्त हुयी है तथा इस धनराशि से क्या-क्या कार्य कराये गये हैं ? क्या जे0ई0 द्वारा काम न करने वाले जॉब कार्ड धारक मजदूरों को 10 प्रतिशत धनराशि देकर 90 प्रतिशत धनराशि का गबन किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री लखीराम नागर)-

जनपद बांदा में वर्ष 2009-10 से अब तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत 09 रिचार्जिंग चेकडैम/नाला विकास हेतु रु0-326.11 लाख अवमुक्त की गयी है, जिला योजनान्तर्गत चेकडैम नेढुवा व हडहामाफी के निर्माण हेतु श्रमांश की धनराशि रु0-8.15 लाख, 100 डगवेल रिचार्ज हेतु रु0-34.62 लाख तथा निःशुल्क बोरिंग हेतु श्रमांश की धनराशि रु0-0.53 लाख कुल रु0-369.41 लाख अवमुक्त की गयी है, जिससे चेकडैम/नाला विकास, रिचार्ज वेल कार्य कराया जा रहा है।

जनपद चित्रकूट में वर्ष 2009-10 से अब तक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत रिचार्जिंग चेकडैम के निर्माण हेतु कुल रु0-38.05 लाख तथा बुन्देलखण्ड विकास पैकेज के अन्तर्गत नये ब्लास्ट कूप के निर्माण एवं पुराने ब्लास्ट कूपों के गहरीकरण तथा रिचार्ज वेल हेतु रु0-148.409 लाख, कुल रु0-186.459 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस धनराशि से चेकडैम एवं नये ब्लास्ट कूप, पुराने ब्लास्ट कूप का गहरीकरण तथा रिचार्ज वेल का कार्य कराया जा रहा है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश में राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के पदों के ढांचे, पदोन्नति आदि की व्यवस्था

4-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त विभाग के शासनादेश सं0-वे0आ0-2-2053/दस-54 (एम)/ 2008 टी0सी0, दिनांक 08-09-2010 तथा सं0-वे0आ0-2-410/दस-54 (एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 18-3-2011 के प्रस्तर-5 में वर्णित नियमों के तहत विभिन्न पदों जैसे कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ सहायक, प्रशासनिक अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं आशुलिपिकों के पदों को शत-प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो क्या इससे सम्बद्ध लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं इससे सम्बद्ध कला एवं शिल्प

महाविद्यालय, लखनऊ में उक्त शासनादेश का अनुपालन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त शासनादेशों से आच्छादित पदों पर अर्ह कर्मियों की पदोन्नति उल्लिखित वेतनमानों में करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश सं0-वे0आ0-2-2053/दस-54 (एम)/ 2008 टी0सी0, दिनांक 08-09-2010 में राजकीय विभागों के लिपिकीय संवर्ग के पदों के ढांचे, पदोन्नति आदि की व्यवस्था की गयी है। प्रश्न में उल्लिखित शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-410/दस-54 (एम)/2008 टी0सी0, दिनांक 18-3-2011 वित्त वेतन आयोग द्वारा निर्गत नहीं किया गया है।

जी नहीं।

शासनादेश सं0-वे0आ0-2-2053/दस-54 (एम)/ 2008 टी0सी0, दिनांक 08-09-2010 राजकीय विभागों के लिए लागू हैं। इसके द्वारा लिये गये निर्णय शैक्षणिक संस्थानों जिसमें, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ एवं कला एवं शिल्प महाविद्यालय सम्मिलित हैं, के लिए प्रभावी नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय एवं जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापकों व सहायक अध्यापकों को छठे वेमानमान एवं एरियर का भुगतान कराये जाने की मांग

5-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालय एवं जूनियर हाई स्कूल में कार्यरत प्रधानाध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों को छठां वेतनमान का देय अवशेष एरियर वित्तीय वर्ष 2009-10 में 40 प्रतिशत तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 में 40 प्रतिशत का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

वित्तीय वर्ष 2009-10 का 40 प्रतिशत तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 में 40 प्रतिशत के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2011-12 में रुपये 21,72,05,60,000/- का प्राविधान किया गया है, जिसके सापेक्ष रुपये 10,86,02,80,000/- का भुगतान किया जा चुका है। शेष धनराशि की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक बाबा बेलखरनाथ धाम के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हैण्ड पम्प लगवाये जाने की मांग

6-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक बाबा बेलखरनाथ धाम में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प न होने के कारण विद्यार्थियों को पानी पीने की

असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में हैण्डपम्प लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक बाबा बेलखरनाथ धाम में 04 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्प नहीं है, परन्तु ये 04 उच्च प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय के परिसर में संचालित हैं, जिसके कारण पीने के पानी की असुविधा नहीं होती है।

जी हाँ।

04 हैण्डपम्प विहीन विद्यालयों की सूची जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रतापगढ़ द्वारा उ0प्र0 जल निगम, प्रतापगढ़ को प्रेषित की जा चुकी है।

यथाशीध्र कार्यवाही करने का प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र व तहसील पट्टी के प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में मानक के अनुरूप अध्यापकों की तैनाती की मांग

7-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र व तहसील पट्टी के प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के आधार पर मानक के अनुरूप अध्यापकों की तैनाती की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

यह एक सतत् प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत नवीन प्राथमिक विद्यालय चयनित किये जाने का लक्ष्य

8-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में कितने प्राथमिक विद्यालय चयनित किये जाने का लक्ष्य है और कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 में भारत सरकार द्वारा नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने की कोई स्वीकृति न दिये जाने के कारण वर्ष 2010-11 में जनपद प्रतापगढ़ में नवीन प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का काई लक्ष्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में वर्षवार निर्मित कराये गये प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं नवीन कक्षाओं की सूची

9-श्रीमती मिथिलेश पाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 व 2010-11 में वर्षवार व तहसीलवार/विकास खण्डवार कितने प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय, सर्वशिक्षा अभियान में निर्मित हुए एवं कितने विद्यालयों में नवीन कक्ष बनाये गये ? क्या सरकार विकास खण्ड-मोरना, पुरकाजी एवं जानसठ में बने प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक विद्यालयों एवं नवीन कक्षों की सूची उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर की आख्यानुसार जनपद मुजफ्फरनगर में वर्षवार तथा विकास खण्डवार निर्मित कराये गये प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का विवरण निम्नवत् है :-

विकास क्षेत्र	तहसील	निर्मित नवीन प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	निर्मित नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की संख्या	
				प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय
वर्ष 2007-08					
जानसठ	जानसठ	0	4	40	0
पुरकाजी	सदर	0	4	16	0
मोरना	जानसठ	0	3	22	0
चरथावल	सदर	1	4	35	0
थाना भवन	शामली	1	2	33	1
कैराना	कैराना	1	0	18	0
खतौली	खतौली	0	4	27	0
शाहपुर	बुढ़ाना	0	1	11	2
सदर	सदर	0	0	20	3
शामली	शामली	0	0	22	0
ऊन	कैराना	3	7	28	2
बुढ़ाना	बुढ़ाना	0	2	20	0
कांधला	कैराना	0	1	18	0
बघरा	सदर	0	5	36	4

विकास क्षेत्र	तहसील	निर्मित नवीन प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	निर्मित नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की संख्या	
				प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय
न0क्षे0 मु0 नगर	सदर	0	0	0	0
न0क्षे0 कैराना	कैराना	0	0	0	0
न0क्षे0 शामली	शामली	0	0	0	0
योग		6	37	346	12
वर्ष 2008-09					
जानसठ	जानसठ	2	6	28	0
पुरकाजी	सदर	0	2	16	1
मोरना	जानसठ	0	0	11	1
चरथावल	सदर	0	1	14	4
थाना भवन	शामली	0	2	24	1
कैराना	कैराना	0	0	18	0
खतौली	खतौली	0	5	30	1
शाहपुर	बुढ़ाना	0	0	5	2
सदर	सदर	0	1	11	3
शामली	शामली	0	0	9	1
ऊन	कैराना	1	2	30	0
बुढ़ाना	बुढ़ाना	0	0	38	1
कांधला	कैराना	0	3	7	1
बघरा	सदर	0	1	30	2
न0क्षे0 मु0 नगर	सदर	0	0	0	0
न0क्षे0 कैराना	कैराना	0	0	0	0
न0क्षे0 शामली	शामली	0	0	0	0
योग		3	23	271	18

विकास क्षेत्र	तहसील	निर्मित नवीन प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	निर्मित नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की संख्या	
				प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय
वर्ष 2009-10					
जानसठ	जानसठ	0	0	2	1
पुरकाजी	सदर	0	0	2	2
मोरना	जानसठ	0	0	3	0
चरथावल	सदर	0	0	2	2
थाना भवन	शामली	0	0	2	1
कैराना	कैराना	0	0	1	0
खतौली	खतौली	0	0	1	2
शाहपुर	बुढ़ाना	0	0	2	0
सदर	सदर	0	0	2	1
शामली	शामली	0	0	2	1
ऊन	कैराना	0	0	2	2
बुढ़ाना	बुढ़ाना	0	0	2	0
कांधला	कैराना	0	0	2	0
बघरा	सदर	0	0	0	2
न0क्षे0 मु0 नगर	सदर	0	0	0	0
न0क्षे0 कैराना	कैराना	0	0	0	0
न0क्षे0 शामली	शामली	0	0	0	0
योग		0	0	25	14
वर्ष 2010-11					
जानसठ	जानसठ	0	0	41	0
पुरकाजी	सदर	0	0	14	0
मोरना	जानसठ	0	0	4	0
चरथावल	सदर	0	0	8	0
थाना भवन	शामली	0	0	7	0

विकास क्षेत्र	तहसील	निर्मित नवीन प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	निर्मित नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की संख्या	
				प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय
कैराना	कैराना	0	0	20	0
खतौली	खतौली	0	0	22	0
शाहपुर	बुढ़ाना	0	0	11	0
सदर	सदर	0	0	43	0
शामली	शामली	0	0	8	0
ऊन	कैराना	0	0	60	0
बुढ़ाना	बुढ़ाना	0	0	21	0
कांधला	कैराना	0	0	11	0
बघरा	सदर	0	0	6	0
न0क्षे0 मु0 नगर	सदर	0	0	6	0
न0क्षे0 कैराना	कैराना	0	0	2	0
न0क्षे0 शामली	शामली	0	0	1	0
	योग	0	0	285	0
	महायोग	9	60	927	44

जी हां। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, मुजफ्फरनगर से प्राप्त विकास खण्ड मोरना, पुरकाजी एवं जानसठ में वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 व वर्ष 2010-11 में बने प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक विद्यालयों एवं नवीन कक्षों की सूची संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर में विशिष्ट बी0टी0सी0 के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के बकाये एरियर का भुगतान

10-श्री सुखलाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में वर्ष 2009 में विशिष्ट बी0टी0सी0 में नियुक्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सेवारत कितने शिक्षकों के वेतन एरियर का भुगतान किन-किन कारणों से अभी तक नहीं किया गया है ? क्या सरकार शिक्षकों के बकाये का ब्याज सहित भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† (देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 247-249 पर)

डा0 धर्म सिंह सैनी-

वर्ष 2009 में विशिष्ट बी0टी0सी0 के अन्तर्गत परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 852 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की गयी एवं नियुक्त 852 शिक्षकों में से 318 शिक्षकों के अवशेष का भुगतान किया गया शेष 534 शिक्षकों के अवशेष का भुगतान बजट के अभाव में नहीं किया गया है।

नियमित देय धनराशि का भुगतान कराया जायेगा।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के बल्लीपुर एवं अमरगढ़ के अवैध दवा विक्रय की जांच की मांग

11-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 6-1-2011 प्रमुख सचिव, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश को जनपद प्रतापगढ़ शहर के बल्लीपुर एवं अमरगढ़ के अवैध दवा विक्रय के विरुद्ध जांच कराने विषयक प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (सुश्री मायावती)-

मा0 विधायक का पत्र दिनांक 06-01-2011 प्राप्त नहीं हुआ अपितु अन्य दो पत्र दिनांक 24-2-2011 व 22-03-2011 प्राप्त हुये हैं। सूच्य है कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय दल द्वारा मेसर्स नारायण मेडिकल स्टोर, बलीपुर एवं मौर्या मेडिकल, अमरगढ़ पर दिनांक 28-7-2011 को छापा मारा गया। इसके पूर्व भी औषधि निरीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा मेसर्स नारायण मेडिकल स्टोर पर दिनांक 11-3-2011 व 06-07-2011 को छापा मारा गया। छापे के दौरान किये गये निरीक्षण में नकली एवं प्रतिबन्धित दवायें नहीं पायी गईं। एक्सपायरी दवायें पायी गई किन्तु उनका विक्रय किया जाना नहीं पाया गया।

प्रदेश में शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कार्यालय में विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों की सम्बद्धता के कारण विद्यालयों का कार्य बाधित होने का कथित प्रकरण

12-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कार्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद् के विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों की सम्बद्धता के कारण विद्यालयों का कार्यालयीय कार्य बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति स्थान पर वापस करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के ठाकुर श्याम सुन्दर सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गजरिया पट्टी की मान्यता को निरस्त किये जाने सम्बन्धी पत्र

13-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-8-2010 जो ठाकुर श्याम सुन्दर सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गजरिया, पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ के प्रबन्धक द्वारा गलत अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत कर विभाग को धोखे में रख एक ही परिसर में जूनियर हाई स्कूल एवं हाई स्कूल की मान्यता प्राप्त कर लिये जाने के विरुद्ध मान्यता को निरस्त/प्रत्याहरित किये जाने हेतु निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं मा0 मंत्री जी सहित प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

संस्था को परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जो परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच कराये जाने की मांग

14-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति की जा रही नाश्ता, भोजन एवं अन्य खाद्य सामग्री की गुणवत्ता मानक के अनुसार नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

ठेकेदार द्वारा केवल खाद्य सामग्री की आपूर्ति की जाती है, जिसकी गुणवत्ता संतोषजनक है। नाश्ता एवं भोजन रसोईया द्वारा विद्यालय में ही बनाया जाता है तथा उपयुक्त पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी के प्राथमिक विद्यालय में मानक के अनुरूप अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

15-श्री लाल जी यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी के विकास खण्ड बांसी, खेसरहा एवं आंशिक मिठवल में कितने प्राथमिक विद्यालय स्थापित हैं और किन-किन विद्यालयों में मानक के अनुरूप अध्यापक तैनात हैं तथा कितने विद्यालय शिक्षा मित्र के

सहारे चल रहे हैं ? क्या सरकार उक्त विद्यालय में मानक के अनुरूप अध्यापकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद के विधान सभा क्षेत्र बांसी के विकास खण्ड बांसी में 112 विकास खण्ड खेसरहा में 67 एवं विकास खण्ड आंशिक मिठवल में 108 इस प्रकार कुल 287 प्राथमिक विद्यालय स्थापित हैं।

वर्तमान में कोई विद्यालय शिक्षामित्र के सहारे नहीं चल रहा है। जहां तक मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती का प्रश्न है इस विषय में स्पष्ट करना है कि शिक्षकों के चयन की कार्यवाही एक निरन्तर प्रक्रिया है।

विशिष्ट बी0टी0सी0/बी0टी0सी0/उर्दू प्रशिक्षण प्राप्त 1992 शिक्षकों की नियुक्ति सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय के पद पर की जा चुकी है। शेष चयन की प्रक्रिया गतिमान है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी के जूनियर हाई स्कूलों में मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति की मांग

16-श्री लाल जी यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी में कितने जूनियर हाई स्कूल हैं ? क्या उक्त जूनियर हाई स्कूलों में मानक के अनुसार अध्यापक तैनात हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मानक के अनुरूप अध्यापकों की नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सेनी-

वर्तमान में जनपद के विधान सभा क्षेत्र बांसी के विकास खण्ड बांसी में 42 विकास खण्ड खेसरहा में 37 एवं विकास खण्ड मिठवल में 42 कुल 121 जूनियर हाई स्कूल स्थापित हैं।

वर्तमान में जनपद के विधान सभा क्षेत्र बांसी में स्थापित 121 जूनियर हाई स्कूलों में विकास खण्ड बांसी के अन्तर्गत 72, विकास खण्ड खेसरहा में 61 तथा विकास खण्ड मिठवल में 73 कुल 206 प्र0अ0/स0अ0 कार्यरत है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के पद पदोन्नति से भरे जाते हैं। पदोन्नति की प्रक्रिया गतिमान है, जो कि सतत् चलने वाली प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों/कर्मचारियों को समय से वेतन भुगतान सुनिश्चित करने की मांग

17-श्री शब्बीर अहमद-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के शासकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों/कर्मचारियों को मार्च, 2011 का वेतन भुगतान किस तिथि को किया गया है ?

क्या यह सत्य है कि उक्त विद्यालयों में वेतन भुगतान विलम्ब से किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार समय से वेतन भुगतान सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जनपद बहराइच के शासकीय विद्यालयों में माह मार्च, 2011 का वेतन भुगतान दिनांक 25-4-2011 को किया गया।

जी हां।

वेतन भुगतान विलम्ब से हुआ है क्योंकि विद्यालयों से कोषागार द्वारा मांगी गयी डाटाबेस की सूचना जो प्रत्येक अध्यापक एवं कर्मचारियों को देनी थी, उनके द्वारा समय से उपलब्ध नहीं करायी गयी। डाटाबेस के अभाव में कोषागार द्वारा वेतन देयक स्वीकार नहीं किया गया जिसके कारण वेतन भुगतान में विलम्ब से हुआ।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान के अवशेष का भुगतान कराये जाने की मांग

18-श्री शब्बीर अहमद-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वर्ष 2008 से मार्च, 2011 तक के डी0ए0 पुनरीक्षित वेतनमान, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं प्रोन्नत वेतनमान के अवशेष आदि का भुगतान लम्बित है ? यदि हां, तो क्या सरकार देय अवशेषों का भुगतान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

पुनरीक्षित वेतनमान का आंशिक अवशेष।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी में एक महिला डिग्री कालेज खोले जाने की मांग

19-श्री लाल जी यादव-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र बांसी की तहसील मुख्यालय पर एक भी महिला डिग्री कालेज न होने से उक्त विधान सभा क्षेत्र में बालिका शिक्षा प्रभावित हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार तहसील बांसी मुख्यालय पर राजकीय महिला डिग्री कालेज खोले जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

औचित्य नहीं है।

बांसी मुख्यालय पर एक सहशिक्षा का सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय रतनसेन महाविद्यालय बांसी संचालित है।

चौधरी चरण सिंह जी की जीवनी को प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग

20-डा0 अनिल चौधरी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चौ0 चरण सिंह जी की जीवनी को प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

चौधरी चरण सिंह जी की जीवनी कक्षा-8 की महान व्यक्तित्व की पुस्तक में पूर्व से ही प्रचलन में है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के प्राइमरी व उच्च प्राइमरी विद्यालयों में समय-सीमा से अधिक समय से तैनात अध्यापकों के स्थानान्तरण का कथित प्रकरण

21-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसी अध्यापक के एक ही ब्लाक एवं एक ही विद्यालय एवं एक ही ग्राम सभा के प्राइमरी व उच्च प्राइमरी विद्यालयों में तैनाती की समय-सीमा क्या है ? क्या सरकार जनपद प्रतापगढ़ के प्रत्येक ब्लाक में निर्धारित समय-सीमा से अधिक समय से तैनात ऐसे अध्यापकों को स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में नेडा द्वारा विकास खण्डों में स्थापित किये गये सोलर लाइट एवं पावर जनरेटर का विवरण

22-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में नेडा द्वारा वर्ष 2009-10 में सोलर लाइट एवं पावर जनरेटर स्थापित किये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त जनपद में किस-किस विकास खण्ड में कहां-कहां पर स्थापित हैं ?

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अकबर हुसैन)-

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में जनपद लखीमपुर खीरी में सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना करायी गयी है। सम्बन्धित ग्रामों/स्थलों की सूची संलग्न† है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में जनपद लखीमपुर खीरी में पावर जनरेटर संयंत्रों की स्थापना नहीं करायी गयी है।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के ग्राम जुडौरा में महाविद्यालय का निर्माण

23-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में स्थापित राजकीय महाविद्यालय का भवन बनाने हेतु मालिक राजा आमिर मोहम्मद खां के द्वारा निःशुल्क जमीन उपलब्ध कराये जाने के आश्वासन/लिखित सहमति के बाद भी उक्त विद्यालय भवन का निर्माण ग्राम जोडवरा में कराया जा रहा है जो कि शहर से 07 कि0मी0 दूर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों स्थानों पर राजकीय महाविद्यालय खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी हां। प्रश्नगत भूमि विवादित होने के कारण छात्रहित में महाविद्यालय का निर्माण ग्राम-जुड़ौरा में कराया जा रहा है जो वर्तमान महाविद्यालय से मात्र 07 किमी0 दूर है।

जी नहीं।

ऐसे जनपद जहां राजकीय महाविद्यालय स्थापित नहीं हैं, वहां राजकीय महाविद्यालय स्थापित करना और असेवित विकास खण्डों में निजी प्रबन्ध तंत्रों के माध्यम से महाविद्यालय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना शासन की वर्तमान नीति है।

जनपद सीतापुर में 02 राजकीय महाविद्यालय 04 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं 23 अनानुदानित/स्ववित्त पोषित महाविद्यालय पूर्व से ही संचालित है।

लखनऊ के अमौसी स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक श्री विशम्भर प्रसाद के मृतक आश्रित की नियुक्ति की मांग

24-श्री लाल जी यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व माध्यमिक विद्यालय अमौसी, लखनऊ में कार्यरत रहे सहायक अध्यापक श्री विशम्भर प्रसाद का दिनांक 05 जून, 2004 को देहान्त हो गया था ? यदि हां, तो उनके पुत्र श्री इन्दु प्रकाश सिंह द्वारा प्रेषित प्रार्थना-पत्र दिनांक 22 अगस्त, 2007 बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जी हां।

कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है।

जांचोपरान्त यथाचित कार्यवाही की जायेगी।

---

† (देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 250-252 पर।

प्रदेश के प्रा0 वि0 एवं जू0हा0 स्कूल के प्रधानाध्यापकों एवं सहा0 अध्यापकों के मंहगाई भत्ते के एरियर का भुगतान कराये जाने की मांग

25-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्रा0वि0 एवं जू0हा0 स्कूल में कार्यरत प्राधानाध्यापकों एवं सहायक अध्यापकों को समय-समय पर सरकार द्वारा दिये जाने वाला महंगाई भत्ता वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 का अवशेष एरियर का भुगतान करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो अवशेष भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यथाशीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

टी0जी0टी0 परीक्षा की अर्हता संशोधन विषयक विगत शासनादेश

26-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव (माध्यमिक शिक्षा) को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 06 अप्रैल, 2010, जो टी0जी0टी0 परीक्षा की अर्हता संशोधन प्रस्ताव विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

प्रकरण में शासनादेश दिनांक 06 जुलाई, 2011 को निर्गत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती नीरजा भार्गव द्वारा सहायक अध्यापिका के पद पर की गयी सेवाओं को जोड़ने की कार्यवाही की जानकारी

27-श्री चौ0 रविन्द्र प्रताप-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2011 के प्रथम मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-43 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती नीरजा भार्गव द्वारा सहायक अध्यापिका के पद पर की गयी सेवाओं को जोड़ने की प्रक्रिया कब तक पूर्ण हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

प्रकरण परीक्षणाधीन है।

इस सम्बन्ध में शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण कर ली जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्राथमिक विद्यालय खुलवाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

28-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बांदा को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-03-2011, जो कतिपय ग्रामों में प्राथमिक विद्यालय खुलवाने विषयक है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-03-2011 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बांदा में प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

29-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश सहित जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाने की मांग

30-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सहित जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के शिक्षामित्रों को वर्तमान समय में दिया जाने वाला मानदेय जीविकोपार्जन की दृष्टि से काफी कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार महंगाई को देखते हुये शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा विचारोपरान्त शिक्षामित्रों का मानदेय 3000/- प्रतिमाह से बढ़ाकर 3500/- प्रतिमाह किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-422/79-5-2009-282/93, दिनांक 09 फरवरी, 2009 जारी किया जा चुका है और तद्नुसार शिक्षामित्रों को भुगतान किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के प्राइमरी स्कूलों में बाउन्ड्रीवाल बनवाये जाने की मांग

31-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़ के अधिकांश प्राइमरी स्कूलों में बाउण्ड्रीवाल न होने से शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे विद्यालयों की बाउण्ड्रीवाल बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी न होने से शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है।

विधान सभा क्षेत्र पट्टी में 386 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं, जिसमें से 109 विद्यालयों में चहारदीवारी बनी हुई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2010-11 में रेलवे लाइन, हाई-वे तालाब के किनारे स्थित 33 प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी का निर्माण स्वीकृत किया जा चुका है और धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। इस प्रकार विधान सभा क्षेत्र पट्टी के 142 प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी की व्यवस्था हो चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा में नेडा द्वारा सोलर लाइट एवं पावर जनरेटर की व्यवस्था

32-श्री कुबेर सिंह

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद एटा में नेडा द्वारा वर्ष 2009-10 में सोलर लाइट एवं पावर जनरेटर स्थापित किये गये हैं ? यदि हां, तो किस-किस विकास खण्ड में कहां-कहां पर स्थापित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अकबर हुसैन-

जी हां।

जनपद एटा में वित्तीय वर्ष 2009-10 में सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थापना करायी गयी है। विकास खण्डवार ग्रामों की सूची संलग्न† है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में जनपद एटा के पावर जनरेटर संयंत्रों की स्थापना नहीं करायी गयी है।

वित्तीय वर्ष 2009-10 में पावर जनरेटर संयंत्र लगाने हेतु निजी लाभार्थी/संस्थाओं से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

जनपद प्रतापगढ़ ब्लाक पट्टी के कतिपय ग्रामों के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों को पुनर्निर्माण की मांग

33-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़, ब्लाक पट्टी के ग्राम नोही, उमरपुर, डाही, सरसीखाम, सरसीडीह के प्राथमिक विद्यालय व लवेदा एवं सारडीह के उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन जर्जर हो गये हैं ? यदि हां, तो उक्त विद्यालयों के भवनों का पुनः निर्माण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

ग्राम नोही, उमरपुर, डाही के भवन जर्जर हो गये हैं, परन्तु सरसीखाम तथा सरसीडीह के प्राथमिक विद्यालय एवं लवेदा व सरसीडीह के उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन ठीक स्थिति में है।

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय भवनों के पुनर्निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत नहीं की जाती है। पठन-पाठन की समुचित व्यवस्था हेतु प्राथमिक विद्यालय नोही, उमरपुर तथा डाहो में 4-4 अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण कराकर विद्यालय भवन की व्यवस्था की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

---

† (देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 253-255 पर।)

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में ब्लाकवार शिक्षामित्रों के रिक्त पदों की संख्या

34-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में शिक्षा मित्रों के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक ब्लाकवार कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर चयन हेतु कोई समय सीमा तय करेगी ? क्या ब्लाक बाबा बेलखरनाथ धाम की भी स्थिति से अवगत करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रतापगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड मंगरौरा में 17, पट्टी में 32, बाबा बेलखरनाथ धाम में 23 व आसपुर देवसरों में 36 कुल 108 शिक्षामित्रों के पद रिक्त हैं।

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 दिनांक 1-4-2010 से लागू हो जाने के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा शिक्षामित्रों की नवीन नियुक्ति शासनादेश संख्या-1429/79-5-2010, दिनांक 2-6-2010 द्वारा बन्द कर दी गई है।

बाबा बेलखरनाथ धाम विकास खण्ड में 23 शिक्षामित्रों के पद रिक्त हैं। शिक्षामित्रों की नवीन नियुक्ति शासनादेश दिनांक 2-6-2010 द्वारा बन्द कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में डिग्री कालेजों के शिक्षकों/कर्मचारियों को छठा वेतनमान दिये जाने की मांग

35-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डिग्री कालेजों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को छठां वेतनमान कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को शासनादेश संख्या-803/सत्तर 2-09-16(21)/2009, दिनांक 28 फरवरी, 2009 एवं शासनादेश संख्या-2549/सत्तर-2-2009-16(21)/2009, टी0सी0, दिनांक 17 जुलाई, 2009 द्वारा तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1318/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा छठा वेतनमान स्वीकृत किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र निघासन की कतिपय ग्राम सभाओं में प्राइमरी विद्यालय खुलवाये जाने की मांग

36-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड निघासन की ग्राम सभा लुधौरी के मजरा रानीगंज एवं गोविन्दपुर फार्म की 1500 से अधिक आबादी होने के बावजूद प्राइमरी विद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो उपरोक्त ग्रामों में प्राथमिक शिक्षा हेतु कब तक प्राइमरी विद्यालय खुलवाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जी हां।

वर्ष 2011-12 में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा कोई नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने की कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है। आगामी वार्षिक योजना में प्रस्ताव सम्मिलित किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा, हमीरपुर, महोबा, फतेहपुर, चित्रकूट, ललितपुर के 150 से अधिक आबादी वाली बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय खोलने की मांग

37-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा, हमीरपुर, महोबा, फतेहपुर, चित्रकूट, ललितपुर में वर्ष 2009-10 से दिनांक 30-06-2010 तक कितनी बस्तियों की आबादी 150 से अधिक है तथा वहां पर प्राथमिक विद्यालय नहीं खुल पाये हैं ? क्या सरकार सर्वे कराकर उक्त बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय खोलने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बांदा, हमीरपुर, महोबा, फतेहपुर, चित्रकूट, ललितपुर से प्राप्त आख्यानुसार 150 से अधिक आबादी वाली ऐसी बस्तियां, जिनमें प्राथमिक विद्यालय नहीं खुल पाये हैं, निम्नवत् हैं :-

जनपद	बस्तियों की संख्या
बांदा	493
हमीरपुर	11
महोबा	19
फतेहपुर	676
चित्रकूट	240
ललितपुर	239

- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के परिप्रेक्ष्य में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु 300 की आबादी तथा 01 कि0मी0 की दूरी की मानक निर्धारित किया गया है। इस मानक के अनुसार जनपद बांदा में 112, हमीरपुर में 07, महोबा में 15, फतेहपुर में 576, चित्रकूट में 107 तथा ललितपुर में 132, बस्तियां प्राथमिक विद्यालय से असेवित हैं।

निर्धारित मानक के अनुसार असेवित बस्तियों में नवीन विद्यालय खोलने हेतु प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राचार्य, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान बांदा के प्रशिक्षार्थी कौशल किशोर द्वारा बी0एस0सी0 के अंक पत्रों में नम्बर बढ़ाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही

38-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-01-2010 जो प्राचार्य जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, बांदा को प्रशिक्षणार्थी कौशल किशोर पुत्र उमाशंकर, विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2007 द्वारा फर्जी बी0एस0सी0 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के अंक पत्रों में 100 नम्बर बढ़ाकर प्रशिक्षण प्राप्त करने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2007 में आवेदक का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट कोतवाली, बांदा में दिनांक 4-3-2010 को दर्ज करा दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के महिला विद्यालय इण्टर कालेज के सहा0 अध्यापकों को चयन वेतनमान का लाभ एवं अवशेष का भुगतान कराये जाने की मांग

39-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महिला विद्यालय इण्टर कालेज, लखनऊ में कार्यरत ''सहायक अध्यापिकाओं'' को चयन वेतनमान का लाभ अनुमन्य करवा दिया गया, परन्तु उनके देय अवशेषों का भुगतान अभी तक नहीं करवाया गया है ? यदि हां, तो इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये देय अवशेषों का भुगतान कब तक करवाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

प्रकरण में कोई दोषी नहीं है। अवशेष देयक प्राप्त हुए हैं जिनके परीक्षण में कतिपय जिज्ञासायें की गयीं, जिनका निराकरण जिला विद्यालय निरीक्षक (द्वितीय) लखनऊ एवं सम्बन्धित विद्यालय से कराया जा रहा है। जिज्ञासाओं का निराकरण प्राप्त होते ही प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

40-श्री कुबेर सिंह-

[पहले बुधवार के अता0 प्र0 सं0-185 पर स्थानान्तरित]

जनपद एटा में निजी नलकूप हेतु व्यय धनराशि

41-श्री कुबेर सिंह-

क्या लघु सिंचाई एवं भू-गर्भ जल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2010-11 में जनपद एटा में निजी नलकूप हेतु अनुमानित व्यय रु0 47.60 लाख में से विधान

सभा क्षेत्र जलेसर हेतु कितनी धनराशि व्यय की गयी ? क्या सरकार व्यय की धनराशि की मदवार सूची सदन के पटन पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लखीराम नागर-

वर्ष 2010-11 में जिला योजना के अन्तर्गत जनपद एटा हेतु मध्यम गहरे बोरिंग योजना के अन्तर्गत स्वीकृत रु0 47.60 लाख में से विधान सभा क्षेत्र जलेसर हेतु निम्नानुसार धनराशि व्यय की गयी :-

1-32 मध्यम गहरे बोरिंग पर व्यय रु0 18.74 लाख

2-16 पम्पसेट स्थापन आदि कार्यों पर अनुदान रु0 4.29 लाख

योग :-23.03 लाख

सूची संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में डिग्री कालेजों के शिक्षकों/कर्मचारियों को स्वीकृत छठा वेतनमान

42-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डिग्री कालेजों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को छठा वेतनमान कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को शासनादेश संख्या-803/सत्तर-2-09-16(21)/2009, दिनांक 28 फरवरी, 2009 एवं शासनादेश संख्या-2549/सत्तर-2-2009-16(21)/2009, टी0सी0, दिनांक 17 जुलाई, 2009 द्वारा तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1318/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 द्वारा छठा वेतनमान स्वीकृत किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के कतिपय इण्टर कालेजों में स्वीकृत स्टाफ की नियुक्ति की कार्यवाही

43-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या इण्टर कालेज, महमूदाबाद, सीतापुर, राजकीय इण्टर कालेज, बासुरा व राजकीय इण्टर कालेज, रामपुर मथुरा तहसील महमूदाबाद जनपद सीतापुर में स्वीकृत पदों के सापेक्ष में अध्यापक व अन्य कर्मचारी नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उपरोक्त विद्यालयों में स्वीकृत स्टाफ की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† (देखिये नत्थी 'ङ आगे पृष्ठ 256-258 पर।)

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

संदर्भित संस्थाओं में स्वीकृत पदों के सापेक्ष अध्यापक व अन्य कर्मचारी नियुक्त नहीं है।

जी हां।

बालिका विद्यालयों में रिक्त प्रशिक्षित स्नातक के पदों पर नई नियुक्तियों की कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्नातकोत्तर डिग्री धारकों को प्राथमिक विद्यालयों/जूनियर हाई स्कूल में तैनाती की मांग

44-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या बेसिक मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्नातकोत्तर डिग्री धारकों को प्राथमिक विद्यालयों/जूनियर हाईस्कूलों में अध्यापक नियुक्त करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली-1981 में इस तरह का कोई प्राविधान नहीं है।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के कतिपय विकास खण्डों में भू-जल स्तर के गिरावट की जांच

45-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या लघु सिंचाई एवं भू-गर्भ जल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के विकास खण्ड मनकापुर, छपिया, वजीरगंज, नवाबगंज का जल स्तर गिरता जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करवाकर उक्त समस्या का निराकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लखीराम नागर-

जनपद-गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र, मनकापुर के विकास खण्ड-मनकापुर व छपिया में विगत 10 वर्षों में क्रमशः 3.32 से 1044 से तथा 2.43 से 11.05 से0मी0 प्रतिवर्ष भू-जल स्तर में गिरावट आयी हैं।

लेकिन विकास खण्ड-वजीरगंज में कुछ क्षेत्रों में 1.04 से0मी0 प्रतिवर्ष की गिरावट तथा कुछ क्षेत्रों में 2.47 से0मी0 प्रतिवर्ष की भू-जल स्तर में बढ़ोत्तरी एवं विकास खण्ड-नवाबगंज में 2.20 से 7.43 से0मी0 तक की बढ़ोत्तरी परिलक्षित हुई है।

यद्यपि प्रदेश में गिरते हुए भू-जल स्तर की रोकथाम के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 138 संकटग्रस्त विकास खण्डों (अतिदोहित, क्रिटिकल एवं सेमीक्रिटिकल) में वर्षा जल संचयन एवं भू-जल रिचार्ज की बहुआयामी रणनीति अपनायी जा रही है। किन्तु जनपद-गोण्डा के उक्त विकास खण्डों में

कोई विकास खण्ड संकटग्रस्त श्रेणी में सूचीबद्ध/वर्गीकृत नहीं है, अतः प्रश्नगत विकास खण्डों में उक्त योजना नहीं अपनायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में संचालित कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में खाद्य सामग्री की आपूर्ति का टेंडर एवं भोजन की गुणवत्ता के सम्बन्ध में जानकारी

46-श्री राम बिशुन आजाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में किन-किन कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में किन-किन संस्थाओं को खाद्य सामग्री की आपूर्ति हेतु टेण्डर के आधार पर चयनित किया गया है ? क्या छात्राओं को गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री निर्धारित मीनू के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार उक्त जांच करवाकर इसके दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जनपद गोण्डा में संचालित सभी 18 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में टेण्डर के आधार पर भोजन एवं जलपान की व्यवस्था हेतु खाद्य सामग्री की आपूर्ति हेतु मेसर्स कैटरर्स एण्ड सप्लायर्स, गोण्डा को चयनित किया गया है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में संचालित मीनू के अनुसार गुणवत्तापरक भोजन दिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राइमरी विद्यालयों/जू0 हाई स्कूलों के रसोइयों का पारिश्रमिक बढ़ाये जाने की मांग

47-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राइमरी विद्यालयों/जूनियर हाई स्कूलों में कार्यरत रसोइयों को एक हजार रुपये प्रतिमाह पारिश्रमिक दिया जाता है, जोकि बढ़ती हुई मंहगाई को देखते हुए बहुत कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रसोइयों के पारिश्रमिक को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

रसोईयों को पूर्व में दिए जाने वाले मानदेय में संशोधन करते हुए शासनादेश संख्या-3026/79-6-200, दिनांक 26-12-2009 द्वारा रसोईयों के मानदेय में वृद्धि करते हुए रु0 1000/- प्रतिमाह निर्धारित किया गया, जो बढ़ती हुई मंहगाई को दृष्टिगत रखते हुए किया गया था।

मध्यान्ह भोजन योजना केन्द्र पोषित योजना है। अतः उससे सम्बन्धित दिशा-निर्देश भारत सरकार द्वारा निर्धारित/संशोधित किये जाते है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ एवं बागपत के सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

48-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ एवं बागपत में कितने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय हैं ? उनमें अध्यापकों के कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? रिक्त अध्यापकों के पद पर माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग द्वारा कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जनपद मेरठ में 132 एवं बागपत में 71 सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। जनपद मेरठ में 2691 एवं बागपत में 1708 अध्यापकों के पद स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष क्रमशः 2075 एवं 1130 अध्यापक कार्यरत है।

रिक्त पदों पर नियुक्ति के सम्ब्न्ध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के श्री विष्णु नारायण इण्टर कालेज में अनुसूचित जाति के चतुर्थ श्रेणी के आरक्षित पदों पर नियुक्ति की मांग

49-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विष्णु नारायण इण्टर कालेज, लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी के कितने पद सृजित हैं एवं इसके सापेक्ष कुल कितने पद अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित हैं ? क्या यह सही है कि आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग की भर्ती की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

श्री विष्णु नारायण इण्टर कालेज लखनऊ में चतुर्थ श्रेणी के 10 पद सृजित है, जिनके सापेक्ष अनुसूचित जाति के 02 पद नियमानुसार आरक्षित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तानुसार।

मेरठ मण्डल में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में भंग प्रबन्ध समितियों के चुनाव कराये जाने की मांग

50-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ मण्डल में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कितने विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों में प्रबन्ध संचालक नियुक्त हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि भंग प्रबन्ध समितियों के चुनाव कब तक कराये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

मेरठ मण्डल के अन्तर्गत 60 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रबन्ध संचालक नियुक्त हैं।

माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित बाद/याचिकाओं के निस्तारण एवं सदस्यता विवाद समाप्त होने पर चुनाव की कार्यवाही सम्पादित करा दी जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में नकली घी बनाने के अवैध कारोबार की रोकथाम के उपाय

51-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 14-06-2010 से 13-12-2010 के मध्य जनपद प्रतापगढ़ में नकली घी बनाने के कुल कितने प्रकरण प्रकाश में आये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या सरकार नकली घी बनाने में फैले अवैध कारोबार को रोकने हेतु कोई कठोर दण्ड दिये जाने का प्राविधान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

दिनांक 14-06-2010 से 13-12-2010 के मध्य जनपद प्रतापगढ़ में नकली घी बनाने का कोई भी प्रकरण प्रकाश में नहीं आया। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा-16 (1-ए) के अन्तर्गत ऐसी मिलावट जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, के अपराध के लिए न्यूनतम 01 वर्ष से लेकर 06 वर्ष तक के कारावास तथा न्यूनतम रु0 2,000/- जुर्माने की सजा का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त ऐसी मिलावट जिसे मनुष्य को अपूर्णीय शारीरिक क्षति अथवा मृत्यु हो सकती हो, के अपराध के लिए न्यूनतम् 03 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तथा न्यूनतम रु0 5,000/- जुर्माने की सजा का प्राविधान है।

यह भी सूच्य है कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (जिसके प्राविधान दिनांक 05-08-2011 से लागू हो रहे हैं) की धारा-49 से 67 में विभिन्न प्रकृति के अपराधों के लिए अलग-अलग दण्डों, जिसमें अधिकतम रु0 10 लाख तक के जुर्माने तथा आजीवन कारावास तक के दण्ड का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के राजकीय इण्टर कालेज दाहा में अध्यापकों के स्वीकृत पद के सापेक्ष तैनाती

52-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज, दाहा, जनपद बागपत में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं ? क्या स्वीकृत पदों के अनुरूप सहायक अध्यापकों की तैनाती की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि कुछ अध्यापकों को अन्य जगह सम्बद्ध किया गया है जिससे कार्य प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार सभी सम्बद्ध अध्यापकों को उनकी मूल तैनाती स्थल पर तैनात करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

राजकीय बालिका इण्टर कालेज, दाहा जनपद-बागपत में सहायक अध्यापिका एल0टी0 वेतनक्रम के 16 पद स्वीकृत हैं। इन स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में 12 सहायक अध्यापिका कार्यरत हैं। प्रवक्ता वेतनक्रम के सृजित 06 पदों के सापेक्ष 05 पद प्रवक्ता तैनात हैं।

रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही गतिमान है।

प्रदेश के 254 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को हाईस्कूल स्तर पर राजकीय विद्यालय के रूप में उच्चीकृत किया गया था। उच्चीकृत विद्यालयों में संचालन हेतु 01 सहायक अध्यापक/प्रवक्ता को सम्बद्ध किया जाना था। उक्त के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ के पत्र दिनांक 30-6-10 द्वारा श्रीमती नसीम फात्मा, सहायक अध्यापिका, राजकीय बालिका इण्टर, कालेज दाहा, जनपद- बागपत को राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुथला, जनपद-मेरठ में सम्बद्ध किया गया है। इनके सम्बद्धीकरण के फलस्वरूप विद्यालय में अध्यापन कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है।

जी हां।

एल0टी0 वेतनक्रम के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ द्वारा विज्ञापन किया जा चुका है। अग्रेतर कार्यवाही गतिमान है। नियुक्ति के उपरान्त सम्बद्ध सहायक अध्यापिका को उनके मूल विद्यालय के अध्यापन कार्य करने हेतु भेज दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित इण्टर कालेजों की छात्राओं को ज्योतिबा फूले स्कीम के अन्तर्गत सुविधाएं उपलब्ध कराने सम्बन्धी जानकारी

53-श्री लाल जी यादव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित हाई स्कूल (मौलवी व मुंशी इण्टर कालेज आलिम) की परीक्षा उ0प्र0 सरकार द्वारा मान्य है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि पिछली सरकार में कन्या विद्या धन के रूप में इण्टर पास लड़कियों को रुपये 20,000/- (बीस हजार रुपये) धनराशि उपलब्ध कराई गई थी परन्तु वर्तमान समय में ज्योतिबा फूले स्कीम के अन्तर्गत मुस्लिम लड़कियों (अर्थात् मदरसा शिक्षा परिषद्) से पास मौलवी व मुन्शी पास लड़कियों को उक्त धनराशि नहीं उपलब्ध कराई जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अल्पसंख्यक छात्राओं को भी यह सुविधा प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

जी हां। वर्ष 2006-07 में रू0 20,000/- की धनराशि पात्र छात्राओं को दी गयी थी। वर्तमान में ज्योतिबाफूले योजना नहीं, बल्कि सावित्री बाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना संचालित है।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् में अध्ययनरत छात्राओं के लिए सावित्री बाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना लागू करने के लिए अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग द्वारा मा0 मंत्रि-परिषद् का अनुमोदन प्राप्त किया गया है। योजना के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं।

उक्तवत्।

प्रदेश में उर्दू अप्रशिक्षित अध्यापकों/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने की मांग

54-श्री लाल जी यादव-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उर्दू शिक्षक जिनकी सेवायें लगभग 16 वर्ष पूर्ण हो गई हैं परन्तु आज तक न तो इन्हें प्रशिक्षण दिया गया है और न ही इनकी पदोन्नति की गई है ? क्या मृतक आश्रित शिक्षकों को पांच वर्ष पूर्ण होने पर प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उन्हें वरिष्ठता सूची में भी सम्मिलित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उर्दू शिक्षकों को भी यह सुविधा प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

शासनादेश सं0-247/15-11-10 दिनांक 4-3-2010 के क्रम में शिक्षा निदेशक बेसिक के पत्र संख्या-डी0बी0/नि0अ0/7335-7495-2009-10, दिनांक 6-3-2010 द्वारा समस्त बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निदेशित किया गया है कि इस प्रकार के उर्दू अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं को चिन्हित कर प्रशिक्षण की व्यवस्था तत्काल करायी जाये।

जी हां।

शासनादेश सं0-1788/15-11/2009 दिनांक 7-10-2009 द्वारा मृतक आश्रित के रूप में नियुक्त व कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापक/अध्यापिकाओं जिनकी सेवायें 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है उन्हे नोशनल वरिष्ठता/पदोन्नति दिये जाने का प्रावधान इस शर्त के साथ है कि उन्हें 2 वर्षीय सेवाकालीन अनिवार्य प्रशिक्षण 3 वर्ष के भीतर करना अनिवार्य होगा।

प्रकरण नीति विषयक है।

प्रश्न नही उठता।

राजकीय इण्टर कालेज इलाहाबाद में अनुपस्थित कर्मचारियों/शिक्षकों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही

55-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय इण्टर कालेज इलाहाबाद में कौन-कौन से कर्मचारी/ शिक्षक पिछले दो वर्षों से अनुपस्थित चल रहे हैं ? उनके पदनाम सहित विवरण क्या है ? क्या ऐसे लोगों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

राजकीय इण्टर कालेज, इलाहाबाद में पिछले दो वर्षों से कोई भी कर्मचारी/शिक्षक अनुपस्थित नहीं चल रहा है।

प्रशन नहीं उठता।

प्रशन नहीं उठता।

प्रशन नहीं उठता।

प्रदेश में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में लिए जाने की मांग

56-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित करने की क्या नीति है ? क्या सरकार उक्त विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

समय-समय पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर स्थाई मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों को स्थाई मान्यता की तिथि की वरीयता के क्रम में अनुदान सूची पर लिया जाता है। वर्तमान में ऐसी कोई नीति नहीं है।

जी नहीं।

वर्तमान में राज्य सरकार का ऐसा कोई विनिश्चय नहीं है।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड बिजुआ के ग्राम दाउदपुर में बालिका इण्टर कालेज खोलने की मांग

57-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम दाउदपुर विकास खण्ड बिजुआ में बालिका इण्टर कालेज स्थापित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के श्रीकृष्ण इण्टर कालेज बाछापार के स्व0 मोहन राम परिचालक के आश्रित को सेवा में लेने एवं समस्त देयों का भुगतान किये जाने की जानकारी

58-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीकृष्ण इण्टर कालेज बाछापार, तहसील सिकन्दरपुर, जनपद-बलिया में तैनात स्व0 मोहन राम की मृत्यु परिचारक के पद पर कार्यरत रहते हुए दिनांक 20-06-2009 को हो गई थी ? क्या उनके आश्रित श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित करने हेतु दिनांक 22-11-09 के प्रार्थना-पत्र के बावजूद अभी तक उन्हें नियुक्ति नहीं प्रदान की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार मृतक आश्रित को समस्त देयों का भुगतान करते हुए मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति कब तक प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

मृतक के आश्रित श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा को दिनांक 10-05-2011 को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है।

श्रीमती सुधरी देवी पत्नी स्व0 मोहन राम, परिचारक को पारिवारिक पेंशन पी0पी0ओ0-नम्बर-4597, दिनांक 08-04-2010 एवं जी0पी0एफ0 की धनराशि उप शिक्षा निदेशक, आजमगढ़ के पत्र दिनांक 14-07-2010 द्वारा प्रदान की जा चुकी है तथा मृतक आश्रित के रूप में उनके आश्रित श्री धर्मेन्द्र कुमार शर्मा की नियुक्ति दिनांक 10-05-2011 को प्रदान की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति को प्रदत्त कतिपय सुविधाओं में छूट के सम्बन्ध में जानकारी

59-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त आवास में बिजली, टेलीफोन तथा पानी के बिलों में पूर्णतया छूट प्राप्त है ? यदि हां, तो किस सीमा तक ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के उच्च प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान विषय पढ़ाने वाले अध्यापक की नियुक्ति की मांग

60-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी में संचालित बेसिक शिक्षा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान विषय पढ़ाने वाले अध्यापकों की नियुक्ति नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में विज्ञान विषय पढ़ाने वाले अध्यापकों की नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

शासनादेश संख्या-1758/79-5-11-15(149)/2010 दिनांक 13 जून, 2011 के द्वारा प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में एक-एक विज्ञान अध्यापक अनिवार्य रूप से व्यवस्था करने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थ नगर में प्राइमरी स्कूलों के खोले जाने के सम्बन्ध में जानकारी

61-श्री चौ0 रविन्द्र प्रताप-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में वित्तीय वर्ष 2011-2012 में कितने प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूल खोले जाने प्रस्तावित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2011-12 में नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की कोई स्वीकृति नहीं दी गयी है।

जनपद सिद्धार्थ नगर में प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल के निर्माण के सम्बन्ध में जानकारी

62-श्री चौ0 रविन्द्र प्रताप-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर में वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2011-12 के मध्य स्वीकृत कितने प्राइमरी एवं जूनियर हाईस्कूलों का निर्माण

कार्य पूर्ण हो चुका है ? क्या सरकार अधूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

वर्ष	नवीन प्राथमिक विद्यालय		नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय	
	लक्ष्य	पूर्ण	लक्ष्य	पूर्ण
2009-10	40	40	0	0
2010-11	0	0	09	09

वर्ष 2011-12 में भारत सरकार द्वारा नवीन प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु कोई स्वीकृति नहीं दी गयी है।

स्वीकृति सभी 40 प्राथमिक विद्यालय एवं 09 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत व्यवसायिक शिक्षा अनुदेशिका मानदेय निर्धारण विषयक प्राप्त कतिपय पत्र

63-श्रीमती मिथिलेश पाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत सिलाई कढ़ाई व्यवसायिक शिक्षा (एनपीजीईएल) प्रशिक्षण की अवधि 11 माह तथा अनुदेशिका मानदेय मासिक आधार पर निर्धारित करने विषयक मुख्य मंत्री को प्रेषित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या शून्य दिनांक 25-4-11 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद द्वारा आयोजित टी0जी0टी0 परीक्षा (गणित) के आवेदनकर्ता के जारी प्रवेश-पत्र

64-श्रीमती मिथिलेश पाल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13-2-11 को आयोजित टी0जी0टी0 परीक्षा (गणित) में आवेदनकर्ताओं को प्रवेश-पत्र जारी किये गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को दिनांक 13-02-2011 को आयोजित टी0जी0टी0 परीक्षा (गणित) के लिये 26836 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए जिसके सापेक्ष 26740 प्रवेश-पत्र जारी किये गये।

53 अभ्यार्थियों के डबल फार्म तथा 43 अभ्यार्थियों के आवेदन-पत्र पर फोटो न होने के कारण 96 आवेदन निरस्त कर दिये गये।

नवीन पब्लिक स्कूल प्रेमपुरी मुजफ्फरनगर की भूमि पर मान्यवर काशीराम जी बोर्डिंग का प्रस्ताव विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

65-श्रीमती मिथिलेश पाल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवीन पब्लिक स्कूल प्रेमपुरी, मुजफ्फरनगर की विद्यालय भूमि पर मान्यवर कांशीराम जी बोर्डिंग का प्रस्ताव विषयक मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र सं0-सी0एम0-176/15-8-09-3007(157)/ 2008, दिनांक 23-7-2008 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रगंनाथ मिश्र-

नवीन पब्लिक स्कूल मुजफ्फरनगर में मान्यवर कांशीराम जी बोर्डिंग निर्माण विषयक मा0 सांसद, चौ0 मुनव्वर हसन का मा0 मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक 05-05-08 माध्यमिक शिक्षा विभाग को प्राप्त हुआ था। उक्त पत्र पर शासन के पत्र संख्या-सी0 एम0-176/15-8-08-3007(157)/2008 दिनांक 23.07.08 द्वारा शिक्षा निदेशक से आख्या मांगी गयी थी।

शिक्षा निदेशक (मा0) उ0प्र0, लखनऊ से प्राप्त आख्यानुसार नवीन पब्लिक स्कूल प्रेमपुरी, मुजफ्फरनगर माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित विद्यालय नहीं है और प्रश्नगत विद्यालय को माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है और माध्यमिक शिक्षा विभाग में मान्यवर कांशीराम जी बोर्डिंग संबंधी कोई योजना संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

कु0 रेखा के हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा के अंक पत्रों का सत्यापन कराये जाने संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

66-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद को सम्बोधित निदेशक, महिला कल्याण उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 1874/निदे0/म0क0/ 2008-09, दिनांक 19 सितम्बर, 2008 जो कु0 रेखा के हाईस्कूल परीक्षा 1980 अनुक्रमांक 230697 एवं इण्टरमीडिएट परीक्षा 1982 अनुक्रमांक 159010 के अंक पत्रों का सत्यापन कराये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सत्यापन का परिणाम क्या है ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

परीक्षार्थी हाईस्कूल परीक्षा, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण तथा इण्टरमीडिएट में अनुत्तीर्ण पाया गया।

67-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह [पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद प्रतापगढ़ के मेडिकल स्टोरों के बिना लाइसेंस के दवाओं की बिक्री किये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

68-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ शहर में नारायण मेडिकल स्टोर्स बलीपुर एवं मौर्या मेडिकल स्टोर अमरगढ़ द्वारा नकली, इक्सपायेरी एवं प्रतिबन्धित दवायें बिना लाइसेंस के फुटकर विक्रय किये जाने के विरुद्ध प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 24-2-2011 एवं 22-3-2011 प्रमुख सचिव, खाद्य एवं औषधि प्रशासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सुश्री मायावती-

जी हां।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय दल द्वारा मेसर्स नारायण मेडिकल स्टोर, बलीपुर एवं मौर्या मेडिकल, अमरगढ़ पर दिनांक 28-07-2011 को छापा मारा गया। छापे के दौरान किये गये निरीक्षण में नकली एवं प्रतिबंधित दवायें नहीं पायी गई। एक्सपायरी दवायें पायी गई किन्तु उनका विक्रय किया जाना नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के राम स्वरूप सिंघल गर्ल्स इण्टर कालेज में शिक्षिकाओं की तैनाती की मांग

69-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में दरेसी नं0-2 स्थित रामस्वरूप सिंघल गर्ल्स इण्टर कालेज में शिक्षिकाओं की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालेज में मानक के अनुसार शिक्षिकाओं की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

कार्यवाही गतिमान है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के नेशनल इण्टर कालेज के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री रजनीश अवस्थी को वेतन दिये जाने सम्बन्धी मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराये जाने का मांग

70-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल इण्टर कालेज लखनऊ में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री रजनीश अवस्थी को वेतन दिये जाने सम्बन्धी माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में दायर याचिका सं0 3087/55/2008 के आदेश दिनांक 30-5-2008 के अवमानना

याचिका सं0 590/सी/2009 में पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथन मिश्र-

जी नहीं।

संस्था प्रधानाचार्य द्वारा कार्यरत 12 पदों के सापेक्ष संस्था में मानक से अधिक पद मानते हुए 22 पदों के सापेक्ष याची की अनियमित नियुक्ति की गई। याची द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में याचिका संख्या-3087/एस0एस0/2008 योजित की गयी। जिसमें दिनांक 30-05-08 को मा0 उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये हैं। उक्त आदेश दिनांक 30-05-08 के विरुद्ध आदेश निरस्तीकरण हेतु मा0 न्यायालय में विस्तृत प्रतिशपथ-पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ द्वारा दाखिल किया गया है। प्रश्नगत रिट याचिका एवं अवमानना याचिका अद्यतन मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ के नेशनल इण्टर कालेज की सहायक अध्यापिका श्रीमती रेनू गर्ग को वेतन दिये जाने सम्बन्धी मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध मे कार्यवाही

71-श्री मदन भैया उर्फ मदन गोपाल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल इण्टर कालेज, लखनऊ में सहायक अध्यापिका श्रीमती रेनू गर्ग को वेतन दिये जाने सम्बन्धी दायर याचिका संख्या-3124/55/2008, मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 3-5-2008 के अनुपालन में उन्हें वेतन दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी नहीं।

संस्था प्रबन्धतंत्र द्वारा अनाधिकृत रूप से नियमों की अवहेलना कर, अनियमित रूप से श्रीमती रेनू गर्ग की नियुक्ति संस्था में कर श्रीमती गर्ग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में एक याचिका सं0-3124(एस0एस0)/2008 श्रीमती रेनू गर्ग बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य योजित करायी गई है तथा तथ्यों को छिपाते हुए मा0 उच्च न्यायालय से एक पक्षीय अन्तरिम आदेश 30-05-08 को आदेश प्राप्त कर लिया जिसके निरस्त कराने हेतु मा0 उच्च न्यायालय में विस्तृत प्रतिशपथ-पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ द्वारा दिनांक 09-09-08 को दाखिल किया जा चुका है। प्रश्नगत याचिका मा0 न्यायालय में विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रणाधीन पाठ्य पुस्तकों का वितरण निजी प्रकाशकों के माध्यम से कराये जाने का निर्णय

72-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मे0 श्री विनोद पुस्तक मंदिर 11/7, डा0 रांगेय राघव मार्ग आगरा-2, उत्तर प्रदेश को पुस्तकों की छपाई व वितरण का अधिकार कब दिया

गया है और इनके द्वारा वर्ष 2005 से अब तक किस-किस लेखकों के नाम से कितनी-कितनी पुस्तकें वर्षवार छपवाई गई हैं ? क्या इन पुस्तकों की छपाई हेतु मानकों के अनुरूप औपचारिकतायें पूर्ण की गई हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसके लिये दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रणाधीन पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन वर्ष 2000 से चयनित निजी प्रकाशकों के माध्यम से कराया जा रहा है तथा वर्ष 2000 से अब तक मे0 विनोद पुस्तक मंदिर आगरा-2 को परिषद् के नियंत्रणाधीन किसी भी पाठ्य पुस्तक की छपायी एवं वितरण का अधिकार नहीं दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

प्रदेश में अनुदान प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

73-श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अनुदान प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों एवं प्रवक्ताओं के वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? क्या इन रिक्त पदों को भरे जाने की कोई कार्य योजना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

सूचना एकत्र की जा रही है।

रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भवन विहीन विद्यालयों की संख्या एवं जनपद रायबरेली में ऐसे विद्यालयों का भवन बनवाये जाने की व्यवस्था

74-श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन विहीन हैं ? इनमें से रायबरेली जनपद के कौन-कौन से विद्यालय हैं ? क्या सरकार सभी भवन विहीन प्रा0 विद्यालयों को भवन बनाकर उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

30 सितम्बर, 2010 के विभागीय आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के 156 प्राथमिक विद्यालय तथा 42 उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन विहीन है।

जनपद रायबरेली में कोई भी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन विहीन नहीं है। नगर क्षेत्र में 8 प्राथमिक विद्यालय छोटी बाजार, कैपरगंज (बालक) कैपरगंज (बालिका), जहानाबाद खाली सहाद किला, सूरजूपुर एवं बजीरगंज किराये के भवनों में संचालित है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा भवन विहीन प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृत नहीं की जाती है। भवन की आवश्यकता वाले ऐसे विद्यालयों में निःशुल्क भूमि उपलब्ध होने पर अतिरिक्त कक्षा-कक्ष निर्मित कराकर विद्यालय भवन की व्यवस्था की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के ब्लाक रसड़ा के प्राथमिक विद्यालय की सहायक अध्यापिका श्रीमती सरिता देवी के बकाये वेतन का भुगतान

75-श्री सुखलाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सरिता देवी, सहायक अध्यापिका, प्राथमिक विद्यालय सराय भारती नम्बर-1, ब्लाक रसड़ा, जनपद बलिया 13 फरवरी, 2009 से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि 13 फरवरी, 2009 से 31 मई, 2011 तक उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ? क्या सरकार श्रीमती सरिता देवी के उक्त वेतन का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

जी हां।

जी हां।

नियमानुसार नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन भुगतान प्रारम्भ करने से पूर्व उनके शैक्षिक/प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कराया जाना अनिवार्य होता है।

जी हां।

श्रीमती सरिता देवी के वेतन का भुगतान का आदेश दिनांक 30-06-2011 को निर्गत कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के ईसावेला थोवर्न महिला डिग्री कालेज में कतिपय पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ कराये जाने की मांग

76-श्री संजय कपूर-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ईसावेला थोवर्न महिला डिग्री कालेज, लखनऊ ने जुलाई, 2007 में स्नातकोत्तर पर एम0एस0सी0 (बायो ई-फारमेटिक्स) एवं एम0एस0सी0 (मैथमैटिकल मेडीसी-1 एण्ड बायोलांजी) के पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु आवेदन किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनको उक्त पाठ्यक्रमों की शिक्षा देने के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

जी हां, आवेदन किया था।

अनापत्ति प्रदान किए जाने का औचित्य नहीं पाते हुए उक्त प्रकरण वर्ष 2008 में निस्तारित कर दिया गया था।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के ग्राम गढ़िया रंगीन व जैतीपुर में बालिका इण्टर कालेज स्थापित कराये जाने की मांग

77-श्री राजेश यादव-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ग्राम गढ़ियारंगीन व जैतीपुर में बालिका इण्टर कालेज स्थापित किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

विकास खण्ड-जैतीपुर में ग्राम-गढ़िया रंगीन व जैतीपुर व जैतीपुर स्थित है, में 4 इण्टर कालेज संचालित हैं, जिसमें सह शिक्षा की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

स्व0 खुर्शीद जुबैर, तत्कालीन प्रधानाचार्य खुन-खुन जी गर्ल्स इण्टर कालेज चौक, लखनऊ के आश्रित को पारिवारिक पेंशन पर मंहगाई भत्ते के भुगतान की मांग

78-श्री आरिफ अनवर हाशमी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 खुर्शीद जुबैर, तत्कालीन प्रधानाचार्य, खुन-खुन जी गर्ल्स इण्टर कालेज, चौक, लखनऊ का निधन दिनांक 18 अप्रैल, 2000 को हो गया था ? यदि हां, उनकी फेमिली पेंशन के अन्तर्गत मंहगाई भत्ते का भुगतान दिनांक 01-07-2002 से न किये जाने का क्या कारण है ? सरकार द्वारा उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

जी हां।

स्व0 श्रीमती खुर्शीद जुबैर के पति श्री जुबैर हसन द्वारा कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ में उपस्थित होकर कराये गये सत्यापन के समय भी उनके द्वारा स्वयं के सेवारत होने की सूचना दी गयी है, जिसके कारण उन्हें उनकी पारिवारिक पेंशन पर मंहगाई भत्ते का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

गांधी फैजआम कालेज, शाहजहांपुर सहित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में स्थाई प्राचार्य की नियुक्ति की मांग

79-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गांधी फैजआम कालेज, शाहजहांपुर सहित कितने अल्पसंख्यक महाविद्यालय ऐसे हैं जिनमें स्थाई प्राचार्य के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों को भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

प्रदेश में गांधी फैज-ए-आम कालेज, शाहजहांपुर सहित 8 ऐसे अल्पसंख्यक महाविद्यालय हैं जिनमें प्राचार्य के पद रिक्त हैं।

सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में रिक्त पदों को प्रबन्धतंत्र द्वारा विश्वविद्यालय के अनुमोदन से भरे जाने की कार्यवाही की जाती है।

इस सम्बन्ध में प्रबन्धतंत्र को समय-समय पर निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के प्राथमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्यों/सहायक अध्यापकों को छठे वेतनमान के देयों का भुगतान की मांग

80-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जौनपुर के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों से सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापकों/सहायक अध्यापकों के छठे वेतनमान/पुनरीक्षित अवशेष वेतन का भुगतान लेखाधिकारी द्वारा अभी तक न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या यह सत्य है कि सम्बन्धित पत्रावली माह अक्टूबर, 2010 से उनके कार्यालय में लम्बित है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये अवशेष का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

डा0 धर्म सिंह सैनी-

प्राथमिक विद्यालयों से समस्त सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापकों/सहायक अध्यापकों के पुनरीक्षित वेतनमान का अवशेष 20 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत का प्रथम किश्त का भुगतान किया जा चुका है। 06 विकास खण्डों का द्वितीय किश्त का भी भुगतान किया जा चुका है। बजट आवंटन कम प्राप्त होने के कारण 16 विकास खण्डों में 40 प्रतिशत का द्वितीय किश्त का भुगतान शेष है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बजट आवंटन प्राप्त होने पर अवशेष का भुगतान कर दिया जायेगा।

81-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया।]

जनपद अलीगढ़ की विधान सभा खैर में गिरते भू-जल स्तर की रोक-थाम के उपाय

82-चौ0 सत्यपाल सिंह-

क्या लघु सिंचाई एवं भू-गर्भ जल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के खैर विधान सभा क्षेत्र में गिरते भू-जल स्तर को रोकने हेतु पतवाया आदि बरसाती नालों पर छोटे-छोटे चेकडैम बनवाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लखीराम नागर-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में गिरते भू-जल स्तर की रोक-थाम हेतु चेक डेम बनाये जाने की मांग

83-चौ0 सत्यपाल सिंह-

क्या लघु सिंचाई एवं भू-गर्भ जल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गिरते भू-जल स्तर को रोकने हेतु बरसाती नालों में जगह-जगह चेकडैम बनाने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लखीराम नागर-

सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश में बी0ए0/बी0एस0सी0/बी0काम0 में एडमीशन न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 वित्त मंत्री जी को बुला लिया है उसके बाद आपको सुन लूंगा।

वित्तीय वर्ष 2011-2012 के अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2011-2012 के अनुपूरक अनुदानों को प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां बंटवा दी जायं।

प्रदेश में बी0ए0/बी0एस0सी0/बी0काम0 में एडमीशन न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आज की कार्यसूची देख लें, पेज-4 पर प्रश्न संख्या-6 पूरे प्रदेश में बी0ए0/बी0एस0सी0/बी0काम0 में एडमीशन न होने के बारे में हमारा प्रश्न लगा हुआ है। नियमों में यह व्यवस्था है और आप हमारे संरक्षक हैं जितने तारांकित प्रश्न इसमें हैं, ऊपर के प्रश्नों में समय ज्यादा चला जाता है इसलिए नीचे के प्रश्न आ नहीं पाते। यह ऐसा प्रश्न है कि जुलाई, अगस्त में अगार बच्चे का एडमीशन नहीं हो पाया तो पूरे प्रदेश में हजारों लोग एडमीशन से वंचित रह जायेंगे। पिछले वर्ष 20 प्रतिशत सीटें बढ़ायी गयी थी।

श्री अध्यक्ष-

आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि चूंकि यह प्रश्न आज नहीं आ पाया तो मंत्रियों के जो विविध वक्तव्य हैं, अगर आप निर्देशित कर दें तो मा0 मंत्री जी उसमें जवाब दे देंगे, जवाब आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

नियमों में व्यवस्था है, उसमें आप लिख करके दे दें। हम तो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आयें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह पूरे प्रदेश की, पूरे हाऊस की समस्या है। बी0ए0/बी0एस0सी0/बी0काम0 में पिछले वर्ष सीटें बढ़ायी गयी थीं, इस वर्ष नहीं बढ़ायी गयी हैं। आप माननीय मंत्री जी को निर्देशित कर दें कि जो सीटें पिछले वर्ष बढ़ायी गयी थीं उतनी सीटें इस बार भी बढ़वा दें तो कम से कम हजारों छात्रों को प्रवेश मिल जायेगा। मान्यवर, मंत्री जी उपस्थित हैं, चाहें तो वक्तव्य दे दें।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी बैठिये, यह प्रश्न से हट करके है। इस पर माननीय मंत्री जी से वार्ता कर लिया जायेगा।

श्री संजय कपूर-

मान्यवर, छात्रों के प्रवेश से जुड़ा हुआ बहुत विकट समस्या है।

(कई सदस्यों द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

इतने लोग प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं अगर प्रश्नों के संदर्भ में किसी मा0 सदस्य को व्यवस्था का प्रश्न उठाना है या प्रश्नों के संदर्भ में कुछ कहना है तो एक आदमी कह दीजिए उसे सुना जायेगा, लेकिन प्रश्न से ही सम्बन्धित हो, जो नियमावली में व्यवस्था है उसकी परिधि में हो।

श्री विद्या सागर गुप्ता-

मा0 अध्यक्ष जी, लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफीलियेटेड जितने कालेज हैं उनमें लड़कियों के एडमीशन नहीं हो पा रहे हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने 20 प्रतिशत सीटें बढ़ाने का आदेश भी कर दिया है लेकिन पत्रावली कालेजों का नहीं आयी है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, बैठिये। चौधरी लक्ष्मी नारायण जी वरिष्ठ मंत्री है वह भी कुछ कहना चाहते हैं।

दिनांक 8 अगस्त, 2011 को सदन में कतिपय सदस्यों द्वारा कृषि मंत्री पर लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में कृषि मंत्री का स्पष्टीकरण

कृषि मंत्री (श्री लक्ष्मी नारायण)-

मान्यवर, कल विधान सभा में हमारे कुछ मा0 सदस्यों के द्वारा मेरे बारे में, विभाग के बारे में नाम ले करके कुछ बातें कही गयीं जो आपत्तिजनक और असत्य थीं। मैं उसके बारे में आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि पिछले पूरे 100 वर्ष में मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ एक भी धारा-107, 116 की एफ0आई0आर0 आज तक किसी थाने में नहीं है। दूसरी बात मा0 अध्यक्ष जी, यह कहा गया कि मेरे परिवारीजन के लोग कुछ गलत धन्धों में लिप्त हैं। मान्यवर,

जिस मुकदमें का जिक्र किया गया मैं आपको उसकी प्रतिलिपि भेज रहा हूं जिसमें तत्काल यह कहा गया, जिस लड़के का नाम लिया गया उसके नाम से कहीं कोई जमीन-जयदाद नहीं, कहीं कोई किरायेदारी का गोदाम नहीं, वह पढ़ने वाला छात्र है। किसी भी प्रकार की उसकी लिप्तता नहीं। इसमें तत्काल आई0ओ0 ने कार्यवाही करके यह कहा कि यह निर्दोष है। जिन लोगों के माध्यम से यह बाते कहीं गई मैं नहीं कहना चाहता परम् श्रद्धेय भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी सन् 83 में तत्कालीन लोकदल के एम0एल0ए0 जो गोबर्धन क्षेत्र से थे आज उनके सुपुत्र एम0एल0ए0 हैं उनके घर आए थे और उन्होंने यह कहा कि मेरे यहां लघु उद्योग का उद्घाटन करना है। चौधरी साहब ने लघु उद्योग का उद्घाटन किया सैकड़ों दलित वहां आए और उन्होंने कहा कि चौधरी साहब यह हमारी भूमि पर बना हुआ है चौधरी साहब का खाना था चौधरी साहब खाने को छोड़कर जब चले तो उन पर यह आरोप लगाया तत्कालीन एम0एल0ए0 ने कि मैं दलित जाति से हूं इसलिए चौधरी साहब खाना नहीं खा रहे हैं चौधरी साहब ने कहा कि मैंने बेईमान का खाना छोड़ा है मैंने दलित का खाना छोड़ा और अगली बार उनकी टिकट भी काटी। मान्यवर, जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे मैं आपके पास भेज सकता हूं उन्होंने अपनी जमीन के साथ दलितों की जमीन अपने नक्शे में दिखाकर प्लाट काटकर बेच दिए। आज मथुरा विकास प्राधिकरण के उसका भी दुरुस्त किया है। दलितों के मुकदमें ए0डी0एम0 और कमिश्नर के यहां पेंडिंग चल रहे हैं। मान्यवर, जो लोग दलितों की जमीन बेच दें, चौधरी साहब जैसे महान व्यक्तित्व खाना छोड़कर चले जाएं यदि वह हमारे ऊपर कीचड़ उछाले उन्होंने गलत दाखिल खारिज कराने के लिए मथुरा के तहसीलदार की पिछले सितम्बर में पिटाई की और तहसीलदार ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया आज भी मुकदमा दर्ज है। वह लोग यदि हमारे ऊपर कीचड़ उछाले। मैं इस बात को आज पूरे सदन के सामने कहना चाहता हूं मेरे, परिवार के नाम किसी भी प्रकार का लाइसेंस हो किसी भी प्रकार का हम तेल का विटूमिन का कोई भी धन्धा करते हों मैं केवल मंत्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं राजनीति से सन्यास लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस तरह के आरोप लगाए जायेंगे तो ऐसे लोग अपने गिरेबान में झांककर देखें जिनके इस तरह के कारनामे हैं आज दलितों की जमीनों को हड़प-हड़प कर करोड़पति और अरबपति बनना चाहते हैं। आज वह दलितों के साथ अत्याचार करके अपने कालेज और स्कूल खोलना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो मेरे ऊपर आरोप लगाए गए हैं उनको असत्य मानकर बिल्कुल निराधार बताया जाय।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, मेरा नाम लिया गया है।

श्री अध्यक्ष-

कहां आपका नाम लिया गया है। थोड़ा धीरे-धीरे बोलिये पिछली बार तबियत खराब हो गई थी इसलिए इत्मिनान से बोलिए।

श्री पूरन प्रकाश-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी मैं अनुरोध करूंगा कि आप हमारे संरक्षक हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने स्पष्टीकरण के रूप में कह दिया किसी के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाया। पूरन प्रकाश जी बैठ जाएं। यहां कोई मल्लयुद्ध नहीं है। मंत्री जी का नाम आया था इसलिए उन्होंने एक स्पष्टीकरण के रूप में अपनी बात रख दी।

श्री पूरन प्रकाश-

मंत्री जी ने यहां पर आरोप लगाया है। मंत्री जी ने सदन को गुमराह किया है।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाया एक स्पष्टीकरण के रूप में अपनी बात रख दी। पूरन प्रकाश की कोई बात नोट न की जाय।

(श्री सतीश महाना का नाम पुकारे जाने पर)

(सदस्य श्री पूरन प्रकाश, डा0 अनिल चौधरी व माननीय सतीश महाना जी के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये पूरन प्रकाश जी। अब आपकी कोई बात नोट नहीं हो रही है बोलने से क्या फायदा। बहुत ज्यादा हो गया, अब इससे ज्यादा समय नहीं। अब आप बैठिये। आप लगातार बोलते रहे सदन में यह परम्परा नहीं है। जब मैं रोक रहा हूं तो आप रुकिये। आपने उस सन्दर्भ में अपनी बात कह दी। अब आप बैठ जायं। अब इन लोगों की कोई बात नोट नहीं की जाय।

अल्पसूचित तांराकित प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्नों के सन्दर्भ में निवेदन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। कल एक चर्चा में मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया था। जो अल्पसूचित तारांकित प्रश्न हम सब लोगों के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय जी के द्वारा सदन आहूत करने के पश्चात् दिये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग बैठ जायं।

(व्यवधान के मध्य)

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 9 अगस्त, 2011 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 36 सूचनायें प्राप्त हुई। जिसमें 33 सूचनायें स्वीकार की गयी। पहली सूचना श्री मयंकेश्वर शरण सिंह की जनपद जौनपुर में रामझारी महाविद्यालय गम्भीरन की फर्जी मान्यता के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की जनपद इलाहाबाद के म्योर रोड स्थित नजकूल भूमि बड़े-बड़े बिल्डरों को फ्री होल्ड करने तथा नगर भूमि सीमा रोपड़ अधिनियम, 1976 के आड़ में धन दोहन के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना श्री सत्य नारायण जैसल की विधान सभा क्षेत्र राबर्ट्सगंज के अन्तर्गत नक्सल

प्रभावित ग्राम चकरिया में विद्युत उप केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में, चौथी सूचना डा0 हरगोविन्द भार्गव की नगर पंचायत सिधौली, सीतापुर में डूडा विभाग द्वारा बनाये गये नलकूपों को चालू किये जाने के सम्बन्ध में, पांचवीं सूचना श्री सुन्दर लाल लोधी की जनपद उन्नाव के मौरांवा क्षेत्र में शासन की नीति के अनुरूप 14 घंटे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में, छठवीं सूचना श्री विश्वम्भर सिंह यादव की जनपद बांदा के ब्लाक कमासिन में बनाये जा रहे चेक डैमों में घटिया सामग्री का प्रयोग किये जाने की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में, सातवीं सूचना श्री माधो पासवान की विधान सभा क्षेत्र मुण्डेरा बाजार, जनपद गोरखपुर के चौरी-चौरा में कतिपय टूटी एवं धंसी हुई सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, आठवीं सूचना श्री सतीश महाना की प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही दुग्ध सहकारिता संस्था की खराब हालत एवं उसके कर्मचारियों की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में, नवीं सूचना महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी कि विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर जनपद बलरामपुर स्थित ललिया महराजगंज मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, दसवीं सूचना श्री कुबेर सिंह की श्री अभय सिंह इण्टर कालेज, पिपहरा, एटा के प्रबन्धक के विरुद्ध आपराधिक मामला पंजीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में, ग्यारहवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की आगरा में भगवान टाकिज से दयाल बाग तक की रोड जो जर्जर और गड्ढ़ा युक्त है, को दुरूस्त कराये जाने के सम्बन्ध में, बारहवीं सूचना श्री विजय बहादुर यादव की जनपद गोरखपुर डोमिनगढ़ में सेतु निगत द्वारा निर्माणाधीन सेतु इलाहीबाग को दुर्गावाडी की तरफ मोड़कर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में, तेरहवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की जनपद सीतापुर के अन्तर्गत तहसील महमूदाबाद स्थित किवानी नदी पर बना पुल दुरूस्त कराये जाने के सम्बन्ध में, चौदहवीं सूचना श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप की जनपद बरेली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत क्यारा में हरदोई के मूल निवासियों का फर्जी प्रमाण-पत्र बनाये जाने के सम्बन्ध में, पन्द्रहवीं सूचना श्री विनोद सरोज की जनपद प्रतापगढ़ एवं रायबरेली सहित अन्य जनपदों में सैकड़ों की संख्या में तदर्थ शिक्षकों को हटाये जाने के सम्बन्ध में, सोलहवीं सूचना श्री विश्वनाथ की विधान सभा क्षेत्र फाजिलनगर, जनपद कुशीनगर में बसने वाले मूसहर जाति की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में, सत्रहवीं सूचना श्रीमती राजमती निषाद की जनपद गोरखपुर विधान सभा क्षेत्र पिपराइच में 16 घंटे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में, अटठारहवीं सूचना श्री जर्नादन प्रसाद ओझा की उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम घुघली महराजगंज के नये क्रेता द्वारा बुलाये गये असमाजिक तत्वों द्वारा रात के अंधेरे में दुकान नष्ट कर लूटने तथा अन्य मामले के सम्बन्ध में ए0डी0एम0 महराजगंज के स्पष्ट आश्वासन के बावजूद प्राथमिकी दर्ज न किये जाने के सम्बन्ध में, उन्नीसवीं सूचना श्री आर0के0 चौधरी की मोहनलालगंज, लखनऊ के क्षेत्र में 24 घंटा विद्युत आपूर्ति के बहाली के सम्बन्ध में, बीसवीं सूचना डा0 अजय तोमर की जनपद बागपत बड़ौत एवं खेकड़ा में मान्यवर, काशीराम शहरी गरीब आवास योजना में भवनों के निर्माण पर घोर अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में, इक्कीसवीं सूचना श्री सर्वेश कुमार सिंह ''सीपू'' की आजमगढ़ मण्डल में प्रभारी अभियन्ता पैकफेड द्वारा सिविल डिप्लोमा न होने पर भी अभियन्ता का विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में, बाइसवीं सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की ग्राम सौनौली, तहसील इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर में आई बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, तेइसवीं सूचना श्री जोखू लाल यादव की श्री राम अवध सिंह यादव सेवा निवृत्त सहायक अध्यापक तिलक इण्टर कालेज कोटवा इलाहाबाद की वाह्य सेवाओं को जोड़कर पेंशन संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में, चौबीसवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर

की अर्न्तराष्ट्रीय पर्यटक स्थल मथुरा शहर की जीर्ण हो चुकी सड़कों की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में, पच्चीसवीं सूचना श्री इमरान मसूद की जनपद सहारनपुर में तैनात संयुक्त शिक्षा निदेशक श्रीमती कमला चौहान द्वारा लगातार स्कूलों की मान्यता में अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने में किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच के सम्बन्ध में, छब्बीसवीं सूचना सुश्री कृष्णा राज की सीतापुर शाहजहांपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारों पर लगे बेस कीमती हरे भरे वृक्षों की कीमती लकड़ी को अवैध रूप से बेचे जाने के सम्बन्ध में, सत्ताइसवीं सूचना डा0 रघुनाथ प्रसाद संखवार की तहसील घाटमपुर, कानुपर नगर में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) न्यायालय की स्थापना एवं वैकल्पिक व्यवस्था कराये जाने के संबंध में अट्ठाइसवीं सूचना श्री श्रीपति आजाद की जनपद लखनऊ में पुराने जर्जर विद्युत तारों को बदले जाने के संबंध में, उन्तीसवीं सूचना श्री उदयराज की जनपद उन्नाव के अन्तर्गत मवईखनपुर मार्ग पर बनी एक बड़ी पुलिया के टूट जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, तीसवीं सूचना सैय्यदा शादाब फातिमा की उ0प्र0 के 13 उनपदों में गोड़ जाति के लोगों को अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति में सूची बद्ध किये जाने के संबंध में, इक्कतीसवीं सूचना श्री अमित गौरव की जनपद एटा के निर्वाचन क्षेत्र निधौलीकला के अमर शहीद मनवीरशाहा को राज्य सरकार द्वारा सहायता दिये जाने के संबंध में, बत्तीसवीं सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की बिलासपुर एहरौ शीशगट क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक कराये जाने के संबंध में, तैंतीसवीं सूचना श्री प्रदीप यादव की उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 लखनऊ के कर्मचारियों का स्थानान्तरण न होने के कारण व्याप्त असंतोष के संबंध में है। माननीय श्री लाल जी यादव, श्री दीप नारायण यादव और श्री अरविन्द सिंह यादव की सूचनाएं पुनरावृत्ति के कारण अस्वीकार की गयीं।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा एवं श्री संजय कपूर ने अपने सूचना स्वयं पढ़ी अन्य सूचनाएं पढ़ी हुयी मानी गयीं।)

जनपद जौनपुर में रामझारी महाविद्यालय गम्भीरन की फर्जी मान्यता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मयंकेश्वर शरण सिंह-

[मान्यवर, मै आप के माध्यम से मा0 सदन का ध्यान ''रामझारी महाविद्यालय गम्भीरन जनपद जौनपुर'' की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर यह एक अति अविलम्बनीय लोकमहत्व की सूचना है। इस महाविद्यालय की मान्यता फर्जी एवं नाटकीय ढंग से शासन के आंख में धूल झोककर ली गई है। महाविद्यालय के नाम से एक इंच भी जमीन नहीं है इण्टर कालेज की जमीन को दिखाकर मान्यता ली गई है। जिलाधिकारी जौनपुर एवं सचिव उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन ने इस महाविद्यालय की मान्यता समाप्त करने का निर्देश भी दे चुके हैं फिर भी इस महाविद्यालय के प्रबन्धक महोदय फर्जी ढंग से रजिस्ट्रार एवं वी0सी0 पूर्वान्चल विश्वविद्यालय से साठगांठ कर अवैध रूप से महाविद्यालय को चला रहे है। सैकडों पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। पूर्वान्चल विश्वविद्यालय के कार्यापरिषद् की बैठक में महाविद्यालय के मान्यता का प्रकरण एजेन्डे में नहीं रखवाते हैं तथा हमेशा प्रयासरत है कि कार्य परिषद् की बैठक न हो सके।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः महोदय से अनुरोध है कि विश्वविद्यालय के कार्य परिषद् की बैठक कराकर इस महाविद्यालय की मान्यता को समाप्त करने हेतु पीठ से दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

जनपद इलाहाबाद के म्योर रोड स्थित नजूल भूमि बड़े-बड़े बिल्डरों को फ्री होल्ड करने तथा नगर भूमि सीमा रोपण अधिनियम, 1976 के आड़ में धन दोहन के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[मान्यवर, इलाहाबाद मे म्योर रोड स्थित नजूल भूखण्ड सं0 1 नसीबपुर बख्तियारा के लगभग 2 दर्जन मध्यम एवं कमजोर वर्ग के लोग 1 दिसम्बर, 1998 की नजूल नीति के अनुसार अपनी 90 से 175 मीटर की भूमि फ्री होल्ड होने की विगत बारह-तेरह वर्षो से बाट जोह रहे हैं। इन लोगों ने 1981 में अम्बेडकर सहकारी आवास समिति से अपने आवास हेतु थोड़ी-थोड़ी जमीन लिया और उपरोक्त नजूल नीति के अनुसार 1999 से ही विधिवत आवेदन कर रखा है, केवल इलाहाबाद में ही लाखों वर्ग मीटर नजूल भूमि बड़े-बड़े बिल्डरों को फ्री होल्ड की जा चुकी है किन्तु कमजोर वर्ग की ओर पता नहीं क्यों शासन-प्रशासन का ध्यान आकर्षित नहीं हो पा रहा है। इस भूमि पर बसे लोग बार-बार शासन-प्रशासन से प्रार्थना कर रहे हैं किन्तु कार्यवाही करना तो दूर पत्रों का उत्तर भी नहीं दिया जाता है। नगर भूमि सीमा रोपण अधिनियम, 1976 समाप्त हो चुका है किन्तु इसकी आड़ में धन दोहन की प्रक्रिया जारी है। मा0 उच्च न्यायालय ने भी अपने आदेश में नीति स्पष्ट कर दिया है। यह लोग उसकी परिधि के अंतर्गत है।

अतः इस अबिलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाकर अबिलम्ब उपरोक्त की भूमि फ्री होल्ड किये जाने की मांग करता हूं।

विधान सभा क्षेत्र राबर्ट्सगंज के अन्तर्गत नक्सल प्रभावित ग्राम चकरिया में विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सत्य नारायण जैसल-

[मान्यवर, सादर आपके संज्ञान मे लाना चाहूंगा कि विधान सभा क्षेत्र राबर्ट्सगंज अन्तर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र का ग्राम चकरिया (यह पूरे क्षेत्र का केन्द्र भी है) से विद्युत आपूर्ति की मुकम्मल व्यवस्था हेतु एक विद्युत उपकेन्द्र की अति आवश्यकता है जिससे बसुहारी, चननी, रानीडीह, गड़ाब, कुम्हरवार, झरिया, बरहमोरी आदि गावों में विद्युत आपूर्ति से संतुप्त किया जा सकेगा।

अतः आपसे निवेदन है कि अविलम्बनीय लोक महत्व के इस (विद्युत उपकेन्द्र स्थापना) कार्य को कराने की कृपा करें।

नगर पंचायत सिधौली सीतापुर में डूडा विभाग द्वारा बनाये गये नलकूपों को चालू किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 हर गोविन्द मार्गव-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ कि नगर पंचायत-सिधौली जनपद-सीतापुर में डूडा विभाग द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था हेतु नलकूपों का निर्माण किया गया था लेकिन आज तक वह चालू नहीं हो सके हैं।

अतः मैं कई वर्षों पहले बने नलकूपों को चालू करने की मांग करता हूँ।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद उन्नाव के मौरावां क्षेत्र में शासन की नीति के अनुरूप 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुन्दर लाल लोधी-

[मान्यवर, जनपद उन्नाव के मौरावां क्षेत्र की विद्युत सप्लाई लखनऊ मोहनलालगंज फीडर के पी0जी0आई0 से संचालित है जो मौरावां में दिन में मात्र 2 घण्टे बिजली आती है और पी0जी0आई0 फीडर पर अधिक लोड के कारण रात्रि में कभी सप्लाई नहीं होती है। जिससे क्षेत्र में असन्तोष व्याप्त है। इस समय रमजान का महीना चल रहा है और रात में विद्युत की अत्यधिक समस्या है।

कृपया लोक महत्व के अविलम्बनीय महत्व को देखते हुए आज से ही विद्युत आपूर्ति सम्पूर्ण जनपद उन्नाव में शासन की नीति के अनुसार समानान्तर विद्युत सप्लाई सुनिश्चित कराने के साथ ही लखनऊ का नियंत्रण समाप्त कर उन्नाव के नियंत्रण में रखने की व्यवस्था करने का कष्ट करें जिससे सम्पूर्ण जनपद में एकरूपता रहे। सरकार का ध्यान आकर्षित करने का कष्ट करें।]

जनपद बांदा के ब्लाक कमासिन में बनाये जा रहे चेक डैमों में घटिया सामग्री का प्रयोग किये जाने की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विशम्भर सिंह यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। जनपद बांदा ब्लाक कमासिन ग्राम औदहा में रवाय नाले पर बन रहे दो चेक डैम तथा ग्राम खेरा में सरवन नाले पर बन रहे दो चेक डैम और ग्राम बीरा में नाले पर बन रहा चेक डैम तथा ग्राम अमेढ़ी में नाले पर बन रहा चेक डैम कार्यदायी संस्था सी0एन0डी0एस0 जल निगम महोबा कांस्ट्रेक्शन डिवीजन द्वारा बनाये जा रहे हैं। जिसमें अत्यन्त घटिया सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। नाम मात्र की सीमेन्ट मिलायी जा रही है। सीमेन्ट का रंग दिखने के लिये मौरंग की जगह क्रेसर की डस्ट का प्रयोग किया जा रहा है। दो चेक डैम ग्राम खेरा व बीरा मामूली वर्षा में बह गये। फिर से घटिया निर्माण कराकर दुरुस्त कराया जा रहा है। घटिया निर्माण कारण वर्षा में चेक डैम टिकेंगे नहीं बह जायेंगे।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही कराने की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र मुण्डेरा बाजार जनपद गोरखपुर के चौरी-चौरा में कतिपय टूटी एवं धंसी हुई सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री माधो पासवान-

[मान्यवर, मैं इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान विधान सभा क्षेत्र मुण्डेरा बाजार (चौरी-चौरा), जनपद गोरखपुर की टूटी-फूटी हुयी सड़कों से उत्पन्न स्थिति की ओर आकृष्ट कराना

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र की निम्नांकित सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, आवागमन पूरी तरह से बाधित है। जनहित में सड़कों को ठीक कराया जाना नितान्त आवश्यक है :-

(1) फुटहवा से सरदारनगर से होकर सोनबरसा मार्ग

(2) मोतीराम अड्डा से कुस्महीं मार्ग

(3) मोतीराम झंगहा मार्ग

(4) मोतीराम पोल फैक्ट्री से अवधपुर जोधपुर होती हुयी सरदारनगर मार्ग

(5) फुटहवा गोदाम के बगल से शत्रुघनपुर सड़क होते हुए लक्ष्मनपुर मार्ग तक।

उक्त सभी टूट गये हैं। जगह-जगह सड़कें धंस गयी हैं, जिससे लोगों को आने-जाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर मैं सरकार से इस सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जा रही दुग्ध सहकारिता संस्था की खराब हालत एवं उसके कर्मचारियों की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सतीश महाना-

[महोदय, वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की दुग्ध सहकारिता मरणासन्न अवस्था में कर दी गयी है, जिसमें कार्यरत समस्त कर्मचारी भुखमरी की कगार पर हैं तथा करोड़ों रुपये प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों का भी बकाया हो गया है। प्रदेश में दुग्ध उपार्जन 9.4 लाख लीटर/प्रतिदिन से घटकर 5.2 लाख लीटर/प्रतिदिन रह गया है। जिला दुग्ध संघ बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं फतेहपुर को घोषित रूप से बन्द कर दिया गया है, जबकि अन्य कई जनपद अघोषित बन्दी के कगार पर हैं। प्रदेश के दुग्ध उत्पादक किसानों का लगभग 16.0 करोड़ बकाया हो गया है तथा प्रदेश के 20 हजार दुग्ध समितियों के 20 लाख सदस्य दुग्ध उत्पादक किसानों का आर्थिक हित प्रभावित हो रहा है। दुग्ध सहकारिता (पी0सी0डी0एफ0) में कार्यरत प्रदेश के कर्मचारियों का वेतन मद में लगभग 36.0 करोड़ों रुपये बकाया हो चुका हैं तथा कई जिला दुग्ध संघों में कार्यरत कर्मचारियों को वर्षों से वेतन नहीं मिल रहा है जिससे उनके परिवार के समक्ष जीवन यापन का संकट व्याप्त है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर जनपद बलरामपुर स्थित ललिया महराजगंज मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र तुलसीपुर जनपद बलरामपुर स्थित ललिया महराजगंज मार्ग सम्पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है। उक्त मार्ग के क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीण जनता को अत्यन्त असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में इस मार्ग पर चलने से आये दिन ग्रामीण

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। ग्रामीणों द्वारा इस मार्ग की मरम्मत के लिए कई बार जिला प्रशासन से अनुरोध किया जा चुका है परन्तु स्थानीय प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

श्री अभय सिंह इण्टर कालेज, पिपरहा एटा के प्रबन्धक के विरुद्ध अपराधिक मामला पंजीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कुबेर सिंह-

[महोदय, श्री अभय सिंह इण्टर कालेज, पिपहरा के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी, एटा की जांच आख्या दिनांक 11 अक्टूबर, 2009 पत्रांक संख्या-2260/एस0टी0-एडीएम-ई के क्रम में प्रबन्धक एवं विद्यालय के विरुद्ध निम्नलिखित गबन किये गये :-

1-प्रबन्धक समिति के रूप में भारतीय खादी ग्रामोद्योग सेवा नाम की सोसाइटी जिसका रजि0 772/1990-91 है, को प्रस्तुत किया जाना जोकि एस0ए0एस0 स्कूल की प्रबन्ध समिति या सोसाइटी नहीं है,

2-खतौनी में फर्जी इन्द्राज किया जाना,

3-चकबन्दी न्यायालय में फर्जी पट्टा प्रस्तुत करना,

4-मान्यता प्राप्त करने हेतु हस्तलिखित फर्जी खतौनी व कम्प्यूटराइज्ड फर्जी खतौनी प्रस्तुत करना,

5-फर्जी खतौनी के आधार पर सांसद निधि व विधायक निधि से रुपया 8.00 लाख प्राप्त करना और ऐसे भू-भाग पर खर्च करना, जो विद्यालय की भूमि नहीं है।

उपरोक्त आख्या के आधार पर मेरी मांग है कि श्री अभय सिंह इण्टर कालेज, पिपहरा के प्रबन्धक के विरुद्ध आपराधिक मामला पंजीकृत कराये जाते हुए विद्यालय की मान्यता निरस्त कराये जाने की कार्यवाही की जाय।

अतः लोकमहत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

आगरा में भगवान टाकीज से दयालबाग तक की जर्जर और गड्ढा युक्त रोड को दुरुस्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगन प्रसाद गर्ग-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आगरा की भगवान टाकीज से दयालबाग तक की रोड की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं।

आगरा की भगवान टाकीज से दयालबाग स्मारक तक जाने वाली रोड विगत दो वर्षों से जर्जर व गड्ढा युक्त हो गयी है तथा उस पर कई स्थानों पर अतिक्रमण कर लिया गया है। इस

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

महत्वपूर्ण सड़क से होकर देश-विदेश के लाखों पर्यटक दयालबाग स्मारक देखने जाते हैं तथा दयालबाग में बहुत सी कालोनियां बन गयी हैं जिसके कारण लाखों की संख्या में जनता का आगमन होता है। इस जर्जर सड़क के कारण जनता को आने-जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस कारण जनता में भारी रोष है।

अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा इस सड़क को डिवाइडर बनाकर बीच में ऊंची सोडियम लाईट लगाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद गोरखपुर-डोमिनगढ़ में सेतु निगम द्वारा निर्माणाधीन सेतु इलाहीबाग की दुर्गाबाड़ी की तरफ मोड़कर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय बहादुर यादव-

[महोदय, जनपद गोरखपुर में गोरखपुर-डोमिनगढ़ के मध्य सम्पार संख्या-163ए सूरज कुण्ड क्रासिंग का दक्षिणी भाग जो इलाहीबाग की ओर उतरेगा, जनहित में 90 प्रतिशत जनता इलाहीबाग न जाकर सीधे दुर्गाबाड़ी की तरफ होकर विश्वविद्यालय रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, कचहरी, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, गोलघर एवं धर्मशाला की मुख्य मार्केट की ओर आते-जाते है। जबकि उ0 प्र0 सेतु निगम लि0 द्वारा निर्माणाधीन सेतु इलाहीबाग की तरफ घने सकरे आबादी को जोड़ता है जो कि किसी दशा में उचित नहीं है। सेतु निगम द्वारा निर्माणाधीन सेतु इलाहीबाग की तरफ वर्तमान में क्षेत्रीय जनता के जनाक्रोश के कारण निर्माण कार्य भी रुका हुआ है। उपरगामी सेतु के इलाहीबाग की तरफ जोड़ने का हिस्सा अत्यन्त ही सकरा एवं घनी आबादी का है जिसमें काफी तोड़-फोड़ करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में यदि सेतु दुर्गाबाड़ी की ओर घुमा दिया जाता है तो जहां एक ओर उक्त मोहल्लेवासियों को महानगर के विभिन्न मार्केट में आने-जाने में सुविधा होगी वहीं दूसरी ओर इलाहीबाग की घनी आबादी में तोड़-फोड़ भी नहीं करना पड़ेगा। जो क्षेत्रीय जनता की मांग के अनुसार उपरगामी सेतु को दुर्गाबाड़ी की ओर मोड़ा जाना सर्वथा उचित होगा।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सेतु को दुर्गाबाड़ी की तरफ मोड़कर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर के अन्तर्गत तहसील महमूदाबाद स्थित किवानी नदी पर बना पुल दुरुस्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अति लोकमहत्व के विषय की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जनपद सीतापुर के अन्तर्गत तहसील महमूदाबाद में स्थित धर्मपुर गांव के निकट चौका किवानी नदी पर स्थित पुल सेतु निगम द्वारा करीब चार वर्ष पूर्व बना दिया गया है। मिट्टी से अप्रोच भी पाट दी गयी है लेकिन पुल के दोनों तरफ लगभग 4-4 सौ मीटर कच्ची सड़क होने के कारण ट्रेक्टर-ट्राली व बैलगाड़ी पुल से ऊपर निकल नहीं पा रहे हैं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से वक्तव्य/ध्यान आकर्षित किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बरेली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत क्यारा में हरदोई के मूल निवासियों का फर्जी प्रमाण-पत्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अति लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं जनपद बरेली के अन्तर्गत ग्राम पंचायत क्यारा ब्लाक क्यारा तहसील व जनपद बरेली में दुष्यन्त सिंह उर्फ टीटू पुत्र श्री इन्द्रपाल सिंह, कल्पना सिंह चौहान पुत्री इन्द्रपाल सिंह, हेमन्त सिंह चौहान पुत्र इन्द्रपाल सिंह निवासीगण मोहल्ला सुभाष नगर बरेली के निवासी हैं यह लोगों का फर्जी प्रमाण-पत्र बना हुआ है। अनिल कुमार सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सधनामा जनपद हरदोई के मूल निवासी है। जिसका मूल निवास प्रमाण-पत्र ग्राम क्यारा जनपद बरेली से बना हुआ है। इन्होंने दोनों निवास प्रमाण-पत्र बनवाकर लाभ देते हैं। यह प्रमाण-पत्र के आधार पर शिक्षा मित्र के पद पर नियुक्ति करवा लिये हैं। इस सम्बन्ध में कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बरेली के पत्रांक व0लि0(प0)/1057-58, 2011-12 दिनांक 11-7-11 ग्राम पंचायत क्यारा विकास क्षेत्र क्यारा बरेली की पूर्व ग्राम प्रधान रसीला देवी के विरुद्ध प्राप्त शिकायती-पत्र अपर जिलाधिकारी नगर बरेली द्वारा जांच की गयी है। शिक्षा मित्रों की चयन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन सम्बन्धी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है जिसमें अपर जिलाधिकारी बरेली द्वारा जांच आख्या एवं अन्य अभिलेखों का परीक्षण कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का आदेश भी दिये गये हैं। जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है जिसकी जांच कराना अतिआवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं साथ ही साथ दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की भी मांग करता हूं।]

जनपद प्रतापगढ़ एवं रायबरेली सहित अन्य जनपदों में सैकड़ों की संख्या में तदर्थ शिक्षकों को हटाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनोद कुमार-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अति गम्भीर विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अद्यतन नियुक्त एवं कार्यरत लगभग दस हजार तदर्थ शिक्षक अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। सभी तदर्थ शिक्षकों को विभाग द्वारा सम्पूर्ण वेतन एवं अन्य वित्तीय परिलब्धियां प्रदान की जा रही हैं। तदर्थ शिक्षक अपने विनियमितीकरण की मांग पर विभागीय कार्यालयों पर धरना, प्रदर्शन आदि के माध्यम से कई वर्षों से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते भी है। इस सम्बन्ध में मा0 मंत्री जी को 11 मार्च, 2011 को एक शिक्षक सम्मेलन में कहा था

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कि तदर्थ शिक्षक नहीं हटाये जायेंगे फिर भी प्रतापगढ़ एवं रायबरेली सहित अन्य जनपदों में सैकड़ों की संख्या में तदर्थ शिक्षक हटाये जा चुके हैं। ऐसे स्थिति में शिक्षक झूलेलाल पार्क लखनऊ में क्रमिक धरना, प्रदर्शन हो मजबूर होने के लिए तैयार हैं। यह बहुत ही गम्भीर प्रकरण है और प्रदेश के तदर्थ शिक्षकों से जुड़ा हुआ प्रश्न है तत्काल कार्यवाही अगर नहीं की गयी तो धरना, प्रदर्शन करने को तैयार हैं।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण को सदन की कार्यवाही रोककर सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र फाजिलनगर, जनपद कुशीनगर में बसने वाले मुसहर जाति की दयनीय स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विश्वनाथ-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। विधान सभा क्षेत्र फाजिलनगर जिला कुशीनगर में बसने वाले मुसहर जाति की दयनीय स्थिति की ओर आकृष्ट करता हूं। मुसहर जाति के समस्त लोग नदियों के किनारे बसते हैं। वर्तमान सभ्यता, संस्कृति और शिक्षा एवं विकास से कोसों दूर हैं इनके पास न भूमि है, न भवन है। शिक्षा की इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इस जाति के लोगों की आवास और भूमि पाने की पात्रता निर्विवाद है। फाजिलनगर विधान सभा क्षेत्र में जिनको आवास सरकार द्वारा दिया गया वह आवास अधूरे हैं, उन्हें पूरा कराया जाय और विकास योजनाओं का लाभ इन्हें वरीयता के आधार पर प्रदान किया जाय।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद गोरखपुर विधान सभा क्षेत्र पिपराइच में 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती राजमती निषाद-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अति गम्भीर विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र 168 पिपराइच जनपद गोरखपुर में विद्युत आपूर्ति 16 घण्टे नहीं मिल पा रही है। जिससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समय रमजान को महीना भी चल रहा है। लोगों को विद्युत आपूर्ति न होने के कारण आये दिन परेशान रहते हैं। अक्सर शाम के समय बिजली आती ही नहीं है। शाम को बिजली न मिलने के कारण अंधेरे में सबको नमाज पढ़ना पड़ता है। इस समस्या से निजात दिलाया जाना जनहित में आवश्यक है यह प्रकरण पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ है। बहुत ही गम्भीर विषय है।

अतः इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम घुघली, महराजगंज के नये क्रेता द्वारा बुलाये गये असामाजिक तत्वों द्वारा रात के अंधेरे में दुकान नष्ट कर लूटने तथा अन्य मामले के सम्बन्ध में ए0डी0एम0, महराजगंज के स्पष्ट आश्वासन के बावजूद प्राथमिकी दर्ज न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

[मान्यवर, गत 29 जून, 2011 को उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम घुघली महराजगंज इकाई के नये क्रेता द्वारा बुलाये गये असामाजिक तत्वों द्वारा श्री अशोक शर्मा के इशारे पर रात में ध्वस्त कर सामान लूटने तथा कुछ अन्य आरोपों के साथ मैंने एक आवेदन-पत्र पुलिस कप्तान को देकर प्राथमिकी दर्ज करने एवं जांच कराने की मांग की थी। मामले गम्भीर और जनान्दोलन को देखते हुए मैंने स्वयं अनिश्चितकालीन पर बैठने को बाध्य होना पड़ा था। जनाक्रोश को देखते हुए ए0डी0एम0 महराजगंज मौके पर पहुंचकर हस्तक्षेप करते हुए 12 बजे तक प्राथमिकी दर्ज कराने का आश्वासन दिया था। खेद है कि आज तक प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई, जिससे जनमानस में काफी असन्तोष है कभी भी मामला उग्र हो सकता है और शान्ति भंग हो सकती है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न पर तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं।]

लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में 24 घण्टा विद्युत आपूर्ति बहाली के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर0 के0 चौधरी-

[मान्यवर, जनपद लखनऊ के अन्तर्गत मोहनलालगंज में हमेशा से 24 घण्टा विद्युत आपूर्ति होती थी। परन्तु सन् 2002 से बसपा सरकार बनने के बाद राजनीतिक विद्वेष की भावना से इस क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति में भारी कटौती करके 8-10 घण्टे की आपूर्ति कर दी गयी। बसपा सरकार हटने के बाद पुनः विद्युत आपूर्ति 22 से 24 घण्टे हुयीं। परन्तु पुनः प्रदेश में बसपा सरकार आने के बाद विगत 4 वर्षों से विद्युत आपूर्ति में और भी अधिक कटौती कर दी गयी। इस पिछड़े क्षेत्र में अब समेसी जैसे फीडर से 6 से 8 घण्टे की आपूर्ति होती है। समेसी, करोरा, हरदोइया, अमेठी, गोसाईगंज, खुर्दही, गंगागंज सहित सैकड़ों गांव ज्यादा समय अंधेरे में डूबे रहते हैं। किसान, कारीगर, कारोबारी दुकानदार छात्र सभी परेशान हैं। इस रमजान के महीने में भी विद्युत आपूर्ति की भयंकर किल्लत है। रोजेदार मुस्लिम भाईयों को ज्यादा कठिनाई हो रही है। सुबह सहेरी के वक्त और शाम को रोजा अफ्तार के वक्त बिजली गायब रहती है। पिछले चार साल से मोहनलालगंज क्षेत्र में भारी कटौती के कारण क्षेत्र की जनता तबाह हो रही है। यह क्षेत्र लखनऊ शहर से सटा होने के कारण उपभोक्ताओं से शहरी दर पर विद्युत बिल बनाकर भुगतान कराया जाता है, जबकि विद्युत आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र के मानक से भी काफी कम किया जाता है। महोदय कुछ दिनों पहले विद्युत उपभोक्ताओं की एक जन सभा कासिमपुर गांव के पास की गयी जिसमें भारी संख्या में किसान, दुकानदार पहुंचे और मेरे नेतृत्व में अधिकारियों को क्षेत्र में 24 घण्टा विद्युत आपूर्ति की बहाली का ज्ञापन दिया गया। परन्तु S.D.M. मोहनलालगंज ने

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पुलिस वालों से कहकर सबको दौड़ा-दौड़ा कर पिटवाया। दर्जनों किसान व दुकानदार लहूलुहान हो गये। उल्टे देर रात शासन के निर्देश पर 25 किसानों सहित मेरे विरुद्ध व 100 अज्ञात लोगों के विरुद्ध थाना गोसाईगंज, लखनऊ में धारा-147, 148, 149, 323, 332, 336 भा0द0वि0 तथा 7 क्रिमिनल ला एमेण्डमेन्ट एक्ट के तहत मुकदमा कायम कर दिया। सरकार और उसकी पुलिस की इस रवैया से मेरे क्षेत्र की जनता में आक्रोश है।

अतः आपसे आग्रह है कि मेरे विरुद्ध तथा मेरे साथ क्षेत्र के अन्य किसानों, दुकानदारों के विरुद्ध दर्ज उक्त फर्जी मुकदमा वापस कराने तथा मोहनलालगंज क्षेत्र में पूर्ववत् 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति की बहाली कराने की कृपा करें।

जनपद बागपत बड़ौत एवं खेकड़ा में मान्यवर कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना में भवनों के निर्माण में घोर अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अजय तोमर-

[मान्यवर, जनपद बागपत, बड़ौत एवं खेकड़ा में मान्यवर कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना में भवनों के निर्माण में घोर अनियमिततायें हो रही हैं। यहां निर्मित भवनों में प्लास्टर मानक अनुरूप नहीं है तथा अभी से प्लास्टर गिरने लगा है तथा छतों में सरिया नजर आ रहे हैं जिनको छुपाने के लिये आनन-फानन में मोटा प्लास्टर किया जा रहा है तथा छतों से पानी टपक रहा है तथा घटिया दर्जे के ईंटों का इस्तेमाल किया गया है एवं सरिया भी मानक अनुसार कम मात्रा में लगाया गया है एवं निर्माण में और भी अनेकों प्रकार की खामिया हैं तथा इनको जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण में भी घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया है जो सड़कें अभी से उखड़ रही हैं। भवनों के साथ धोखा, भद्दा मजाक किया गया है एवं उसके जान माल को खतरे में डाला गया है।

उपरोक्त अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यानाकर्षण करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

आजमगढ़ मण्डल में प्रभारी अभियन्ता पैकफेड द्वारा सिविल डिप्लोमा न होने पर भी अभियन्ता का विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सर्वेश कुमार सिंह ''सीपू''-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। आजमगढ़ मण्डल में प्रभारी परियोजना अभियन्ता पैकफेड द्वारा सिविल डिप्लोमा न होने पर भी अभियन्ता का विनियमितीकरण कर दिया गया। वर्तमान अभियन्ता की शिकायत शासन स्तर पर लम्बित है। यह सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स का प्रमाण-पत्र आदि फर्जी लगाया है। पी0एल0एम0 टेक्नीकल एवं मैकेनिकल ट्रेनिंग सेन्टर वाराणसी नाम की न तो कोई संस्था पूर्व में प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध थी और न ही वर्तमान में इस नाम की कोई संस्था परिषद् से सम्बद्ध है, डिप्लोमा प्रमाण-पत्र संख्या-5594 प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ0 प्र0 लखनऊ

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

द्वारा निर्गत ही नहीं किया गया। इस तरह से तमाम अनियमितितायें और फर्जीवाड़ा इनके द्वारा किया गया है। यह गम्भीर विषय है, लोक महत्व का है। तत्काल उच्च स्तरीय जांच कराये जाने की आवश्यकता है ताकि फर्जी करने वाले अभियन्ता दण्डित हो सकें और उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की निष्पक्ष जांच हो सके। प्रकरण गम्भीर है, लोक महत्व का है।

अतः इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।]

ग्राम सोनौली तहसील इटवा, जनपद-सिद्धार्थनगर में आई बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

[महोदय, ग्राम सोनौली तहसील इटवा जनपद सिद्धार्थनगर व नबेल तहसील इटवा जनपद सिद्धार्थनगर में क्रमशः सिकरी नाले व चांदपीठ ताल के मोहाने पर राप्ती नदी बहती है। पूर्व में इन गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए इन दोनों स्थानों पर रेगुलेटर सीमेन्ट पाइप के पांच फीट ब्याज से बनाये गये, जब नदी में बाढ़ आ जाती है तो सिकरी और चांदपीठ का पानी रेगुलेटर के इधर रुक जाता है जिससे सोनौली, मिश्रौलिया, गोनरा, होरीलपुर, सोनबरघा, नवेल गौरडीह, औरहवां, बजराभारी, तेनुआ गांव व कठेला जनुबी का बड़ा हिस्सा पानी में डूब जाता है। जब नदी का बाढ़ खिसक जाता है तो इन गांवों के पानी को निकलने में रेगुलेटर छोटा होने के कारण 15 दिन से अधिक लग जाता है फलस्वरूप फसलें जिसे बाढ़ से बचाने के लिए रेगुलेटर बनाया गया था बर्बाद हो जाती है तथा गांवों में पानी हफ्तों दिन तक रुका रहता है इसकी शिकायत करने पर पुनः इसको बड़ा बनाने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा प्राक्कलन तैयार किया गया परन्तु शासन द्वारा धन अभी स्वीकृत नहीं हुई। जिसके कारण उक्त गांव में जनता में काफी असन्तोष है।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं इसे तत्काल धन स्वीकृत करके बड़ा बनाने का आदेश विभाग को निर्गत करने का कष्ट करें।]

श्री राम अवध सिंह यादव सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक तिलक इण्टर कालेज कोटवां, इलाहाबाद की वाह्य सेवाओं को जोड़कर पेंशन संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जोखू लाल यादव-

[महोदय, सादर अवगत कराना है कि श्री राम अवध सिंह यादव सहायक अध्यापक पद से तिलक इण्टर कालेज कोटवां, इलाहाबाद से दिनांक 30-6-99 को सेवानिवृत्त हुए हैं। उक्त विद्यालय में दिनांक 13-10-70 से 30-6-99 तक जिसके आधार पर 59 छमाही की गणना के अनुसार पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

श्री राम अवध सिंह यादव दिनांक 20-5-65 से 13-7-70 तक राजकीय विद्यालय में भी कार्य किया है। इस तरह श्री यादव राजकीय सेवा में पांच वर्ष एक माह तेइस दिन कार्य किया है। पुनः

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

राजकीय सेवा से अशासकीय सेवा के बीच तीन माह व्यवधानित रहा है। उक्त सेवाओं को जोड़ते हुए 66 छमाही की पेंशन मिलनी चाहिए लेकिन इन्हें 59 छमाही की पेंशन मिलती है जिसका संशोधन होना अति आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल मथुरा शहर की जीर्ण-शीर्ण हो चुकी सड़कों की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर-

[महोदय, मैं अविलम्बनीय लोकमहत्व की निम्नांकित सूचना सदन के संज्ञान में लाते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं :-

उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के बंटवारे के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मात्र एक मथुरा जनपद ही धार्मिक पर्यटक स्थल बचा है। भगवान श्री कृष्ण और जमुना मैया के श्रद्धा में देश के बाहर के तथा इस प्रदेश के बाहर के पर्यटक वर्षभर तक लाखों-लाख की संख्या में आते हैं। मथुरा जनपद के पर्यटक सर्किट के सारे मार्ग भी क्षतिग्रस्त है। इनके मरम्मत के लिये बार-बार प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं किन्तु शासन अपनी प्रतिबद्धता के आधार पर धन आवंटित करता है जिससे मथुरा जनपद को कोई प्राथमिकता मिल नहीं पाती। खराब सड़कों के कारण प्रदेश व देश से बाहर के आने वाले पर्यटकों पर इसकी खराब छवि उत्पन्न होती है। यही नहीं मार्ग पर आवागमन इन पर्यटकों के लिये सुलभ नहीं हो पाता है। प्रत्येक वर्ष माह सावन व भादों में यहां पर विशेष पूजा अर्चना होती है जो बरसात का ही मौसम होता है। खराब सड़कों के कारण इस पर चलाना दुरूह हो जाता है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के इस विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सड़कों के मरम्मत की मांग करता हूं।]

जनपद सहारनपुर में तैनात संयुक्त शिक्षा निदेशक, श्रीमती कमला चौहान द्वारा लगातार स्कूलों की मान्यता में अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने में किये जा रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री इमरान मसूद-

[मान्यवर, जनपद सहारनपुर में तैनात संयुक्त शिक्षा निदेशक श्रीमती कमला चौहान द्वारा लगातार स्कूलों की मान्यता में अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसकी शिकायत सहारनपुर के मण्डलायुक्त से श्री अशोक कुमार द्वारा की गयी तो मण्डलायुक्त सहारनपुर श्री सुरेश चन्द्रा द्वारा आवेदक का भाई बनकर मोबाइल पर सुपेन्द्र कुमार लिपिक जो कि श्रीमती कमला चौहान की तरफ से पैसे की मांग करता है, तब उसने मैडम के लिए पैसे देने की बात मण्डलायुक्त द्वारा संयुक्त शिक्षा निदेशक से स्पष्टीकरण मांगने पर भ्रामक स्पष्टीकरण दिया गया। मण्डलायुक्त के आदेश की अवहेलना कर लिपिक को बचाने का प्रयास किया गया। मण्डलायुक्त सहारनपुर द्वारा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधी0 शासकीय प0 576 आर0 ए0 दिनांक 8-6-2010 को अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए सचिव मा0 शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन को लिखा गया। इनके अधीन कार्यरत उप शिक्षा निदेशक ने जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा भी शासन को उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की शिकायत की गयी है किन्तु इतना अनैतिक कार्य करने के बाद उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

अतः मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं।]

सीतापुर-शाहजहांपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारों पर लगे बेशकीमती हरे-भरे वृक्षों की कीमती लकड़ी को अवैध रूप से बेचे जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कृष्णा राज-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लाखों रुपयों की कीमती लकड़ी को अवैध रूप से बेचने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूं।

सीतापुर-शाहजहांपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारों पर लगे बेशकीमती हरे-भरे वृक्षों के आंधी तूफान आने से गिरने के बाद लाखों रुपया की कीमती लकड़ी को ठेकेदारों के हाथ बेच दिया गया। इस घपलेबाजी का खुलासा उस समय हुआ जब लकड़ी से भरी डी0सी0एम0 को पिहानी पुलिस ने पकड़कर रात के अंधेरे में लेन-देन कर छोड़ दिया था। पुलिस अधीक्षक हरदोई को जब इस मामले की जानकारी हुई तो मामले की जांच करवाकर दोषी पाये गये दो पुलिस कर्मियों को निलम्बित भी कर दिया लेकिन खीरी जिले के क्षेत्र में हुई इस घपलेबाजी में वन विभाग के अधिकारियों ने अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है।

खीरी जिले के महेशपुर वन रेंज के अन्तर्गत जंगबहादुरगंज व उचौलिया कस्बे के मध्य राष्ट्र राजमार्ग के किनारों पर लगे शीशम, नीम, आम व अन्य कई प्रजातियों के पेड़ 12 जून की रात आई भीषण आंधी तूफान में दर्जनों की संख्या में गिर गये थे। नेशनल हाई-वे के किनारे गिरे इन बेशकीमती पेड़ों की लकड़ी को कटवाकर खानापूर्ति करते हुए स्थानीय वन कर्मियों न लकड़कट्टों के हाथ औने-पौने दामों बेचकर वन विभाग ने राष्ट्रीय सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया है। इसकी खबर 23 जुलाई, 2011 के दैनिक समाचार-पत्र ने विस्तार से छापा है परन्तु अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करती हूं।]

तहसील घाटमपुर कानपुर नगर में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) न्यायालय की स्थापना एवं वैकल्पिक व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 रघुनाथ प्रसाद शंखवार-

[महोदय, उपरोक्त विषयक आपको सादर अवगत कराना है कि लायर्स एसोसियेशन घाटमपुर द्वारा मुझे अवगत कराया गया है कि घाटमपुर में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) की स्थापना एवं वैकल्पिक व्यवस्था का प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अपनी संस्तुति के साथ स्वीकृत हेतु उत्तर प्रदेश शासन को भेजा है। इसके साथ-साथ नगरपालिका परिषद् घाटमपुर द्वारा पालिका भूमि

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

संख्या-743 एवं गाटा सं0-747 न्यायिक कार्यों के उपयोग हेतु बोर्ड के प्रस्ताव को नगर विकास विभाग को निःशुल्क भूमि अन्तरण की स्वीकृत हेतु भेजा गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि इस अत्यन्त लोक महत्व एवं जनता की सुविधा के दृष्टिगत घाटमपुर तहसील, कानपुर नगर में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) न्यायालय की स्थापना, निःशुल्क भूमि अन्तरण का आदेश तथा वैकल्पिक व्यवस्था कराये जाने की कृपा करें।]

जनपद लखनऊ में पुराने जर्जर विद्युत तारों को बदले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्रीपति आजाद-

[महोदय, अवगत कराना है कि जिला-लखनऊ के ब्लाक-गोसाईगंज के अन्तर्गत ग्राम-मुंशीगंज, नगर पंचायत अमेठी में लगभग 25 वर्ष पुरानी जर्जर विद्युत लाइन पड़ी हुई, जिसके कारण आये दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। वर्षा के दिनों तथा खराब मौसम के समय आये दिन पुराने विद्युत तार टूट कर गिर जाते हैं जिसके कारण कभी भी अप्रिय घटना घटित होने की प्रबल संभावना बनी रहती है। स्थानीय लोगों में हमेशा एक भय बना रहता है। विद्युत तार खुले होने के कारण विद्युत चोरी होती है जिसके कारण कभी भी जर्जर विद्युत तार टूट कर अप्रिय घटना घटित कर सकते है। उक्त जर्जर विद्युत तारों को बदलने हेतु कई बार उच्च अधिकारियों से अनुरोध भी किया जा चुका है लेकिन अभी तक उक्त जर्जर विद्युत तारों को बदला नहीं जा सका है। जिसके कारण क्षेत्रीय एवं स्थानीय जनता में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जिला-लखनऊ के ब्लाक गोसाईगंज के अन्तर्गत ग्राम-मुंशीगंज, नगर पंचायत अमेठी में लगभग 25 वर्ष पुरानी जर्जर विद्युत लाइन को हटाकर उसकी जगह पर नये केबिल विद्युत तार लगाने की मांग करता हूं।]

जनपद उन्नाव के अन्तर्गत मवई-खानपुर मार्ग पर बनी एक बड़ी पुलिया के टूट जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उदयराज-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जनपद-उन्नाव के अन्तर्गत आने वाले मवई-खानपुर मार्ग पर बनी एक बड़ी पुलिया लगभग 3 वर्ष से टूटी पड़ी है जिसके कारण उक्त क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामों के लोगों के आने-जाने का रास्ता बन्द है। उक्त पुलिया के निर्माण कराये जाने हेतु प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग उन्नाव द्वारा कई बार शासन को प्राक्कलन भेजा गया लेकिन शासन द्वारा उक्त पुलिया के निर्माण हेतु धन नहीं दिया गया है। अन्य क्षेत्र के अनेक ग्रामों की जनता को तहसील, थाना ब्लाक जाने का एक मात्र रास्ता है, पुलिया टूटी होने के कारण लोगों को

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दूसरे रास्ते से पैदल जाना पड़ता है। पुलिया निर्माण न होने के कारण क्षेत्र की जनता में आक्रोश व्याप्त है किसी भी समय कोई अप्रिय घटना घट सकती है।

कृपया इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं।]

उत्तर प्रदेश के 13 जनपदों में गोंड़ जाति के लोगों को अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सैय्यदा शादाब फातिमा-

[महोदय, आपके संज्ञान में लाना है कि गोंड़ जाति को उ0 प्र0 के 13 जनपदों गाजीपुर, बलिया, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, महाराजगंज, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम, 2002, भारत सरकार अधिनियम सं0-10/2003 दिनांक 7-01-2003 द्वारा अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध कर दिया गया। इस सम्बन्ध में दिनांक 3 जनवरी, 2007 को तत्कालीन प्रमुख सचिव डी0सी0 लाखा ने गोंड जाति को 13 जनपदों में अनुसूचित जनजाति एवं 57 जनपदों में अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-281-सी0एम0/26-3-2006-3 (28)/78, दिनांक 26-9-2006 द्वारा निर्देशित किया। यह भी निर्देशित किया गया कि शासनादेश सं0-4370/26-3-2001-3(28)/78 दिनांक 27-9-2001 में यह व्यवस्था की गयी है कि 1359 फसली के अभिलेख को ही जाति प्रमाण-पत्र का आधार न माना जाये अपितु आवेदक के विषय में सही जानकारी प्राप्त करने हेतु गांव एवं आस-पास के निर्विवादित गोंड़ परिवारों से जांच पड़ताल, कुटम्ब रजिस्टर शैक्षिक संस्थाओं के टी0सी0 प्रमाण-पत्रों आदि के आधार पर जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायें। यह भी कहा गया है कि स्पष्ट निर्देषों के बावजूद भी यदि प्रमाण-पत्र निर्गत करने में विलम्ब किया जायेगा तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

परन्तु खेद का विषय है कि जून, 2007 से जनपद गाजीपुर में गोंड़ जाति का प्रमाण-पत्र जारी नहीं हो रहा है। गाजीपुर के सदर तहसीलदार श्री कतपाऊ राम कानून को धता बताते हुए अपनी मनमानी व्याख्या कर गोंड़ जाति के लोगों का शोषण कर रहे हैं जिलाधिकारी भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। इसमें गोंड़ जाति के लोगों में अत्यन्त रोष है कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने एवं गोंड़ जाति को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र सम्बन्धित को निर्गत करने का आदेश देने की कृपा करें।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद एटा के निर्वाचन क्षेत्र निधौलीकलां के अमर शहीद मनवीर शाहा को राज्य सरकार द्वारा सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमित गौरव-

[मान्यवर, मैं सदन का ध्यान एक गम्भीर विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे देश में देश की सुरक्षा सैनिकों के हाथ में होती है। देश की रक्षा करते हुए हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। जिसके लिए भारत सरकार उनके परिवार के आश्रितों को आर्थिक सहायता एवं अन्य सुविधाएं देती हैं। इसके अतिरिक्त देश के सभी राज्य अपने शहीद सैनिकों को विशेष पैकेज देती है। अन्य राज्यों की भांति हमारी राज्य सरकार भी प्रदेश के शहीद सैनिकों को भारत सरकार द्वारा दी गयी सुविधाओं के अतिरिक्त विशेष पैकेज देती है। परन्तु मेरे निर्वाचन क्षेत्र निधौलीकलां जिला एटा के अमर शहीद श्री मनवीर शाहा पुत्र श्री वेदपाल शाहा सेकेण्ड बटालियन सी0आर0पी0एफ0 ने दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ में दिनांक 26-12-10 को एवं अमर शहीद श्री रामकिशन पुत्र तहसीलदार सिंह ग्राम मीलगड़ी, पो0 गहेतु, जिला एटा ने दिनांक 9-3-10 को देश की रक्षा करते हुए अपना जीवन बलिदान किया। देश की रक्षा करने वाले अमर शहीदों को प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी पैकेज नहीं दिया गया है।

अतः लोकमहत्व के गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए अमर शहीद पुत्र स्व0 श्री मनवीर शाहा एवं श्री राम किशन के परिवार के आश्रितों को रु0 10 लाख नकद, 3.25 एकड़ भूमि एवं उनके माता-पिता को पेंशन आदि की सभी सुविधाएं दिये जाने हेतु सदन की कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद रामपुर की विलासपुर एहरो शीशगढ़ क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर-

मान्यवर, मैं सरकार का ध्यान आपके माध्यम से जनपद सीतापुर की विलासपुर, एहरो शीशगढ़ मार्ग की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह मार्ग जनपद-रामपुर का प्रमुख मार्ग है तथा जनपद-बरेली को जोड़ने वाला मार्ग है। इस मार्ग की हालत बहुत ही दयनीय है। इस कारण जनता को इस मार्ग पर चलने में बहुत ही बड़ी समस्या हो रही है तथा प्रत्येक दिन दुर्घटनायें हो रही हैं। जिसके कारण जनता में रोष व्याप्त है। इस मार्ग की मरम्मत आगणन शासन में लम्बित है। जनपद-बरेली की बल्लियां से शीशमार्ग का निर्माण भारत सरकार की सी0आर0एफ0 द्वारा हो चुका है तथा शीशगढ़ से विलासपुर मार्ग अत्यन्त क्षतिग्रस्त होने के कारण इस मार्ग का लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है।

मैं इस अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि0, लखनऊ के कर्मचारियों का स्थानान्तरण न होने के कारण व्याप्त असन्तोष होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप यादव-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 लखनऊ में विगत कई वर्षों से कुछ विशेष वर्ग एवं कैडेर का स्थानान्तरण न होने के कारण कर्मचारियों में व्याप्त घोर असन्तोष की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 लखनऊ उपभोक्ता सामग्री जनता को सुविधाजनक दरों पर उपलब्ध कराने के साथ ही गेहूं एवं धान खरीद जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य करती है। किन्तु कतिपय कर्मचारियों की मिलीभगत के कारण संस्था के विशिष्ट कार्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। संस्था को हानि भी पहुंचायी जा रही है।

अतः मेरा अनुरोध है कि एक ही स्थान पर 10, 15 एवं 20 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण विशेष परिस्थितियों में किया जाय जिससे कि जनता एवं संस्था के हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सके।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 09 अगस्त, 2011 को नियम-300 के अन्तर्गत 11 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं :-

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की है इन्होंने संविधान के अनुच्छेद-164(2) के अन्तर्गत मंत्रि-परिषद् राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

दूसरी सूचना श्री अम्बिका चौधरी की है इन्होंने एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की नियुक्ति संस्थान द्वारा नियमों के विपरीत किये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

तीसरी सूचना डा0 आर0 ए0 उस्मानी की है इन्होंने जनपद-लखीमपुर खीरी की तहसील निघासन के मुख्यालय पर मुंसिफ कोर्ट की स्थापना मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा के बावजूद अभी तक न कराये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है।

इन तीनों सूचनाओं पर सुना जाएगा जो सूचनायें नहीं सुनी जायेंगी वह है श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री उदयराज, श्री रामबिशुन आजाद, श्री इरफान सोलंकी, श्री लालजी यादव, श्री सुरेश कुमार खन्ना एवं श्री जनार्दन प्रसाद ओझा।

माननीय तिवारी जी, आप अपनी बात कहिए।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा अवमानना का नोटिस है, कृपापूर्वक सुन लें।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

थानाध्यक्ष को हटाने के लिए आप नियम-300 में ला रहे हैं। ओझा जी, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। यह प्रकरण विशेषाधिकार में लम्बित पड़ा हुआ है, जिसको आप कह रहे हैं, इसको नियम-300 में कैसे सुन लेंगे। यह प्रकरण विशेषाधिकार में विचाराधीन है। विशेषाधिकार आपने मूव किया है, हमारे यहां विचाराधीन है, मैं उसको दिखवा रहा हूं।

श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, नियम-300 के अन्तर्गत हमारी भी एक नोटिस है, हमें भी सुन लें। मान्यवर, आपकी नजर इधर नहीं पड़ती है।

श्री प्रमोद तिवारी-

आवाज तो पहुंच जाती है ?

(श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा के सदन में आने पर)

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी उपस्थित हो गये हैं, 301 की इनकी सूचना को मान लीजिए।

श्री राम बिशुन आजाद-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी सूचना पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से सम्बन्धित है।

श्री इरफान सोलंकी-

मान्यवर, मेरी सूचना बुनकरों की समस्या से सम्बन्धित है। हमें भी सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

इरफान साहब, बुनकरों की समस्या को आप दूसरे नियमों में लायें। आप बुनकरों की समस्या को नियम-300 में ला रहे हैं, आप इस समस्या को दूसरे नियमों में लाइये, मैं सुन लूंगा। नियम-300 में बुनकरों की समस्या और दरोगा का ट्रान्सफर नहीं सुनेंगे।

श्री उदयराज-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बात भी सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय उदयराज जी, मैं आपकी बात सुन लूंगा, माननीय विधायकों से जुड़ा हुआ विषय है, मैं दो मिनट सुन लूंगा।

सोलंकी साहब, आप बैठिए। बुनकरों की समस्या आप दूसरे नियमों में लगाइये। मैं तो सुनने के लिए तैयार हूं लेकिन इसे आप दूसरे नियमों में लगाइये। अगर इस तरह की सूचनाओं को नियम-300 में सुना जायेगा तो नियम-300 की ग्रेविटी खत्म हो जायेगी।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आपने हमें बुला लिया है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने बुला लिया है लेकिन यह लोग बोलने दें तब। सोलंकी साहब, आप बुनकरों की समस्या को दूसरे नियमों में लाइये, मैं सुन लूंगा।

संविधान के अनुच्छेद-164 (2) के अन्तर्गत मंत्रि-परिषद् को राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अत्यन्त ही संवैधानिक प्रश्न उठा रहा हूं, जिसका इस सदन से सीधा ताल्लुक है, सीधा सम्बन्ध है। मान्यवर, इधर आप भी महसूस कर रहे हैं और बार-बार अपनी पीठ से निर्देश भी देते हैं। माननीय सदस्यगण भी और विशेषकर विरोध पक्ष के सदस्य इस बात को बार-बार कहते हैं कि जो सूचनाएं दी जाती हैं और जो उत्तर आता है, वह आधा-अधूरा आता है। बहुत सी जगहों पर आप इन मंत्रियों को सचेत करते हैं, सम्मानित मंत्रियों को सचेत करते हैं कि सूचना दीजिए। उत्तर आता है कि सूचना एकत्र की जा रही है, कभी यह कहते हैं कि सूचना नहीं आई है। मान्यवर, आज इस सरकार को सवा चार साल हो गये हैं, अब इस सरकार के जाने की बारी है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ? एक-एक सक्षम मंत्री, एक-एक योग्य मंत्री, लेकिन इसका कारण क्या है ? भारत में जब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कानून बनाया था तो उन्होंने यह कहा था कि कार्यपालिका में मंत्रि-परिषद् सर्वोच्च होगी और मंत्रि-परिषद् ही सीधे अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी होगी, सदन के प्रति उत्तरदायी होगी। लेकिन मान्यवर, मौजूदा सरकार में तीन साल में इन मंत्रियों की हालत यह है जैसे किसी कबूतर के पंख काट दिये जायें और उससे उड़ने के लिए कह दिया जाए। इनके पंख काट दिये गये हैं, इनके अधिकार काट दिये गये हैं। आसमान तो छोड़िए, यह जमीन के ऊपर भी नहीं चल पा रहे हैं। तीन साल से स्थानान्तरण सत्र, जीरो इयर कर दिया गया है। मान्यवर, हमारे सम्मानित विधायक, हमारे सम्मानित सत्तारूढ़ दल के विधायक जब इनके पास जाते हैं और अकेले में जब देखते हैं कि कोई सुन नहीं रहा है तो कहते हैं कि क्या करें हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं लेकिन अब यह फाइल ऊपर जाएगी। ऊपर जाये अगर मुख्य मंत्री जी तक जाये तो भी वह एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत आती है हम उसे स्वीकार करेंगे। पर होता क्या है कि हमारा निर्वाचित मंत्री, महामहिम राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाया हुआ मंत्री, कैबिनेट मंत्री जब पांचवे तल पर जाता है तो उसकी हालत ऐसी होती है जैसे थाना दिवस पर दर्खास्त दी जाती है वैसी हालत होती है। मान्यवर, यह चाहते हैं तो भी नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, पुराना जमाना था मैंने भी देखा है, मंत्री के रूप में मैंने भी कार्य किया है। पहले अधिकारियों को मंत्री के चैम्बर में बुलाया जाता था। मंत्री के चैम्बर में अधिकारी आता था। मान्यवर, दुर्दिन आ गये कि आजकल हमारे मंत्रीगण अधिकारियों के चैम्बर में जाते हैं। मान्यवर, उस समय मंत्रीगण जब वहां अपनी दर्खास्त लेकर जाते हैं तो दुखड़ा रोते हैं तो मान्यवर, यह हमारा दुखड़ा कहां से दूर करेंगे और मान्यवर, इनकी दुर्दशा कौन देखता है। इनके अधीनस्थ कर्मचारी देखता है। वह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जानता है कि वह न अधीनस्थ कर्मचारी को हटा सकते हैं न इस अधिकारी को रख सकते हैं न उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकते हैं। दो-तीन मंत्रियों को छोड़कर ज्यादातर मंत्री तो अपने अधीनस्थ के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। दो-तीन मंत्री तो सक्षम हैं। मान्यवर, आप वहां देखेंगे कि वहां पर जो पत्र पड़े हुए हैं उसमें वह अपने विभाग की जनता के हित की बात करते हैं लेकिन वह सुनी नहीं जाती है।

श्री अध्यक्ष-

चलिए अब समाप्त करिये।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं तो अपना भाषण खत्म कर दूंगा लेकिन जो लोकतंत्र खत्म हो रहा है इसको बचाइये, भारत के संविधान का 164-2 खत्म हो रहा है इसको बचाइये। मान्यवर, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार कहती है कि विपक्ष हमेशा आलोचना करता है। अरे आज तो विपक्ष आपके साथ खड़ा है लेकिन जब आप हमारे अधिकार की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपके अधिकार की रक्षा कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि अभी वर्मा जी कहेंगे कि सब ठीकठाक है। मान्यवर, यही बेरूखी होती है कि जबरा मारे और रोवे न दे। तो हालत इन सब मंत्रियों की यही हो गयी है कि नीचे कोई सुनता नहीं, ऊपर कोई सुनता नहीं और इसीलिए यह सदन में कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं कोई कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। मैं विनम्रतापूर्वक आपसे याचना करते हुए कहना चाहता हूं कि इन गरीब मंत्रियों की दुर्दशा देखते हुए आप थोड़ा रहम खायें और निर्देश दें कि स्थानान्तरण का शून्य सत्र हटाया जाये और पूरे विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण मंत्री को होना चाहिए। माननीय मंत्री के अधीन बड़ा से बड़ा अधिकारी होना चाहिए। बड़े और छोटे अधिकारी के अधीन हमारा मंत्री नहीं होना चाहिए। मैं औचित्य के रूप में इस प्रश्न को आपके सामने उठाता हूं।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने अपनी असत्य बात को भी विद्धतापूर्ण ढंग से रखने का काम किया है। मान्यवर, उन्होंने इस बात को सही कहा कि मंत्रि-परिषद् सर्वोच्च होती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया है उसके अनुसार मंत्रि-परिषद् सर्वोच्च होती है। मान्यवर, माननीय मंत्रि-परिषद् द्वारा ही वर्ष 2011-12 की स्थानान्तरण नीति को पास करने का काम किया गया है और माननीय मंत्रि-परिषद् द्वारा ही उस सत्र को शून्य सत्र घोषित किया गया है तथा इसी के साथ इसमें यह भी प्राविधान किया गया है कि प्रशासनिक औचित्य तथा शासकीय कार्यहित में यदि स्थानान्तरण आवश्यक हैं तो माननीय मुख्य मंत्री जी के अनुमोदन से किये जा सकते हैं। तो मान्यवर, कहां से औचित्य हो गया। मंत्रि-परिषद् सर्वोच्च है, मंत्रि-परिषद् का निर्णय है तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इनके इस औचित्य के प्रश्न को अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना पर श्री प्रमोद तिवारी जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-300 में नहीं आती है अतः अग्राह्य की जाती है।

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने विषयक औचित्य का प्रश्न

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैंने एक सूचना नियम-300 में दी थी।

श्री अध्यक्ष-

हां, आपने दी थी कि मतदाता सूची से नाम निकल गया है, उसको जुड़वाने के लिये आपने नियम-300 में दिया है। आप इसको किन्हीं और नियमों में दे दीजिये। ध्यान आकर्षण या किसी और में दे दीजिये, हम उसकी मदद कर देंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक मिनट सुन लें, आप मेरी बात एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

मतदाता सूची से जो नाम निकल गया है तो पुनरीक्षण हो रहा है, जा करके बढ़वाइये, इस समय तो अभियान चल रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमें संविधान के तहत अधिकार दिया गया है, हम उसी अधिकार के तहत यहां पर आते हैं।

श्री अध्यक्ष-

संविधान में तो आप हर जगह लगा देंगे।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल होना या न होना, यह भारत के निर्वाचन आयोग से नियमानुसार होता है, इसलिये इस विषय को यहां पर उठाया ही नहीं जा सकता।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इसको पहले ही अग्राह्य किया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, परिस्थिति भिन्न है। इसमें राज्य सरकार के अधिकारी, मशीनरी लगी है।

---

* वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

परिस्थिति क्या भिन्न होगी, मतदाता सूची तो है। अब नेता प्रतिपक्ष जी खड़े हैं। खन्ना जी, आप बतायें, यदि नेता प्रतिपक्ष या नेता सदन खड़े हो जायें तो क्या परम्परा है। नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, कुछ तो नियम बनाइये। मैं उसको अग्राह्य कर चुका हूं, मैं उसको नहीं सुनूंगा।

संविधान के अनुच्छेद-164(2) के अन्तर्गत मंत्रि-परिषद् को राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)....

*नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, जो अभी बड़े सदस्य प्रमोद तिवारी जी ने यहां पर समस्या उठायी है, वह बिल्कुल सही है। जब से यह सरकार बनी है, सारी की सारी मर्यादायें खत्म हो गयी हैं और कहीं-कहीं तो मान्यवर, मानवता नाम की चीज भी नहीं बची है और बीच-बीच में हम भी कई बार आपकी जानकारी में बहुत सी सूचनायें दे चुके हैं और आपके निर्देशों का पालन भी नहीं किया जा रहा है। यहां तक कि उदाहरण है, तारीख अभी मुझे याद नहीं है, मैं जौनपुर में जिला जेल में जगदीश सोनकर जो झूठे केसों में बन्द कर दिये गये थे, मैं उनसे मिलाई करने गया था, वहां पर मैंने सूची में नाम भी दिये थे, जो जो सामान इनकी मिलाई में नियमानुसार जा सकता है, मैंने जगदीश सोनकर विधायक जी को वहां सुपरिन्टेण्डेण्ट के सामने जेलर के सामने वहां पर सामान दिया था और सुपरिन्टेन्डेन्ट और जिला जेल के अधिकारी को सौंपा था। वह सामान नहाने का साबुन, पेस्ट और एक किलो मिठाई का डिब्बा भी था तो ये सामान हम जब स्वयं दे करके आये हैं। बहुत सी सूचनायें हैं जो हमने मांगी हैं, आपको भी इसकी सूचना दे दी गयी है, मैंने आपको भी अनुरोध किया है कि आप मुझे यह सूचना दिलवा दो। बहुत से अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव हैं, मैंने कई बार उनसे लिखित में अनुरोध किया है लेकिन वे मुझसे अभी तक मिलने नहीं आये। ये हालत है और यही हालत मंत्रियों की है। मैंने तो यह भी देखा है और वरिष्ठ मंत्रियों को देखा है कि वे कैबिनेट सचिव के सामने जाते हैं, उसके पैर छूते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, कैबिनेट मंत्री गिड़गिड़ाते हैं।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा 'शेम' 'शेम', शर्म करो, शर्म करो कहा गया।)

जब मंत्रियों की ये हालत है तो विधायकों की हालत क्या होगी ? चाहे सत्ता पक्ष का विधायक हो या विपक्ष का विधायक हो। इरफान सोलंकी के रूप में उदाहरण भी है, वे बुनकरों की समस्याओं को लेकर एक अधिकारी के पास गये थे लेकिन आज तक क्या कार्यवाही हुई है ? क्या विधायकों के लिये कोई कार्यवाही होती है ? इस सरकार में कोई कार्यवाही नहीं होती है। बड़े से बड़े अधिकारी जो आई0ए0एस0, आई0पी0एस0 हैं, जिनको कभी [xxx] नहीं बोलना चाहिए, जो इसकी शपथ लेते हैं, वे लगातार [xxx] बोलते हैं, वे [xxx] क्यों बोलते हैं, वे [xxx] इसलिए बोलते हैं क्योंकि मंत्रियों का कोई वजन नहीं रहा। मंत्रियों का कोई वजन नहीं और जहां तक ट्रांसफर का सवाल है, चपरासी तक का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बेचारे पड़े हैं, चार-चार सौ किलोमीटर घरों से दूर। चपरासियों से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

लेकर के अधिकारियों तक सुविधा शुल्क चालू है। जब ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तब भी सुविधा शुल्क पर चालू ट्रांसफर चालू है, बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसकी आप जांच करा लीजिए। मान्यवर, आप इन मंत्रियों को निर्देश दीजिए, इस सरकार को निर्देश दीजिए कि कम से कम इस सुविधा शुल्क को रोके। यहां तक की मैंने देखा है कि मंत्री भी [xxx] यकीन नहीं होता तो हम सबूत भी दे सकते हैं। इसका हम सबूत दे सकते हैं कि [xxx] विपक्ष का विधायक तो देगा नहीं, काम नहीं होना हो तो न हो। मा0 अध्यक्ष जी आप इन्हें ऐसे निर्देश दें कि कम से कम इस सदन की गरिमा बनी रहे।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, यह औचित्य का प्रश्न है ? इसको अग्राह्य कर दीजिए और इसको कार्यवाही से निकाल दें।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ विरोध करने से शोर)

श्री अध्यक्ष-

मैं उसे पहले ही अग्राह्य कर चुका हूं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, यह सदन क्यों चलाया जा रहा है, कार्यवाही से सब निकाल दोगे, क्यों निकाल दोगे, हम सब लोग खुद ही यहां से चले जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष जी, आप बैठिए। मा0 मंत्री जी ने अपनी बात रखी है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, इस सदन का मतलब क्या है, अगर इस तरह से कार्यवाही से हमारा कथन निकाल दिया जायेगा तो हमारा यहां बैठने का औचित्य क्या है ?

*श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी ने कार्यवाही से निकालने के लिये नहीं कहा है। मा0 अध्यक्ष जी संसदीय कार्य मंत्री जी बहुत सुयोग्य हैं और यह जानते हैं कि नियमावली में शब्दों को तो निकालने का प्रावधान है लेकिन वाक्यों को निकालने का प्रावधान नहीं है।

श्री लालजी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, जो आपत्तिजनक है उसे निकालने का प्रोविजन है और मैं यह चाहूंगा कि जो भी आपत्तिजनक है, उसको निकाल दिया जाए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, हम नियमावली को अच्छी तरह जानते हैं रोज रटते हैं इसलिए हमें बताने की जरूरत नहीं है, शब्दों का ही इसमें है। मान्यवर, इसमें संसदीय कार्य मंत्री जी को आग्रह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मा0 अध्यक्ष जी आप स्वयं इसको देखते हैं और आप स्वयं इसे देख लेंगे।

नोटः-[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मेरा दूसरा बिन्दु यह है कि जो बात मा0 नेता प्रतिपक्ष ने इनसे कही है, वह बात इतनी तीखी लगती है तो यह बात जा करके अपने नेता से कहिए कि हमारी दुर्दशा इतनी क्यों करा रही हैं, सारे देश में हम बेइज्जत हो रहे हैं, इसमें नेता विरोधी दल के कहने पर बुरा मानने की क्या जरूरत है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 चौधरी जी, आप अपनी नोटिस पर बोलिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, विपक्ष आइना दिखाता है, मा0 नेता प्रतिपक्ष और मा0 प्रमोद तिवारी अगर इनको आइना दिखाते हैं, और शक्ल बुरी लगती है तो अपने नेता से कहिए कि क्यों अधिकारियों के सामने हम लोगों को बेइज्जत करा रही हैं। हम लोगों से विरोध जताने से कोई मतलब नहीं।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी नोटिस सूक्ष्म में ले लें।

एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की नियुक्ति संस्थान द्वारा नियमों के विपरीत किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, आप जितने समय में आप कहेंगे उतने समय में खत्म कर दूंगा। मा0 अध्यक्ष जी, इस प्रदेश में मान्यवर, चिकित्सा की सर्वोत्तम व्यवस्था के लिए पी0जी0आई0 की स्थापना इसी सदन में 1989 में पी0जी0आई0 एक्ट बना करके की गयी थी। वर्ष 1990 में यहां की गवर्निंग बॉडी ने सुपरिन्टेन्डेन्ट का पद सृजित किया और जिसके लिए तय हुआ कि प्रोफेसर रैंक का ऐसा व्यक्ति रखा जायेगा, जो सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर होगा। उसके बाद यह व्यवस्था वर्ष दर वर्ष चली आ रही थी अभी क्या हुआ मान्यवर, कि जुलाई, 2011 में एक रेगुलेशन बना है। नियमावली के आगे एक विनियमावली बना दी गई। नियमावली में यह प्रक्रिया दी गयी थी कि एक सेलेक्शन कमेटी बनेगी और बाकायदा वह सेलेक्शन कमेटी उसका चयन करेगी और उस पद पर कोई नॉमिनेशन नहीं होगा। यह विनियमावली 29 जुलाई, 2011 को, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान नियमावली-2011 जारी हुई, उसके नियम-10 में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक का पद सृजित कर दिया गया। हमको तो मान्यवर, इस सम्बन्ध में सिर्फ एक बात कहनी है, मान्यवर, इसमें दो बातें कहीं गई हैं, इस विनियमावली में भी नियम है कि यहां जो भी पद सृजित किये जायेंगे वह आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईन्सेज, एम्स के समकक्ष रखे जायेंगे। एम्स में मान्यवर, चीफ मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट का कोई पद नहीं है नम्बर-1, नम्बर-2 मान्यवर, मेडिकल काउन्सिल ने इस सम्बन्ध में दो निर्देश दिये पहला निर्देश यह दिया कि चिकित्सा अधीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम 10 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव चाहिए और दूसरी बात मान्यवर, उसमें प्रतिबन्ध लगाया गया कि जो भी इसका सुपरिन्टेन्डेन्ट बनाया जायेगा वह किसी भी विभाग का विभागाध्यक्ष नहीं होगा।

अब श्रीमन् इन्होंने 04 अगस्त को एक नियुक्ति जारी कर दी और 04 अगस्त को जो नियुक्ति जारी की है जिस किसी भी व्यक्ति के बारे में, मैं नाम क्यों लूं, तो उनका 10 वर्षों का

प्रशासनिक अनुभव नहीं है और मान्यवर, एम0सी0आई0 की जो शर्त है उनके हिसाब से इसमें लिखा गया है, यह मैं आपके पास भिजवा देता हूं, मान्यवर इसमें लिखा गया है कि यह अपने पद पर सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद रहते हुए भी विभागाध्यक्ष बने रहेंगे। यह मान्यवर एम0सी0आई0 के निर्देशों का भी खुला उल्लंघन है। मान्यवर, इन परिस्थितियों में जब इस सदन से एस0जी0पी0जी0आई के गठन के लिए यह ऐक्ट पारित हुआ, इसकी नियमावली बनी, विनियमावली इसकी जारी हुई तो इन सारे प्राविधानों के परे जा करके और श्रीमन् आखिरी बात कहना चाहता हूं इसके बारे में कि जो नियुक्ति की प्रक्रिया दी गई थी, उसको भी नही करते हुए सीधे नामिनेट करके यह किया गया है, यह सीधे-सीधे जो ऐक्ट है उसके प्राविजेन्स का और उन सारी चीजों की अवज्ञा तो है ही प्रदेश की जो चिकित्सा व्यवस्था के लिए सर्वोच्च स्तर पर एक विशेष यूनिट बनाई गई जिसमें बिहार से लोग आते हैं, पूरे प्रदेश से लोग आते हैं, उसके स्वरूप के साथ बिल्कुल खिलवाड़ किया जा रहा है, इसलिए औचित्य के प्रश्न के रूप में इसको उपस्थित करते हुए आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देशित करें कि ऐक्ट और इन सारे प्राविधानों के विपरीत नहीं जायं, मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया के निर्देशों का यदि उल्लंघन होगा तो इससे और भी गम्भीर कठिनाइयां सरकार के सम्मुख पैदा होंगी, इसलिए इस पर मान्यवर मैं आपकी व्यवस्था मांगते हुए, यह निर्देश सरकार के लिए दिये जाने का आग्रह करता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय चौधरी साहब को सुना यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है, मैं इसे अग्राह्य करता हूं और जिस अनियमितता के सन्दर्भ में उन्होंने मामला शासन के संज्ञान में लाया है, इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना डा0 आर0ए0 उस्मानी की है।

(डा0 आर0ए0 उस्मानी का नाम पुकारे जाने एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

अशोक कंसल साहब आपकी सूचना 08 अगस्त, 2011 को पहले ही अग्राह्य की जा चुकी है इस विषय पर, इसलिए इसको नहीं सुना जायेगा। आपका विषय सड़क के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है, इसे आप दूसरे नियमों में दे दीजिए।

शैलेन्द्र यादव जी, आपकी सूचना विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में है, इसको भी मैं अग्राह्य कर चुका हूं, लेकिन इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

उदयराज यादव जी सूचना को मैं इसलिए सुन रहा हूं क्योंकि यह माननीय विधायकों से जुड़ा हुआ मामला है।

श्री शैलेन्द्र यादव ''ललई''-

मान्यवर, मेरी सूचना को सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

ललई जी, इसमें आपको क्या कहना है, यह तो हो गया है, शैलेन्द्र यादव जी की सूचना अग्राह्य की जा चुकी है, लेकिन इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। उदयराज यादव जी का मसला माननीय विधायकों से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने इसे लिया है, शेष सूचनाएं सब अग्राह्य हो गई हैं।

जनपद मुजफ्फरनगर के कुकड़ा चौक से नवीन मण्डी मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अशोक कंसल-

मान्यवर, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

कंसल साहब यह सूचना 08 अगस्त को आपने दिया था, जो 08 अगस्त को ही अग्राह्य हो चुकी है, आपका विषय सड़क के चौड़ीकरण के सन्दर्भ में है, अगर आपको इसको देना है तो आप इसे दूसरे नियमों में यथा नियम-51, नियम-301 में दे दीजिए ताकि इसमें कुछ प्रभावी कार्यवाही हो सके। नियम-300 में तो केवल आप बोल लेंगे, इसलिए आप सोच समझ करके इसे दूसरे नियमों में दे दीजिए, हम इसको ले लेंगे। हम तो ज्यादा से ज्यादा नियम-301 की सूचनाएं ले रहे हैं ताकि हमारे माननीय सदस्यों की ज्यादा बातें आ जाएं। नियम-300 की ग्रेविटी को एकदम नहीं घटाया जायेगा, इसलिए सब सूचनाएं अग्राह्य की गई हैं। एक माननीय विधायकों से जुड़ा हुआ मसला उदयराज यादव जी का है, इसलिए मैं इसको सुन रहा हूं।

जनपद जौनपुर के तहसील शाहगंज के बुरहन, सुईथाकलां तथा गोड़बड़ी द्वारा विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

मान्यवर, मेरी सूचना के सन्दर्भ में माननीय मंत्री जी से कुछ तो आश्वासन दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय ऊर्जा मंत्री जी माननीय सदस्य शैलेन्द्र यादव जी ने जनपद-जौनपुर के तहसील शाहगंज के बुरहन, सुईथाकलां तथा गोड़बड़ी द्वारा विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में सूचना दी है, वैसे तो मैं इसे अग्राह्य कर चुका हूं, लेकिन आप माननीय सदस्य से इसे लेकर के इसमें तद्नुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय अशोक कंसल जी आप बैठ जायें।

लखनऊ स्थित विधायक निवास, दारुलशफा के ए, बी, व सी ब्लाकों के पास फैली गंदगी की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री उदय राज-

मान्यवर, पिछले साढ़े चार सालों से वर्तमान सरकार लगातार पूरे प्रदेश में विकास का ढिंढोरा पीटती चली जा रही है। मैं उसके ऊपर नहीं जाना चाहता हूं। मान्यवर, जहां पर हम सब लोग बैठे

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुए है इसके ठीक सामने दारुलशफा विधायक निवास का ए, बी, सी, ब्लॉक स्थित है वहां पर इस सदन के लगभग 100 से अधिक विधायक निवास करते हैं। वहां की हालत क्या है और विकास का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जैसे ही विधान सभा के सामने से विधान सभा पार करके गेट के अंदर घुसें तो वहां से लेकर दारुलशफा से आगे और लालबाग तक जो सड़क जुड़ती है वहां पर बारहों महीने पानी भरा रहता है। सड़क के किनारे कूड़े का ढेर लगा रहता है जिसके चलते कभी भी कोई महामारी फैल सकती है। मान्यवर, आपके समय में ही इन विधायक निवासों के सौन्दर्यीकरण कराने का काम शासन द्वारा किया गया था। उसमें किस तरह से लूटने का काम हुआ है वह देखने की बात है। मान्यवर, 15 लाख, 16 लाख रु0 की धनराशि निश्चित करके एक आवास के सौन्दर्यीकरण करने का काम किया गया है। लेकिन उसमें क्या हुआ है जो दरवाजे नये लगने थे उनमें पुराने दरवाजों को ही निकालकर और उनमें पेंट पोत कर फिर से लगाने का काम किया गया है। मान्यवर, दारुलशफा से चलकर लालबाग से पहले दुर्गामां होटल है वहां पर सड़ा हुआ खाना इस तरह से बदबू करता है कि वहां से निकलने पर मुंह पर पट्टी बांधकर निकलना पड़ता है। मान्यवर, इतना ही नहीं उन आवासों के आस-पास आवारा कुत्ते घुसे रहते हैं और गंदगी फैलाते हैं। आप माननीय मंत्री जी से कहें कि उसे दिखवा लें। मैं तो आपसे भी माननीय अध्यक्ष जी अनुरोध करुंगा कि हाउस से निकलकर किसी समय दारुलशफा जाकर वस्तुस्थिति का निरीक्षण कर लें और देख लें कि वास्तव में वहां पर क्या स्थिति है और उसको सही करने का काम सरकार कराये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत तो नहीं आती है इसको मैं अग्राह्य करता हूं। लेकिन जो ए, बी, सी ब्लाक में जितने विधायक आवास हैं, वहां पर गंदगी है, सफाई नहीं हो रही है, इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ इसको आप जरूर दिखवा लें।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

जी, मान्यवर।

जनपद मुजफ्फरनगर के कुकड़ा चौक से नवीन मण्डी मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न (क्रमागत)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, माननीय अशोक कंसल जी ने जो नोटिस दी है उसको आप देखने का कष्ट करें। मान्यवर, मैं भी यहां पर कृषि मंत्री रहा हूं। लोक निर्माण विभाग ने इनके प्रकरण में जवाब दे दिया कि उनके विभाग के अन्तर्गत यह सड़क नहीं आती है, कृषि विभाग ने कह दिया कि यह मण्डी में नहीं आती है। मान्यवर, मेरी स्वयं की व्यक्तिगत जानकारी है मण्डी परिषद् द्वारा उस सड़क का निर्माण कराया गया था न जाने किस सूचना के आधार पर कृषि मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है। मैं उस वजह में नहीं जाना चाहता हूँ। मान्यवर, माननीय विधायक जी ने जो सूचना दी है यह मार्ग का कार्य मण्डी समिति में आता है। वह मार्ग बहुत जर्जर स्थिति में है। मान्यवर, भले ही यह सूचना किसी नियम विशेष के अन्तर्गत सही न हो लेकिन वहां समस्या है।

यह सार्वजनिक मामला है वहां की जनता से जुड़ा हुआ मामला है, उनकी विधान सभा से जुड़ा हुआ मामला है, आप निर्देशित करें। कृषि मंत्री को निदेशित करें, कि दुबारा इस पर आख्या मांगें। जिस अधिकारी ने गलत उत्तर दिया है उसकी जिम्मेदारी तय हो, उसके खिलाफ कार्यवाही हो। प्रमाण भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

अगर प्रश्नों के संदर्भ में गलत उत्तर दे रहे हैं तथ्य के विपरीत है उसकी तो नियमों में व्यवस्था है तो उसको लिखकर दें, हम उसको मांगेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो उत्तर आया है उसमें एक विभाग कह रहा है मेरे यहां नहीं आता है, दूसरा कह रहा है मेरे यहां नहीं आता यह कोई बात हुई। यह तो सामूहिक उत्तरदायित्व है इस प्रकार का उत्तर आयेगा।

श्री अध्यक्ष-

उसी को मैं कह रहा हूं कि दे दें उसको।

एम0डी0 केस्को से दिनांक 15 जून, 2011 को बुनकरों की समस्याओं के सम्बन्ध में मिलने पर उनके द्वारा अपमानित एवं मुकदमा किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री इरफान सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, 15-6-2011 को बुनकर समाज की समस्या को लेकर मैं केस्को एम0डी0 रीतू महेश्वरी के यहां गया जहां मेरे परिचय देने के बाद भी उन्होंने मुझसे मिलने से इंकार कर दिया और जब मैं वहां गया तो उन्होंने कहा कि मैंने बहुत से विधायक देखे हैं ऐसे। वहां पर उन्होंने कुछ बुनकरों के ऊपर शमन शुल्क 12 हजार से 34 हजार तक लगाने का काम करा। मैं अपने साथियों के साथ वहां गया और उनसे अनुरोध करा कि इसको देख लें और एक समान जो शमन शुल्क होना चाहिए उसको लगाने का काम करें। न तो उन्होंने हमारी बात सुनी और न ही उस समस्या का कोई हल निकाला। इसके बावजूद उन्होंने हमारे ऊपर और हमारे साथियों के ऊपर मुकदमा भी लिखाया इसके बावजूद वहां पर मौके पर मौजूद एडीएम व डीएम पहुंचे और उन्होंने बीच में कहा यह महिला है यह सम्भवतः आपको नहीं जान रही होगी। इस मामले को यहीं खत्म कर दो और आपकी जो समस्या है उसका हल होगा। पेपर भी हम लाये हैं साथ में और आपको मैंने 18 तारीख को ही फैक्स करके आपकी जानकारी में लाये उसके बावजूद राज्यपाल जी को भेजा और आपके पास भी कापी भेजी इसकी तारीख 18-6-2011 है। न तो इसके ऊपर कोई कार्यवाही हुई और न ही मेरे ऊपर जो झूठा मुकदमा लिखाया गया उसे वापस लिया गया। इसके बावजूद जैसा कि हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माननीय प्रमोद तिवारी जी और हमारे नेता प्रतिपक्ष जी आदरणीय मंत्री जी के लिए कह रहे हैं कि वह कैबिनेट सचिव के यहां जाते हैं और उनके पैर छूते हैं वह बिलकुल उनके पैर छुएं या न छुएं यह उनका व्यक्तिगत मामला है। लेकिन उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि कानपुर में एक गुण्डे बदमाश को पकड़ लिया गया है विधायक को कैबिनेट सेक्रेट्री साहब ने तो मान्यवर, आज तक मेरे ऊपर 151 का मुकदमा नहीं लिखा है, कम से कम आप उनको बुलाकर पूछें कि उन्होंने मुझे गुण्डा विधायक कहा है तो कौन से ऐसे उनके पास अपराध मेरे हैं जो मुझे भी नहीं मालूम और उन्होंने

दिखा दिया और मुझे गुण्डा कह दिया गया। माननीय अध्यक्ष जी, आपका ही सहारा है मुझको, आपके सिवाय और कोई नहीं है मेरा। यह जो सरकार चाह रही है कम से कम प्रमुख सचिव, कैबिनेट सचिव साहब ऐसे बयान देंगे ? मेरे ऊपर आज तक मान्यवर, 151 का मुकदमा नहीं है और अगर आप बता दें तो मैं अभी इस्तीफा देकर यहां से बाहर जाने के लिए तैयार हूं। मान्यवर, कम से कम आप हमारा संरक्षण नहीं करेंगे तो हमें जीना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जायेगा।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, हर विषय को उठाने का एक नियम है और उसे नियमों में उठाने का अगर माननीय सदस्य कृपा करें तो उसका उत्तर दिया जा सकता है। मान्यवर, नियम-300 की जो परिधि है उस परिधि की सीमा में ही नियम-300 को देखा जा सकता है। मान्यवर, औचित्य के प्रश्न में स्पष्ट लिखा है कि विशेषाधिकार का प्रश्न औचित्य के रूप में नहीं उठाया जा सकता है। इसके लिए अलग से व्यवस्था है। उसके लिए अलग से नियमों में देंगे उसका आप परीक्षण करेंगे परीक्षण करने के उपरान्त आप जो भी निर्णय लेंगे आप मान्यवर, सर्वोपरि हैं, लेकिन मान्यवर, नियम-300 में ऐसे प्रश्नों का जवाब देने की अपेक्षा की जायेगी तो कैसे चलेगा।

श्री अध्यक्ष-

मैंने पहले ही कहा था कि नहीं सुना जायेगा। लेकिन माननीय सदस्य कभी-कभी कहते हैं कि उनका व्यक्तिगत है। हमारे साथ इस तरह हुआ है।

नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, यह इनका निजी मामला था।

*श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 5 वर्षों में उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका। विशेषाधिकार समिति को बिल्कुल लंगडी बनाकर ही नहीं अपितु निष्क्रिय बनाकर इसको कागज पर रखकर इन्होंने बिल्कुल चौपट कर दिया और अब यह विशेषाधिकार की बात कर रहे हैं। श्रीमन् विशेषाधिकार समिति होती तो किसी विधायक को अपनी बात कहने के लिये यहां नहीं आना पड़ता। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अगर विचार करके यह बात कहते तो बहुत अच्छी लगती। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आपकी अनुमति के बाद यदि कोई सदस्य अपनी बात कहता है तो भले ही न आवे औचित्य में, न आये नियम में लेकिन अच्छा यह लगता कि संसदीय कार्य मंत्री जी यह कहते कि नहीं किसी भी सदस्य की गरिमा को धूमिल नहीं होने दिया जायेगा और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम उसे दिखवायेंगे। तब हम उनका धन्यवाद करते । अगर कोई विषय नियम-300 में आयेगा तभी यह सदस्य के सम्मान की रक्षा करेंगे। अगर नियम-300 में नहीं आयेगा तो जैसा कि माननीय प्रमोद तिवारी और माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह लोग जाकर कैबिनेट सेक्रेट्री का पैर छूते हैं तो ठीक है लेकिन यह कहां कैबिनेट सेक्रेट्री का पैर छूने जायेंगे। उन्होंने यही कहा है कि मैं उनका पैर नहीं छू सकता। इसलिये मुझको झूठा बदमाश कहा है। आप मुझे संरक्षण दीजिये। अब आप संरक्षण मत दीजिये इसलिये विरोध होगा। मैंने तो आपका संरक्षण मांगा है। आप निर्देशित करें सरकार को और अगर सरकार में बची हो

थोड़ी शर्म तो शर्म महसूस करे, विधायक के सम्मान की रक्षा के सवाल पर खाली नियमों की तकनीकी व्याख्या हो रही है। इस पर आपको क्यों नहीं शर्म आ रही है कि आप विशेषाधिकार समिति को नान फंक्शनल रखे हुये हैं। शर्म का विषय तो यह है कि विशेषाधिकार समिति है ही नहीं।

(श्री जर्नादन प्रसाद ओझा जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

ओझा साहब यह सूचना तो अग्राह्य हो चुकी है। आप बैठिये।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, आपका निर्णय शिरोधार्य है। लेकिन जो एक माननीय सदस्य ने अपने सम्मान के बारे में कहा है, उस पर न आपने कोई निर्णय दिया, न तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने कुछ कहा। आखिर कोई सदस्य अपनी पीड़ा को, अपने सम्मान के विषय को, अपने अपमान के विषय को इस सदन में उठाये और वह अनसुनी कर दी जाये, इससे ज्यादा असम्मानजनक इस सदन के लिये और क्या हो सकता है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं-नहीं यह सदन के लिये सम्मानजनक है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है। इसलिये बनता है कि बड़े से बड़े अधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि वह किसी सदस्य को अपमानजनक शब्द का प्रयोग कर सके। एक सदस्य स्वयं कह रहा है कि हमें अपमानजनक शब्द कहे गये हैं तो उन शब्दों का क्या होगा।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

उपाध्यक्ष नहीं होते तो अध्यक्ष देखते हैं। नहीं-नहीं यह तरीका नहीं है। यह गलत बात है। आप लोग बैठ जाइये, यह विशेषाधिकार में नही आता है। चलिये आप बैठिये।

(वित्त मंत्री जी का नाम पुकारे जाने पर समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के वेल में आकर बैठ गये)

(व्यवधान)

कार्मिक अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-13/6/2001-का-1-2011, दिनांक 11 जनवरी, 2011†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कार्मिक अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-13/6/2001-का-1-2011, दिनांक 11 जनवरी, 2011 को संविधान के अनुच्छेद-320(5) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† छापी नहीं गई।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-2682/71-2-11-सी0एम0यू0-6/2003, दिनांक 29 जुलाई, 2011 †

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-2682/71-2-11-सी0एम0यू0-6/2003, दिनांक 29 जुलाई, 2011 को उ0प्र0 साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अधीन सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-2683/71-2-11-1028/83, दिनांक 29 जुलाई, 2011†

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-2683/71-2-11-1028/83, दिनांक 29 जुलाई, 2011 को उ0प्र0 साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अधीन सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-2/2006 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) ††

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-2/2006 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-12/2006 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) ††

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-12/2006 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री इरफान सोलंकी के खिलाफ लगाये गये चार्जेज का ब्योरा दिये जाने की मांग

श्री मोहम्मद आजम खां-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है और हम यह बात इसलिए कहना चाहते हैं क्योंकि सदन बहुत कम दिनों के लिए है और आगे भी बहुत वक्त नहीं रह गया है चुनाव के लिए। मा0 सदस्यों के सम्मान के लिए कल भी एक महिला सदस्य ने बड़े भावुक होकर अपनी बात को रखा था। आज भी एक नौजवान सदस्य की बात आयी है जिसने यहां तक कहा कि मेरे पूरे राजनैतिक

---

† छापी नहीं गई।

†† छापी नहीं गई।

जीवनकाल में और उसके अलावा अगर 107/16 का भी मुकदमा लिखा गया हो, हालांकि मैं इस बात को बहुत अच्छा नहीं मानता क्योंकि हम लोग राजनीति में हैं हमें लोगों की समस्याओं के लिए सड़कों पर आना होता है अपनी बात कहने के लिए विवाद भी होगा, मुकदमें भी कायम होंगे लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा सदस्य है जिसके खिलाफ 107/16 का मुकदमा भी पूरे जीवन में कायम न हुआ हो और वह अपनी बात को रखे तो उसका मतलब है। मान्यवर, सरकार में हम भी रहे हैं और हमें यह मालूम है कि अगर किसी मालूमात को, किसी जानकारी को सरकार हासिल करना चाहे तो एक-दो घण्टे के अन्दर सूचना जिला प्रशासन से आ जाती है। कल के मामले में भी अगर सरकार जानकारी लेकर सदन में यह बता देती कि महिला का आचरण क्या है, उनको सुरक्षा की जरूरत है या नहीं है, उनके पति की हत्या किन हालात में हुई, उनके बेटे को और उन्हें सुरक्षा चाहिए या नहीं चाहिए। यह मामला कल भी सदन में आया था आज फिर आया है, कल से आज तक का बड़ा वाजिब वक्त था, इस वक्त में सरकार अपने पक्ष को अच्छी तरह से रखती और बताती कि नहीं साहब यह बहुत ही बड़े क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, इन्होंने बहुत बद्तमीजी की है और इनके साथ जो कुछ हुआ है वह सही हुआ है। लेकिन कुछ परम्पराएं भी हैं, कुछ शराफतें भी हैं जो सरकारों के अन्दर होनी चाहिए, आप उस शराफत को निभाते, उस परम्परा को निभाते। अच्छा नहीं लग रहा मान्यवर कि एक सदस्य के सम्मान के लिए साथी सदन के वेल में बैठे हों और एक बड़ा दल बैठा हुआ है, अच्छा नहीं लग रहा है, आपको भी अच्छा नहीं लग रहा होगा लेकिन जाहिर है कि इस पर सिवाय अफसोस के कुछ नहीं किया जा सकता। मैं चाहूंगा कि सभी सदस्य अपनी सीटों पर आयें लेकिन आपकी तरफ से आश्वासन मिलना चाहिए मान्यवर, और आप सरकार को कल तक का वक्त दे दें कि मा0 सदस्य के खिलाफ जितने चार्जेज हैं, जितनी बुराइयां हैं, उन सबका ब्यौरा सदन के सामने रखें ताकि सदन को यह मालूम हो कि एक ऐसा सदस्य जिस पर 107/16 का मुकदमा कायम नहीं हुआ है आखिर उसके अन्दर क्या कमी है और सरकार क्यों उसके सामने इतनी कमजोर है, इतनी लाचार है, इतनी मजबूर है कि वह जवाब तक नहीं दे पा रही है, आपसे संरक्षण चाहते हैं मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

मा0 चौधरी साहब बैठ लीजिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आप सरकार को यह निर्देश दे दें कि आज नहीं कल तक जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 आजम साहब, मैंने बराबर कोशिश की है कि जब किसी मा0 सदस्य का चाहे वह सत्तापक्ष का हो या विपक्ष का हो, अगर कहीं उसके सम्मान और सुरक्षा का विषय आया है तो मैंने नियमों को भी नहीं देखा है अगर मा0 सदस्य खड़े हो गये हैं चाहे वह इधर के हों या उधर के तो मैंने उनकी बात को सुना है और ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा है कि इसको दिखवा लें क्योंकि यह विधायक के सम्मान और सुरक्षा का विषय है।

आज इरफान सोलंकी जी ने नियम-300 के अन्तर्गत सूचना दी थी। मैंने यह कहा था, अम्बिका चौधरी जी ने भी कहा कि जब मा0 उपाध्यक्ष नहीं हैं तो विशेषाधिकार कौन देखेगा। मैंने उस समय भी कहा था कि मा0 सोलंकी साहब का विषय आ रहा था वह बोल रहे तो मैंने कहा कि विधिवत आप कह लीजिए। अगर किसी मा0 विधायक को अकारण अपमानित किया गया है, उसके

सम्मान को ठेस पहुंची है या असुरक्षित है तो मैं बराबर सदस्यों के सम्मान के लिए सत्ता पक्ष की तरफ इंगित भी करता रहता हूं कि आप इनके सुरक्षा, सम्मान को जरूर दिखवा लें। आज भी मैं कह रहा हूं कि अगर किसी भी मा0 सदस्य के, चाहे इधर के हों या उधर के हों उनका सुरक्षा व सम्मान की बात सदन में आती है तो हम सभी की उन सदस्यों की सुरक्षा व सम्मान की जिम्मेदारी बनती है। मैं व्यक्तिगत तौर पर नियमों से हट करके भी इसको सुनने को तैयार हूं। विधायकों के सम्मान और सुरक्षा के लिए मैं शासन की तरफ से बराबर अनुरोध कर रहा हूं और आज भी कह रहा हूं कि आप इसे जरूर दिखवा लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपके आचरण और आपके अहसास का बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले यह देखा कि मा0 नेता विरोधी दल ने विधायकों से संबंधित एक समस्या रखी और उस पर संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह यह दिया है कि इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाये। जो सरकार इस हद तक हिटलरशाही पर उतरी हो, नेता विरोधी दल के, विधायकों के संबंध में कहे हुए शब्दों को कार्यवाही से निकाल देने का निर्देश आपको दे, उस सरकार की संवेदनशीलता पर प्रश्न तो उठता है। सिर्फ इतना ही अगर तस्कीने दिल के लिए, सबकी तसल्ली के लिए संसदीय कार्य मंत्री जी जवाब दे देते कि हम इसे देख लेंगे, आपके साथ न्याय होगा, अगर अधिकारी ने ऐसा कहा है तो उसे दण्डित किया जायेगा, तो हो सकता था कि तसल्ली हो जाती। जो सरकार विपक्ष के साथ इतनी हिटलरशाही पर उतरी हुई हो, मान्यवर, हिटलरशाही के अंजाम तो आपने भी देखे होंगे। मान्यवर, आप से आशा है कि आप सरकार को निर्देशित करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आप सदन को व्यवस्थित करा लें, मैंने बराबर आपकी बात सुना हूं। आज भी मैं फिर कह रहा हूं कि सरकार को बराबर इंगित किया हूं कि किसी सदस्य का अपमान हो, असुरक्षित हो, ऐसे सभी सदस्यों के सम्मान और सुरक्षा के लिए मैं बराबर सरकार को इंगित किया हूं और नियमों से हट करके भी, इस सदन की गरिमा के लिए, सदस्यों की गरिमा के लिए। कल श्रीमती राजमती निषाद ने अपनी सुरक्षा का मामला उठाया था मैंने उनके बारे में भी सरकार को निर्देश दिया था और आज भी दे रहा हूं। मा0 नेता प्रतिपक्ष जी, आजम खां साहब आप वरिष्ठ सदस्य हैं आप सबसे अनुरोध कर रहा हूं कि सदन को व्यवस्थित कर लें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपकी तरफ से कुछ आश्वासन हो जाये, मा0 सदस्य वापस आ जायेंगे।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, आप अपने चैम्बर में उस अधिकारी को बुला लीजिए। अगर सरकार नहीं कर सकती है तो इसे आप कर सकते हैं। मैंने खुद टण्डन जी के मामले में ऐसा किया था और एस0एस0पी0 कानपुर को तलब करके दंडित किया गया था। विशेषाधिकार समिति नहीं है। विशेषाधिकार समिति बनाने का दायित्व हमारा नहीं है। विशेषाधिकार समिति नहीं है तो मा0 सदस्य कहाँ जायेंगे ? आप सीधे नोटिस दे करके उस अफसर को अपने चैम्बर में तलब करिये।

*नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, अभी इरफान सोलंकी विधायक जी ने अपनी बात को रखा। विधायक जी का अपमान तो हुआ ही है। अपमान के साथ-साथ उनको झूठे केसों में जेल भेज दिया गया, जेल भी जाना पड़ा। पुलिस के लोगों ने इन्हें गिरफ्तार करके जेल भी भेजा है। जेल में विधायकों के साथ क्या दुर्दशा हो रही है इसकी जानकारी समय-समय पर मैंने आपको दी है, आपकी जानकारी में है। वहां पर विधायकों की कितनी दुर्दशा कर रहे हैं यहाँ तक कि (घोर व्यवधान के मध्य) विधायक सदन में भी नहीं आ रहे हैं। यहाँ तक कि हम भी भुक्तभोगी हैं। नेता विरोधी दल भुक्त भोगी हैं। विशेषाधिकार की नोटिस मैंने एक नहीं दो बार दी है। उस पर क्या कार्यवाही हुई जब विशेषाधिकार समिति ही नहीं है तो क्या कार्यवाही होगी। यहाँ तक अधिकारी मेरे बुलाने पर कोई जवाब देने नहीं आते हैं। तो यह सारी की सारी मर्यादाएं टूट रही हैं, परम्पराएं टूट रही हैं। जैसा कि हमारे सदस्यों ने कहा कि आप चेम्बर में बुलाकर देख लें जितने भी विधायकों की समस्याएं हैं उसे बुलाकर देख लीजिए। यह भी परीक्षण हो जाएगा कि आपके बुलाने पर अधिकारी आते हैं कि नहीं।

श्री अध्यक्ष-

यह अलग विषय है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

अगर आपका आश्वासन मिल जाय तो विधायक अपने-अपने आसन पर आ जाएंगे।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, आपने आग्रह किया है कि सदस्यगण अपने-अपने आसन पर जायं तो पहले सदन तो व्यवस्थित हो। आपने स्वयं इस बात को कहा है कि मेरे सामने नोटिस आएगी तो विशेषाधिकार समिति उसे देख लेगी।

*श्री अम्बिका चौधरी-

विशेषाधिकार समिति का मुझे सदस्य बनाया गया लेकिन पिछले तीन साल से कोई बैठक नहीं हुई है।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, कई बार नोटिस आने पर आपने अधिकारियों को बुलाया भी और उनका जवाब तलब भी किया है और उस पर कार्यवाही की गई है।

श्री अध्यक्ष-

जो विशेषाधिकार की सूचनाएं हमें मिली थीं उनमें कुछ पर कल सदन में निर्णय भी मैंने सुनाया था। सलिल विश्नाई जी के मामले में विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने पर आवश्यक कार्यवाही होगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण पाने का हमारा अधिकार है वह अधिकार भी समाप्त हो रहा है। पांच साल में सरकार ने उपाध्यक्ष का चुनाव तक कराया नहीं।

श्री लालजी वर्मा-

विशेषाधिकार के मामलों में सदन को भी निर्णय लेने का अधिकार है। सदन सर्वोच्च संस्था है। विशेषाधिकार का जब कोई मामला आपके संज्ञान में लाया जाता है तो आप पहले उसका परीक्षण करते हैं और उसके उपरान्त आप निर्णय लेते है। निर्णय लेने का अधिकार आपको है।

श्री अम्बिका चौधरी-

विधान सभा में पांच साल होने जा रहे हैं उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं कराया गया है ऐसे में हमें सीख दी जाय तो ऐसी सीख मैं उन्हें वापस लौटा रहा हूं। यह सीख लेने की जरूरत नहीं है। हम नियम जानते हैं कि सदन सर्वोच्च है और माननीय अध्यक्ष जी सर्वोच्च आसन पर हैं। हम सिर्फ एक नियम जानते हैं कि हमारे संरक्षक अध्यक्ष वहाँ बैठे हैं और उनका हमें संरक्षण मिलेगा।

श्री अध्यक्ष-

यही बातें आप अपने आसन से कहें।

श्री अम्बिका चौधरी-

आप कैबिनेट सेक्रेट्री के अन्डर में नहीं है यह होंगे।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब यह बात अपनी जगह से बोलिये। चलिये यह बात तो मैं जानता हूं। आप लोगों के अधीनस्थ तो मैं हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं चुप हो जाता हूं। हमारी बात कहने के लिये हमारे नेता वहां पर मौजूद हैं। वह वहां से बोल लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

नहीं तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं जब वो मौजूद हैं। मैंने अनुरोध कर लिया माननीय आजम खॉ साहब से, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से। आप कह रहे हैं कि हमारे नेता बोलेंगे और उनको बोलने नहीं देते हैं बोलने का समय आप लें लेते हैं और वो निराश हो जाते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं है। सरकार के लिये भी प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं होना चाहिए और न विपक्ष के लिये प्रतिष्ठा का प्रश्न होना चाहिए। मात्र आपसे इतनी विनती है, निवेदन है, दरख्वास्त है आपसे कि इतना तो आश्वासन आपकी तरफ से मिले आप सरकार को इतना तो इंगित करें कि कल तक सरकार स्थिति से अवगत कराये। क्या आपके अधिकार में इतना भी नहीं है ? क्या आपको सरकार को निर्देशित करने का अधिकार नहीं है ? क्या इतने लाचार हो गये हैं आप।

श्री अध्यक्ष-

नहीं लाचार वाचार नहीं हैं। जो अधिकार आपने दिया है, जो परम्पराएं हैं उसका अनुपालन हो रहा है। शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है। मैंने स्वयं देखा है इस पीठ से पीठासीन अधिकारियों ने शासन का ध्यान आकृष्ट किया है। मैंने भी इस पीठ से शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा है कि इस विषय को आप दिखवा लीजिये। अब इससे ज्यादा क्या। मैं स्वयं इस सदन में रहा हूं और मैंने स्वयं देखा है कि पीठासीन अधिकारियों ने इस तरह से शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए निर्देश दिये हैं और मैंने भी शासन का ध्यान आकृष्ट करके इसको दिखवा कर कार्यवाही करने के लिये कहा है। आज भी मैंने कहा है कि अगर माननीय विधायक जी को अपमानित किया गया है, या उनकी सुरक्षा का कोई विषय है तो शासन इसको दिखवा लेगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपके निर्देश का पालन होगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मेरे इतना अनुरोध करने के बाद भी आप लोग सुन नहीं रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट कर दियाा है कि इसको दिखवा लें फिर भी आप लोग सुन नहीं रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपका क्या कभी ऐसा हुआ है कि विपक्ष की तरफ से आपके सम्मान में कोई कमी हुई है ? अभी भी आपका सम्मान सर्वोपरि रहेगा। आपकी तरफ से यह निर्देशित किया गया था जैसा मैंने सुना कि इरफान सोलंकी के साथ अधिकारियों ने जो ज्यादती की, जो नाजायज मुकदमे लिखे गये और यहां तक कि इनको धमकियां तक दी गई, इस पर सरकार कल तक कोई उत्तर देती।

श्री अध्यक्ष-

सरकार को तो मैंने कह दिया कि इसका दिखवा लें। अब कल तक उत्तर दे इसके लिये तो हम सरकार को बाध्य नहीं कर सकते।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अगले साल इसी दिन।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अगले साल इसी दिन आ जाइयेगा। हो गया मैंने सरकार को निर्देश दे दिया। आपकी बात को मैं मान रहा हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, ऐसा नहीं कहा है। आप ऐसा कीजिये।

श्री अध्यक्ष-

मैंने निर्देश दे दिया है और सरकार ने कह भी दिया है कि ठीक है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि परम्परा यह रही है कि सदन उठने से पहले, 12 तारीख को सदन समाप्त होगा उससे पहले इस सम्बन्ध में जो भी फैसला हो सरकार दे दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। सरकार दे देगी 12 तारीख को। माननीय ओम प्रकाश जी ने भी कह दिया है। अब उठिये। इतना कहने के बाद भी नहीं उठेंगें ? इतना मैं गरिमा रख रहा हूं मैं अनुरोध कर रहा हूं और आप लोग हंसी का पात्र बना रहे हैं सदन को। बार-बार हंसखरी कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, ओम प्रकाश जी की बात मान चुके हैं और आप लोग सुन नहीं रहे हैं। इतना मजबूर और लाचार बनाना चाहते हैं। माननीय आजम खां से अनुरोध कर रहा हूं, पाण्डेय जी से अनुरोध कर रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध कर रहा हूं। (घोर व्यवधान) उसके बाद आप हंसकरी कर रहे हैं वैल में बैठकर। इमें इतना मजबूर और लाचार बनाना चाहते हैं। दस बार मैंने अनुरोध किया, माननीय आजम खां से अनुरोध कर रहा हूं, माननीय पाण्डेय जी से, माननीय ओमप्रकाश जी की बात अन्त में मान भी लिया कि 12 तारीख को सरकार अवगत करा दे। उसक बाद भी आप हंसकरी कर रहे हैं वहां बैठकर, मालूम हो रहा है आप किसी ऐसे स्थान पर बैठे है, आप सदन में बैठे हैं मैं बार-बार अनुरोध कर रहा हूं कि सदन को व्यवस्थित कर लें, लेकिन नहीं मान रहे हैं तो न माने। इतना अनुरोध मैंने किया, माननीय नेता प्रतिपक्ष से, माननीय आजम खॉ जी से, माननीय पाण्डेय जी से, अब मैं नहीं सुनुंगा, दस-दस बार अनुरोध कर रहा हूं सरकार का भी ध्यान आकृष्ट करा दिया, सरकार ने भी कह दिया कि 12 तारीख तक सन में अवगत करा दूंगा। अब इससे ज्यादा नहीं। हद हो गया अनुरोध करते-करते। मालूम हो रहा है दबाव डालकर करा लेंगे।

(मद संख्या-9 पुकारा गया।)

उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-09/2010 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) †

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-09/2010 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के वित्तीय वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 का आर्थिक चिट्ठा एवं आय-व्ययक खाता †

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के वित्तीय वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 का आर्थिक चिट्ठा एवं आय-व्ययक खाता को उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† छापे नहीं गये।

अधिनियम, 1965 की धारा-63(5) की उपधारा (क) के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं। (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 1 बजकर 41 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी।)

(1 बजकर 56 मिनट पर सहायक मार्शल, विधान सभा ने सदन को सूचित किया कि माननीय अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 15 मिनट तक बढ़ा दिया है।)

(2 बजकर 15 मिनट पर सहायक मार्शल ने पुनः सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 2 बजकर 30 मिनट तक और बढ़ा दिया है।)

(2 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुयी।)

सदन के स्थगन एवं व्यवहार पर श्री अध्यक्ष द्वारा खेद प्रकाश

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा वेल में बैठ जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

अभी सदन अव्यवस्थित था, मैंने मा0 नेता प्रतिपक्ष जी से, मा0 आजम खां साहब से, मा0 ओम प्रकाश सिंह जी से अनुरोध भी किया, इस बीच में मा0 नेता प्रतिपक्ष, मा0 इरफान सोलंकी जी के सन्दर्भ में कुछ कहते रहे। मा0 ओम प्रकाश सिंह जी, मा0 सोलंकी जी के सन्दर्भ में प्रस्ताव लाये कि सरकार सदन को अवगत करा दे और मैंने तिथि निर्धारित की, सरकार को निर्देशित किया कि आप मा0 सोलंकी जी के सम्बन्ध में 12 तारीख तक सदन को अवगत करा दें। इस बीच में कुछ और बातें आती हैं और किन्हीं परिस्थितियों में मैं सदन को स्थगित करके गया। यदि मेरे किसी व्यवहार और भाषा से किसी साथी को कष्ट हुआ हो तो मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, ये शब्द आप न कहें, आपके लिये सिर्फ एहसास कर लेना ही काफी है, हम आपसे क्षमा मांगने के लिये नहीं कहते।

श्री अध्यक्ष-

चलिये, अब मैं बराबर कोशिश करूंगा और सत्ता पक्ष या विपक्ष के मा0 सदस्य के सुरक्षा और सम्मान के बारे में बराबर मैं दुहाई दे रहा हूं कि यदि कोई विषय आयेगा तो मैं सुनूंगा और मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता रहूंगा कि आप दिखवा लिया करें। आज भी श्री सोलंकी के विषय में मा0 सदस्यों ने सूचनायें दी थीं और इस सन्दर्भ में हमारे कई दलों के नेताओं ने भी अनुरोध किया कि 12 तारीख तक सरकार या संसदीय कार्य मंत्री सदन को अवगत करा दें। इसी बीच में किन्हीं परिस्थितियों में सदन को स्थगित करना पड़ा। ऐसी परिस्थिति में, मैं पुनः मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी से कहता हूं कि आप 12 तारीख के बजाय 11 तारीख को ही सदन में अवगत करा दें। मैं मा0 नेता प्रतिपक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि मा0 नेता प्रतिपक्ष जी अपने सभी मा0 सदस्यों को उनके आसन पर बुला लें ताकि आगे सदन की कार्यवाही चले।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

ठीक है, मान्यवर, आपके निर्देशानुसार कल तक अवगत करा देंगे।

नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मा0 अध्यक्ष जी, आपका जो निर्देश हुआ, आपने बड़े दिल से सदन को अवगत करा दिया है तो मैं अपने सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपनी-अपनी कुर्सी पर आ जायें।

(तत्पश्चात् समाजवादी पार्टी के सभी सदस्य अपने आसनों पर आ गये)

उत्तर प्रदेश की पन्द्रहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2011 (दिनांक 04 फरवरी, 2011 से 21 फरवरी, 2011 तक) नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण[†]

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की पन्द्रहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2011 (दिनांक 04 फरवरी, 2011 से 21 फरवरी, 2011 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1058 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-12-2008 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)[†]

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री दद्दू प्रसाद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से लोक आयुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-12-2008 (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 की उपधारा (7) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-13 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2010-2011) का द्वितीय प्रतिवेदन

सुश्री मीता गौतम-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2010-2011), उक्त समिति का द्वितीय प्रतिवेदन, जो महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2009-2010) की प्रथम उप समिति के दिनांक 10 मई, 2010 से 17 मई, 2010 तक वाराणसी, आजमगढ़ मण्डल तथा जनपद बाराबंकी में बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार

[†] छापे नहीं गये।

विभाग तथा महिला कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलायी जा रही योजनाओं की समीक्षा एवं स्थल निरीक्षण पर आधारित है, प्रस्तुत करती हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2010-2011) का तृतीय प्रतिवेदन

सुश्री मीता गौतम-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी संयुक्त समिति (2010-2011), उक्त समिति का तृतीय प्रतिवेदन, जो बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग तथा महिला कल्याण विभाग द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के शैक्षिक एवं आर्थिक विकास हेतु चलायी जा रही योजनाओं की समीक्षा पर आधारित प्रथम प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के सम्बन्ध में कार्यान्वयन पर आधारित है, प्रस्तुत करती हूं।

उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2010-2011) का चतुर्थ प्रतिवेदन

श्री मो0 इरशाद खां-

मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2010-2011) का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2010-2011) का पंचम प्रतिवेदन

श्री मो0 इरशाद खां-

मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2010-2011) का पंचम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2010-2011) का षष्ठम् प्रतिवेदन

श्री मो0 इरशाद खां-

मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2010-2011) का षष्ठम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2010-2011) का सप्तम् प्रतिवेदन

श्री मो0 इरशाद खां-

मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2010-2011) का सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2010-2011) का अष्टम् प्रतिवेदन

श्री मो0 इरशाद खां-

मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पन्द्रहवीं विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (2010-2011) का अष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड फूलबेहड़ के ग्राम पंचायत नरहर गांव के सम्पर्क हेतु पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मनोहर लाल प्रधान आदि निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका††

डा0 आर0ए0 उस्मानी-

श्रीमन् मैं आपकी अनुमति से जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड फूलबेहड़ के ग्राम पंचायत नरहर गांव के सम्पर्क हेतु पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोहर लाल प्रधान तथा श्री फजर अली, निवासीगण जनपद लखीमपुर खीरी द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सहपऊ के ग्राम राजनगर को ग्राम माँगरू से जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री रामवीर सिंह आदि निवासीगण जनपद महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका ††

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद महामायानगर के विकास खण्ड सहपऊ के ग्राम राजनगर को ग्राम माँगरू से जोड़ने वाले मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामवीर सिंह तथा श्री योगेश कुमार, निवासीगण जनपद महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद के ग्राम पल्हावत भट्टा से ग्राम कुरावली तक लेपन स्तर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अली मोहम्मद आदि निवासीगण जनपद महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका††

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद महामायानगर की तहसील सादाबाद के ग्राम पल्हावत भट्टा से ग्राम कुरावली तक लेपन स्तर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अली मोहम्मद तथा श्री सत्यवीर सिंह निवासीगण जनपद महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद महामायानगर के विकास खण्ड-सहपऊ के ग्राम आरती से ग्राम नारायनपुर बाद तक मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री विनोद कुमार चौहान आदि निवासीगण जनपद महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका††

डा0 अनिल चौधरी-

मैं आपकी अनुमति से जनपद महामायानगर के विकास खण्ड-सहपऊ के ग्राम आरती से ग्राम नारायनपुर बाद तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद कुमार चौहान तथा श्री लाखन सिंह निवासीगण जनपद महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

†† छापी नहीं गयी।

जनपद महामायानगर की तहसील-सादाबाद में मड़नई मोड़ ग्राम कुंजलपुर भट्टा तक लेपन स्तर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक चौ0 जय नरायन सिंह आदि निवासीगण जनपद महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका††

डा0 अनिल चौधरी-

मैं आपकी अनुमति से जनपद महामायानगर की तहसील-सादाबाद में मड़नई मोड़ ग्राम कुंजलपुर भट्टा तक लेपन स्तर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में चौ0 जय नरायन सिंह तथा श्री सुरेश चन्द्र कटारा निवासीगण जनपद महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद महामायानगर की तहसील-सादाबाद के अम्बेडकर ग्राम नानऊ बिजलीघर से ग्राम नौपुरा तक लेपन स्तर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मुरारी लाल आदि निवासीगण जनपद महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 अनिल चौधरी-

मैं आपकी अनुमति से जनपद महामायानगर की तहसील-सादाबाद के अम्बेडकर ग्राम नानऊ बिजलीघर से ग्राम नौपुरा तक लेपन स्तर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुरारी लाल व अन्य निवासीगण जनपद महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद महामायानगर की तहसील-सादाबाद-मथुरा मार्ग पर स्थित जयदेव सिंह, सी0ओ0 के भट्टे से ग्राम नगला रद्दू प्राइमरी पाठशाला तक लेपन स्तर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री लीलाधर आदि निवासीगण जनपद महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 अनिल चौधरी-

मैं आपकी अनुमति से जनपद महामायानगर की तहसील-सादाबाद-मथुरा मार्ग पर स्थित जयदेव सिंह, सी0ओ0 के भट्टे से ग्राम नगला रद्दू प्राइमरी पाठशाला तक लेपन स्तर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लीलाधर तथा श्री भगवान सिंह निवासीगण जनपद महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद महामायानगर की तहसील-सादाबाद के ग्राम कुकरगवॉ से जलेसर रोड रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के विषयक श्री विनोद चौहान आदि निवासीगण जनपद महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 अनिल चौधरी-

मैं आपकी अनुमति से जनपद महामायानगर की तहसील-सादाबाद के ग्राम कुकरगवॉ से जलेसर रोड रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद चौहान तथा श्री रवेन्द्र राघव निवासीगण जनपद महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

† छापे नहीं गये।

जनपद महामायानगर की तहसील-सादाबाद के ग्राम नगला (भाग कुरसण्डा) में राजवाहा दघैंटा के पुल से प्राथमिक विद्यालय तक लेपन स्तर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री नत्थी लाल आदि निवासीगण जनपद महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 अनिल चौधरी-

मैं आपकी अनुमति से जनपद महामायानगर की तहसील-सादाबाद के ग्राम नगला (भाग कुरसण्डा) में राजवाहा दघैंटा के पुल से प्राथमिक विद्यालय तक लेपन स्तर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नत्थी लाल तथा श्री रामपाल निवासीगण जनपद महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद महामायानगर की तहसील-सादाबाद के ग्राम एदलपुर से ग्राम मड़नई मार्ग के शेष भाग का लेपन स्तर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री गोपाल सिंह आदि निवासीगण जनपद महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 अनिल चौधरी-

मैं आपकी अनुमति से जनपद महामायानगर की तहसील-सादाबाद के ग्राम एदलपुर से ग्राम मड़नई मार्ग के शेष भाग का लेपन स्तर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोपाल सिंह तथा श्री राम सहाय निवासीगण जनपद महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद महामायानगर की तहसील-सादाबाद के ग्राम खेड़ा कलरोठी से नगला पूठा तक लेपन स्तर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री धीरी सिंह आदि निवासीगण जनपद महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 अनिल चौधरी-

मैं आपकी अनुमति से जनपद महामायानगर की तहसील-सादाबाद के ग्राम खेड़ा कलरोठी से नगला पूठा तक लेपन स्तर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरी सिंह तथा हाजी नूर मुहम्मद निवासीगण जनपद महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद महामायानगर की तहसील-सादाबाद में सादाबाद-वहरदोई मार्ग पर नगला वैरू (वरी) से छत्तर गढ़ी तक लेपन स्तर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री किशन सिंह आदि निवासीगण जनपद महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

डा0 अनिल चौधरी-

मैं आपकी अनुमति से जनपद महामायानगर की तहसील-सादाबाद में सादाबाद-वहरदोई मार्ग पर नगला वैरू (वरी) से छत्तर गढ़ी तक लेपन स्तर तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री किशन सिंह तथा श्री अनिल कुमार निवासीगण जनपद महामायानगर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

माननीय अध्यक्ष जी, हमने याचिकायें दी थी, चूंकि माननीय उपाध्यक्ष का चुनाव नही हुआ और हमारी याचिकायें/अभ्यावेदन लम्बित है, तो आपसे अनुरोध है कि जब उपाध्यक्ष नहीं हैं तो आप उनको देख लें, वह सारे महत्वपूर्ण विषय हैं, उन पर कार्यवाही कराई जाय, हमारे अभ्यावेदन मेरे नाम यानी विशम्भर प्रसाद निषाद के नाम से याचिकायें/अभ्यावेदन लम्बित हैं, आपके संज्ञान में हैं, उन पर विचार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, हमारे यहां बहुत सारी याचिकाएं हैं, मैंने सुना था, इन लम्बित याचिकाओं को जल्दी निस्तारित करने के लिए मैंने लिया है।

भारतीय जनता पार्टी के छः विधायकों द्वारा पार्टी बदलने विषयक जन सन्देश टाइम्स में प्रकाशित भ्रामक समाचार के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न (क्रमागत)

*श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी के छः विधायकों ने आज विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर आपके सम्मुख लिखित रूप में प्रस्तुत की है और लखनऊ के एक अखबार जनसंदेश टाइम्स, जिसने यह समाचार प्रकाशित किया है कि लखनऊ कैन्ट से विधायक सुरेश तिवारी, लखनऊ पूर्व के विधायक विद्या सागर गुप्ता और लखनऊ मध्य के विधायक सुरेश श्रीवास्तव के सपा में जाने की तैयारी है। इनके अलावा पीलीभीत के बलखेड़ा विधान सभा सीट से विधायक सुखलाल के कांग्रेस, रामपुर के कांशीराम धोबी के सपा, प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा सीट से विधायक मोती सिंह, सपा में जाने की तैयारी में लगे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस अखबार के सम्पादक महोदय ने इसमें कही पर इस बात का उल्लेख नहीं किया है, इनका स्रोत क्या है, जानने का और इस प्रकार का समाचार छाप कर के भारतीय जनता पार्टी की छवि और हम लोगों की अपनी छवि को हमारे विधान सभा क्षेत्र के निवासियों के बीच में बिगाड़ने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, यह हम लोगों के विशेषाधिकार का सवाल है, अभी आज आपने सदन में कहा कि जब विधायकों के सम्मान की बात आयेगी तो हम इस पर कार्यवाही करेंगे। हमारी यह मांग कि हम सबकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने का इस अखबार के सम्पादक ने कार्य किया है, इस सम्पादक को इस सदन में बुला कर के उससे पूछें कि आपने किस आधार पर इस समाचार को छापा है और इसके अतिरिक्त जो भी दण्ड आप उचित समझें उस दण्ड को दें। ऐसी पत्रकारिता की हम लोग निन्दा करते हैं और यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है, किसी भी पार्टी के लिए उचित नहीं है, हम लोगों की निष्ठा का सवाल है, हम लोग धैर्यनिष्ठ लोग है, इस प्रकार का समाचार छापने वाले के विरुद्ध निश्चित रूप से कार्यवाही की जानी चाहिए मैं फिर मांग करता हूं कि इस सम्पादक को यहां पर बुलायें, तलब करें आप और उससे पूछें, जानकारी हासिल करें इस समाचार पर और उसको दण्डित करने का कार्य करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री विद्या सागर गुप्ता-

माननीय अध्यक्ष जी, 1951 से मैं जनसंघ के समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूं मैं इस बात की कल्पना भी नही कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ कर के किसी भी पार्टी में जाऊंगा। ऐसा लगताा है कि यह बहुजन समाज पार्टी के द्वारा ही इस प्रकार का घिनौना काम किया गया है जिसकी हम सब भर्त्सना करते है, निन्दा करते है। श्रीमन् जैसा कि सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी ने कहा है हम सब यही चाहते है कि उस सम्पादक को यहां पर सदन में बुलाकर उससे माफी मंगवाई जाय, इसके अतिरिक्त आप कोई भी सजा जो आप उचित समझें वह दिलवाई जाय, यह मैं कहना चाहना हूं।

*श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

मान्यवर, आज सब भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, तो विरोधी पार्टियां, मान्यवर आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि यह अखबार सत्ता पक्ष के द्वारा संचालित है और यह सत्ता पक्ष के द्वारा एक रचा हुआ सुनियोजित षड़यंत्र है।

मान्यवर, इस सदन के हम सब सदस्य हैं। ऐसा इस सदन के सदस्यों के साथ सत्तापक्ष के लोग यदि इस प्रकार का जनता में भ्रामक प्रचार करके ऐसा कुकृत्य किया जायेगा इसकी हम सदन में घोर निन्दा करते है।

*श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

मान्यवर, मा0 सुरेश श्रीवास्तव जी ने, मा0 सुरेश चन्द्र तिवारी जी ने और मा0 विद्या सागर गुप्ता जी ने जो अपने विचार जन संदेश समाचार-पत्र के विरुद्ध आपके समक्ष प्रस्तुत किये है मैं अपने को उससे सम्बद्ध करते हुए आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि ऐसे गैर जिम्मेदार समाचार-पत्र के सम्पादक और इस समाचार पत्र के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की जो सूचना मैंने आपके विचार हेतु प्रस्तुत की है, उस पर कृपापूर्वक आप संज्ञान लेंगे और ऐसे समाचार-पत्र की मान्यता को समाप्त करने का निर्देश देंगे और जो सम्पादक है उनके विरुद्ध उचित और सुसंगत धाराओं के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश देंगे। मैं इस सूचना पर बल देता हूं। आपसे बार-बार आग्रह करता हूं कि उन्हें इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करके कार्यवाही करने की कृपा करें।

*श्री सुख लाल-

मान्यवर, इस तरह से एक समाचार-पत्र द्वारा हमारे चरित्र हनन का प्रयास किया गया है इसके सम्बन्ध में हमारे मा0 सदस्यों ने जो बातें कही है उस पर बल देता हूं। उन्हें यहां पर बुलाया जाय और इस तरह से सदन के समक्ष प्रताड़ित किया जाय ताकि इस तरह की पीत पत्रकारिता पर रोक लग सके और आगे अन्य पत्रकारों को इस तरह का काम करने की छूट न मिल सके जिससे कि वे हम लोगों का चरित्र हनन कर सकें। इस सदन की मर्यादा को बचाये रखने के लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि उन्हें यहां पर बुलाया जाय और प्रताड़ित किया जाय और उस समाचार-पत्र की मान्यता को समाप्त किया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री काशी राम-

मान्यवर, हमारे ऊपर आरोप लगाया गया है कि यह विधायक इस पार्टी को छोड़कर फलां पार्टी में जा रहे है। हमारे पूरी आस्था भारतीय जनता पार्टी में है बी0जे0पी0 में रहेगी। पार्टी हमारी मां है। मान्यवर, जिस अखबार के जरिये यह बयान दिया गया है जिस पार्टी ने दिया है उस अखबार की मान्यता को रद्द किया जाय और उस संवाददाता को बुलाकर यहां उसके लिये जो उचित सजा हो वह दी जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं दो बातें आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। जहां तक अखबार की आजादी का प्रश्न है मान्यवर हम उसके पूरे समर्थक है। लोकतंत्र में अखबार का अपना महत्व है लेकिन माननीय विधायकों का भी मान सम्मान है और उस मान सम्मान के साथ अगर कोई समाचार-पत्र अपनी इस आजादी का फायदा उठाकर के हमें अपमानित करेगा हमारे खिलाफ निराधार समाचार छापेगा तो फिर क्या होगा। मान्यवर, यहां बैठा हर विधायक तीन से चार लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता है। आज मतदाताओं में उनके प्रति भ्रांति की बात फैली होगी। उन्होंने सोचा होगा कि हमारे विधायक कैसे हैं किसके टिकट से चुनकर गये है और कहा पर दल बदलना चाहते है मान्यवर मेरा आपसे आग्रह है कि इसको पूरी गंभीरता से लेते हुए जो भी समाचार-पत्र है इसका जो भी प्रतिनिधि है इसका पास जारी हुआ होगा उसका आज ही पास कैंसिल होना चाहिए ऐसे प्रतिनिधि को यहां पर आने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

दूसरा मान्यवर आज हमारे बारे में छापा है कल किसी और के बारे में छापेंगे। यह आजादी के नाम पर इनको पूरी छूट मिली हुई है। यह किसी के बारे में कुछ भी छाप देंगे और हम लोग मूकदर्शक बनकर सुनते रहेंगे। मान्यवर, आज हमारे दल का प्रश्न नहीं है सारे विधायकों के मान सम्मान का प्रश्न है और मेरी आपसे विनती है कि आप पूरी गंभीरता से लेकर के इसके सम्पादक को इस समाचार-पत्र के संवाददाता को सदन में बुलायें और आप उनसे पूछे कि किस आजादी का फायदा उठा रहे है किसी धारा का फायदा उठा रहे है। किसी के बारे में आप कोई समाचार छाप देंगे और हम लोग मूकदर्शक बनकर बैठे रहेंगे। इससे विधायक के रूप में हमारी गरिमा को आघात पहुंचा है। इस सदन के सदस्य के रूप में उन्होंने हमको अपमानित किया है हमारे चरित्र को अपमानित किया है और इसके संरक्षण आप है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस पर कड़ा रुख अपनायें उनको बुलायें उनके खिलाफ कार्यवाही करें। पास आज ही उनका निरस्त हो जाना चाहिए।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, सभी ने जो बातें कही है उससे सम्बद्ध करते हुए दो बात कहना चाहता हूं। मान्यवर यह दुर्भाग्य पूर्ण है कि आज वैचारिक विश्वसनीयता और निष्ठा का संकट खड़ा हो रहा है। अनेक समाचार-पत्र इस तरह के समाचार छापते रहे हैं। उन्हें स्वतंत्रता मिलती है। वह न तो विशेष दल का नाम छापते है और न विशेष विधायक का नाम छापते है। संकेत में अगर कहीं न कहीं संकेत हो तो उसका उल्लेख करते है।

लेकिन जिस तरह से स्पष्ट रूप से नाम छापा गया है विधायक का और कौन किस दल में जा रहा है उस दल का नाम जिस रूप से छापा गया है यह सिद्ध करता है कि यह एक नियोजित

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

षडयंत्र है विधायकों को और पार्टी को बदनाम करने का। पार्टियां कोई खरीद फरोख्त नहीं कर रही है इसलिए इस नियोजित षड़यंत्र पर रोक लगाना जरूरी है, यह स्वतंत्रता नहीं है यह स्वतंत्रता का दुरुपयोग है, उल्लंघन है इससे पत्रकारिता भी बदनाम हो रही है, इसलिए इसको केवल एक नोटिस के रूप में नहीं मैं चाहूंगा कि आप इसको गम्भीरता से लेते हुए अपना कोई अभिमत व्यक्त करें जिससे कि इन विधायकों की प्रतिष्ठा की भी रक्षा हो, पत्रकारिता की स्वतंत्रता की भी रक्षा हो और इस तरह से षड़यंत्रकारी पत्रकारिता पर रोक लगे, उसको प्रतिबन्धित करने की भी कार्यवाही हो। ऐसा हम आपसे इस पर अभिमत निर्णय की अपेक्षा करते हैं। इसी आग्रह के साथ आप इस पर गम्भीरता से विचार कर अपना निर्णय दें और जो सुझाव माननीय हुकुम सिंह और जो सदस्यों ने कहा है निश्चित रूप से ऐसे पत्र से सम्बन्धित पत्रकार इस परिसर में आने के हकदार नहीं है। कहीं न कहीं आपके निर्णय से यह सिद्ध होना चाहिए कि ऐसी पत्रकारिता इस सदन की मर्यादा के विपरीत है, विशेषाधिकार का हनन है इसलिए ऐसे पत्र से जुड़े हुए पत्रकारों को सदन में और सदन के परिसर में आने की अनुमति नही होगी। यह कहीं अगर आये आपके अभिमत से तो निश्चित रूप से एक नई परम्परा की शुरुआत होगी और षडयंत्रकारी पत्रकारिता पर रोक लगेगी।

श्री अध्यक्ष-

आज यह मेरे समक्ष माननीय सदस्य कांशीराम, श्री सुरेश श्रीवास्तव जी, श्री सुरेश तिवारी जी, श्री राजेन्द्र सिंह, श्री मोती सिंह, श्री विद्या सागर गुप्ता जी, श्री सुखलाल जी ने समाचार-पत्र में जो एक भ्रामक खबर को परिभाषित करते हुए जो इन्होंने कहा है कि इससे हमारे अधिकारों का हनन और मर्यादाओं का हनन हुआ है जबकि इन्होंने सदन के समक्ष अपनी भावनाओं को दल के प्रति जिस तरह से प्रस्तुत किया है और समाचार-पत्र में जो प्रकाशित हुआ है, समाचार से जो आघात पहुंचा है इस विषय को मैं निश्चित तौर पर दिखवा लूंगा और नियम और परिधि के आधार पर जो भी परिस्थितियां बनेगी विशेषाधिकार के संदर्भ में उसको नियमों, परिधि और नियमावली की परिधि में रखकर शीघ्रातिशीघ्र इस पर मैं विचार करूंगा।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 08 अगस्त, 2011 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 09 अगस्त, 2011 से 12 अगस्त, 2011 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

अगस्त, 2011

09 मंगलवार 1-12.20 बजे अपराह्न

वित्तीय वर्ष 2011-2012 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण।

2-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

(क) उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

(ख) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

(ग) 'द ग्लोकल यूनिवर्सिटी' उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011

3-उत्तर प्रदेश की चौदहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2005-2006) के प्रथम प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर विचार।

4-श्री जोखू लाल यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 19 फरवरी, 2009 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्तावों पर अग्रतर चर्चा (आधा-आधा घण्टा) :-

(1) ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर प्रभावी नियंत्रण लगाने हेतु रोजगार परक शिक्षा एवं कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दी जाय।''

(2) ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में बढ़ते हुये भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रभावी नीति बनायी जाय।''

(3) ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के किसानों को उनकी फसलों के लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु सरकार द्वारा कार्य-योजना बनायी जाय।''

5-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित तथा दिनांक 16 फरवरी, 2010 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की अग्रतर चर्चा :-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश से मांस के निर्यात को प्रतिबंधित करने हेतु पशुवध पर तत्काल रोक लगाई जाय।''

10 बुधवार

1-वित्तीय वर्ष 2011-2012 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

2-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

(क) उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2011

(ख) श्री रामस्वरूप मेमोरियल विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011

(ग) दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

11 गुरुवार

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

(क) संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2011

(ख) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 2011

(ग) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011

12 शुक्रवार 1-श्री सतीश महाना, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं माननीय अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि जनपद कानपुर नगर की भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कानपुर नगर को विभक्त करते हुए कानपुर दक्षिणी नाम से एक नया जनपद गठित किया जाय।''

2-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं माननीय अध्यक्ष द्वारा ग्राह्य निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उस पर आधे घण्टे की चर्चा :-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के महानगरों में बाहरी सीमा पर रहने वाले दलित एवं मलिन बस्तियों का विद्युतीकरण निःशुल्क किया जाय।''

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गई है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-25 में कुछ नहीं है।

शोभित विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011†

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या-26 पुकारे जाने पर)

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, पहले मद संख्या-26क ले लें।

---

† दिनांक 25-8-2011 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, शोभित विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि शोभित विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, शोभित विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम-56 के अन्तर्गत नियम-311 की परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगत प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 09 अगस्त, 2011 को नियम-311 की 7 सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 45 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, दिनांक 5 अगस्त, 2011 को अध्यक्ष पीठ से दिये गये निर्देशानुसार चयनित सूचना को क्रमांक-1 पर रखा गया है एवं आज प्राप्त सूचनाओं में से चयनित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है :--

पहली सूचना श्री कौकब हमीद खां, डा0 अनिल चौधरी, डा0 अजय तोमर, चौ0 सत्यपाल सिंह, चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, श्री पूरन प्रकाश तथा श्रीमती मिथिलेश पाल, श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री हुकुम सिंह, श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री सतीश महाना, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री उदयभान करवरिया, श्री विद्या सागर गुप्ता, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री सलिल विश्नोई, श्री श्याम लाल, श्री सुरेश्वर सिंह, श्रीमती कृष्णाराज, श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्री काशीराम, श्री छत्रपाल सिंह, श्री प्रजापालन, श्री लल्लू सिंह, श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री राधेश्याम गुप्ता, श्री विजय बहादुर यादव, श्री शम्भू चौधरी, श्री सुखलाल तथा श्री सुरेश चन्द्र तिवारी की तथा इसी विषय पर श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री शिवबालक पासी, श्री रामसेवक, श्री संजीव दरियाबादी, श्री अजयपाल सिंह, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री ईश्वरचन्द्र शुक्ला, श्री संजय कपूर, श्री श्याम किशोर शुक्ला, श्री चौधरी रवीन्द्र प्रताप, श्री शिव गणेश लोधी, श्री माधो पासवान, श्री राजाराम त्यागी, श्री अशोक सिंह, श्री अजय कपूर तथा श्रीमती अमीता सिंह की जमुना एक्सप्रेस विकास प्राधिकरण, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरणों द्वारा भूमि अधिग्रहीत कर प्राइवेट बिल्डरों एवं कम्पनियों को दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री शिवबालक पासी, श्री रामसेवक, श्री संजीव दरियाबादी, श्री अजयपाल सिंह, श्री विवेक कुमार सिंह, श्री ईश्वरचन्द्र शुक्ला, श्री संजय कपूर, श्री संजय कपूर, श्री श्याम किशोर शुक्ला, श्री चौधरी रवीन्द्र प्रताप, श्री शिव गणेश लोधी, श्री माधो पासवान, श्री राजाराम त्यागी, श्री अशोक सिंह, श्री अजय कपूर तथा श्रीमती अमीता सिंह की लखनऊ में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक कार्यवाही

किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी तथा श्री सलिल विश्नोई की प्रदेश के छात्रों का डिग्री कालेजों में बी0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर नगर निगम के निर्माण कार्यों में हो रहे भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति में है। पांचवी सूचना डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव की प्रदेश के पराग डेरी के कर्मचारियों एवं डेरी किसानों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की इलाहाबाद नगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों की विशेष आडिट द्वारा जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना डा0 अनिल चौधरी, श्री पूरन प्रकाश, श्रीमती मिथलेश पाल, की मथुरा में रिफाइनरी से बनने वाले पेट्रोल, डीजल, तारकोल की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की प्रतापगढ़ स्थित जौनपुर रजवाहा के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री राम विशुन आजाद की प्रदेश में अन्त्योदय, बी0पी0एल0 एवं ए0पी0एल0 कार्ड धारकों को उचित दर पर खाद्यान्न न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्रीमती सै0 शादाब फातिमा की पूर्वी जिलों में गोंड़ जाति को अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना पूरन प्रकाश की मथुरा में पेयजल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री जोखू लाल यादव की इलाहाबाद के प्रतापपुर विधान सभा क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती एवं विद्युत ट्रांसफार्मरों की खराबी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री कुबेर सिंह की एटा के जलेसर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत सिमराऊ पेयजल योजना में न रखे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की प्रदेश में डी0ए0पी0, यूरिया की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। पन्द्रवीं सूचना श्री राजाराम त्यागी की रायबरेली स्थिति महाराजगंज ड्रेन पर बने पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में तथा सोलहवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की बुलंदशहर में बढ़ रहे अपराधों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित सूचनाएं विशेष उल्लेख के अन्तर्गत स्वीकृत की जाती हैं।

पहली सूचना श्री अम्बिका चौधरी तथा डा0 पी0के0 राय की छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्ग के शिक्षकों की प्रोन्नति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी की विधायक की जानमाल की रक्षा हेतु गनर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री रघुराज प्रताप सिंह की प्रतापगढ़ की टाऊन एरिया कुण्डा की बैठकों में जनप्रतिनिधियों को न बुलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू की सीतापुर के सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद द्वारा किसानों के गन्ना बकाये मूल्य का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री शैलेन्द्र यादव ललई की आजमगढ़ मण्डल के परियोजना अभियन्ता के पद पर अयोग्य अभियन्ता को नियुक्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा छठीं सूचना श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की बुन्देलखण्ड में निजी नलकूपों के लिये विद्युत कनेक्शन में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

1- श्री लालजी यादव,

2- डॉ0 आर0ए0 उस्मानी,

3- श्री सतीश महाना,

4- श्री अनूप कुमार गुप्ता,

5- श्री विश्वनाथ,

6- श्री दीपनारायण सिंह,

7- श्री लालजी यादव,

8- श्री जगन प्रसाद गर्ग,

9- श्री लल्लू सिंह,

10- डॉ0 आर0ए0 उस्मानी,

11- श्री अनूप कुमार गुप्ता,

12- श्री विशम्भर सिंह यादव,

13- श्री प्रदीप माथुर,

14- श्री कृष्ण गोपाल पटेल,

15- श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप,

16- श्री कैलाश चौरसिया,

17- श्री जावेद अंसारी,

18- श्री इमरान मसूद,

19- श्री रियाज अहमद, तथा

20- श्री राधेश्याम जायसवाल।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर अपनी बात कहने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 कौकब साहब, जब इस सम्बन्ध में चर्चा हुई थी तो सपा के नेता और आप सभी लोग थे, तब यह तय हुआ था कि भूमि अधिग्रहण पर सभी दलों के लोग बोलेंगे और इसमें तय हुआ था कि इसको मा0 हुकुम सिंह प्रस्तुत करेंगे।

श्री राजाराम त्यागी-

मान्यवर, मैंने नियम-56 में आपको एक सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 हुकुम सिंह जी प्रस्तुत करें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे एक अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, जिस विषय पर में बोल रहा हूं यह जबर्दस्ती भूमि अधिग्रहण और किसानों के मुआवजे से सम्बन्धित है। मान्यवर, प्रश्न यह है कि क्या यह लोक महत्व का है तो मान्यवर लोक महत्व का इसलिए है क्योंकि प्रदेश भर के लाखों किसान परिवार इससे प्रभावित हैं मान्यवर, यह अविलम्बनीय इसलिए है क्योंकि यह प्रक्रिया निरन्तर चल रही है रोजाना जहाँ-जहाँ अधिग्रहण की अधिसूचना जारी हो रही है वहीं धरना, प्रदर्शन, लाठीचार्ज, गोलीबारी यह सब कुछ हो रहा है इसलिए मैंने समझा कि कार्य-स्थगन के द्वारा मैं आपके माध्यम से इसे सदन के संज्ञान में ला सकूं। मान्यवर, मई, 2007 में सरकार की ताजपोशी हुई, यह सत्ता में आये और मई, 2007 में ही ताजपोशी के बाद दादरी जो गौतमबुद्ध नगर जनपद में है वहां के गांव घोड़ी-बछेड़ा में मुआवजे की मांग को लेकर एक महीने तक धरना चलता रहा। किसानों ने प्रदर्शन किये, पंचायतें की, मांग की और यहां तक कोशिश की कि मुख्य मंत्री जी से बात कर लें। अन्ततोगत्वा वहां पर गोली चली और सरकार की ताजपोशी हुई चार किसानों की शहादत से। मान्यवर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जब जाते हैं किसी देश में तो तोपों की सलामी दी जाती है, कहीं, 21 तोपों की दी जाती है कहीं 51 तोपों की दी जाती है। यहां ताजपोशी होती है चार किसानों की शहादत से, 2007 में सरकार बनती है और 2007 से ही शुरुआत हो जाती है।

(इस समय 3 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री त्रिभुवन दत्त पीठासीन हुए)

उसके बाद मान्यवर, थोड़ा आगे चलते हैं, बाजना, मथुरा में फायरिंग होती है, 4 किसान जख्मी होते हैं, 01 की मौत हो जाती है। आगे चलते है अलीगढ़ जनपद में, टप्पल में यमुना एक्सप्रेस-वे बन रहा है, बहुत बड़ी परियोजना है, लाखों एकड़ जमीन ली जानी है, कोई विरोध नहीं है लेकिन वहां पर विरोध तब शुरू होता है जब यमुना एक्सप्रेस-वे के बहाने टप्पल में एक टाउनशिप विकसित करने का षड़यन्त्र होता है और पूंजीपतियों को जमीन देने की बात होती है। एक्सप्रेस-वे बनता रहेगा, यहां पर टाउनशिप डेवलप कर लो, किसानों की जमीन लो, फाइव स्टार होटल बनाओं, मॉल बनाओ, उसी पर विरोध शुरू हो जाता है। किसान धरना देते हैं, प्रदर्शन करते है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, कोई वहाँ जाने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। मुझे तो यहां तक भी जानकारी है कि किसानों ने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी से हमारी बात मोबाइल पर करा दीजिए शायद कोई हल निकल आये। लेकिन अधिकारियों ने कहा कि तुम्हारी औकात इतनी नहीं है कि तुम मुख्य मंत्री से बात कर सको। परिणाम क्या होता है कि 3 किसान शहीद होते है और 01 पुलिसकर्मी भी मारा जाता है। आगे चलते है जलेसर, आगरा, जलेसर आगरा में महीनों धरना-प्रदर्शन हुआ, कोई बात करने वाला नहीं।

मान्यवर, इसके आगे चलें करछना, इलाहाबाद में, वहां पर भी मुआवजे की मांग होती है, फायरिंग होती है और उसमें 01 किसान की मौत होती है। इसके आगे भट्टा पारसौल, नोयडा में है, आपको जानकारी होगी भट्टा पारसौल में कितने दिनों तक पंचायतें चली, कितने दिनों तक लोगों ने मांग की कि कोई आ जाए बात कर ले। महीनों लोग बैठे रहे लेकिन सरकार हिली नहीं, यह जानने की कोशिश नहीं की कि उनकी क्या शिकायतें है, क्या मांगे हैं। परिणाम क्या हुआ 03 किसान शहीद हुए और 03 पुलिसकर्मी मारे गये। मान्यवर, हमने देखा, सारे देश ने देखा होगा कि जिलाधिकारी जख्मी हुए, पुलिस अधीक्षक को वहां से भागते हुए देखा। मैं वहां पर कैलाश हास्पिटल गया था उन किसानों को देखने के लिए, जिलाधिकारी भी वहां पर जख्मी हालत में थे। यह सरकार की विवेकशून्यता के परिणामस्वरूप सारी घटनायें हुई। आखिर किसी की रोजी-रोटी आप छीन रहे हैं, जमीन का जबरदस्ती अधिग्रहण कर रहे हैं, उसके बावजूद किसान कहते रहे कि आ करके बात कर लो, बात करने कोई जाता नहीं और जब सारी बातें हो जाती है उसके बाद में यह जागते हैं। राजनैतिक दल का क्या दायित्व होता है ? दायित्व यह होता है कि घटना हो गयी, किसान मारे गये, हम वहां जांय, उनको सांत्वना दें। यह पहली सरकार है जिसने किसी भी राजनैतिक दल के किसी नेता को वहां पर जाने नहीं दिया। पहली घटना से लेकर, जो घोड़ी-बछेड़ी की घटना है वहां पर हम खुद गये। हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह भी गये लेकिन जैसे ही नोयड़ा में पहुंचते हैं गिरफ्तार कर लिया जाता है, हम अपराधी हैं क्या ? हम तो केवल वहां पर जा रहे हैं उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, उन्हें सांत्वना देने के लिए, लाशें पड़ी हुई हैं। लेकिन सरकार ने यह हमारे साथ अपराधी जैसा व्यवहार किया। उसके बाद टप्पल वाली घटना हुई, पूरे अलीगढ़ में कर्फ्यू लगा दिया गया, वहां कोई जा नहीं सकता। उसके बाद मान्यवर, भट्टा पारसौल की घटना हुई, विचित्र घटना हुई। दफा-144 लगी, कर्फ्यू लगा, चारों तरफ पी0ए0सी0 लगा दी गयी। हम लोगों ने जाने का प्रयास किया, गिरफ्तार हुये, शाम तक बंद रखा गया, हमारे नेता आये उनको गिरफ्तार किया गया लेकिन रात में एक पार्टी के युवा नेता आते हैं, 2 बजे वहां पहुंच जाते हैं पत्रकारों ने पूछा कि सबको गिरफ्तार कर रहे हों इनको क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हो तो यह कहा गया कि दफा-144 हटा ली गयी है। दफा-144 हटने के बाद क्या हुआ, मान्यवर, गांवों मे रात में मच्छर भी काटते हैं उसके बाद जब उनको तकलीफ हुई तो आधे घण्टे के बाद फिर दफा-144 लगा दी गयी। आधे घण्टे पहले हटायी जाती है, आधे घण्टे बाद फिर दफा-144 लगा दी जाती है।

इस सरकार ने सारी कानून व्यवस्था का मजाक बनाकर रख दिया है। किसानों के सामने जो हो रहा है वह सबके सामने है। आगे जरा देखें कि कितनी एजेंसियां लगी हैं अधिग्रहण के काम पर जो विकास प्राधिकरण है विभिन्न क्षेत्रों में ग्रेटर नोयडा की अलग एथारिटी हैं और नोयडा की अलग एथॉरिटी है और एक सूत्रीय कार्यक्रम उनका है जमीन का अधिग्रहण। वह किस मकसद से की जा रही है मैं उस पर थोड़ी देर में आऊंगा। हर जिले में कोई न कोई विकास प्राधिकरण आपने लाकर खड़ा

कर दिया कभी आपने समीक्षा की है आपने कि अभी तक इन्होंने जो जमीन अधिग्रहीत ही है उसका कोई इस्तेमाल किया है कि नहीं अपने जिले से शुरू करता हूं मुजफ्फरनगर से लेकर मेरठ होता हुआ गाजियाबाद होता हुआ नोयडा होता हुआ अगर मैं लखनऊ तक पहुंचू और यहां की एल0डी0ए0 के लिए जानकारी प्राप्त करूं अब तक कितनी जमीन का अधिग्रहण हुआ और उस अधिग्रहीत जमीन में क्या क्या निर्माण कार्य हुए।

मैं सुनिश्चित जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि अभी तक हजारों हजार एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है। किसानों को उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया जबरदस्ती कब्जा ले लिया गया और इस देश को खाद्यान्न की उपज से वंचित कर दिया गया लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है कोई सुनने वाला है ? अगर मैं यह कहूं कि किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं इसके पहले भी रिलायंस के नाम पर कि वहां बिजली बनेगी नोयडा में बहुत बड़ा कारखाना लगेगा। सारे प्रदेश से कहा गया कि रिलायंस का कारखाना लगते ही 24 घण्टे बिजली आ जाएगी। ढ़ाई हजार हेक्टेयर जमीन का अध्रिहण किया गया फिर कहा गया कि यह बैनामा करा रहे हैं 15 दिन पहले मैं नोयडा में गया था जब मैंने देखा कि जो जमीन दी गई थी आज वह खाली पड़ी है आधी अधूरी बाउंड्रीवाल उसके चारों तरफ है। अगर उस ढाई हजार हेक्टेयर में खेती हुई होती कितना अन्न उपजा होता हमारे अन्न की समस्या दूर हुई होती कोई पूछने वाला है किसी सरकार की जवाबदेही है कि नहीं कि क्यों जमीन ली थी। एक बहुत ही हाल ही में ग्रेटर नोयडा में एक एक्सटेंशन एरिया है वहां पर उद्योगीकरण के नाम पर जमीन का अधिग्रहण किया गया। अधिग्रहण करने के बाद में 800 रुपये किसानों को रेट दिया गया जिनकी जमीन थी। बाद में 12 हजार रुपये का रेट उनसे लिया गया जिनकी जमीन दी गई वह कौन हैं उनके नाम मैं बता देता हूं अगर उनका कोई सम्बन्ध उद्योग लगाने से हो। सबके सब बिल्डर हैं दिल्ली के बिल्डर हैं या बाहर के आए हैं सबके सब मकान बनाने वाले हैं रिसार्ट, माल नाइट सफारी इस किस्म के भवन के लिए वह जमीन ली गई और 800 रुपए किसानों को देकर उनको 12 हजार में दी गई। आगे वह 40 हजार 45 हजार में बेच रहे हैं। एक हमें जानकारी मिली मैं अभी उसे कहने की स्थिति में नहीं हूं कि वह पूर्णतया सत्य है या पार्टली सत्य है। सच्चाई जरूर हैं जैसे बाकी जगह टैक्स लगे हैं पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स लगे है। वैसे ही लिखा रहता है कि एजूकेशन सेस। कुछ प्रतिशत एजूकेशन सेस होता है कि यहां पर शिक्षा व्यवस्था की जायेगी उसके ऊपर टैक्स लिया जा रहा है पिछले 7-8 साल से नोयडा में या गाजियाबाद में जितनी जमीन का अधिग्रहण होता है अधिग्रहण होने के बाद वह बिल्डर्स को दी जाती है या दूसरों को दी जाती है उस पर सेस लगते हैं पहले अमर सेस नाम से लगता था यह पता नहीं कोई कम्पनी है या सार्वजनिक संस्था है लेकिन सेस का नाम था अमर सेस। अब एक और लग गया अमर का नाम बदलकर आनन्द कर दिया गया अब हो गया आनन्द सेस। अगर पांच हजार रुपए में जमीन बिक रही है तो पांच हजार प्रति मीटर सेस में जा रहे

हैं वह सेस का वजूद है कहां मैं भी उसकी तलाश कर रहा हूं आज मैं सदन में कहना चाहता हूं कि उसकी तलाश होनी चाहिए कहां वह अमर सेस था और कहां यह आनन्द सेस है।

कोई शिक्षा संस्था है कोई विकास करने वाली संस्था है इसका पता होना चाहिए इस प्रकार किसानों की लूटाई हो रही है। जैसा मैंने कहा कि जितनी जमीन वहां पर ली गई किसान क्या करेगा मजबूर होकर प्रदर्शन करेगा पंचायतें करेगा, महापंचायतें करेगा सबको बुलाएगा सुनवाई नहीं होगी तो कोर्ट में जाएगा। जितने आपके नोटीफिकेशन हुए। ग्रेटर नोयडा के बारे में हाल ही में मा0 उच्च न्यायालय ने निरस्त किया सर्वोच्च न्यायालय में गए। 1978 में कोई एक्वायर हुई होगी।

उसका मुआवजा सवा रुपये प्रति मीटर मिला था अब बढ़ाकर के 80 रुपये हो गया उस 80 रुपये के खिलाफ में भी नोएडा एथारिटी सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती 80 रुपये मीटर तो कपड़ा भी नहीं मिलता और तुम 80 रुपये मीटर किसान को देने को तैयार नहीं हो। मान्यवर, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने इनसे यह पूछा कि कौन से उद्योग हैं जहां पर बिल्डिंगों में स्वीमिंग पूल बन रहे हैं। मान्यवर, सारा का सारा नक्शा इन्होंने पास कराया हैं, स्वीमिंग पूल बन रहे हैं। किस प्रकार के वह उद्योग हैं ? वहां क्या उत्पादन होगा ? कौन सी मशीनरी वहां बनाई जायेगी। उसका कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि जमीन को हड़प लें। मान्यवर, आगे चले देखे जिला चन्दौली में जमीन का अधिग्रहण हुआ और एक महिला जिसका नाम है कानोदेवी जिसकी उम्र 82 साल की है, उसके 4 बच्चे हैं दस विसवां कुल जमीन है। नई वाराणसी बसाने के नाम पर कि यहां पर नई बस्ती बनेगी उस आधार पर वहां पर उस जमीन का अधिग्रहण किया वहां के प्राधिकरण ने। वह 82 साल की महिला कहती है कि मेरी 82 साल की उम्र हो गई, मैं इस जमीन से गुजारा कर रही हूं कम से कम इस जमीन को तो मुझसे मत छीनो लेकिन किसी को दया नहीं आती। ऐसी न जाने कितनी कानोदेवी हैं।

मान्यवर, ऐसे न जाने कितने किसान हैं जो भूमिहीन हो चुके हैं और मजबूर होकर उन्हें मजदूरी करनी पड़ रही है जो उनकी जीविका का साधन था वह उनसे छीन लिया गया हैं मान्यवर। अभी मेरे जिले में आवास विकास परिषद् के माननीय मंत्री भी यहां बैठे हुए हैं कई बार मैं इनकी जानकारी में भी लाया कि आखिर आपने क्या सोच रखा है। किसान कहां जायेंगे ? अभी नोटिस गया है धारा-25 में। नोटिस में 9 हजार बीघे जमीन 6 गांवों की छीन रहे हैं आप। 6 गांवों की जमीन छीनने पर वहां किसानों ने नारे बाजी की, प्रदर्शन किया, दफ्तर में तोड-फोड़ की जा करके। मैं खुद उस जनपद का रहने वाला हूं मान्यवर। उस नगर में भी मैं देखता हूं मान्यवर, किसके लिये आवासीय योजना बना रहे हैं। वहां पहले से ही आवासीय योजना पिछले 10 सालों से जमीन लेने के बाद जमीन खाली पड़ी है और एक मकान का निर्माण वहां नहीं हुआ है। कम से कम 12 हजार बीघे जमीन खाली पड़ी है और आगे फिर आपने नोटिस जारी कर दिया है। 85 प्रतिशत ऐसे किसान हैं जिनको नोटिस दिया गया है, अगर उनकी जमीन ले ली जायेगी तो वह पूर्णतया भूमिहीन हो जायेंगे। एक बीघा

उनके पास में बचने वाला नहीं है और मान्यवर, कितना भेदभाव है जहां आपने नोटिस दिया है वहां उसके बीच में कुछ और लोग हैं जो इनके नजदीकी हैं, इनके कुछ करीबी हैं उन लोगों की जमीन बीच में छोड़ दी गई है और नक्शा कुछ इस तरह से बनाया गया है कि आगे को बढ़ जाओ इस जमीन को छोड़ दो। यही सरकार होती है क्या ? सरकार को तो लोग माई बाप के रूप में देखते हैं और जिस सरकार के मन में इतना भेदभाव हो उसके प्रति क्या होगा। बंगाल में हमने देख लिया केवल एक जमीन के मुद्दे को लेकर के सरकार को उखाड़ दिया लोगों ने। इस जमीन का मुद्दा ही आपको लेकर डूब जायेगा। जिस तरह से आप भेद भाव कर रहे हैं। जिस तरह से आप रोजाना नोटिसें दे रहे है। मेरा विधान सभा क्षेत्र मान्यवर, श्यामली में आपने नोटिस दे दिया, बौखला गये लोग। ऐसी जगह आपने नोटिस दिया जहां 70 प्रतिशत जमीन पर पहले ही भवन के निर्माण है। एक डिग्री कालेज है, तीन इण्टरमीडिएट कालेज हैं वहां आपने नोटिस दे दिया। वह घूम रहे हैं नोटिस लेकर कि क्या करें, कहां जायं। मैंने फोन पर बात करी, आपसे भी आग्रह किया। जिलाधिकारी ने रिपोर्ट दे दी कि यहां पर संभव नहीं होगा लेकिन नोटिस की तलवार तो लटक रही है। उस नोटिस की तलवार लटकने का परिणाम क्या होगा मान्यवर। उनकी नींद हराम है, जिनकी जमीन है और नींद हराम के साथ-साथ जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वह नोटिस के बिना पर नोटिस की आड़ में पैसा वसूल कर रहे हैं, घूसखोरी कर रहे हैं।

मेरा अनुरोध है कि इन बातों पर क्या हमको गम्भीरता से विचार नहीं करना चाहिए। आखिर क्या कारण है कि जो जमीन अधिग्रहण के बारे में आपकी नीति अभी बनी है बड़ी आकर्षक आपने अखबारों में छपवाई, विज्ञापन उसका अखबारों में छपा। आपने कहा कि जबरदस्ती किसी की जमीन नहीं ली जायेगी, बातचीत से ली जायेगी तो फिर नोटिस क्यों दे रहे हैं। आप बातचीत करिये उनसे कि वह बेचने को तैयार हैं कि नहीं ? लेकिन नोटिस की तलवार लटकाने के बाद में, उन आदमियों का विश्वास डिगाने के बाद में आप कहते हैं कि बातचीत की जायेगी। परिणाम क्या होता है, नोटिस दे देने के बाद में किसान भागता है इधर से उधर कि मेरी जमीन ले ली जायेगी। जो भू-माफिया गिद्ध की तरह से वहां बैठे हैं इस बात की प्रतीक्षा में, जिनको सारी जानकारी है जमीन ली जाएगी या नहीं ली जाएगी वह मान्यवर, कम दामों पर उनसे सौदा कर लेते हैं और मजबूर होकर उनको जमीन का स्थानान्तरण करना पड़ता है। यह परिणाम हो रहा है तीन बातें मेरी हैं पहली बात तो यह है, आज मैं अनुरोध कर रहा हूं, आग्रह भी कर रहा हूं इस बात पर बल भी दे रहा हूं कि विभिन्न विकास प्राधिकरण आज जो बने हुए हैं चाहे एल0डी0ए0 हो, चाहे जी0डी0ए0, चाहे एम0डी0ए0 हो या ग्रेटर नोएडा ऑथारिटी हो, चाहे नोएडा ऑथारिटी हो, पिछले बीस साल में इन्होंने कितनी जमीन अधिग्रहीत की और उस अधिग्रहीत जमीन को इन्होंने किस उद्देश्य से लिया था और उद्देश्य के अनुरूप उस जमीन पर कार्यवाही हुई या नहीं हुई। दूसरी बात अगर जमीन ली गई है उद्योग की स्थापना के लिए और उद्योग की स्थापना नहीं हुई है और उसका आप लैण्ड यूज बदलते है।

उसको आप रेजिडेन्शियल में लेते हैं तो इस पर कार्यवाही होनी चाहिए जिन बेईमान अधिकारियों ने, चाहे उसमें राजनेता भी शामिल हों, जिन्होंने मिलकर किसानों को लूटा और उनकी जमीन ली और फिर उसका लैण्ड यूज बदल के तिगुने चौगुने दाम में बेचा है इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। वह सारा का सारा मामला निरस्त होना चाहिए। मजबूर नहीं होना चाहिए कि हर काम के लिए हम कोर्ट में ही जाएं। लाइन लगी है आज पंचायतें इस बात के लिए हो रही हैं कि आज पूरे के पूरे गांव को कोर्ट में चला जाना चाहिए न्यायालय में चले जाना चाहिए। न्यायालय में फ्री में तो कुछ होता नहीं है आप क्यों उनको लुटवाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जब आपकी जानकारी में है और आपका एक भी निर्णय न्यायालय पर खरा नहीं उतर पा रहा है सबके सब निरस्त हो रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं उस पर विचार कर लेते है कि चलिए गल्ती हो गई उसको वापस ले लेते हैं। जनता को कुछ रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन नहीं करेंगे, जिद पर लगे रहेंगे। मान्यवर, कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा कि जहां पर चार-पांच गिरोह भू-माफिया के न इकट्ठे हो गए हों। वह सत्तापक्ष से मिलकर किसानों का शोषण न कर रहे हों। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ यह कहने को तैयार हूं कि सहारनपुर से बलिया तक की आप समीक्षा कर लें किस तरह से नोटिस दे देकर वहां किसानों का दोहन हो रहा है। मान्यवर, 14 आदमियों की मैंने सूची आपको दी है जो जमीन के आधार को लेकर शहादत दे चुके हैं। अरे, कितने लोगों की शहादत आपको चाहिए, कल चौधरी साहब खप्पर भरने वाली बात कह रहे थे, मैं भी वही कहना चाहता हूं कोई इन्तहा तो होगी, कोई सीमा तो होगी कितनों को मारोगे, कितने आपकी गोली का शिकार होंगे मान्यवर, मैं पुनः इस बात पर बल देता हूं और दो-तीन बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा मैं चाहता हूं सभी लोग इस पर बोल लें।

श्री अधिष्ठाता-

सभी बातें तो आ गई हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, वाराणसी की बात मैं कर रहा हूं जहां पर शिवपूजन यादव और उसके 6 साथियों ने चेतावनी दी है कि अगर हमारी जमीन छीन रहे हो तो मजबूर होकर हमें आत्मदाह करना पड़ेगा, क्यों मजबूर कर रहे हो, और क्या कीमत चाहिए आपको क्यों जमीन छीन रहे हो। मान्यवर, जैसे कानो देवी के बारे में मैंने बताया इसी तरह से कमला देवी का नाम आया है आठ विसवां जमीन है उसकी और दो बच्चे हैं कोई साधन नहीं है और उसकी जमीन छीन रहे हो, क्या देंगे आप उसको दस-बीस पचास हजार रुपये दे देंगे और क्या देंगे। जिन्होंने वर्षों से, जिन्होंने जन्म से लेकर अब तक जिन्होंने उस जमीन पर गुजारा किया है उसकी जमीन छीनने से आपको क्या मिल जाएगा। यह आन्दोलन जोर पकड़ेगा और अगर इस पर कार्यवाही नहीं होगी यह लोग अपने को नहीं सुधारेंगे तो निश्चित रूप से इस पर खून खराबा होना है और खून-खराबे में आपका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं,

पुलिस आपके पास में है, फ्री की गोलियां उनके पास में है एक संगठित शक्ति वह है किसान बिखरे हुए हैं हम हिंसा का मुकाबला हिंसा से नहीं कर पाएंगे। श्रीमन् यह सरकारी हिंसा के माध्यम से, जनता को दबा करके, उसे तबाह करके जबरदस्ती उसकी जमीन छीनना चाहते हैं। जो नीति आपने बनाई है उस नीति का अवलोकन आप कर लें। मेरे पास भी वह नीति है, उस नीति को संक्षेप में नोट किया है। उस नीति के माध्यम से मिलना क्या है। नीति वह है क्या ? नीति में यह नहीं है कि हम भूमि का अधिग्रहण नहीं करेंगे। नीति में यह हुआ कि हम 70 प्रतिशत से समझौता करेंगे। समझौते की स्थिति तो आती ही नहीं है नोटिस देने के बाद में क्या समझौता है। समझौता तो रिलाइन्स में भी किया गया समझौते के आधार पर ली गई है किसी ने हमसे कहा था। समझौता कहां हुआ, दरोगा जी बुलाकर लाते हैं, टप्पल में क्या हुआ, समझौता आपने कराया, अधिकारी गए, जिस आदमी ने संघर्ष किया था, उस आदमी का जीना दूभर कर दिया। पिटाई अलग की, मुकदमें अलग कायम किए, रात के 2 बजे बुलाकर उसके हस्ताक्षर कराये, यह सरकार के काम हैं, यह आपकी संवेदनशीलता है कि लोगों को आप पकड़ेंगे, मारेंगे भी और पुलिस के डण्डे के बल पर आप लोगों की जमीनों का अधिग्रहण करेंगे ? क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, आपका ? क्या चाह रहे हैं ? साढ़े चार साल में जितनी जमीनें आपने अधिग्रहण किया, आप बता दें कि वहां पर यह उद्योग लगाया। हां, फाइव स्टार होटल बनाये हैं।

मान्यवर, जब दिल्ली से बुलन्दशहर की तरफ चलते हैं, गाजियाबाद और दादरी के बीच में एक जगह आती है, सड़क तो वह टूटी हुई है 3-3 फीट की गड्ढे हैं, मगर बायीं तरह यदि हम गर्दन घुमाकर देखें तो जैसे गुम्बद विधान सभा जैसा है, इतना बड़ा गुम्बद दिखाई देता है। लोग पूछते हैं, क्या है, भाई ? क्या दूसरी विधान सभा बन रही है ? मेरे मन में भी जिज्ञासा हुई, बादलपुर में पहुंच गया और बादलपुर में मैंने पूछा कि यह क्या हो रहा हैं, क्या दूसरी विधान सभा बन रही है ? वहां के रहने वालों ने बताया, मेरी झोपड़ी चली गई, मेरा मकान चला गया, मेरा खेत चला गया। मान्यवर, जिस गांव में जन्म लेने वालों को गर्व था कि हमारे गांव की मुख्यमंत्री हैं लेकिन आज वहां की स्थिति यह हो गई है, लोग कहते है कि हमारे घर जबरदस्ती छीन लिए, हमारी झोपड़ी छीन ली, हमारे जमीन छीन लिए और यहां पर कोठियां बन रही हैं, महल बना रहे हैं, उनको महल मुबारक। मान्यवर, अब मैं लखनऊ की बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा, यह अधिग्रहण तो किसानों का था, शुरुआत होती है, कहां से, अम्बेडकर स्टेडियम से, कोई रिहायशी मकान हो, यहां तक कि मंत्रियों के मकान हों, यहां तक कि नेता विपक्ष का मकान हो, यहां तक कि स्पीकर का मकान भी हो, यहां तो अधिग्रहण भी नहीं है, यहां तो बुल्डोजर हैं। जहां चाहा बुल्डोजर पहुंच गया और बुल्डोजर पहुंचने के बाद क्या हो रहा है, सीएजी की रिपोर्ट कभी पढ़ लेना। क्या सरकार का यही काम है कि सरकारी भवनों को तोड़ करके, रिहायशी मकानों को तोड़ करके, सरकारी दफ्तरों को तोड़ करके कब्जा कर लो और अपनी इच्छा के अनुसार चुनार से पत्थर मंगायें, चिनाई के लिए उन्हें राजस्थान भिजवायें और

फिर राजस्थान से यहां मंगाये, पसन्द न आयें तो दोबारा भेज दें और अधिग्रहण के नाम पर न जाने कौन से अधिकार से केन कमिश्नर का दफ्तर तोड़ दिया जाता है, किस अधिकार से अधिकारियों के मकान तोड़ दिए जाते हैं, मंत्रियों के मकान तोड़ दिए जाते है और बनता क्या है वहां पर, पार्क। पार्क बन गया, उसकी कीमत भी अभी आ रही है, 8 हजार करोड़ में है जो मैंने सीएजी की रिपोर्ट में पढ़ा है। पार्क बन गया, मूर्ति बन गयी और उसकी बराबर में बहुत सुन्दर पार्क है, बढ़िया भवन है जिसमें लाठी लिए हुए, बन्दूक लिए हुए पहरेदार भी खड़े हैं सड़क के बायीं तरफ झांको, मान्यवर, पालीथीन की छप्पर डाल करके मजदूर पड़े हुए हैं, वहीं उनकी पत्नी है, वहीं उसकी मां है, वहीं उसकी बेटी है, वहीं उसकी रसोई है वहीं उसका बाथरूम है, यह उत्तर प्रदेश का नक्शा है। एक तरफ आपका सपना है, आपकी कल्पना है जिसमें आपने हजारों-लाखों लोगों का सफाया करके उसे खड़ा किया है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की हकीकत है जो बोल रही है, दो रोटी के लिए वह लोग पड़े हुए हैं, यह उत्तर प्रदेश की हकीकत है। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि आज यह सरकार परिचय दे, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम इस बात की घोषणा सरकार की तरफ से हो जाए कि उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ जनता के साथ पाप जो हमने साढ़े चार साल किए हैं, हमें कम से कम माफ कर दे, अभी आने वाली 2-4 महीने बचे हुए हैं, हम पापों का प्रायश्चित करेंगे, आगे हमें कभी आना नहीं है, आने मत देना, बस इसी बात के साथ मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, आज अपने कार्यस्थगन के प्रस्ताव पर बल देते हुए माननीय हुकुम सिंह जी ने जो तथ्य इस सदन के संज्ञान में रखे हैं उन तथ्यों और आंकड़ों को दोबारा से दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, हम सामाजिक राजनीतिक जीवन में काम करने वाले सभी लोग चाहे सत्ता में बैठे हुए लोग हों चाहे विपक्ष में बैठे हुए लोग हों, अपनी शुरुआती जिंदगी से एक बात बराबर करते हुए आते है कि भारत किसानों का देश है इसकी 70 फीसदी से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है, अगर किसानों का भला होगा तो देश का भला होगा। सरकार में बैठकर जो लोग दूसरी तरह की भी नीतियां लागू करने काम कर रहे है उन लोगों ने भी शब्दों में किसानों का भला करने की बात कही है। कई बार आपने बजट भाषण में यह बात कही है कई बार जब वह कोई बड़े जलसे कर रहे होते है तब भी यही बात कही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इन किसानों की भूमि जो उनकी मां की तरह से है जो उनका भरण पोषण करती है और बेरोजगारी की सबसे गम्भीरतम स्थिति में भी छोटी सी जमीन के टुकड़े पर भी पूरा परिवार पलता है। उसकी बेटी, भाई, उसकी पत्नी और भी कई लोग उसमें पलते हैं। उस जमीन से उसका जो रिश्ता है उसका ध्यान सरकार ने कभी नहीं रखा कि उसको उस जमीन से हटाने के परिणाम क्या होंगे। मान्यवर, उस जमीन से उस किसान को

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हटा देने से उस परिवार पर क्या गुजरेगी इससे भी बड़ा सवाल है कि पहले से ही हमारे सामने इस बात की कठिनाई है कि जो अनियोजित नगरीय विकास की योजनाएं हैं और बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा संकट है जिसके कारण देहात से लोगों का पलायन शहरों की ओर हो रहा है और रोज इन बढ़ते हुए नगरों के सीमा विस्तार के कारण खेती की जमीने घटती जा रही है और कृषि की जमीन के घटते रहने के कारण एक ऐसी स्थिति हमारे सामने आ जाएगी कि जनसंख्या विस्फोट को रोकने का काम तो हम कर नहीं सके लेकिन इन कृषि योग्य जमीनों का अधिग्रहण करके इन पर जो अट्टालिकायें खड़ी की जा रही हैं खेती से जब उस जमीन को अलग कर दिया जाएगा तो उससे दूसरी भयावयता की स्थिति पैदा होगी और उससे सिर्फ वह किसान ही प्रभावित नहीं होगा बल्कि उस जमीन पर अनाज पैदा न करने का एक बड़ा सवाल पैदा होगा। हम कभी पर्यावरण की बात करते हैं, कभी ग्लोबल फैक्टर्स की चर्चा करते हैं, कभी बढ़ते हुए तापमान की बात करते हैं, कभी प्लास्टिक की थैलियों की बात करते हैं लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जीवित रहने के लिए जिस अनाज की आवश्यकता है उस अनाज के उत्पादन के लिए हमारी इस कृषि भूमि का क्षेत्रफल ही घट जाएगा और एक खतरनाक सीमा तक चला जाएगा तो उसके बाद की स्थितियां क्या होगी। श्रीमन् इस विषय की गंभीरता पर मैं इन दो मुद्दों पर अपने को सीमित रखना चाहता हूं।

श्रीमन्, माननीय हुकुम सिंह जी ने विस्तार से सारी बातें बतायी हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आपने उल्लेख किया। यह सही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समस्या दूसरी तरह की है लेकिन यह भूमि अधिग्रहण का मामला अकेले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से संबंधित इसलिए है कि दिल्ली से सटे हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और उसके आगे की योजनाएं हैं, यमुना एक्सप्रेस-वे के नाम पर जो जमीन दूसरों को दी जा रही है वहां की जमीनें महंगी बहुत है और दिल्ली के आसपास होने के कारण उसका आर्थिक महत्व और ज्यादा हो जाता है लेकिन जिनमें आपने कहा यह अकेले उन्हीं गांवों में नही हो रहा है। मान्यवर, यह गंगा एक्सप्रेस वे के नाम पर, यमुना एक्सप्रेस-वे के नाम पर, आगरा कानपुर एक्सप्रेस वे के नाम पर, झांसी कुशीनगर एक्सप्रेस वे के नाम पर लखनऊ बाराबंकी एक्सप्रेस वे के नाम पर, बिजनौर मुरादाबाद एक्सप्रेस-वे, नरौरा उत्तराखण्ड एक्सप्रेस-वे, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस-वे, हरियाणा-कोण्डली ने नोयडा पल्लव तक, ईस्टर्न पेरिफेरल, मालवाहक गलियारा, मान्यवर, इनके अतिरिक्त देवरिया में भटनी, हथवा रेलवेलाइन के नाम पर देवरिया में ही तमाम गांव का अधिग्रहण है जिसमें छपैया, हथवा, दतौनी और ऐसे दर्जनों गांव हैं। मान्यवर, चन्दौली में एक बड़ा आन्दोलन हुआ कटेसर गांव का और वहां पर कोयले की मण्डी प्रदेश की सबसे बड़ी है, चन्दासी कोयला की मण्डी, उसमें और उसके आसपास के गांव में स्थिति यह थी मान्यवर कि लोगों ने चिता सजाई, कब्रें खोदीं और सोचा की अब तो हमारी जिन्दगी का कोई सिलसिला चलने वाला नहीं है। इस तरह की स्थितियां पैदा हुयीं और एक लंबे आन्दोलन के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद श्री राम किशुन के नेतृत्व में जब चंदौली का आंदोलन चला, तब जा करके

चंदौली के किसानों को थोड़ी सी राहत मिल पायी कि इस स्थिति में उनकी इस भूमि का अधिग्रहण नहीं होगा। यह केवल चन्दौली तक का ही मामला नहीं है, अभी लखनऊ में, सीतापुर रोड पर योजना चल रही है, रायबरेली रोड पर वृन्दावन योजना चल रही है, उसमें तमाम गांव हैं।

मैं नाम लूंगा, मेरे पास तमाम नाम हैं लेकिन केवल नाम लेने से यह बात पूरी नहीं होगी। मैं इसलिये आपसे कहना चाहता हूं कि यह खेल इतने तक ही नहीं रूका है। सुदूर पूरब में जहां ये प्रान्त खत्म हो जाता है और दूसरा प्रान्त शुरू हो जाता है, जनपद बलिया में गंगा एक्सप्रेस-वे के नाम पर, अब स्थिति यह मान्यवर कि जिस जमीन पर गरीब किसान खेती करता है, जिस जमीन पर वह सब्जी उगाता है, जिस जमीन पर वह खरबूज, तरबूज उगा करके नदी के किनारे वाली जमीन पर वह अपना भी भरण पोषण करता है और लोगों का पेट भरने के लिये भी इंतजाम करता है, उस जमीन का भी अधिग्रहण। जमीन का अधिग्रहण श्रीमन विकास के नाम पर यानी कि जो बात सरकार द्वारा कही जाती है। मान्यवर, स्थिति को गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। विकास रोका नहीं जा सकता लेकिन जो विकास प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विनाश का कारण है, लोगों के रोजगार और लोगों की जिन्दगी को बरबाद करने वाला है, उनके प्राणों को लेने वाला है ऐसे विकास की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी महंगाई पर बहस हो रही है और मंहगाई पर पार्लियामेण्ट में जो बहस हो रही है उसमें यह बात आयी कि विकास अगर इस कीमत पर है कि लोग बेरोजगार हों, विकास अगर इस कीमत पर है कि लोग बरबाद हों तो इस विकास की कोई आवश्यकता नहीं है जिससे लोग रोते बिलखते हों, ऐसे विकास का कोई अर्थ नहीं है। मान्यवर, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि भूमि अधिग्रहण के नाम पर जितना अनर्थ हुआ है, इस अनर्थ की आवश्यकता उत्तर प्रदेश में कम से कम नहीं थी, हम दूसरी स्थिति में है। मुझे अवसर प्राप्त हुआ है इस प्रदेश की बात दूसरे प्रदेशों के साथ साझा करने की और मान्यवर, इस सूबे का राजस्व मंत्री होने के नाते जब मैंने अन्य प्रदेशों के बीच में यह बात रखी थी कि हमारे पास उत्तर प्रदेश में करार नियमावली है और करार नियमावली के आधार पर आमने सामने हम किसान को बैठा करके उसकी जमीन लेते हैं तो लोगों ने बड़ी प्रशंसा की और कहा कि तब तो आप बड़े उत्पीड़न से किसानों को बचा लिया। लेकिन मान्यवर, उसकी आड़ में जो दूसरी बात है कि करार नियमावली के होते हुये जहां इस बात का स्पष्ट प्राविधान है कि जिलाधिकारी या उनका प्रतिनिधि किसान और जो निकाय है जिसके लिये लैण्ड एक्वायर की जा रही है, उसके बीच में उसको फैसिलेटेट करेंगे। उनके लिये सुविधायें मुहैया करायेंगे और तीसरा एक तकनीकी शब्द है मान्यवर कि गुड ऑफिस उसके लिये उपलब्ध करायेंगे। जहां पर बैठ करके ये लोग बात करेंगे और किसान को अपनी जमीन का उचित मूल्य उचित मुआवजा प्राप्त हो सके। किन्तु हुआ क्या कि इन सारी बातों की अनदेखी करके, ये जो कुछ हुआ ये उसी का नतीजा है मान्यवर कि दादरी, बछेड़ी, बाजना, टप्पल, करछना, भट्टा पारसौल और पूरब के तमाम जगहों के आंदोलनों का मैं जिक्र करना चाहता हूं।

मान्यवर, बलिया में भी गंगा एक्सप्रेस-वे के नाम पर जमीन लेने की बात है। लोक आतंकित है और ये सारी जमीनें किसको दी जायेंगी। एक ऐसे व्यक्ति को अगर मैं नाम नहीं लूं तो यह होगा कि वह सदन में अपनी सफाई कैसे देंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसके नाम हमारे प्रदेश का आबकारी विभाग बंधक है, हमारे प्रदेश का खनिज विभाग भी बंधक है और उसी को मान्यवर, उसी के पक्ष में लैण्ड एक्वीजीशन के लिये ही सबसे ज्यादा जमीनें अधिग्रहीत करके दिये जाने का मामला है। मान्यवर, प्रदेश जानता है, नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं होगा और मान्यवर, इसके अलावा, गंगा एक्सप्रेस-वे बनता है और ये सबको पता है कि जे0पी0 ग्रुप करेगा। गंगा एक्सप्रेस-वे की परियोजना आती है, तो सबको पता होता है कि यह काम तो सिर्फ जे0पी0 ग्रुप करेगा और कोई दूसरा ग्रुप इसको कर ही नहीं सकता है और ये सारी चीजें मान्यवर, अनायास नहीं है। मान्यवर, जो बातें कयास में आती हैं वही बातें आगे आती हैं और ये बातें अनायास नहीं हैं। यद्यपि आप एक नई पॉलिसी घोषित करने जा रहे हैं रिहेबिलिटेशन के लिए। अगर आप उत्तर देते हैं तो जो पुरानी पॉलिसी जो आपकी पूर्ववर्ती सरकार ने बनायी थी, उसकी उस पुनर्वास नीति को मंगवा लीजिए और उसमें क्या है सिर्फ इतना आप बता दीजिए। मान्यवर, पुनर्वास के लिए जो सारी लोकहितकारी व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार ने की थी, उसका उल्लेख न करके और एक नया दस्तावेज इन्होंने जारी कर दिया है, और आपके वश में कुछ है ही नहीं। जो राहत आप दे सकते हैं राज्य स्तर पर किसानों को वह आपने दिया नहीं और रोज आप इस बात की उलाहना देते है कि लैण्ड एक्विीजिशन ऐक्ट सेन्ट्रल का ऐक्ट है इसलिए पार्लियामेंट उसको पारित नहीं कर सकती है।

मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के कई नुमाइंदे हैं, कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदों ने भी घड़ियाली आंसू बहाये, लोगों के बीच गए, पैदल चले, बड़ी अच्छी-अच्छी फोटो खिंचवायीं, कभी एक छोटा का कागज का टुकड़ा गिरा हुआ उठाते हुए सारे चैनलों में 6 मिनट की कवरेज दी। फलां गांव में गए उसके मेड़े पर कागज का टुकड़ गिरा हुआ था, उसको उठा लिया तो इसकी 6 मिनट तक कवरेज चलती रही लेकिन मान्यवर, उससे भी कोई राहत नहीं मिली। किसानों को लेकर के प्रधानमंत्री के पास जाने तक का नाटक हुआ, उससे भी कोई राहत नहीं मिली और असल राहत यह होनी चाहिए थी, कि अगर इतने दिनों से मंथन हो रहा था तो पार्लियामेंट का सेशन आगे आता अब सेशन हो रहा है, अब तक उस ऐक्ट को पारित हो जाना चाहिए था, नहीं पारित हुआ तो जब तक पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा था, उसके तीन महीने पहले से फर्जी आंसू, टेसू बहाने से बेहतर था। जब सारा देश मान रहा है और मान रहे हैं यह केन्द्र में सरकार चलाने वाले लोग कि यह लैण्ड एक्विजीशन ऐक्ट इतना पुराना है कि यह किसानों को हित नहीं कर सकता है, इसको बदलना चाहिए था, तो इस ऐक्ट को बदल के ले आते, लेकिन उस ऐक्ट के होते हुए भी यह सरकार जो कर सकती थी वह करती 800 रुपये गज किसान की जमीन लेकर के उसे 12000 रुपये गज बेचने का काम वह कर रही है, मान्यवर, वह काम तो रुक सकता है। हम बधाई देना चाहते है देश की न्यायपालिका को जिसने फैसला

दिया और फैसला इस आधार पर दिया कि लैण्ड एक्विजीशन के लिए सबसे पहले मान्यवर, जिस योजना पर 8 साल में कोई कार्य नहीं हुआ, उसके लिए आदेश निकला 4 साल में ही आपने वर्ष 2007 में आते आते इमरजेन्सी क्लॉज लगा दिया। इमरजेन्सी क्लॉज के बाद यहां से कोई देखने पूछने तक नहीं गया और अरजेन्सी क्लॉज के अन्तर्गत, न उसको कम्पन्सेशन का अधिकार, न उसको कब्जा लेने का अधिकार, न अपनी बात रखने का अधिकार, किसान को सब अधिकारों से बेदखल करके उसको उसकी जमीन से आपने बेदखल कर दिया। उसमें आपने कह दिया कि इसमें इमरजेन्सी का क्लॉज लगा दिया है, इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं। मान्यवर, जो इस सरकार ने बिल्डर्स से मिलकर के और सिर्फ नगरीय योजनाओं के नाम पर तमाम स्पेस उनको दे दिया। जो जमीनें उन्हें देने का काम किया एक्सप्रेस-वे के नाम पर उसके किनारे-किनारे पूरी टाउनशिप डेवलेप होगी और उस टाउनशिप को जो डेवलप करने का काम होगा, वह एक फ्रैन्चाइजी को दे दिया जायेगा, जिसके साथ आपने एग्रीमेन्ट पहले से किया था, जो पहले से तय किया था।

उसमें एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि लैण्ड एक्विजीशन ऐक्ट में किसान की मदद के लिए भी एक प्राविधान था। वह प्राविधान यह था कि जिस परपज के लिए यह लैण्ड इंक्वॉयर की जायेगी, जिस उद्देश्य के लिए भूमि का अधिग्रहण होगा उस उद्देश्य के लिए यदि भूमि का प्रयोग नहीं होता है, तो वह भूमि किसान को वापस कर दी जायेगी और मान्यवर, इसमें जो मुआवजा आपने किसान को दिया है वह मुआवजा भी वापस होने की बाध्यता, यदि उसे मुआवजा भी नहीं मिलेगा और परपज पूरा नहीं होगा तो वह जमीन वापस कर दी जायेगी। यह प्राविधान था उस प्राविधान के होते हुए गंगा एक्सप्रेस-वे और यमुना एक्सप्रेस-वे के लिये जो जमीनें आपने अधिग्रहीत की, उसमें जो फ्रेंचाइजी के साथ जो एग्रीमेण्ट किया, उसमें ये तय कर दिया कि चाहे वो बनाये चाहे नहीं बनाये, चाहे कालांतर में उसको बनानी पड़े, चाहे नहीं बनानी पड़े, वो समस्त भूमि जो इसके लिये एक्वायर की जा रही है, जो फ्रेंचाइजी के पास होगी और इन्टरेस्ट बदल भी जायेगा तो भी मान्यवर वह जमीन किसान को वापस नहीं मिलेगी। केन्द्र सरकार द्वारा कभी अंग्रेजों के जमाने में लैण्ड एक्विजीशन ऐक्ट बनाया गया, उसके प्रावधानों में भी किसानों को जो राहत थी, उससे भी आगे जा करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने किसानों के साथ किया है और उससे 17 किसान नहीं लाखों परिवार प्रभावित है और उसमें जो भुखमरी से मर गये, जो अपनी जमीन से बेदखल करने से मर गये, उनकी गिनती का शुमार नहीं है। मान्यवर, जो गोलियों से मरे उनका जिक्र है, जो जेलों में सड़ गये, उनका जिक्र है। लेकिन भुखमरी से जो मर गये, अपने खेत से हटा देने के कारण उन गरीबों का नाम सरकारी आंकड़ों में नहीं है, हम भी आज आपके सामने दे पाने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए श्रीमन् हम इस प्रश्न पर आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि न इससे कोई तात्कालिक है, न इससे कोई सुनिश्चित है, न लोक हित से जुड़ा इससे बड़ा कोई प्रश्न हो सकता है मान्यवर, इसलिए आप आज इस कार्यस्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए, सदन में इस पर चर्चा कराने की कृपा करें, धन्यवाद्।

*श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आज जिस समस्या और व्यवस्था से पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है उस पर आपने मुझे कांग्रेस पार्टी की ओर से अपने विचार रखने का अवसर दिया। मान्यवर, मुझसे कोई पूछे अगर कि पांच साल नहीं अभी साढ़े चार साल हुए हैं, साढ़े चार साल की बसपा सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो मुझे कहने में संकोच नहीं होगा, साढ़े चार साल के कार्यकाल की इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि जिसे देश, जिसे दुनिया, जिसे इतिहास भगवान के रूप में मानता था, जानता था, उस किसान को भिखारी बनाने का काम किसी ने किया है तो वह बसपा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। श्रीमन् माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगर किसान नहीं होता तो शायद यह सभ्यता भी जीवित नहीं रहती, किसान नहीं होता, तो किसान आन्दोलन नहीं होता और यह देश आजाद नहीं होता। पर आज हो क्या गया है, आज किसान ने यही समझा होगा कि जब देश आजाद होगा तो उसकी सरकारें बनेंगी और किसान का उदय होगा लेकिन मान्यवर, उत्तर प्रदेश में तो यह हो रहा है, किसान का सारा हित बेंच दिया जा रहा है, गिरवी रख दिया जा रहा है और बड़े-बड़े लोगों के हित देखे जा रहे हैं। मान्यवर, आज इस असंतोष का कारण क्या है, बड़ा सीधा सा कारण है, किसान से जमीन आप लेते हैं साढ़े सात सौ, आठ सौ, साढ़े आठ सौ और उसी किसान की जमीन को एक साल, डेढ़ साल, दो साल बाद आप बेंचते हैं सत्रह हजार से लेकर अट्ठारह हजार स्क्वायर मीटर के हिसाब से, यह किसान के साथ धोखा नहीं है, किसान के साथ फरेब नहीं है, किसान के हितों पर डाका नहीं तो और क्या है, बात समझ में आती कि यह जमीन किसान से जिस दाम पर बेची गई हो, उसका लाभ किसान को सीधे दिया जाता तो कहीं कोई किसान आन्दोलन न होता, लेकिन जब किसान देखता है, कल जिस जमीन का वह मालिक था, खरीदी नहीं थी, उसके परिवारवाइज, उसका भावनात्मक लगाव उस जमीन के साथ है और सच पूछिये तो वही उसकी जीविका का मुख्य साधन है, जब पता लगता है कि उसकी जमीन ली जाती है, उसके चूल्हे की आग ठण्डी हो जाती है, बच्चे को खिलाना मुकिश्ल हो जाता है, बेटी की शादी करना मुश्किल हो जाता है, बच्चे को पढ़ाना मुश्किल हो जाता है और उस जमीन का वाजिब दाम जब उसको नहीं मिलता तो उसके दिल में कहीं दुःख होता है। याद रखियेगा जो सच भी है, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं इस सदन में कि अगले चुनाव में अगर आपकी सरकार जिसके गिरने की इबारत दीवार पर लिखी हुई है, जनता का विश्वास खोयेगी तो उसमें सबसे बड़ा आर्शीवाद इस उत्तर प्रदेश के किसानों का होगा और आपके लिए सबसे बड़ा श्राप अगर कोई होगा तो किसानों का होगा।

मान्यवर, मैं अब जो बात कहने जा रहा हूं, वह किसी राजनीतिक दल के नेता का बयान नहीं है, वह तो अब साबित हो गया हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट से कि जो हम कह रहे हैं उसको हाई कोर्ट ने पहले ही साबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि लैण्ड एक्वीजीसन का जो कानून है उसे परिभाषित कर दिया और हर जगह जहां-जहां जमीन ली गई थी, वह जमीन इसीलिए एक नहीं हर जगह जहां आपने जमीन ली थी, वह गैर कानूनी थी, यह आज इस सदन में खड़ा होकर प्रमोद

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तिवारी नहीं बोल रहा है, इस देश का सुप्रीमकोर्ट कह रहा है, इस देश का हाईकोर्ट कह रहा है। किसी भी सरकार के लिए, लोकतांत्रिक सरकार के लिए सबसे बड़ी दुर्भायपूर्ण स्थिति है, लेकिन फिर भी हम चर्चा कराये जा रहे हैं, कारण क्या है मान्यवर, किसान को धोखा कैसे दिया गया, आप देखिये ? मान्यवर, किसान की जब जमीन खरीदी गयी तो इमरजेंसी क्लॉज लगाया गया यानि कि उसे अपनी बात कहने का अवसर नहीं दिया गया। मान्यवर, जमीन अधीग्रहण में यह प्राविधान निहित है कि बाजार भाव पर लिया बायेगा। जब जमीन ली जायेगी तो उस अधिग्रहण के समय उसको एक अवसर दिया जायेगा कि आप आयें और अपनी बात कहें। हम आपकी बात सुनेंगे जायज होगी तो मानेंगे जायज नहीं होगी तो समझायेंगे। मान्यवर, इस कानून में जो नियम-17 है वह उस दशा में है जब कोई देश में आपात स्थिति आ जाय बहुत जरूरी हो जाय तभी वह लागू किया जाता है। कहीं बांध बनना है कहीं पर सीमा बाड़ लगनी है कहीं कोई ऐसी स्थिति जिसमें प्रतीक्षा नहीं हो सकती है उसमें नियम-17 का प्रयोग हो सकता है। मान्यवर, नियम-17 के उपयोग को डिलीट करके छोड़कर के जमीन ली जाती है पर आप करते क्या हैं आप उद्योग के नाम पर जमीन लेते हैं नियम-17 को दरकिनार कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद उस जमीन के भू-उपयोग को बदल देते हैं। जो जमीन उद्योग के लिए ली जाती है वहां किसान देखता है कि वहां पर बहुमंजिला इमारते बनने जा रही है। मान्यवर, उद्योग लगते तो किसान को एक फायदा था कि शायद उसके बेटे को उसमें नौकरी मिल जाती। लेकिन जब वहां पर बहुमंजिला बिल्डिंग बन जाती तो जो किसान कल तक उसका मालिक था उस किसान का बेटा उस घर में झाडू लगाता है। आज किसान को आपने वहां पर पहुंचा दिया है। मैं कहता हूं कि आप खुले दिल से उनसे बात कीजिये और बात करके देखिये कि आपकी गलती कहां पर है, कोई गलती है तो उसको सुधारिये। यह तो गाईडलाइंस में है कि बाजार भाव के आधार पर खरीदेंगे और अगर बाजार भाव होता तो 600 की जमीन दूसरे साल 17000 में नहीं बिकती। अब बात रहीं कि हम तो करेंगे। मान्यवर, मैं सिर्फ इतना सचेत कर देना चाहता हूं कि यही बामपंथी मोर्चा ने भी वेस्ट बंगाल में कहा था। नन्दीग्राम के लिए 34 साल से उनका अखंड राज्य था आपका तो चार साल का है तीस साल उनका ज्यादा था। एक नन्दीग्राम सबसे बड़ा कारण बना जिसने वेस्ट बंगाल की हुकुमत से बामपंथियों को फेंक दिया बाहर और देख लीजियेगा यही आपके साथ होने जा रहा है।

मान्यवर, सच्चाई क्या है भट्ठा परसौल में क्या हुआ ? जो बातें भाई हुकुम सिंह जी ने कहीं हैं किसानों की राजनीति से जुड़े रहे हैं, आन्दोलन करते रहे हैं मैं उसको दोहराने नहीं जा रहा हूं। चौधरी साहब किसानों की राजनीति करते हैं किसानों के आन्दोलन करते हैं जो उन्होंने कहा उसे दोहराने नहीं जा रहा हूं। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं और यह जानना चाहता हूं कि भट्ठा परसौल में जो झड़प हुई वह किन परिस्थितियों में हुई और किस बात पर हुई। लेकिन भट्ठा परसौल में रात को तीन किसान मारे गये मुझे उनके साथ भी सहानुभूति है और उसमें जो पुलिस कर्मी मारे गये मेरी संवेदना उनके और उनके परिवार के साथ भी है। जांच होनी चाहिए। जांच के बाद जो दोषी पाया जाय उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन मान्यवर, जो रात भर हुआ है भट्ठा परसौल में वह मान्यवर, शर्मिन्दा करेगा क्रूर से क्रूर कदम उठाया गया। लड़कियों को बेज्जत किया गया बुजुर्गों को अपमानित किया गया नौजवानों को पीटा गया किसानों को अपराधी के रूप में देखा गया। मान्यवर,

यह मैं नहीं कह रहा हूं। यह अदालत ने कहा कि हम आंख बंद करके नहीं देख सकते हमारी आंखें खुली हुई है जो कुछ भट्ठा परसौल में हुआ वह शर्मनाक है। यह सुप्रीम कोर्ट का आब्जरवेशन है जो मैं आज दोहरा रहा हूं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से भट्ठा परसौल में पुलिसिया तांडव हुआ है, नग्न तांडव हुआ है, वह दुखद है। मैं दोहरा देता हूं कि मुझे उतनी ही संवेदना है किसानों के परिवारों से ही जितना अगर पुलिस के सिपाही मारे गये हैं तो उनके परिवारों से भी है। मान्यवर, हो क्या रहा है। पहला काम अगर आप करना चाहते हैं तो जितने किसानों पर मुकदमें कायम हुए हैं उनको वापस लीजिये और तेवतिया सहित जितने भी नेता है उनको बिनाशर्त रिहा करके किसानों से बात करिये यह कांग्रेस की तरफ से आपसे मांग करता हूं। वर्ना वही होता जायेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट सब एक तरफ से आपकी जमीने निरस्त कर रहा है। आप अगर किसानों की तरफ हाथ नहीं बढ़ायेंगे तो एक नया पक्ष भी इसमें उभरकर सामने आ रहा है कि मल्टीस्टोरी बिल्डिंग बन गयी है, किरायेदार आ गये है उनका भी भविष्य है तो आपसे अब भी कह रहा हूं कि खुले दिल से किसान जैसा कि सुप्रीमकोर्ट ने कहा है किसानों को किसानों का हक दे दीजिए, सरकार कल्याणकारी सरकार होती है किसानों पर बोझ न पड़े जो लोग आ गये हैं उन पर बोझ न पड़े बल्कि उस बोझ को सरकार अपने ऊपर वहन करे और जो बन गया है उसको बचाये रखने का रास्ता केवल समझौते के अलावा और कोई दूसरा नहीं हो सकता।

मान्यवर, लेकिन नहीं करेंगे आप, तो होता क्या है 2007 में दादरी घोड़ा बछेड़ा 4 किसान मारे गये, 2009 बाजना मथुरा एक किसान मारा गया, 2010 टप्पल 3 किसान मारे गये, 2010 करछना इलाहाबाद एक किसान मारा गया, 2011 भट्ठा परसौल जैसा मैने कहा 3 पुलिस के जवान और 3 किसान मारे गये। मान्यवर, मैं आपसे एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि किसानों की जमीन के लिए गाइडलाइन तय है भू-अधिग्रहण कैसे करेंगे इसके लिए भी दिशा-निर्देश है, आप वहां स्कूल बनायेंगे नहीं बना रहे है, स्वास्थ्य केन्द्र बनायेंगे नहीं बना रहे हैं, सड़के और बिजली आप उनको देंगे नहीं कर रहे हैं, हर परिवार के साथ पानी नहीं कर रहें हैं, आप, पंचायतघर नहीं कर रहे हैं, आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं कर रहे है आप, पूजा अर्चना नहीं कर रहे हैं, कब्रिस्तान तक जुतवाकर उसमें बिल्डिंग बनवा रहे हैं, पोस्टआफिस जिसमें सेविंग खाते की सुविधा हो नहीं कर रहे हैं, राशन दुकानें नहीं कर रहे हैं और जो यह है कि उपजाऊ जमीन नहीं ली जायेगी आपकी सड़के उपजाऊ जमीनों से गुजर रही है। यह भी तय है कि जो बहुफसली है उनको नहीं लेंगे उन बहुफसली जमीनों को भी आप ले रहे है। आपने यह भी तो नहीं किया कि जमीन पर जो उनकी सम्पत्तियां हैं कुएं के रूप में हों, ट्यूबवेल के रूप में हों, घर के रूप में हों उसकी भी मालियत आपने अलग से नहीं लगाई यही तो किसान का असंतोष है। आपसे खुले दिल से मेरा एक आग्रह है कि आप किसानों से खुले दिल से बात करें उनकी बात को सुने और इस समस्या का समाधान करें। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कुछ संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था। मैं एक अदालत की दो लाइन सुना देता हूं- गज भर कपड़ा के भाव से ले ली आपने जमीन, एक गज कपड़ जितने भाव से मिलता है उस भाव से, उस भाव से आपने जमीन ली है यह सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी है। अब उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपने ठीक किया है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। सिर्फ इतना कहना है कि किसान आन्दोलन चलेगा और हम उसका अधिकार दिलाने के लिए किसी सीमा तक जायेंगे।

मान्यवर, जहां तक बात है केन्द्रीय कानून की तो हरियाणा में केन्द्रीय कानून नहीं है, बहुत से राज्यों में केन्द्रीय कानून अभी नहीं बना है लेकिन अगर वहां आप अपनी शर्तो पर अगर आप मुआवजा देना चाहें तो हमें दिखा दे वह कानून जो आपको रोकता हो, देने के लिए कोई रोक नहीं है आप जितना चाहे दे सकते है लेकिन आप केन्द्रीय कानून की बात करते हैं तो मैं आपसे बहुत ही अनुरोधपूर्वक कहना चाहूंगा कि पूरी उम्मीद है कि मानसून सत्र में यह केन्द्रीय कानून आयेगा और उसमें हमें आपके समर्थन की जरूरत पड़ेगी हम सारे दलों से समर्थन की दरकार करते हैं। यूपीए वन में बन गया होता लेकिन जिन दलों ने राज्यसभा में उसका विरोध किया वह अपनी जगह है सबको मालूम है तो आज अगर यह नहीं बन पाया है तो इसके लिए वह दल जिम्मेदार है जिन्होंने इसका विरोध किया। हमारे कुछ दोस्त कह रहे थे कि घड़ियाली आसू है उस घड़ियाली आसू के बारे में भाई अम्बिका जी मैं आपकी तारीफ कर रहा था। मेरे भाई मेरा नेता तो बहुत अच्छा है कम से कम सुबह दूध वाले की मोटरसाइकिल पर बैठकर पहुंच तो गया वहां, बहुत से नेताओं ने क्या किया, मैं आपको नहीं कह रहा हूं आपके नेता को नहीं कह रहा हूं अगर हो तो मान लीजिएगा नहीं तो कोई बात नहीं है। प्रेस रिलीज जारी होती है इतने बजकर इतने मिनट पर दिल्ली से चलेंगे और सारा मीडिया पूरा दल लेकर पहुंच जाता है और जैसे दिल्ली बार्डर आता है वहां एयरकंडीशन गाड़ी से नीचे कदम भी नहीं उतरते और लोग फोटो खिंचवाकर लौट आते हैं। लेकिन हमारे नेता ने क्या किया जिसका नाम राहुल गांधी है मोटरसाइकिल पर बैठकर गया उनके बीच रहा आप बोलो चाहे जितना लेकिन इतना मैं कह दूंगा आपसे जो यात्रा भट्टा परसौल से अलीगढ़ तक गयी है अगर उस यात्रा की तुलना किसी से की जा सकती है तो मैं नहीं कहता कि वह उनके बराबर है लेकिन अगर उन्होंने कहीं से वह आदर्श लिया है, कहीं से प्रेरणा ली है तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से प्रेरणा ली है।

श्री अम्बिका चौधरी-

प्रेरणा भी वहीं से ली है और नाम भी वही से लिया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

(महात्मा गांधी की प्रतिमा की ओर इशारा करते हुये) यह बूढ़े हो गये हैं, यही उनका फोटो लगवा दीजिये।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, फोटो तो गांधी जी की तब लगी भी, जब वह दुनिया में नहीं रहे। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि गांधी जी की फोटो तो रहे लेकिन कोई कोना ऐसा ढूंढ़ लिया जाये जिसमें आजम खां साहब की फोटो लग जाये। तो मान्यवर, हम उस नौजवान की जरूर तारीफ करते हैं, जिसने पदयात्रा की और जिसके पैरों में छाले पड़े लेकिन उसने जो आवाज उठाई है, चाहे जितना यह सरकार कोशिश कर ले, किसानों का हक अगर कोई दिलायेगा तो उसका नाम राहूल गांधी है, यह हम गर्व से कहते हैं।

दूसरी बात मान्यवर, कहना चाहता हूं, उसको सुन लीजिये। वह कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। मान्यवर, कुछ लोगों को संकोच जरूर होता है इसमें बोलने में, क्योंकि यही सदन था, आप ही को समर्पित है, इसको आप सुन लीजियेगा। मैं जहां बैठा हूं, यहीं बैठा था, कुछ थोड़े बहुत लोग इधर उधर हुये हैं। उस समय जब हमने पावर हाउस का नाम लिया, पावर प्लान्ट का

नाम लिया, हजारों एकड़ जमीन की बात हमने भी उठाई थी, इन्होंने भी उठाई थी तो थोड़ा सा संकोच तो आपको होता होगा, थोड़ा सुनने में भी आपको तकलीफ होती होगी लेकिन जरूर यह सही बात है कि कहीं न कहीं थोड़ी बहुत समानता तो है। खैर हम तो इतना ही कहना चाहेंगे कि किसान को किसान का हक मिले। घड़ियाली आंसू वाली बात नहीं कहीं जाती तो मैं यह कभी नहीं कहता। लेकिन वह बात आई है तो इसलिये मैंने जवाब दे दिया। मैं सिर्फ इतना ही विनम्रतापूर्वक इस सरकार से बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि किसान की आह आप मत लो, किसान की आह जिस हुकुमत को लगी थी, वह नेस्तानाबूत हो गये। अगर किसान की आह आप लोगे तो इस बार तो जाओगे ही, दुबारा कभी लौटकर नहीं आओगे।

*डा0 अनिल चौधरी-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं शुक्रगुजार हूं आपका, कि इतने गम्भीर विषय पर ग्राह्यता पर बोलने के लिये आपने मुझे अवसर दिया। अधिष्ठाता जी, किसान की जो पीड़ा है उसके साथ-साथ मुझे आज खुशी भी है कि पिछले दो-ढाई साल से जिस बात को हमारा दल लगातार न सिर्फ सड़क पर बल्कि सदन में भी गम्भीरता से उठाता रहा है आज न सिर्फ यहां उपस्थित सभी दल बल्कि देश का मीडिया, देश का आम आदमी और उच्च और उच्चतम न्यायालय तक उस आवाज को आज सुन पा रहे हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे पा रहे हैं। मान्यवर, मैं आदरणीय हुकुम सिंह जी, आदरणीय अम्बिका चौधरी जी, आदरणीय प्रमोद तिवारी जी की बातों में से किसी को दोहराऊंगा नहीं और एकआध बातों को छोड़कर बाकी सभी बातों से अपने को सम्बद्ध करता हूं और कुछ दस्तवेजी बात आपके और सदन के संज्ञान में जरूर लाना चाहूंगा। मान्यवर, 2007 में सूबे में सत्ता आई बहुजन समाज पार्टी की, मेरे पूर्व वक्ता बता चुके हैं कि उस समय घोड़ी बछेड़ा काण्ड हुआ। इसके बाद भी किसानों के आन्दोलन चलते रहे, यमुना एक्सप्रेस-वे ॲथारिटी ने मेसर्स जे0पी0 इन्फ्राटेक लिमिटेड से एक कन्सेशन एग्रीमेन्ट किया और यमुना एक्सप्रेस-वे के निर्माण की ओर अपना कदम बढ़ाया। गंगा एक्सप्रेस-वे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट ॲथारिटी से भी इसी कम्पनी का एक करार हुआ लेकिन शायद गंगा एक्सप्रेस-वे के किसानों को एक सहूलियत मिली, जस्टिस मालवीय जो परम श्रद्धेय मदन मोहन मालवीय जी के सम्भवतः पौत्र हैं, वह गंगा महासभा के संरक्षक हैं, जस्टिस भी रहे हैं, वह उन किसानों की पीड़ा को लेकर उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट में गये और उस पर आज तक स्टे मिला हुआ है। लेकिन यमुना एक्सप्रेस-वे और दूसरे सम्बद्ध किसान उतने भाग्यशाली नहीं थे उनकी जमीनों का अधिग्रहण शुरू कर दिया गया। आज इस बात को भी मैं लाऊंगा आपने अवसर दिया है, मान्यवर, अलीगढ़ और मथुरा जैसे जिलों को मात्र 320 रुपए वर्ग मीटर की दर से मुआवजा दिया गया है जो एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन ली गई। जो कन्सेशन एग्रीमेन्ट हुआ इसमें यमुना एक्सप्रेस-वे ॲथारिटी ने 1546 हेक्टेयर जमीन एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए और इसके बाद लिखा कि ढाई हजार हेक्टेयर जमीन उस कम्पनी को कन्सेशनर को टाउनशिप के निर्माण के लिए लैण्ड फॉर डेवलपमेंट के लिए दी जायेगी। बहुत सारे विचार यहां आये, करार नियमावली शायद 13 साल पुरानी है इस सूबे के अन्दर। करार की बातें की जाती हैं कि किसान की सहमति से करार किया जाय, व्यक्तिगत अनुभव मेरे भी हैं

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और दूसरे लोगों के भी होंगे। करार के नाम पर किसान को उत्पीड़ित किया जाता है, घनघोर अत्याचार किये जाते हैं और उसे मजबूर किया जाता है कि वह करार करे। मैंने इसी सदन के अन्दर दस्तावेजी सबूत दिये थे किसानों की खतौनियों में जब आपने मालिकाना हक मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे, विकास प्राधिकरण दर्ज ही कर दिया, जब वह किसान उसका मालिक ही नहीं रहा तब फिर आप करार किसान से किस हैसियत से करने जा रहे हैं।

इस विधान सभा की कार्यवाही के ये अंग हैं हमने 07 अगस्त, 2009 को इस सदन में यह बात उठाई थी कि यमुना एक्सप्रेस-वे विकास प्राधिकरण साढ़े आठ सौ गांव पांच जिलों के, छः तहसीलों के अधिसूचित घोषित कर दिये गये। एक पत्र हमने लिखा था यमुना एक्सप्रेस-वे ॲथारिटी को कोई मार्कण्डेय जी हैं सचिव स्तर के अधिकारी हैं, उनका उत्तर मिला था कि अधिसूचना इसलिए जारी की गई है कि यह देखा गया है कि जब किसी एक्सप्रेस-वे का निर्माण होता है तो उसके आस-पास अनियमित विकास होने लगता है। अनियमित विकास की भावना एक किलोमीटर दो किलोमीटर पांच किलोमीटर तक हो सकती थी लेकिन सदन के संज्ञान में मैं पहले भी ला चुका हूं और फिर ला रहा हूं एक्सप्रेस-वे से 55 किलोमीटर दूर सासनी तहसील के गांव, मा0 ऊर्जा मंत्री जी का खुद का गांव, मा0 उद्यान मंत्री जी का खुद का गांव एक्सप्रेस-वे से 33 किलोमीटर दूर है, इन गांवों को अधिसूचित करने की क्या आवश्यकता थी यह मेरी समझ से अब भी बाहर है। और फिर मान्यवर, कानून तोड़ने की बात यहीं नहीं रह गई।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम जिसके तहत यह अधिसूचना जारी की गयी थी उसकी धारा-12ए में यह उल्लेख है कि जैसे ही कोई गांव अधिसूचित घोषित होगा उसके अन्दर पंचायत का सिस्टम खत्म कर दिया जायेगा। वहां पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का अस्तित्व तो समाप्त हो गया। मैंने विधान सभा में प्रश्न पूछा, विधान सभा में यह उत्तर आया कि हां, उन गांवों में पंचायती राज सिस्टम समाप्त कर दिया जायेगा और उस उत्तर के दो महीने बाद 5 एम0एल0सी0 सत्तारूढ़ दल के, गौतमबुद्ध नगर-बुलन्दशहर सीट से एक, अलीगढ़-हाथरस से एक, मथुरा-एटा-मैनपुरी की सीट से दो और आगरा-हाथरस से एक, मथुरा-एटा-मैनपुरी की सीट से दो और आगरा-फिरोजाबाद सीट से एक सदस्य चुना जाता है। उन अधिकार समाप्त पंचायत प्रतिनिधियों से वोट डलवाकर अपने को निर्वाचित घोषित करा लिया। मैंने इस विधान सभा में इस मसले को भी उठाया। आखिर क्या कारण है, मैं विधान सभा में पहली बार आया हूं, नया विधायक हूं, शायद मेरी जानकारी कम होगी, कानून के विषय का जानकार भी नहीं हूं। हमने पूछा कि मुझे यह बताइये कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम सही है या सरकार सही है या विधान परिषद् सदस्यों का निर्वाचन सही है, इसका उत्तर दो। औचित्य का प्रश्न भी लगाया, परन्तु उत्तर नहीं आया।

उ0 प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-167, 168 में 15 फरवरी, 2010 को मैंने पूछा कि यह उत्तर गलत था या यह अधिसूचना गलत थी ? कोई उत्तर आपकी पीठ से निर्देश के बाद जब नहीं मिला तो मैंने औचित्य का प्रश्न लगाया 11 अगस्त, 2010 को और जो उसका उत्तर मेरे पास विधान सभा सचिवालय से प्राप्त हुआ उसमें लिखा है कि 15 दिन के अन्दर सरकार आपको उसका उत्तर पहुंचा देगी, वह 15 दिन कभी पूरे नहीं हुए। जब मैंने अपने वरिष्ठ सथियों से सलाह ली तो मैं पिछले अक्टूबर में हाईकोर्ट में पी0आई0एल0 दाखिल की। वहां मेरे

हाईकोर्ट जाने की सूचना होते ही उत्तर मेरे पास आ गया क्योंकि वाद संख्या फलां-फलां हाईकोर्ट का लम्बित मामला है इसलिए इस पर सरकार उत्तर नहीं दे सकती। मान्यवर, एक मसला नहीं है जहां सरकार की नीयत में खोट है। कन्सेशन एग्रीमेण्ट किया, उसके बाद इनर रिंग रोड पर आगरा यमुना अथॉरिटी से नया कन्सेशन एग्रीमेण्ट आ गया, एन0एच0-3 के लिए एक नया एग्रीमेण्ट बना लिया उस कन्सेशन एग्रीमेण्ट की एक धारा पढ़ दूं। उसमें साफ लिखा हुआ है कि उक्त सड़क के 3-3 कि0मी0 दूर तक कोई भी अन्य अथॉरिटी विकास कार्य नहीं करेगी। आपने एक कम्पनी को एकाधिकार दे दिया कि लूटो, खाओ और किसानों की जमीन ले लो। इस कम्पनी ने मार्केट के अन्दर अपना शेयर लाने के लिए सेबी में यह कम्पनी गयी तो मैंने सेबी को एक पत्र लिखा कि यह न सिर्फ किसानों के साथ धोखा हो रहा है बल्कि जो निवेशक निवेश करने आयेंगे, जो शेयर खरीदेंगे उनके साथ भी धोखा धड़ी होगी। मैंने समय से पहले 2009 में चेतावनी दे दी थी। वहां इस कम्पनी ने जो उत्तर वाचन किया और जो कन्सेशन एग्रीमेण्ट है, उसका कुछ अंश मैं अवश्य पढ़ करके आपको सुनाना चाहूंगा। यह कम्पनी लिखती है, सेबी को जो जवाब दिया है अवर परफारमेन्स इज टू द स्टेबिलिटी आफ पोलिटिकल सिचुएशन इन इण्डिया एण्ड पर्टिकुलरली इन उत्तर प्रदेश।

यानि इस कम्पनी को यह अधिकार हो गया कि भारत की राजनीतिक अस्थिरता के बात लिखित में दे रही है और एक सरकारी संस्था के सामने और उसके आगे लिखती है कि ..... द प्रजेन्ट इण्डियन गवर्नमेन्ट कनीसस्टस आफ ए कोलिसन आफ पोलिटिकल पार्टीज। द विदड्राल आफ वन आर मोर आफ दीज पार्टीज फ्राम ए कोलीशन इनस्टेबिलटी एनी पोलिटिकल इनस्टेबिलटी कुल डिले द रिफार्म आफ द इण्डयन इकोनामी एण्ड कुड हेव ए मैटिरियल एडवर्स एफेक्ट आन द मार्केट फार आवर ईक्यूटी शेयर्स।

इस कम्पनी ने राजनीति को सरकारों से केन्द्र की सरकार से और नीचे उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में लिख दिया वहां से इनकी नीयत साफ हो जाती है। बीच-बीच से मैं पढ़ रहा हूं पूरा पढूंगा तो समय लगेगा।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया संक्षेप में रखें।

डा0 अनिल चौधरी-

मैं विषय पढ़ रहा हूं। माननीय अधिष्ठाता जी मेरी पीड़ा है दो ढाई साल से हम इसमें लगे हुये हैं कुछ ले आये हैं इसको सुनने में सभी लोगों की रुचि होगी।

द 2007 उत्तर प्रदेश इलेक्शन्स मार्क्ड द फर्स्ट टाइम्स सिन्स 1991 दैट ए सिंगल पार्टी हैज गेंड ऐन एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन उत्तर प्रदेश। इफ देयर इज एचेन्ज इन पावर आर इफ ए कोलीशन गवर्नमेन्ट इज इलेक्टेड इन द फ्यूचर द पोलसीज आफ द स्टेट गवर्नमेन्ट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडिंग टोल रेट्स एण्ड डेवलपमेन्ट कुड बी रिवाइज्ड आर द इफेक्टिव इम्पिलीमेर्टेशन आफ सच पालिसीज कुड बी इम्बेडेड इदर आफ व्हिच कुड हैव ऐन एडवर्स इफेक्ट आवर बिजनेस सब चीजें लिखकर यह कम्पनी दे रही है और साफ-साफ इशारा कर रही है। अभी कुछ बात आई थी माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा था कि एक समय में अमर सेस लगता था आज आनन्द सेस हो गया है। जहां तक मेरी जानकारी में है वही बात आ जाएगी। अपुष्ट सूत्र जरूर है लेकिन जो सुनने में आता है और

हम जैसे लोगों की धारणा इसलिये और मजबूत हो जाती है कि जितनी हिंसा की घटनायें हुई हैं। चाहे बाजना का गोलीकाण्ड रहा हो चाहे भट्ठा परसौल का रहा हो, चाहे छलेसर का रहा हो चाहे टप्पल, किरपुर का रहा हो और चाहे बारा और करछना का रहा हो सब जगह कंशेसनर कम्पनी का नाम जे0 पी0 है। हमें लगता है दो में से एक बात अवश्य है या तो यह पूरी की पूरी सरकार सारे कामों को छोड़कर जे0 पी0 के लिये जमीन अधिग्रहण करने और उसको मालदार बनाने में लगी है। या फिर कर्नाटक के बारे में अखबार में बार-बार छपता है कि पूरी सरकार रेड्डी बन्धुओं के हित के लिये लगी हुई है। या फिर उत्तर प्रदेश नाम की सरकार को जे0 पी0 नाम की कम्पनी ने अपनी जेब में डाल लिया है। ऐसा कयों लग रहा है क्यों किसान की पीड़ा नहीं सुन रहे हैं एक बात सोच लें चीजें उठेंगी दूर-दूर तक जाएंगी अधिष्ठाता जी आप समय की बात कर रहे हैं मैं खुद एक किसान हूं मेरा पूरा इलाका मेरे अपने खेत, मेरे मिलने वालों के खेत सब अधिसूचना से प्रभावित हैं इसको कोई शरमायेदार छीनेगा।

मैंने 7 अगस्त, 2009 को ही सरकार को चेताया था तब तक कोई घटना यमुना एक्सप्रेस-वे की नहीं हुई थी मैंने समझाया था सरकार को आप कार्यवाही निकलवा कर देख लें। हमने कहा था कि यह मत समझ लेना कि यह कोई गुड़ का पुआ खाने जा रहे हैं यह आग का गोला है यह इलाका लट्ठ से लट्ठ बजेगा खून बहेगा वही हुआ 11 अगस्त, 2010 को हमने कार्य-स्थगन प्रस्ताव लगाया राष्ट्रीय लोकदल ने और हमने चेताया कि जिगरपुर टप्पल पर किसान आन्दोलित हैं स्थिति विस्फोटक है किसी भी दिन कोई दुर्घटना हो सकती है। सरकार मौन रही कान में तेल डालकर बैठी रही हमारी बात को हवा में उड़ा दिया और 11 अगस्त के बाद 14 अगस्त को वहां पर क्या हुआ तीन किसान शहीद हो गये एक पुलिस वाला शहीद हो गया विनम्र श्रद्धांजलि उस पुलिस वाले के लिये ओर मैंने वहां खेड़े होकर यह बात कही भी कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि इधर का मारा जाय चाहे उधर का मारा जाय वह सब हमारे बेटे या भाई हैं किसान मरे तो मेरा जवान मरे तो मेरा। यह हमारा दुख है यह हमारी पीड़ा है और वह सरमायेदार अपनी अट्टालिकाओं में बैठकर अट्टाहस कर रहे हैं। किसान को लूट लिया और उसको आह भी नहीं भरने देंगे। आखिर किसी चीज से तो डरोगे। छलेसर में जब कांड हुआ मैं 19 दिन वहां धरने पर रहा किसानों के बीच में। एक-एक जगह मैं गया। जहां गोलीकाण्ड हुआ उसके 4 घण्टे के अन्दर मैंने पहुंचने का काम किया। मैं अपने अनुभव से बताना चाहता हूं, 19 दिन हम वहां बैठे रहे। एक गरीब औरत की पीड़ा हमको वहां सुनने को मिली। एक दिन हम वहां बैठे थे किसानों के अलावा बड़ी फटे हाल स्थिति थी। 5-6 औरतें वहां पर किसानों के अलावा थीं। एक औरत वहां आई और बोली बाबू जी मैकाहुं बोलने दो। मैंने कहा बोल बहन। शांति देवी नाम उसका विधवा 6 बच्चे, 50 गज जमीन किसी किसान के खेत के कोने पर उसने अपने नाम बैनामा कराकर या स्टैम्प पर अपने नाम वैसे ही लिखवाकर ईंट मंगवाकर मिट्टी से चुनाई कराकर एक कमरा बनाया और उसमें रहकर लोगों के यहां चौका बासन करके अपने बच्चों को पालती थी उसकी जमीन यमुना एक्सप्रेस-वे एथॉरिटी के नाम कर दी गई और मुआवजा भी उस किसान को मिला जिससे उसने 50 गज जमीन लेकर अपना एक कमरा बनवाया था। उस गरीब औरत को मुआवजा भी नहीं मिला। उसने साफ कह दिया कि कोरी नेतागिरी और भाषण करना बन्द कर दो। यहां खड़े होकर भाषण देते हो। अगर मुझे मेरा मकान नहीं दिला सकते तो मैं यहां इसी पंडाल के अन्दर आत्मदाह कर लूंगी। ऐसी शांति देवी की पीड़ा पर भी आप लोगों का मन नहीं दुखता तो मैं समझता हूं कि आपको जहन्नुम में भी रहने के लिये जगह भगवान नहीं देगा।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

डा0 अनिल चौधरी-

मान्यवर, समाप्त कर दूंगा, अभी रह गई है बातें। बोल लेने दीजिये। कभी-कभी सुन भी लिया करिये और मैं बहुत विषय के विस्तार में न ले जाकर लौट कर आ रहा हूं अपनी बात पर। अभी एक चीज आई एक नई बात आई आज के ही एजेण्डे में छपा है। यह उत्तर प्रदेश नगर विकास संशोधन विधेयक, 2011 इसमें संशोधन आ रहा है 11 तारीख को और उसमें क्या प्राविजन होने जा रहा है, मैंने समाचार-पत्रों के माध्यम से पढ़ा है। 17 क में आप कुछ बदलाव करेंगे और उससे अधिकार देंगे एथारिटीज को। अभी तक डेवलेपमेन्ट एथारिटीज को अधिकार था कि 5 साल तक उस जमीन पर डेवलेपमेन्ट नहीं करेंगे तो वह जमीन किसानों को वापस चली जायेगी। जो नया मसौदा केन्द्र में एक्ट में आ रहा है उसमें भी यही प्राविधान किया जा रहा है कि अगर आप जमीन का 5 साल तक यूज नहीं करेंगे तो जमीन किसानों को वापस चली जायेगी। आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं। घोषणा करते हैं हमारी पुनर्वास नीति। आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं। एथारिटीज को यह अधिकार आप इसी 11 तारीख को इसी सदन में देने जा रहे हैं कि 5 साल नहीं अगर हजार साल तक भी वह उस खेती को उस जमीन को किसान से छीनकर बंजर रखना चाहते हैं तो उसको अधिकार होगा। ऐसे काले कानून बनाते हैं और फिर धर्म की बात करेंगे तो आपको कौन सुनने के लिये तैयार होगा। आपको कोई सुनने के लिये तैयार नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अभी भी आप इस पर विचार कर लें अभी आपके पास 2 दिन का समय है। अगर आप किसान हितैषी हैं तो इस संशोधन विधेयक को वापस ले लीजिये, चर्चा करके देख लीजिये वरना ताबूत में आखिरी कील यही साबित न हो जाय और मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे नेता चौधरी जयन्त जी ने 5 अगस्त को संसद में भूमि अधिकार पर प्राइवेट बिल पेश किया है। पता है कोई नहीं लाया है आज तक। अभी और कोई बिल भी इन्ट्रोड्यूज नहीं हुआ पार्लियामेन्ट में। मसौदा पढ़ लीजिये, चर्चा कर लीजिये अपनी पार्टी से तो उसमें कहीं कोई कमी हो तो सुधार कर लीजिये। लेकिन अगर एक जगह बिल पेश हो गया है और आप किसान हितैषी हैं तो उसको समर्थन देने का काम करिये किसानों के हित में। आदरणीय तिवारी जी यहां से चले गये उनसे आखिरी बात कहते हुए बैठना चाह रहा था। माथुर साहब हैं, माननीय जयराम रमेश जी ने जो मसौदा दिया है मैंने उसे थोड़ा सा पढ़ा था, पब्लिक परपज की व्याख्या उसमें भी ठीक नहीं है। उसमें खेल, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा यह सब क्या है यह वही तो है, फार्मूला वन रेस, इसमें थोड़ा सा बदलाव करने के लिए कुछ सुझाव दूंगा। मैं अन्तिम बिन्दु पर आता हूं। पुनर्वास नीति की आपने 2 जून, 2011 को घोषणा करी साथ ही उसमें आपने यह भी कह दिया कि यह नीति पीछे वालों पर लागू नहीं होगी। जितनी जमीन छीननी थी वह तो आपने छीन ली। 2 जून के बाद आपको लग रहा है कि आपकी सरकार अब आएगी नहीं, अगर लागू ही करना था तो 2007 से लागू किया होता तब भी हम समझते कि किसान के हित में आपने कुछ काम किया। माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, विद्यार्थी परिषद् के नेतृत्व में हजारों छात्र आज प्रदर्शन कर रहे थे। सरकार की बेईमानी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराधीकरण के खिलाफ, बर्बर लाठीचार्ज किया गया, पचास से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं, हड्डी टूटी हुई है एक हजार छात्रों को बन्द कर दिया गया। मान्यवर, यह जो बर्बरता पूर्वक रवैया अपनाया गया है इसकी मैं निन्दा करता हूं।

श्री कौकब हमीद खां-

यह महत्वपूर्ण मसला है इस पर कुछ और लोगों को बुलवा लें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, 5 तारीख को तय हुआ था दो विषय चयनित हुए थे कल भी इस पर चर्चा हुई थी। आज भी इस पर कुछ लोगों को बुलवा लीजिये।

श्री अधिष्ठाता-

सारी बातें तो आ गई हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

हर दल के एक-एक व्यक्ति को पांच-पांच मिनट और समय दे दीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

सारी बातें नेतागण ने रख दी है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जरा आप नोटिस देखिए। यह हटाइए आप कानों से, इससे सुनाई नहीं देता आपको।

श्री अधिष्ठाता-

आप इस तरह की टिप्पणी मत करिए। सब कुछ सुनाई देता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह आपके लिए नहीं है यह हमारे लिए है।

श्री अधिष्ठाता-

वह आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आज जहां स्पीकर आन होगा उसे सुनेंगे, जहां स्पीकर आन नहीं होगा वहां आपको सुनाई नहीं देगा। इसे आप न लगाइये।

श्री अधिष्ठाता-

आप वरिष्ठ सदस्य हैं कोई बात टिप्पणी करके न कहें।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, यह उचित नहीं है। इस तरह से टिप्पणी पीठ पर करना उपयुक्त नहीं है और मैं चाहता हूं इस पर माननीय सदस्य को खेद व्यक्त करना चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

चलिए खेद व्यक्त कर दिया लेकिन यह तो हटवाइये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय सदस्य वरिष्ठ सदस्य हैं लेकिन वरिष्ठता का लाभ सबको काबलियत दिखाने में न उठावें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

क्या करेंगे, आप जेल भिजवा देंगे।

(वीरेन्द्र सिरोही जी का नाम पुकारा गया)

श्री अधिष्ठाता-

आप बैठ जाएं मैंने वीरेन्द्र सिरोही जी को बुला लिया है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, ऐसी उल्टी सीधी बातें सुनने के लिए कोई सदस्य यहां नही आया है और वरिष्ठता का आधार लेकर अगर पीठ पर इस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी की जाएगी यह अनुचित है। माननीय पीठासीन अधिकारी को या माननीय अध्यक्ष को जो सुनने के लिए कान में लगाने के लिए मिला है उसको लगाने की बिल्कुल आवश्यकता है और अगर इस तरह से टिप्पणी की गई है तो इसकी मैं घोर निन्दा करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

आजम खां जी, आप बैठ जाएं मैंने वीरेन्द्र सिरोही जी को बुला लिया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं भी संसदीय कार्य मंत्री रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा-

मैंने आपका भी संसदीय कार्यकाल देखा है और किस भाषा का आप प्रयोग करते थे और अध्यक्ष जी के सामने आप किस तरह से अपने गुस्से का इजहार करते थे मैंने उसको भी देखा है उस तरह का न हम लोगों का आचरण है न उस तरह से हम कर सकते हैं हमें सदन की गरिमा का ख्याल है आपकी तरह से हम सदन की गरिमा नहीं गिरा सकते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

अगर किसी कठिनाई में सदस्य की आवाज आप तक नहीं पहुंचती है उस ओर इंगित है। मैं धन्यवाद देता हूं कि जैसे ही संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा उन्होंने एक क्षण से भी कम समय लगाया और खेद व्यक्त कर दिया इसका पटाक्षेप करें।

श्री अधिष्ठाता-

वीरेन्द्र सिरोही जी, अपनी बात कहें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यदि किसी सदस्य को धन्यवाद देता हूं, जैसे ही मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, एक सेकेण्ड से भी कम समय लगा, उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया। मान्यवर, अब इसका पटाक्षेप करें।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने वीरेन्द्र सिरोही जी को बुला लिया है। माननीय आजम खां साहब वरिष्ठ सदस्य हैं, बैठ जायें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे भूमि अधिग्रहण की सूचना पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

संसदीय कार्य मंत्री मर्यादा की बात कर रहे हैं मुझे सब मालूम है।

(श्री मोहम्मद आजम खां अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ बोल रहे थे लेकिन कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा था)

आबकारी, लोक निर्माण, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा परिवार कल्याण तथा सहकारिता मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, जो भी शब्दों का आदान-प्रदान हुआ, यह उचित नहीं है।

(श्री आजम खां के कुछ कहने पर)

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मैं क्या हैसियत रखता हूं, आपको कुछ नहीं मालूम मिस्टर आजम खां, मैं पीठ से बात कर रहा हूं। यह उचित नहीं है, मान्यवर, हमारे माननीय सदस्यों को और खासतौर से वरिष्ठ सदस्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जब सामने वाले को सम्मान करेंगे, तभी हमें सम्मान मिलेगा। हर जगह प्रेशर बना करके अपनी बात मनवाना, यह हर जगह नहीं चलता है। यह नहीं कि माननीय सदस्य सीनियर हैं, माननीय सदस्य वरिष्ठ हैं, इसलिए उनकी वरिष्ठता के कारण नहीं बोलते हैं, लेकिन किसी भी बात की सीमा होती है। कभी न कभी पीठ पर इल्जाम लगा देते हैं। मेरा अनुरोध है मान्यवर, कृपया इनको सद्बुद्धि दीजिए।

(श्री मोहम्मद आजम खां तथा कुछ अन्य सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

(इस समय 4 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखो।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों द्वारा जोर-जोर बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

यह सब बन्द करिए, शान्त रहिए। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी खड़े हैं। माननीय सदस्यगण आप लोग शान्त रहें। कभी-कभी इस तरह की परिस्थितियां सदन में उत्पन्न हो जाती हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

हमें अपनी बात कहने से संसदीय कार्य मंत्री रोकेंगे ? यह उचित, अनुचित तय करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

कोई नहीं रोकेगा, आप लोग अपनी बात संसदीय परम्पराओं से रखिए। माननीय सदस्यगण, सब की जिम्मेदारी बनती है कि सदन चले। हो सकता है कि कुछ ऐसी बातें हो गयी हों जो पसन्द न हों, उसका भी तरीका निकला है, माननीय नेताओं ने निकाला है। नेता प्रतिपक्ष जी, आप कहिए।

नेता विरोधी दल (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

माननीय अध्यक्ष जी, जो वाद-विवाद यहां हुआ है, लेकिन हर सदस्य को अपनी बात कहने का अधिकार है और किसानों की जमीन के अधिग्रहण वाला जो मामला चल रहा है बहुत संवेदनशील मामला है, किसानों की समस्याओं को सभी सदस्य उठाना चाहते हैं। कल यह तय भी हुआ था कि हर दल के दो-दो सदस्य अपनी बात रखेंगे, इसीलिए आजम खां साहब का नाम भी लिया गया। आजम खां साहब सीनियर सदस्य हैं। माननीय अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी तो हर बात पर खड़े हो जाते हैं। संयत भाषा का प्रयोग होना चाहिए। हर बात पर टोकाटाकी ठीक नहीं। शिष्ट भाषा में बात होनी चाहिए। ज्यादा बात न कहकर हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इस बात का पटाक्षेप यहीं पर करके सदन की कार्यवाही शुरू करवायें और माननीय आजम खां साहब को बुलवा लें और दो-दो सदस्य इस पर बोल लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। एन0एच0आर0एम0 और भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर सभी दलों के नेताओं से वार्ता हुयी थी कि नेता बोल लेंगे और एक-एक माननीय सदस्य उस दल के बोल लेंगे। नेता अपना निर्णय ले लेंगे। तो ठीक है एक माननीय सदस्य जिसको आप अपने दल की तरफ से बुलवाना चाहें बुलवा लें।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, हमारे दल की तरफ से मो0 आजम खां साहब बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, सिरोही जी बोल लीजिए उसके बाद आजम खां जी बोल लेंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मैं समझता हूं कि जिस तरह का रवैया हमारे साथ है उस पर मान्यवर, मैं बहिर्गमन करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आजम खां साहब आप बैठें।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर शोर-शराबा उत्पन्न हो गया)

(श्री मोहम्मद आजम खां द्वारा सदन का त्याग हुआ)

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, आपके कहने के अनुसार मैंने एक व्यवस्था दे दी, अब इसमें क्या हो गया। आपने कहा तो मैंने कह दिया कि उस दल से माननीय आजम खां बोलेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं कि यह सदन अब पांचवें साल में प्रवेश कर गया है, समय समाप्त होने वाला है। अगर एक अच्छे वातावरण में हम सब विदा लें। मैं आपसे सिर्फ एक आग्रह करूंगा कि आपने सिरोही जी का नाम पुकार लिया था, जो कुछ हुआ उसे भूलकर आप इनसे शुरू करायें।

श्री अध्यक्ष-

यही तो मैं कह रहा हूं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से मैंने कहा था कि जिसको आप चाहें, आपके दल से प्रस्ताव आया कि माननीय आजम खां जी बोलेंगे तो मैंने स्वीकार कर लिया कि माननीय आजम खां जी बोलेंगे और सिरोही जी का नाम हमारे अधिष्ठाता जी ने बुला लिया था तो जब अधिष्ठाता जी ने एक निर्णय लिया था तो मैं उसी कान्टीनुएशन में चल रहा हूं। माननीय आजम खां जी बोलें, अब जल्दी-जल्दी लोग नाराज होंगे तो भई इसके लिए कौनो पैथी में कोई दवा नहीं है।

*श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

माननीय अध्यक्ष जी, जहां हम भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में इस सदन में चर्चा कर रहे हों वहीं पर गौतमबुद्ध नगर के दौरा गांव में आज 52 गांव के किसान आन्दोलन कर रहे हैं। इस भूमि अधिग्रहण को लेकर पतवारी गांव या अन्य गांव में जहां पर नोएडा अथारिटी और वहां के प्रशासन द्वारा दबाव डालकर फैसले कराने की बात चल रही है। उसको लेकर आज किसान आन्दोलित है। जिन-जिन गांवों की जमीन गयी है उस भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में हमारे दल के नेताओं ने आगरा से लेकर गौतमबुद्ध नगर तक हमने किसान यात्रा की थी और 4 दिन सब गांवों में जाकर वहां की स्थिति देखी थी। हमारी पार्टी के सभी बड़े नेताओं के साथ हम उस यात्रा पर गये थे। वहां पर किसानों का दर्द जानने का प्रयास किया और भट्टा गांव में हम सुबह सात बजे वहां पर पहुंच गये। पुलिस ने बहुत रोका लेकिन हम शाम 5 बजे तक वहां रहे। वहां पर हमने लोगों से वार्ता की और लोगों ने वहां की महिलाओं ने हमें यह बताया कि इस भट्टा गांव से जिस दिन तीन किसान मारे गये थे। तीन किसानों के बेटे, सिपाही मारे गये थे। उस रात वहां पर जो तांडव हुआ, औरंगजेब का शासन रहा हो या अंग्रेजों का शासन रहा हो, उसको भी लोग भूल जाते हैं। वहां पर जो ज्यादतियां हुयीं, वहां पर महिलाओं ने कहा कि हमारे जेवर छीने गये, रुपया पैसा लूट लिया गया और अनेक ऐसी घटनायें मार-पीट, महिलाओं के साथ जो भी ज्यादतियां हो सकती थीं, हुयीं। कांग्रेस दल के भी एक नेता वहां पर गये थे और उन्होंने कहा कि कुल 74 लोग यहां पर मारे गये हैं। कितने मरे, कौन मरे यह तो जांच का विषय है। हमने कल एक प्रश्न के माध्यम से, कल 8 तारीख को नत्थी-ग का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सातवां प्रश्न लगाया था, समयाभाव के कारण वह नहीं आया था। हमने कहा कि जो भट्टा में हुआ है, उसकी सी0बी0आई0 से जांच की जाये तभी पता लग सकता है लेकिन उस प्रश्न का उत्तर लिखित में दिया गया था वहां पर जांच चल रही है। भट्टा गांव के किसानों से जमीनें 690 से 800 रुपये में ली गयीं और जब वह जमीन बिल्डरों को 32000 रुपये गज में बेची जा रही हैं, वहां के किसानों ने कहा कि वहां पर कोई विकास हुआ नहीं, कोई डेवलपमेण्ट हुआ नहीं, हमारी जमीन 690 रुपये से 800 रुपये तक में ले ली और उसी को 32000 रुपये गज में बेची जा रही है। यहीं से झगड़े की शुरूआत हुयी। बहुत आन्दोलन हुआ, हम वहां पर कई बार गये थे, मनवीर सिंह तेवतिया ने आन्दोलन शुरू किया जिसको बाद में बहुत सारे झूठे मुकदमों में फंसाकर बन्द कर दिया गया और बहुत सारे किसानों का दमन किया गया। अगर किसान के साथ यह ज्यादती होगी तो किसान क्या करेगा, यदि उसकी जमीन 32000 रुपये में बिल्डरों को बेच दी जाये तो किसान क्या करेगा। यहां सब लोग जितने भी बैठे हुए हैं, विधायक बैठे हुए हैं सब कहीं न कहीं किसानों के घर से ही आते हैं, सब किसान के बेटे होंगे। जब किसान की जमीन छीनी जाये तो क्या होता है। यही भट्टा गांव में शुरूआत हुयी है।

श्री अध्यक्ष-

अभी और भी सदस्यों को बोलना है, समय का ख्याल रखें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

वहां पर 32000 रुपये में बेची गयी जमीन से ही झगड़े शुरू हुए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक नीति की घोषणा हुयी और ये कहा कि ये नीति अब से लागू होगी, उसके बाद अधिग्रहण होना नहीं है, जो लूट लिया उसको लूट लो, आगे जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं है और भी भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में बातें हैं मैं उनका उल्लेख नहीं करूंगा लेकिन अभी मा0 प्रमोद तिवारी जी ने बहुत सारी बातें कहीं। लेकिन इस भूमि अधिग्रहण के बारे में हम आपको क्यों बता रहे हैं, 2007 से भूमि अधिग्रहण अधिनियम लटका हुआ है। आप किसान की बात करेंगे, आप भट्टा में जाने की बात करेंगे। हरियाणा में किसानों की जमीनें छीनी जा रही हैं ट्रस्ट के नाम पर, वहां पर नहीं जायेंगे आप, वहां का किसान आन्दोलित है और वहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर आप नहीं जायेंगे लेकिन यहां पर किसानों के आंसू बहाने के लिये भट्टा जरूर जायेंगे। हमने 4-4 दिन यात्रा की है, साथ ही हम मा0 उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद भी देना चाहेंगे जिन्होंने पतवारी गांव का भूमि अधिग्रहण अभी समाप्त किया है। मा0 अध्यक्ष जी, भूमि अधिग्रहण कानून, 1894 की धारा-4 के अन्तर्गत अधिसूचना जारी की जाती है, धारा-11 में उसका आह्वान किया जाता है और धारा-17 में इमरजेन्सी क्लॉज है यदि सरकार को किसी भी सार्वजनिक काम के लिये जमीन की आवश्यकता है तो धारा-17 का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश में पहली ऐसी सरकार है जिन्होंने भूमि अधिग्रहण की धारा-17 लगाकर जमीन बिल्डरों को दी है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी बहुत बातों में व्यस्त हैं और मा0 आवास मंत्री जी भी बहुत ज्यादा बातों में व्यस्त हैं, मुझे सुन नहीं रहे हैं, दोनों ही। हो सकता है कि इस बात का वह जवाब दें और जरूर जवाब देंगे। भूमि अधिग्रहण की धारा-17 में उद्योग के नाम पर जमीन लेकर किसी भी उद्योगपति को देने का कोई प्रोविजन भूमि अधिग्रहण नियमावली में नहीं है। यदि कोई नियम हो तो जरूर बताने का प्रयास करेंगे। मा0 सर्वोच्च न्यायालय और मा0 उच्चतम न्यायालय ने भूमि अधिग्रहण के बारे में कुछ बातें कही हैं। भूमि अधिग्रहण

प्राविजन ऐसा लगता है कि उन मानसिक रूप से बीमार लोगों ने तैयार किया है, जिसका आम लोगों के कल्याण से, उनके हितों से कोई लेना-देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट। हापुड़ में जो 22 सौ एकड़ जमीन ली गयी थी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक खास बात यह कही है कि उसने गुजरात सरकार की भूमि अधिग्रहण की तारीफ की है। उसने यह कहा है कि देश में जहां-जहां पर भूमि अधिग्रहण हो रहा है उन्हें गुजरात में जाकर मोदी की सरकार को देखकर वहां पर शिक्षा लेनी चाहिए और हमारे इधर भी बैठे हैं, मेरी बायीं ओर इन्होंने भी भूमि अधिग्रहण की चर्चा की थी। समाजवादी पार्टी ने बाउन्ड्री में 29 सौ एकड़ जमीन जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, जबरदस्ती भूमि अधिग्रहीत करके किसानों की जमीन उन लोगों ने भी छीनी थी। अभी हमारे लोकदल के सदस्य कह रहे थे कि कर्नाटक की बात कह रहे थे।

श्री अध्यक्ष-

सिरोही जी अब समाप्त करें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

अभी हमारे बुलन्दशहर में 1998-99 में जमीन ले ली गयी गांव जुनैदपुर है, वहां पर 1998-99 में भूमि ली गयी थी लेकिन कुछ नहीं हुआ है। खुर्जा के पास गांव दशहरा-दशहरी है, ऐसे 4 गांव की जमीन ली जाती है वर्ष 1998-99 में आज तक उसमें किसान खेती कर रहे हैं। धारा-17 लगाकर जमीन ली गयी थी और आज तक खाली पड़ी है। आखिर धारा-17 की आवश्यकता क्या थी ? आज हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि आबादी तेजी से बढ़ रही है भूमि अधिग्रहण तेजी से हो रहा है, जमीन का अर्ज कम हो रहा है। जहां 1991 में 16 करोड़ इस प्रदेश की आबादी थी आज वह बढ़कर 19 करोड़ हो गयी है, आबादी तेजी से बढ़ रही है और अन्न का उत्पादन घट रहा है। कृषि का क्षेत्र कम हो रहा है इससे तो भुखमरी की स्थिति आ जायेगी और यहां के लोगों का भविष्य क्या होगा ? दिल्ली के पास जो उपजाऊ जमीन है 63 परसेन्ट लोग उस जमीन पर निर्भर हैं, यहां पर जो सबसे बड़ी समस्या है कि 53 परसेन्ट लोगों के पास जमीन है और 20 परसेन्ट लोगों के पास जमीन नहीं है उन 20 परसेन्ट लोगों जिनके पास जमीन नहीं है, जो खेती करने वाले हैं, उनकी रोजी-रोटी का क्या होगा ? वे कैसे अपना जीवन-यापन करेंगे उनके साथ समस्या हो गयी है। मेरा यह निवेदन है कि मनवीर सिंह तेवतिया और उनके साथियों के खिलाफ जो मुकदमें लगाये गये हैं, वे मुकदमें समाप्त कर दिये जाएं।

(महाना जी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

महाना जी दो लोग कैसे बोलेंगे, जब यह व्यवस्था में है कि एक लोग बोलें। अब सिरोही जी आपकी बात आ गयी है, अब आप बैठ जाएं।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मा0 अध्यक्ष जी वर्ष 1997 में जब बी0जे0पी0 की सरकार ने एक करार नियमावली बनाई थी। उसी के आधार पर किसानों की जमीन ली जाए।

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, आप हमें सिर्फ एक मिनट का मौका दे दें।

श्री अध्यक्ष-

आपके लिए एक मिनट का महत्व हो तब तो आपको बोलने का मौका अगर मिल गया तो एक मिनट में आप अपनी बात समाप्त नहीं करेंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, सिर्फ एक मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा, एक मिनट से ज्यादा समय हो जाय तो आप रोक दीजियेगा।

मान्यवर, कानपुर में भवानीपुर, बिल्हौर, शादीपुर, मुंशियारी गांव की जमीन मान्यवर, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के द्वारा अधिग्रहण करने का प्रस्ताव था, 14 लाख रुपये प्रति बीघा तय होने के बाद उनको 07 लाख रुपये प्रति बीघा दिया गया और जिस उपयोग के लिए यह भूमि ली गई थी उस उपयोग के लिए न हो के वहां पर आवासीय कालोनी बनाई जा रही है। मान्यवर, मेरा आपके माध्मय से सरकार से केवल इतना निवेदन है कि इस मामले को दिखवा लें और जो उनके साथ तय हुआ था, उतना मुआवजा उनको मिले। वहां पर किसान आन्दोलित हैं, सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं, उनको राहत मिल सके। यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के जो अधिकारी वहां पर जाकर के अत्याचार कर रहे हैं, जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको रोकने का काम करें।

श्री अध्यक्ष-

बस ठीक है, अब आप बैठ जायें, सरकार के संज्ञान में ला दिये, दिखवा लेंगें।

*श्री कौकब हमीद खां-

मान्यवर, इस प्रदेश की जनसंख्या इस वक्त 20 करोड है, 17 करोड़ थी जब नया सेंसेक्स आया तब 20 करोड़ बढ़ गई है और सारी दुनिया में, हिन्दुस्तान में भी, इस प्रदेश में भी मीटिंग होती है, सेमीनार होते हैं कि फूड शार्टेज होने वाला है, गल्ले की दिक्कत होने वाली है दुनिया के अन्दर, देश के अन्दर। फूड सिक्योरिट की बात हो रही है मान्यवर, जब फूड सिक्योरिटी की बात हो रही है तो क्या हम अपने आपको 45 साल 50 साल पीछे नहीं ले जा रहे हैं। मान्यवर, जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने यह कहा था कि इतने बड़े बंगले के अन्दर आप गेहूं लगाओ क्योंकि फूड शर्टेज है, एक वक्त का खाना छोड़ दो। हम जानबूझकर यह हालत पैदा कर रहे हैं कि हम उपजाऊ जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं। हमने तय कर लिया कि अब हम इस प्रदेश को इस हालत में ले जायेंगे जहां रोटी के लाले पड़ जायें। मान्यवर, मैं छोटा सा आंकड़ा आपको दे रहा हूं, मान्यवर, यमुना एक्सप्रेस हाई-वे के अन्दर 44 हजार हेक्टेयर लैण्ड का अधिग्रहण कर लिया गया, 2400 हेक्टेयर लैण्ड जो गौतमबुद्ध नगर में प्रोजेक्ट बनने वाला है उसके लिए कर लिया गया मान्यवर, 30 हजार एकड़ लैण्ड यमुना एक्सप्रेस में अधिग्रहण कर लिया गया, 8000 एकड़ लैण्ड जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्पेशल जोन बनने जा रहा है, उसके अन्दर अधिग्रहण कर लिया, 1500 एकड़ लैण्ड गाजियाबाद में हाईडिप्लो प्रोजेक्ट बनना है

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहां अधिग्रहण कर लिया तो यह सारी जमीनें जो उपजाऊ हैं, हम इन्हें अधिग्रहीत क्यों कर रहे हैं मान्यवर, कितनी करेंगे तो इस परिप्रेक्ष्य में मान्यवर, एक लाख 17 हजार गांव हैं और जो आंकड़ा मैं देने जा रहा हूं उसके बाद 23 हजार 518 गांव यह जो एक्सप्रेस हाई-वे बन रहे हैं इनकी नजर हो जायेंगे।

मान्यवर, तो आप गौर करिये कि आप 23 हजार 518 गांव खत्म कर देंगें हर किलोमीटर के अन्दर जो एवरेज आ रहा है हर किलोमीटर एक्सप्रेस हाई-वे और उसके साथ हर हाई-वे के साथ आप दो 500 एकड़ के लैण्ड पार्सल दे रहे हैं कि इन्हें विकसित करो, क्यों दे रहे हैं कि यह जमीने हमने अधिग्रहीत कर ली है और 500 एकड़ के दो हर हाई-वे के साथ हम दो लैण्ड पार्सल देंगें, इन्हें विकसित करो। तो एक किलोमीटर का हाई-वे विकसित करने में 7.2 गांव खत्म हो जाते हैं, यह आंकड़ा मान्यवर गौर करने का है, हिन्दुस्तान के अन्दर यह आंकड़ा नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार ही कर सकती थी, जो बहुत बेचैन है, गरीबों के लिए बहुत बेचैन है, सबके लिए बहुत है, यह कैसे कर रही है। एक लाख 17 हजार में 23 हजार 518 गांव खत्म, हर एक किलोमीटर पर 7.2 गांव खत्म हो जाते हैं मान्यवर, जमुना एक्सप्रेस-वे के ऊपर 2160 ग्राम प्रभावित होंगे। गंगा एक्सप्रेस-वे पर 1191 ग्राम प्रभावित होंगे। नोएडा एक्सप्रेस-वे पर 1562 ग्राम प्रभावित होंगे। आगरा कानपुर एक्सप्रेस-वे में 2160 ग्राम प्रभावित होंगे। इसी तरह से, झांसी कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर एक्सप्रेस-वे में 5300 ग्राम प्रभावित होंगे। बिजनौर मुरादाबाद में 2162 ग्राम प्रभावित होंगे। इसी प्रकार से लखनऊ, बहराइच और नानपारा पर जो बनेगा उसमें 2160 ग्राम प्रभावित होंगे। आप इसमें सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर आपने तय कर लिया है कि सरकार ने कि इस प्रदेश की बिल्कुल खत्म कर देगी। मान्यवर, जब यह सब गांव खत्म हो जायेंगे तो खेती कहां से होगी। आप गरीब को गरीबतर बना रहे है। आप 700-800 रु0 स्कवायर मीटर पर उसकी जमीन को लेकर। आपने अब 1400 रु0 तय किया है उस पर भी लोग राजी नहीं है। वहीं जमीन 17 हजार 18 हजार पर आप बिल्डर को दे रहे है और अथारिटीज 10 हजार रु0 लेती है। उसके बाद वह बिल्डर को मिलता है। 700 रु0 स्कवायर मीटर की जमीन जब फ्लैट बनता है तो वह 70 हजार 80 हजार स्कवायर मीटर में भाव आता है। आखिर यह अथारिटीज जब बनी थी तो इसलिए बनी थी कि शहर विकसित हो जायें यह गांव की तरक्की और सबकी तरक्की हो जाये। यह अथारिटी जो है मान्यवर, ग्रेटर नोएडा अथारिटी, नोएडा अथारिटी और जो अथारिटी काम कर रही है बड़े-बड़े शहरों में यह खत्म होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं सदन से कि यह अथारिटीज खत्म होनी चाहिए इनका कोई मतलब नहीं है। यह सिर्फ किसानों को खत्म करने के लिए है इनमें सिर्फ किसान दिक्कत में है।

मान्यवर, इस सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आप औद्योगिक विकास की बात करते हो आपने कहा कि 12 परसेंट औद्योगिक विकास देंगे भारत सरकार में है नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार कहां से 12 परसेन्ट औद्योगिक विकास देगी। किसान खत्म होता चला गया आप औद्योगिक विकास की बात कर रहे हो। आप जमीन लेते हैं उद्योग के नाम पर कि हम उद्योग लगायेंगे। मैं चुनौती के साथ सदन में कह रहा हूं कि दो मल्टी नेशनल कम्पनीज का नाम बताइये जिन्होंने उद्योग लगाया हो। है ही नहीं आयी नहीं। गुजरात चली गयीं महाराष्ट्र चली गयी उत्तर प्रदेश में नहीं आयीं और जो आयीं थी वह बन्द हो गयीं। तो आप इस नाम से लेते हो कि आप इस काम के लिए ले रहे है कि हम यहां पर

उद्योग लगायेंगे आप यहां पर उद्योग नहीं लगा रहे हैं। आप ग्रेंड पिच ट्रेक बना रहे हैं कि जो कारें जर्मनी में दौड़ती हैं रेस में वह हिन्दुस्तान में भी दौड़े। जो आदमी गरीब हैं वह गरीब से गरीबतर हो जाय यह भूखा मर जाय या आत्मदाह कर ले मगर हमारी गाड़ी जरूर चलनी चाहिए वहां आकर बड़े-बड़े उद्योगपति उसमें पैसे लगायेंगे। बड़ी-बड़ी गाड़ियां आयेंगे और हम ग्राउन्ड पिच पर दौड़े। हम हिन्दुस्तान में इसे बनायेंगे। नोएडा में बनायेंगे। इसके लिए यू0पी0 मिल जाती है, आप गुजरात में नहीं जा रहे हैं मुम्बई में नहीं जा रहे हैं कि गुजरात की तरह सड़कें ही बना लें। आप कहां जा रहे हैं नोएडा चलेंगे नोएडा खत्म कर देंगे तो नोएडा खत्म हो गया। नोएडा जब बसा था तो इसलिए बसा था कि यहां पर उद्योग लगायेंगे और मैं पूछ रहा हूं कि नोएडा या ग्रेटर में आप दो बड़ी कम्पनियों के नाम बता दें कि वह स्थापित है आप बता दें तो लगे कि उत्तर प्रदेश में इसके लिए कोई वातावरण बन रहा है। आपने कहा कि नोएडा में हास्पिटल लायेंगे फाइव स्टार होटल लायेंगे। वह भी नहीं बने मान्यवर। आपने होटल के नाम की जमीन बेंच दी और हास्पिटल के नाम की जमीन बेंच दी। आखिर आप कितना पैसा कमाओगे, कैसे कमाओगे और यह हम नहीं कह रहे हैं कोई अपोजीशन पार्टी नहीं कह रही है, सुप्रीमकोर्ट और हाईकोर्ट कह रहा है और इंगित कर रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार आज केवल पैसा कमाने के अलावा दूसरा काम नहीं कर रही है। 600-700-800 रुपये मीटर लेकर 20 हजार, 40 हजार, 50 हजार स्क्वायर मीटर के रेट तो कोई तुलना तो होगी और मैं पूछता भी हूं, आप बहुत पैसे वाले तो नहीं, हमारा प्रदेश उसमें से तो नहीं आता नम्बर दो में से कि खाने की भी हमें दिक्कत नहीं है, खेती की भी दिक्कत नहीं है, हम खूब कमा रहे हैं सब काम ठीक-ठाक है। अरे, यह चीजें जहां 3-3 फसलें हुआ करती थी वहां नोटिस दे रहे हो खाली करवा रहे हो, दो-दो फसले हुआ करती थी जो ग्रीन बेल्ट थी उसे खत्म करवा रहे हो और शाबाशी दे रहे हो। शाबशी इस बात की मत दो कि हमने विकसित करा दिया, शाबाशी इस बात की दो कि हमने गरीब को खत्म कर दिया, गरीब को गरीबतर कर दिया। मैं डिमान्ड करता हूं कि एथारिटी बैन हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए।

*श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, ऐसा लगता है सदन में इस पक्ष के लोगों को सुनने के बाद कि वर्तमान में बैठी सत्ता सरकार खुद भू-माफिया की तरह काम कर रही है। किसानों को उजाड़कर और एक औद्योगिक घराने विशेष को लाभ पहुंचाकर आज लगता है कि सरकार का स्वरूप ही भू-माफिया का हो गया है। आज किसानों की पीड़ा, किसानों का दर्द, हमने घूमकर देखा है उन गांवों में किस तरह से वह दरिद्र नारायण के रूप में रो रहा है, किस तरह से उसकी भूमि कौड़ियों के दाम में अधिग्रहीत करके हजारों लाखों रुपयों में बेची जा रही है और आज स्थिति यह है कि ग्रेटर नोएडा से लेकर आगरा तक अगर आप घूम जाय तो कोई भी किसान सुखी नहीं है। आज स्थिति यह है कि किसानों को भूखे मरने की स्थिति आ गयी है। आप जबरन अधिग्रहीत करा रहे हैं। यह राजनीति लाशों की हो रही है, किसानों को मारा जा रहा है और उसमें सेक्रीफाइस हो रहे हैं पुलिसवाले भी। मान्यवर, आपको कहना होगा, आपको दखल देना होगा। इस सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे कि क्या करें करेंगे उस दौलत का जिसमें आह हो। उस आह से लोहा भी पिघल जाता है। कबीरदास जी कह गये हैं इनसे

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहिये कि अपनी पुनर्वास नीति और अपनी अधिग्रहण नीति को बदलें और यह कुछ भी नहीं होने वाला जैसा कौकब साहब ने कहा, प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि औद्योगीकरण के नाम पर भूमि अधिग्रहीत की जा रही है, कौन सा उद्योग लग गया उत्तर प्रदेश में। आज स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी देश विदेश का औद्योगिक घराना आने से घबराता है। उन्हें लगता है कि उनके साथ धोखा हो रहा है। उनको यह एहसास होता है कि कहीं उनके साथ चीटिंग न हो जाय। खाली जमीन अधिग्रहीत करके औद्योगीकरण का नाम लेकर एक्सप्रेस-हाइवे निकालकर किसानों की लाशों पर कारें, चलवाकर, गाड़ियां चलवाकर क्या उत्तर प्रदेश का विकास हो पायेगा ? खुदा से डरना पड़ेगा, ईश्वर से डरना पड़ेगा इस तरह की गुनहगारी न करें यह सरकार और पुनर्विचार करे। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मथुरा जनपद के 70 किलोमीटर इलाके में यह भूमि अधिग्रहीत की गयी और वहां का किसान भी शहीद हुआ इस भूमि अधिग्रहण के मामले में और जगह को भी मैंने देखा। मान्यवर, जो वहां पर 388 रुपये पर स्कावयर मीटर मुआवजा दिया गया था हमारे क्षेत्र के जो मथुरा जनपद के किसान हैं उनको राष्ट्रीय पुनर्स्थापना व पुनर्वास नीति के अन्तर्गत वह मुआवजा नहीं मिला है जो कि 01 अप्रैल को घोषित हुआ था। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो मथुरा के किसान हैं जिनकी जमीन यमुना एक्सप्रेस-वे में गयी है, उनको मुआवजा राशि दी जाय, वंचित न रखा जाय और उस दिन से मुआवजा दिया जाय जिस दिन से पहले दिन से उनकी भूमि अधिग्रहीत की गयी थी। धन्यवाद।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, यह पूरा प्रकरण राष्ट्रमण्डल खेल और टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाले से कम नहीं है। इमरजेन्सी प्राविजन का उपयोग तक किया गया है। जिस तरह से अधिकारी का दुरुपयोग वहां हुआ है, उसी तरह से अधिकारों का दुरुपयोग या अधिकारों की आड़ में जितनी बड़ी लूट हुयी है, वह उन दो घोटालों से कम नहीं है। केवल 2010-11 में अकेले नोएडा में 40 हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है। इस घोटाले का उदाहरण है कि 16 कम्पनियों को जिसमें से 5-6 कम्पनियां केवल एक व्यक्ति की है और 16 कम्पनियों में से 8 कम्पनी के मालिक एक ही हैं, उनको काम दे दिया गया और एक हजार करोड़ रुपये की जमीन 200-300 करोड़ रुपये में दे दी गयी। आपको मैं कुछ उदाहरण दे दूं। मैं कुल दो उदाहरण दे रहा हूं और यह बता रहा हूं कि लूट के कैसे तरीके अपनाये गये। लाजिक्स नाम की 5 संस्था हैं जिसका एक ही व्यक्ति मालिक है। इसका नाम यहां आया है जो शराब का भी माफिया है, सब कुछ है, सर्वेसर्वा है। लाजिक्स बिल्टेक, इसकी स्थापना होती है। 12-3-2010 को और इसके साथ डील हो जाती है 26-3-2010 को। लाजिक्स स्टेट 17-5-2010 को यह फर्म बनती है और डील हो जाती है 23-6-2010 को। लाजिक्स रियलटेक 7-5-2010 को संस्था बनती है और 21-12 को डील होती है। लाजिक्स बिल्डवेल 14-3-2011 को संस्था बनती है और 28-3-2011 को 14 दिन के अन्दर इस प्रावइेट कम्पनी को एक हजार करोड़ रुपये की जमीन 245 करोड़ रुपये में दे दी गयी। इससे भी बड़ा लूट का एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। यह मेरा आरोप है कि यह अधिकारों के दुरुपयोग की आड़ में पिछले चार साल से किसान की जमीन के माध्यम से लूट हुयी है, इसलिए यह बहुत बड़ा घोटाला है। राष्ट्रमण्डल खेल और टू-जी स्पेक्ट्रम से भी बड़ा घोटाला है। एम्स सन्या डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी यह होश उड़ा देने वाली है। इसकी स्थापना होती है

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

6-5-2010 को और इसके साथ डील कब हो जाती है। मान्यवर, 26-3-2010 को यानि स्थापना से पहले ही डील हो गयी, जमीन बेच दी गयी इसको। इस तरह से मान्यवर, कुल 5-6 कम्पनियां हैं, बिल्डर्स हैं जिनके साथ एक साल में नोएडा में 2010-11 में जमीन की डील हुयी जिसकी कीमत बाजार भाव से अगर आंकी जाये तो 40 हजार करोड़ का घोटाला अकेले एक साल में हुआ है। इसलिए मान्यवर, हम चाहेंगे कि यह जो फर्म्स है, उसमें यह बताया जाये कि यह किसकी है। 6-6, 8-8 फर्म और एक ही मालिक। अलग-अलग नाम से फर्म और एक ही मालिक। एक चीज और बताना चाहता हूं कि इसकी पूंजी एक लाख से लेकर एक करोड़ की और इनके साथ डील कितने की हो गयी 100-100 करोड़ की। दो-दो सौ करोड़ रुपये की। एक लाख की पूंजी वाली कम्पनी के साथ दो सौ करोड़ की डील हो जाये यह कैसे संभव है। यह घोटाला है और बहुत बड़ा घोटाला है, यह उत्तर प्रदेश का राष्ट्रमण्डल और टू-जी स्पेक्ट्रम घोटाला है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसके बारे में भी जवाब दें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, वर्तमान सरकार जो माननीया बहन कुमार मायावती जी के नेतृत्व में चल रही है, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह किसान हितैषी और आज तक की जितनी सरकारें बनी हैं सबसे ज्यादा किसानों की हिमायती और हितैषी सरकार रही है। इसका उदाहरण है कि पूरे भारत में पहली बार उत्तर प्रदेश में माननीया मुख्य मंत्री जी ने किसानों की पंचायत करके और विचार आमंत्रित करके नयी अधिग्रहण नीति जो किसानों के हितों में 02 जून, 2011 को लागू किया है यह पूरे देश में सर्वोत्तम भूमि अधिग्रहण के लिए यह पॉलिशी है। किसानों का हितैषी होने का उदाहरण यह भी है कि पूरे देश के स्तर पर पहली बार उत्तर प्रदेश ने खाद्यान्न उत्पादन में सर्वोत्तम पुरस्कार प्राप्त करने का काम किया है क्योंकि किसानों को सहूलियत देने का काम किया गया। मान्यवर, हमारे तमाम वक्तागण मा0 हुकुम सिंह जी, मा0 ओम प्रकाश सिंह जी, मा0 चौधरी साहब और डा0 अनिल चौधरी जी सभी ने अपनी बात को रखा। मान्यवर, मैं इन सभी लोगों से यह भी जानना चाहूंगा कि 13 मई, 2007 से पहले इन जमीनों की क्या कीमत थी, उसके पहले जिन अथारिटियों ने जमीन लेने का काम किया था उस समय क्या दाम दिया गया था, क्या उस दाम से बढ़ाकर या उससे दोगुना, तिगुना दाम किसानों से करार नियमावली के तहत समझौता करके वर्तमान सरकार ने किसानों को देने का काम नहीं किया। अगर तुलनात्मक ढंग से अध्ययन करके यहां पर यह लोग बताने का काम किये होते तो इनकी स्वयं की कलई खुल जाती। हालांकि मा0 सिरोही जी ने कहा कि वर्ष 1998-99 में 12 गांवों की जमीन ली गयी आज तक उसका प्रयोग नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, 1998-99 में किसकी सरकार थी, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है।

मान्यवर, फरवरी, 2007 में 6 लाख 20 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा और 2007 में जब करार समझौते के तहत हमारी सरकार के समय में जमीन ली गई तो 6 लाख 20 हजार रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 18 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा देने का काम किया गया। मान्यवर, आज जब किसानों के हित में काम हो रहा है, किसानों से करार नियमावली के तहत विकास के लिए जमीन ली जा रही है और किसानों की आमदनी जब बढ़ने की स्थिति बनी तो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। मान्यवर, करार नियमावली, 1997 की है लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा

था, पहली बार हमारी सरकार की मुखिया बहन मायावती जी ने कहा कि किसानों के हितों को सर्वोत्तम रखा जायेगा और उसके अनुसार कार्यवाही की गई। औद्योगिक विकास विभाग द्वारा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे, औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत किया गया है। उक्त प्राधिकरणों के गठन का उद्देश्य राज्य के निर्दिष्ट क्षेत्रों में औद्योगिक तथा नगरीय विकास तथा उससे सम्बद्ध मामलों हेतु कार्य करना है। किसी क्षेत्र के औद्योगिक तथा नगरीय विकास क्षेत्र के आर्थिक व सामाजिक उत्थान जिसमें रोजगार के अवसर भी शामिल है के लिए आवश्यक होता है। ऐसे औद्योगिक तथा नगरीय विकास के लिए चरणबद्ध नियोजित प्रक्रिया अपनायी जाती है। मान्यवर, जब हम लोग सत्ता में आये तो गंगा एक्सप्रेस-वे की एक योजना हम लेकर आये थे, यमुना एक्सप्रेस-वे योजना हमने जब स्वीकार किया था तो उसके लिए विधिवत् बीडिंग के माध्यम से टेण्डर के माध्यम से उसके विकासकर्ता का चयन किया गया था और जब हमारी सरकार 29 अगस्त, 2003 को नहीं रही।

माननीया मुख्य मंत्री जी ने इस्तीफा दिया था, एक दूसरी सरकार आयी उन्होंने तत्काल उसको पहले तो रोक दिया और बाद में इस बात को अहसास किया कि यह बहुत ही अच्छी योजना है, दिल्ली से ले करके आगरा तक जहां 4-5 घण्टे से आज ज्यादा समय लगता है, डेढ़ घण्टे में आगरा तक लोग आयेंगे, इससे पर्यटन का विकास होगा, पर्यटन के आधार पर उद्योग लगेंगे और उससे किसान की भी आमदनी बढ़ेगी, उसको स्वीकार करने का काम किया था। आज जब हम उस काम को कर रहे हैं तो अब जो किसानों के हितैषी नहीं है, लेकिन किसान के नाम पर सस्ती लोकप्रियता लेना चाहते हैं। जिन्होंने लम्बे समय तक देश और प्रदेश में शासन करने का काम किया, आज भी केन्द्र में सरकार है और किसान मांग कर रहा है कि भूमि अधिग्रहण की जो नियमावली है उसको संशोधित किया जाए। जब किसानों के बीच में जाते हैं तो उनके नेता कहते हैं कि हम तुरन्त इसको करवायेंगे और जब पार्लियामेण्ट चलती है तो उसका कहीं जिक्र नहीं होता है। मान्यवर, किसानों के साथ रिलायन्स के लिए जो जमीन ली गयी थी उसका क्या मुआवजा था ? आज भी जो रलेवे के लिए या दूसरे के लिए जमीन ली गयी है, केन्द्र सरकार ने जो लेने का काम किया है वह दो से ढाई लाख रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा किसानों को देने का काम किया है। वहीं हमारी सरकार में निश्चित तौर पर किसानों के हितों का सबसे ज्यादा ध्यान देने का काम किया गया है।

मान्यवर, हमारे एक माननीय सदस्य ने इस बात को उठाने का काम किया था कि जो आगरा में बाजना में, घोड़ी-बछेड़ा, भट्ठा पारसौल में घटनायें हुईं उसमें कोई भी प्रदेश सरकार कोई मंत्री जाने का काम नहीं किया। मान्यवर, आगरा में ठाकुर जयवीर सिंह जो हमारे मंत्री हैं, बाजना में मा0 कृषि मंत्री जी और कैबिनेट सेक्रेटरी भी साथ में गये थे, घोड़ी-बछेड़ा में ठाकुर जयवीर सिंह स्वयं गये थे, भट्ठा पारसौल में कृषि मंत्री और आर0ई0एस0 मंत्री जयवीर सिंह ने जाने का काम किया था। जहां तक भट्ठा पारसौल की बड़ी लम्बी-चौड़ी चर्चा होती है। भट्ठा पारसौल में यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय भूखण्ड योजना 2009 के लिए 139.71 हेक्टेयर भूमि अर्जित की गयी थी जिसमें धारा-4/17 की अधिसूचना और दिनांक 4-11-2009 को धारा-6/17 की अधिसूचना दिनांक 26-3-2010 को जारी की गयी तथा सेक्टर-16-18 के बीच के सेक्टर रोड के लिए 53.51 हेक्टेयर भूमि अर्जित की गयी जिसमें धारा-4/17 की अधिसूचना दिनांक 01-10-2009

एवं धारा-6/17 की अधिसूचना दिनांक 19-2-2010 को जारी की गयी अर्थात् राजस्व ग्राम भट्ठा में कुल 193 हेक्टेयर भूमि अर्जित की गयी। कुल अर्जित भूमि के सापेक्ष प्राधिकरण को दिनांक 14-7-2010 को एवं 29-3-2010 को कब्जा प्राप्त हो गया। मान्यवर, किसानों को 153.48 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, जो हम लोगों ने समस्यायें बतायी थीं उसके बारे में मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ नहीं बता रहे हैं। जो पहले के गांव हैं भट्ठा पारसौल, घोड़ी-बछेड़ा आदि के बारे में नहीं बता रहे हैं, इनकी नीयत ठीक नहीं है इसलिए कांग्रेस पार्टी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिष्कार करती है।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, किसानों के साथ सबसे ज्यादा धोखा कांग्रेस पार्टी ने किया है। जिसके नेता को गन्ना और सरपत के बीच में अन्तर नहीं मालूम वह किसान की वकालत क्या करेगा। किसान के असली हितैषी हम लोग हैं जो खेत और खलिहान से निकलकर आए हैं अपने हाथों से हल चलाने वाले लोग ही किसान के दर्द को समझेंगे वह दर्द इस पक्ष में बैठे हुए लोगों को है। कांग्रेस पार्टी को नहीं है।

श्री कौकब हमीद खां-

मान्यवर, इस सरकार ने ऐसी कोई चीज नहीं बताई।

श्री लालजी वर्मा-

वही बता रहा हूं।

श्री कौकब हमीद खां-

इस मामले में न सरकार की नीयत साफ है न इनका अपने ऊपर भरोसा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी की पूरी बात नहीं आई है। आप जल्दी में है।

श्री कौकब हमीद खां-

सरकार की नीयत साफ नहीं है। इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(श्री कौकब हमीद खां अपने दल के साथ नारे लगाते हुए सदन का त्याग किया)

श्री लालजी वर्मा-

इस सरकार ने 845 प्रति वर्गमीटर की दर से प्रतिकर का भुगतान किया गया। अर्जित भूमि के प्रतिकर की कुल धनराशि 153.48 करोड़ कुल मुआवजे में से 114.40 करोड़ अर्थात् 75 प्रतिशत प्रतिकर का वितरण किया जा चुका था। मान्यवर, जो 39 करोड़ बाकी था वह भी किसानों में आपस में विवाद थे पारिवारिक विवाद विभिन्न न्यायालयों में चल रहे थे उसके कारण भुगतान नहीं किया गया।

इसी तरह से परसौल में भी प्रथम चरण में 87 हेक्टेयर और दूसरे चरण में लगभग 246 हेक्टेयर भूमि अर्जित की गई। कुल 333 हेक्टेयर भूमि के सापेक्ष 266 हेक्टेयर कब्जा प्राधिकरण द्वारा 14-7-10, 23-8-10 व 31-3-10 को प्राप्त किया गया और 230 करोड़ मुआवजे में जो कुल बनता था उसमें 171.28 करोड़ मुआवजा यानी 74 प्रतिशत का वितरण किया जा चुका था।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जो सवाल हम लोगों ने उठाये उसका उत्तर नहीं दिया जा रहा है। भुगतान का सवाल नहीं है। यह प्रापर्टी डीलर नहीं है। हमने कहा था कि ग्रेटर नोएडा में जमीन ली गई थी उद्योगीकरण के लिए ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, सुनने की हिम्मत इनके पास नहीं है। एक तरफ प्रदेश के संसाधन की बात करते हैं। सस्ती लोकप्रियता उठाने के लिए यह बात उठा रहे हैं। जो लोग 6 लाख रुपये मुआवजा दे रहे हैं लेकिन यहां 44-44 लाख मुआवजा मिल रहा है। आज उनको यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि बहुजन समाजपार्टी के रहते किसानों को उससे कई गुना ज्यादा मुआवजा मिल रहा है। यह बात इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको लग रहा है कि किसान बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होकर।

श्री हुकुम सिंह-

कार्य-स्थगन में जो हमने सवाल उठाये हैं उसका उत्तर नहीं मिल रहा है। सरकार का दायित्व यह है कि प्रतिपक्ष द्वारा जो मामले उठाये जाएं उन पर बोलें।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

हमने जो मुद्दे उठाये उन पर सरकार जवाब नहीं दे रही है सरकार की इस नीयत के विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बर्हिगमन करता है।

(श्री ओम प्रकाश सिंह अपने दल के साथ सदन का त्याग किया)

श्री अम्बिका चौधरी-

अध्यक्ष जी हमें उत्तर चाहिए। यह तो मालूम ही है।

श्री लालजी वर्मा-

जब आप बोल रहे थे तो मैंने आपने यह आग्रह नहीं किया कि पहले यह बोलें बाद में यह बोलें। जब मैं बोल रहा हूं तो मैं हमें पहले क्या बोलना है मैं उस हिसाब से बोलूंगा। आप मुझे नहीं बतायेंगे कि पहले मुझे क्या बोलना है।

श्री अम्बिका चौधरी-

हमारे और आपके बोलने में अन्तर है। हम समस्या आपके सामने रख रहे हैं, आप सरकार हैं, आप उतनी दूनी समस्या नहीं रख सकते हैं हमारी तरह से। आप समस्या का समाधान रख सकते हैं सरकार की तरफ से। हम मरीज की तरफ से बोलते हैं और आप डाक्टर की तरफ से बोलते हैं इसलिए आप हमसे तुलना अपनी मत करिये। हम समस्या रख सकते हैं वह पूरी हो सकती है, अधूरी हो सकती है। आप सरकार की तरह बोलिये। हमारे और आपके बोलने में अन्तर है। हम यह कहना चाहते हैं माननीय अध्यक्ष जी कि हमारी समस्या यह है कि सरकार ने स्वीकार किया कि मुआवजा कम

मिला 200 रुपये, 250 रुपये, 400 रुपये वर्ग मीटर बढ़ाकर दिया गया। सरकार ने स्वीकार किया कि आबादी की जमीन नहीं ली जानी चाहिए थी। आबादी की जमीन छोड़ दी जाएं। सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि डेवलेपमेन्ट की एक्टीविटीज गांव में की जानी चाहिए, डेवलेपमेन्ट की एक्टीविटीज की जायं। हम आपसे असहमत नहीं है। बात सुन लीजिये, मेरा प्रश्न दूसरा है और आप उत्तर दूसरा दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी का स्टैण्ड इसमें दूसरा है इसलिए मैं अपनी बात आपसे कहना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं आपसे कि किसान का जो वास्तविक प्रश्न है जिन प्रश्नों पर आपकी बाधा लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट के प्राविधानों को लेकर थी। बार-बार आपने उनको दोहराया, हमने उसकी निन्दा की कि लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट बनाने का काम दूसरों के जिम्मे था। भूमि अधिग्रहण का कार्य दूसरों के जिम्मे था वह हम आपके इस बात को कह रहे हैं लेकिन सरकार के हिस्से में जो हुआ और मान्यवर, जो दूसरा आरोप है कि एक कम्पनी 16 में से 8 जो एक आदमी की थीं उसी को दे दिया, इसके बारे में उत्तर दें। यह पूछ रहे हैं कि अगर आपने पर स्क्वायर मीटर मुआवजा बढ़ा दिया तो क्या वह पर्याप्त समझकर बढ़ा दिया। पहले वाले को गलत समझकर बढ़ा दिया। सही समझ कर बढ़ाया या गलत समझकर बढ़ाया, यह बताइये, यह सुनने की बात है। आपके आंकड़े सही हैं हम मान लेते हैं। यही तो कहना है, अगर यह नहीं है मान्यवर, तो फिर सरकार है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इनकी चिन्ता किसान की नहीं है। इनकी चिन्ता यह है कि किसान इनसे अलग होता जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी की तरफ बहिन कुमारी मायावती जी की तरफ दिखाई पड़ने लग रहा है। इनको चिन्ता इस बात की है। मान्यवर, किसानों को तो लगा कि हमें 6 लाख 20 हजार रुपया मुआवजा मिला प्रति एकड़ और बी0एस0पी0 की सरकार आने पर 44 लाख 20 हजार रुपया प्रति एकड़ मिला।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जो किसान दरख्वास्त लेकर के इनके साथ जुड़ने के लिये गोली से मारा गया उसके बारे में इनकी जो भावनाएं हैं एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं है मान्यवर, इसलिये यह शून्य प्रलाप करें, सम्पूर्ण विपक्ष सदन से बहिष्कार करता है।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यगण ने नारे लगाते हुए सदन का त्याग किया)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यही दर्द है, जब यह रिलायंस के लिये 6 लाख में लिया और हमने 44 लाख दिया तो यह इनको खलने लगा कि किसान बहुजन समाज पार्टी के साथ हो जायेंगे। इसी के साथ-साथ मैं इस बात को भी कहना चाहता हूं कि भट्टा परसौल पर बड़ी चर्चा करने का काम किया गया। ऐसा लगने लगा कि किसानों के साथ बड़ी ज्यादती हुई। मान्यवर, किसान का मामला ही नहीं था। किसान ने अपने मुआवजे ले लिया था। कुछ ऐसे लोग जिन्होंने हमेशा भूमि की दलाली करने का काम किया था, जिन्होंने मान्यवर, गुण्डागर्दी करके अपनी सम्पत्ति बढ़ाने की दृष्टि से किसानों के नाम पर अराजकता फैलाने का काम करने वाले लोगों ने भट्टा परसौल में मानवीर सिंह तिबिया है जो एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो कर्मचारी वहां सर्वे करने गये थे उसने उनको बंधक बनाने का काम किया और जब पुलिस के लोग डी0एम0, एस0पी0 वहां गये तो उन पर गोली कट्टा चलाने का काम किया।

एस0पी0 को गोली लगी, सिपाही मरे मान्यवर, उस गोली में और एक नेता आये एक पार्टी के और उन्होंने बयान दे डाला कि वहां पर महिलाओं के साथ बड़ा गलत कार्य हुआ है और इतने लोगों को जला दिया गया। मान्यवर, भारत सरकार का मानवाधिकार आयोग भी वहां पर आया था। हमने अखबारों के माध्यम से जो पढ़ा, उन्होंने इस बात को कहा कि वहां पर कोई भी इस तरह की घटना महिलाओं के साथ नहीं हुई है। महिला आयोग ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है और जब उनकी स्वयं की हास्यापद स्थिति हुई तो उनके प्रवक्ता ने कहा कि नेता के बयान को, मैं नाम नहीं लूंगा यह कहा कि उक्त नेता के बयान को तोड़-मरोड़ कर रखने का काम किया गया। आज किसान हितैषी होने की बात करते हैं, जो मान्यवर, चरी और मक्के के पेड़ दिखा दिया जाए तो उसमें भेद नहीं कर सकते हैं सरपत और गन्ने के पेड़ में भेद नहीं कर सकते हैं वह किसान की पीड़ा क्या जानेंगे। सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह करते हैं।

हमारी माननीय मुख्य मंत्री जी ने माननीय प्रधान मंत्री जी को चिट्ठी लिखा है कि उत्तर प्रदेश ने जो अधिग्रहण की नीति बनाने का काम किया है मैं उस नीति को पूरा पढ़ने का काम तो नहीं करूंगा उसमें समय ज्यादा लगेगा। पहली बार उत्तर प्रदेश में निर्णय लिया गया कि किसान के आपसी समझौते से जमीन लेने का काम किया जाएगा। कम से कम 70 फीसदी किसान जब सहमत होंगे तो अन्य की भी जमीन ली जायेगी और साथ ही साथ यह भी निर्णय लिया गया कि अधिग्रहीत की गई भूमि के कुल क्षेत्रफल का 16 प्रतिशत विकसित करके भू-स्वामी को देने का निर्णय लेने का काम किया गया। मुआवजे के साथ-साथ, अभी-अभी तक वक्ता बोल रहे थे कि उनके ट्यूबवेल का, उनके घर का, उनके पेड़-पौधे का अन्य चीजों का मुआवजा, मुआवजे की जो नीति है मान्यवर, उसमें किसान की हर सम्पत्ति का जो अधिग्रहण में आता है अलग-अलग मुआवजे की व्यवस्था पहले भी थी और अब भी है, न देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मान्यवर, मुआवजे के साथ-साथ जो हमारी सरकार ने किया है प्रत्येक भू-स्वामी जिसकी भूमि अधिग्रहीत की जा रही है, को 33 साल के लिए 23 हजार प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से वार्षिकी दी जाएगी। जो भूमि कर के अतिरिक्त होगी और उसमें प्रत्येक वर्ष, पहले वर्ष 23,000 दूसरे वर्ष 23,800 फिर हर साल 800-800 की वृद्धि करने का काम किया जाएगा। इसके साथ-साथ भू-स्वामी अगर वार्षिक नहीं लेना चाहता है तो उसे 2 लाख 76 हजार प्रति एकड़ की दर से एक मुश्त पुनर्वास अनुदान दिया जाएगा। मान्यवर, कम्पनी प्रयोज्य हेतु भूमि अधिग्रहण की स्थिति में पुनर्वास अनुदान के एक मुश्त धनराशि में से 25 प्रतिशत के समतुल्य कम्पनी के शेयर का विकल्प भू-स्वामियों को उपलब्ध होगा। यह शेयर भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा-6 के विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि अथवा करार की तिथि जो बाद में हो, को शेयर के बाजार मूल्य के आधार पर कम्पनी द्वारा देय होगी यदि कम्पनी द्वारा भूमि अधिग्रहण के पश्चात् इनीशियल पब्लिक आफर लाया जाता है तो कम्पनी द्वारा फेस वैल्यू पर एक मुश्त पुनर्वास अनुदान के 25 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का, शेयर का आवंटन विकल्प देने वाले भू-स्वामियों को किया जाएगा। मान्यवर, लम्बा है मेरे पास है, मैं उसका पूरा समय नहीं लेना चाहता हूं इसके साथ ही साथ प्रभावित क्षेत्र में कृषि भूमि रखने वाले प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार जिस परिवार की पूरी भूमि अर्जित नहीं की गई है और भूमि अर्जन के परिणामस्वरूप सीमान्त कृषक बन गये हैं को 500 दिनों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर एक बार दीवानी अली सहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जायेगी। मान्यवर, कृषि श्रमिक या गैर कृषि श्रमिक की श्रेणी सम्बन्धित प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को 625 दिनों की न्यूनतम

कृषि मजदूरी के बराबर एक बार दी जाने वाली सहायता के रूप में वित्तीय सहायता दी जाएगी। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में पुश्तैनी भू-स्वामियों को प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त सुविधायें यथावत् दी जाती रहेंगी। मान्यवर, मेरा यह मानना है कि देश में सर्वोत्तम किसान के हित में निर्णय माननीय मुख्य मंत्री जी ने किसानों के पंचायत करने के बाद किया।

मान्यवर, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे जो आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं हमारी सरकार ने पारदर्शी ढंग से भूमि का आवंटन चाहे वह वाणिज्यिक भूमि का आवंटन हो, चाहे नोएडा सिटी में सेन्टर हेतु भूखण्ड का आवंटन हो। पूर्ण पारदर्शिता पर निविदा के आधार पर उच्चतम निविदादाता को आवंटित की गई है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं हुई है। सिजडी सेण्टर योजना पूर्व में लाई गई थी, कोई भी निविदा उसमें प्राप्त नहीं हुई थी। सिजडी सेण्टर की वर्तमान योजना खुली निविदा के आधार पर लाई गई थी और सर्वोच्च मूल्य वाले निविदादाता को भूमि आवंटित की गई। नोएडा प्राधिकरण के वाणिज्यिक भूखण्डों के आवंटन हेतु प्रचलित आवंटन प्रक्रिया के अनुरूप टू-विड सिस्टम पर योजना लाई गई थी, जिसका प्रकाशन राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्रों यथा दैनिक जागरण, अमर उजाला, टाइम्स आफ इण्डिया, इकोनामिक टाइम्स, हिन्दुस्तान टाइम्स तथा राष्ट्रीय सहारा में दिनांक 01-02-2011 को किया गया था। योजना की विवरणिका दिनांक 5-2-11 से 28-2-11 तक विक्रय हेतु यूनियन बैंक आफ इण्डिया, सेक्टर-62, नोयडा तथा एच0डी0एफ0सी0 बैंक, सेक्टर-18, नोएडा में उपलब्ध थी। योजना की तकनीकी निविदा 28-2-11 को खोली गई, योजना में उक्त भूखण्ड के विरुद्ध तीन निविदाकारों में मै0 वी0 ट्रैक्टर प्रा0 लि0 जिसका उच्चतम निविदा मूल्य था, उसके पक्ष में भूखण्ड आवंटन पत्र जारी कर दिया गया। मान्यवर, इतनी पारदर्शिता के साथ चाहे वह इस प्राधिकरण का हो या एल0डी0ए0 का हो, गाजियाबाद प्राधिकरण एथारिटी का हो, किसी भी प्राधिकरण के भू-आवंटन में जो पारदर्शिता वर्तमान सरकार के समय में बरती गई, मैं इस बात को चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पारदर्शिता के साथ भू-आवंटन की कार्यवाही की गई है, शायद ही कभी ऐसा रहा हो और निश्चित रूप से इसके लिए माननीया मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहिए कि उन्होंने ऐसी नीति बनाने का काम किया है।

मान्यवर, सच्चाई की जो बात है, अभी हमारे मा0 राय साहब कह रहे थे कि जिन्होंने सच्चाई सुनने में हमेशा अपना काला चेहरा छिपाया है, हमेशा उसी काम में लगाने का काम किया, वह सच्चाई सुन नहीं सकते। मान्यवर, निश्चित तौर पर अभी मा0 ओम प्रकाश सिंह जी एक पोथन्ना पढ़ रहे थे, किताब पढ़ रहे थे, मुझे लगता है कि कर्नाटक की किताब उठा लाये थे और कर्नाटक की किताब से ही वह पढ़ने का काम कर रहे थे, उसमें नाम और स्थान यहां का बता दिया लेकिन वही भूत सताये हुए हैं कर्नाटक का और उनको वही याद आ रहा है। निश्चित रूप से मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार और माननीया मुख्य मंत्री जी किसानों के हितों के लिए, किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, प्रदेश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, प्रदेश से अन्याय और अत्याचार को मिटाने के लिए संकल्पित है और निश्चितरूप से बहन कु0 मायावती जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे विकसित प्रदेश के रूप में जाना जायेगा, ऐसा मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। मान्यवर, जहां तक नियम-56 की ग्राह्यता के जो बिन्दु हैं, उसको आप देखने का काम करेंगे, उसमें यह विषय नहीं आता, इसलिए मैं चाहूंगा कि इसको अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने नेता भारतीय जनता पार्टी, नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेता राष्ट्रीय लोकदल, नेता समाजवादी पार्टी और उनके सदस्यों को सुना। माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुना, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती, इसे मैं अग्राह्य करता हूं।

दूसरी सूचना श्री प्रमोद तिवारी और उनके सदस्यों की है जो लखनऊ में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा बर्बर लाठीचार्ज किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री कुबेर सिंह के खड़े होने पर)

श्री प्रमोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे बुला लिया है, मेरे बाद कह लीजियेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे जुल्म, ज्यादती और बर्बरता के खिलाफ अपनी बात कहने का अवसर दिया। कल क्रांति दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय युवक कांग्रेस के कार्यकर्तागण अपने पूर्व घोषित और नियोजित कार्यक्रम के अनुसार रविन्द्रालय के पास बाल संग्रहालय पर सभा कर रहे थे। सभा करने के बाद उन्होंने एक रैली निकाली और उनका उद्देश्य था कि महंगाई, भ्रष्टाचार और बिगड़ी हुयी कानून व्यवस्था पर जनता का ध्यान आकृष्ट करना। मान्यवर, लोकतंत्र और हिटलरशाही यानी कि तानाशाही में एक ही फर्क है। चाहे जितना जुल्म हो तानाशाही में किसी को बोलने का अधिकार नहीं होता लेकिन लोकशाही में यह अधिकार सभी को है कि वह अपने खिलाफ होने वाली किसी ज्यादती के खिलाफ आवाज उठा सके। यही हमारे लोकतंत्र की जीवंतता है, यही सार है और यही लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। लोकतंत्र ही इजाजत देता है कि हम अपना आन्दोलन या सत्याग्रह करें। मान्यवर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मैं उन सभी घायल कार्यकर्तागणों से मिलने गया था। मैं शपथपूर्वक पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि मैंने बहुत लाठीचार्ज देखे हैं लेकिन कल लाठीचार्ज के बाद जिस हालत में उन नौजवानों को देखा है। मान्यवर, जब वह गिर गये तो जूते से बूट से उनको कुचला गया और यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है। दूसरे दल के कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के साथ और यही युवा वाहिनी सपा के साथ हो चुका है। मान्यवर, गिरने के बाद जूतों से उन्हें रौंदा गया, उसकी पीठ पर दो-दो, तीन-तीन लोग चले और वह ट्रामा सेन्टर में भर्ती है। मान्यवर, परिभाषा क्या है ? मान्यवर, परिभाषा तो यही है कि अगर कोई जुलूस आप नहीं निकलने देना चाहते तो आप उसे बलपूर्वक रोक दें। आपको उतना ही बल इस्तेमाल करने की इजाजत है जितने से आप उसे रोक दें।

मान्यवर, मैं कुछ चित्र दिखा रहा हूं इसमें जिस तरह से एक लाश की तरह एक कार्यकर्ता पड़ा है और उसके बाद भी उस पर लाठियां चल रही हैं। मान्यवर, दूसरा चित्र अगर आप देखें तो देखेंगे कि घसीट-घसीट कर एक कार्यकर्ता पर चार तरफ से लाठियां चलाने का क्या तुक है। मान्यवर, मैं यह सब आपके पास भिजवा दे रहा हूं। आप देखिये। मान्यवर, बैठे हुए कार्यकर्ताओं पर उठी हुयी यह लाठियां गवाह हैं कि यह जुल्म हुआ है, ज्यादती हुयी है बर्बरता हुयी है। मान्यवर, कल 8 अगस्त का दिन था, क्रांति की पूर्व संध्या थी। अगर जनरल डायर कहीं से देख रहा होगा तो कल उसने अपने को शर्मिन्दा महसूस किया होगा कि मैंने जो कुछ किया वह हल्का था, मौजूदा सरकार जनरल डायर से भी

कहीं ज्यादा क्रूर, यातना देने वाली, प्रताड़ित करने वाली सरकार है। मान्यवर, इन नौजवानों में 4-4, 5-5 के सिर फूटे हुए हैं। 11-11, 12-12 नौजवानों के फ्रैक्चर है। वीरेन्द्र सिंह राठौर जो दिल्ली से आये थे वह बुरी तरह घायल हैं। श्री तरुण पटेल जो हमारे इस रीजन के अध्यक्ष हैं विकास उपाध्याय, उमा शंकर पाण्डेय, शहनवाज चौधरी, मान्यवर, लड़कियों को भी नहीं बक्शा गया, कु0 कुसुम, शबाना तथा योगेश सिंह, आशुतोष त्रिपाठी इन सभी को मैं घायल अवस्था में मिलकर आया।

मान्यवर, मेरा सिर्फ एक अनुरोध है मेरी बात पर विश्वास न करें। यहां से 200 मी0 की दूरी पर वह घायल सिविल अस्पताल में भर्ती है। उसमें कांग्रेस नहीं जायेगी। आप समाजवादी पार्टी, भाजपा, लोकदल और जितने यह हों इनसे दो ज्यादा बसपा सरकार से ले लें और यह अस्पताल में उनसे मिल आयें। उनके शरीर पर, उनकी पीठ पर जूतों के निशान देख लें। उनकी टूटी हुयी हड्डियां देख लें। मैं सिर्फ आगाह कर रहा हूं।

सत्ता हमेशा एक के पास नहीं रहती, ये सत्ता हमेशा अदलती-बदलती रहती है, चलायमान है। मान्यवर, अगर पुलिस का यही रवैया रहा कि गिरने के बाद बूटों से कुचला जायेगा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब ये आवाज उधर खड़े हो करके आप उठा रहे होंगे और हम सुन रहे होंगे। मान्यवर, जिसने भी किया हो, जिस किसी ने भी किया हो, हमारी मांग है कि उसके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाये और मुकदमा कायम करने के बाद उसे गिरफ्तार किया जाये। मान्यवर, मैं इस पर भी तैयार हो जाऊंगा, हमारे दल के किसी आदमी को न लिया जाये, तीन वरिष्ठ मंत्रियों की टीम सिविल हास्पिटल के ट्रामा सेंटर में चली जाये, वे जो रिपोर्ट दे दें मान्यवर, यातना की, बर्बरता की मैं उसे स्वीकार कर लूंगा। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस घटना को हल्के से मत लीजिये। ये जो एक ट्रेण्ड बन रहा है, जूतों से मारने का, बूटों से कुचलने का, सर फोड़ देने का, गिरे हुये नौजवानों को चारों तरफ से घेर कर लाठी चार्ज करने का यह पुलिस का काम नहीं है, सत्याग्रहियों पर इस तरह से नहीं होना चाहिए मान्यवर। मैं तो यह कहूंगा कि अंग्रेजों की हुकूमत के सामने भी जब हमारे सत्याग्रही और आंदोलनकारी जाते थे, उन पर इतना बर्बर जुल्म नहीं होता था, जितना मौजूदा सरकार ने कल किया। मान्यवर, मैं बहुत दुख के साथ, बहुत ही तकलीफ के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि आप निर्देशित करें कि 307 के अन्तर्गत इन्हें गिरफ्तार किया जाये और फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरी बात को आप स्वीकार करें न करें, एक सर्वदलीय समिति या मंत्रियों की एक समिति जिसमें सिर्फ आपके मंत्रीगण हों, उन्हें भेज दें मान्यवर, वो कल सदन में आ करके बता दें। ये बर्बरता की कहानी अगर नहीं रुकेगी मान्यवर, तो कल लोकतंत्र के इतिहास का क्या होगा, मैं ये कह नहीं सकता आपसे। मैं आपसे कहता हूं कि यदि ये न सम्भव हो तो मैं इसकी न्यायिक जांच की मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, इस समय महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी की समस्या से नौजवान परेशान है और जब वह इसकी आवाज उठाने के लिये आगे आता है, धरना प्रदर्शन होता है। धरना प्रदर्शन हमने भी किया है और लोग रोकते भी हैं। लेकिन जब कोई आदमी गिर जाये और उसके बाद उसको बूटों से कुचला जाये तो ये उसको अपमानित करने की बात है। आज इन नौजवानों को चाहे जिसका और जिस भी तरीके का आन्दोलन हो, अपमानित करने की कोशिश की जा रही है। ये आगे आने वाले

भविष्य के लिये बहुत ही बुरा संकेत है। ये नौजवान जो आज अपनी बात शांतिपूर्वक तरीके से कहने के लिये आगे आ रहा है, यही नौजवान एक दिन इस व्यवस्था में कील ठोंकेगा। इसलिये मान्यवर, जैसा कि मा0 प्रमोद जी ने कहा है, इसकी अच्छी तरह से जांच कराई जाये और जो अधिकारी, या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये आज आपकी सत्ता है आपके साथ हैं, कल उनकी सत्ता होगी उनके साथ हो जायेंगे। और ये जो सत्ता की वफादारी निभाते हैं, ये वफादारी नहीं है बल्कि ये लोकतंत्र के साथ गद्दारी है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, कल जो घटना हुयी है।

श्री अध्यक्ष-

आप क्यों उसी बात को रिपीट करते है। माथुर साहब, कार्यकर्ताओं के साथ जो भी घटना घटी है, उसको तिवारी जी ने निश्चित तौर पर बता दिया है। जब एक सदस्य ने कह दिया है तो यह जरूरी नहीं है कि हर सदस्य उस बात को कहे।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं अपनी बात को मा0 सदस्य श्री प्रमोद तिवारी जी के साथ सम्बद्ध करता हूं और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि आपको तानाशाही और लोकतंत्र में फर्क देखना है तो आप कल की घटना को देखें। जिस तरह से वर्तमान सरकार नौजवानों को कुचल रही है और जिस तरह से वर्तमान सरकार ने हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को अपनी दमनकारी नीति से पिटाई करवाई है, मैं उसके लिये उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्वक आंदोलन करने के लिये और अपनी बात को रखने के लिये सबको अधिकार है। इसका तात्पर्य मान्यवर, यह नहीं है कि अगर विधान सभा में कोई जबरन घुसना चाहे या पुलिस के घेरा को तोड़कर प्रतिबंधित क्षेत्र से आगे बढ़ना चाहे तो निश्चित रूप से इसमें पुलिस कार्यवाही करती है। मैंने स्वयं देखा है कि रोकने को पानी छोड़ने का काम किया गया था। उसके बाद भी जिस तरह से अराजक होकर लोग बढ़े हैं, निश्चित रूप से उसकी निंदा की जानी चाहिए, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता को इस तरह का आचरण शोभनीय नहीं है। मान्यवर, मा0 तिवारी जी को जनरल डायर याद आते हैं, पूरे देश में एक नहीं हजारों जनरल डायर को मात देने वाली घटनाएं अगर कभी हुई हैं, तो कांग्रेस शासित राज्यों में हुई हैं। रात में रामदेव जी के साथ जो हुआ।

श्री हुकुम सिंह-

कौन है जनरल डायर आप हैं कि ये हैं।

श्री लालजी वर्मा-

मुझे नहीं मालूम, कांग्रेस का नाम ही अंग्रेजी शब्द पर है मुझे लगता है कि उनका चोली दामन का संबंध होगा। हरियाणा में मैंने देखा था मान्यवर, जिस तरह से दौड़ा-दौड़ा कर भगाया गया था, एक-दूसरे के ऊपर लोग लोट गए थे, वह याद तिवारी जी को नहीं आयी, वहां पर इन लोगों ने

आकर इस तरह से आंदोलनकारियों को दबाया जिस तरह से भेड़ें एक-दूसरे के ऊपर दबकी होती हैं, उस तरह से वहां पर पब्लिक एक दूसरे पर दबकी हुयी थी। मान्यवर, एक जगह की घटना हो तो बताऊ, पूरा काला इतिहास ही है इनका। यहीं विधान सभा के सामने आदरणीय अक्षयवरमल इनकी सरकार के जमाने में पुलिस की लाठी से, उनका इंतकाल हुआ था, जो कि अहिंसक लड़ाई लड़ने वाले एक समाजवादी नेता थे। इसी विधान सभा के सामने और विधान सभा इसकी गवाह है और वह पार्टी इस तरह की बात करती है। मान्यवर, इन्हें चाहिए कि अगर ये लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो इन्हें अपने कार्यकर्ताओं को भी लोकतांत्रिक बनाना पड़ेगा। आपकी जमीन खिसक गयी है, हल्ला बोलकर जमीन बनाना चाहते है, वह बनने वाली नहीं है तिवारी जी। आप पच्चीसों साल आगे तक भी उत्तर प्रदेश में दुबारा सत्ता में आने वाले नहीं है। मान्यवर, निश्चित रूप से यह एक स्थानीय स्तर की घटना है, प्रशासनिक दृष्टि की घटना है, यह नियम-56 में नहीं आती है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इसे अग्राह्य करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मानवीय दृष्टिकोण से मैं यह समझ रहा था कि शायद थोड़ा बहुत मानवीय हो गए हो आदणीय संसदीय कार्य मंत्री जी। अपने प्रदेश का नहीं बता रहे हैं हरियाणा की बता रहे हैं, अरे मैं तो आपके लखनऊ की बता रहा हूं। हरियाणा में अगर बसपा के एक-आध एम0एल0ए0 हो तो सरकार से पूछें, उनका अधिकार है लेकिन यहां पर तो मैं जो कह रहा हूं, वह यहां से 100 मीटर की दूरी पड़ती है। हो सकता है कि यह बदला ले रहे हो लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं जो आपने कहा कि विधान सभा घेरने आ रहे थे, लेकिन यह घटना के0के0सी0 के सामने हुई है यानि यहां से ढाई किलोमीटर दूर, वहां पर आपने कौन-सी विधान सभा बनवा रखी है। मान्यवर, जिस समय ये बोल रहे थे, उस समय ऐसा लग रहा था जैसे जो क्रूर पुलिस वाले हैं, उनके कोई प्रतिनिधि बोल रहे हो, एक निर्वाचित मंत्री नहीं बोल रहे थे। ये बिल्कुल पुलिस से इतने डरे-सहमे रहते हैं कि जो ऊपर से लिख कर आ गया, उससे दाये-बाये जायेंगे, बाहर निकलेंगे तो इनकी भी यही दुर्गत होगी। इतनी डरी हुई, सहमी हुई सरकार है। मैं तो आपको कह रहा हूं कि आप खुद तीन मंत्री वहां जाकर देख लें। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं मान्यवर, कि आप चले जाएं, आप देख लें उनके जख्मों पर मरहम रख दें और खुद रिपोर्ट यहां पर दे दें लेकिन यह क्या कह रहे हैं, मान्यवर, यह तो बहुत गुलामी की प्रवृत्ति है इनकी। मान्यवर, ये वो लोग हैं जो सिर उठाकर जीना ही नहीं जानते हैं। सर उठाकर अगर चले तो वहां नहीं होंगे, जहां पर हैं। इनकी तो आदत पड़ गयी है पुलिस के सामने झुकने की। इस अमानवीय कदम के पीछे ये सच्चाई का सामना नहीं कर रहे हैं मैं आपसे कह रहा हूं कि आप खुद चले जाइये, तीन वरिष्ठ मंत्री चले जाएं लेकिन अपनी आंखों से सच्चाई ये देखना नहीं चाहते हैं। यह जो जुल्म हुआ उसे रोकना नहीं चाहते तो मान्यवर, मैं और मेरा दल लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पूरा विश्वास करते हुए, इस सदन का बहिर्गमन करता हैं।

इसके सिवा और क्या किया जा सकता है, कहिये तो सदन की बेल में आ जाएं, थोड़ी देर के लिए हाऊस एडजर्न करा दें, लेकिन आप इसी के सामने बोल सकते हैं, जहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो, जब सामने तानाशाही बैठी हो, तो उस समय सिर्फ इतना ही कहूंगा, भगवान सद्बुद्धि दो और जो कुछ आज हुआ है, कभी जब आपके साथ होगा, तो आपको हमारा दर्द समझ में आयेगा।

(तत्पश्चात् कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण सदन का बहिर्गमन कर गये।)

श्री अध्यक्ष-

मैंने श्री प्रमोद तिवारी जी को सुना, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है, मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

हम एक व्यवस्था दे रहे हैं कि हमारे बहुत से माननीय सदस्यों की सूचनाएं हैं, सदन का समय कम है इसके लिहाज से दो-दो मिनट में बोलें कि सभी माननीय सदस्यों की समस्यायें आ जायें, इसमें लगभग 20-25 सदस्यों को अपनी-अपनी समस्यायें रखना है। अगर दो-दो मिनट के अन्दर माननीय सदस्यगण अपनी बात रख लें और उस पर कुछ निर्णय हो जाय, हम उस पर कुछ व्यवस्था दे दें, इसलिए लम्बी भूमिका न करके स्पेसिफिक जिस घटना के बारे में कहें उसका उल्लेख कर दें, ताकि सदन में आपकी बात आ जायेगी, इस भावना से मैंने इतने माननीय सदस्यों को विशेष उल्लेख से लेकर के सुनने तक चयनित किया है इसलिए अनुरोध कर रहा हूं कि आप हमारा कम से कम एक एड्जेस्टमेण्ट कर दें ताकि सभी माननीय सदस्य अपनी बात रख सके, आगे विधेयक है जिसमें संशोधन आये हैं, उस पर बहस होनी है, इसलिए मैं चाहूंगा कि सिर्फ दो मिनट में ही माननीय सदस्य अपनी बात रख दें। जैसे-एक सूचना पर तीन-तीन, चार-चार सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, अगर सभी सदस्य कहेंगे कि नहीं साहब हमारा हस्ताक्षर है तो वह समय हमारा जो आप एडजेस्ट करना चाहते हैं, वह नहीं हो पायेगा, इसलिए अनुरोध है कि वही भावनाएं सभी सदस्यों की हैं जिनके सूचना पर हस्ताक्षर हैं, एक सदस्य अपने सूक्ष्म समय में दो-दो मिनट का समय है, इससे ज्यादा अगर करेंगे तो हम व्यवस्था देंगें कि उसकी बात नोट नहीं की जायेगी।

सुरेश कुमार श्रीवास्तव और सुरेश चन्द्र तिवारी जी की सूचना प्रदेश में छात्रों को डिग्री कालेज में बी0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इसी से सम्बन्धित सलिल विश्नोई जी की सूचना है, चूंकि सुरेश कुमार श्रीवास्तव और सुरेश चन्द्र तिवारी जी उपस्थित नहीं है, इसलिए सलिल विश्नोई जी आप बोल दें।

श्री सलिल बिश्नोई-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस गम्भीरतम समस्या पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, मान्यवर, वर्तमान समय में डिग्री कालेजों में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन कालेजों की सीटें भर जाने के कारण सैकड़ों छात्र और छात्राएं एडमीशन से वंचित रह गये हैं, 70 परसेण्ट से लेकर 80 परसेण्ट तक के बच्चे मार्कशीटें लिये हुए घूम रहे हैं, स्कूलों में अराजकता की स्थिति हो गई है, छात्र प्रबन्धन में टकराव हो रहा है, उनके अभिभावक चिन्तित हैं, नई पीढ़ी के सामने अपना पूरा भविष्य अन्धकारमय दिख रहा है। अभी शासन की ओर से अखबारों में सूचना छपी थी कि 20 परसेण्ट सीटें बढ़ाई जा रही हैं, लेकिन यह सूचना छपे हुए दस दिन हो गये लेकिन माननीय अध्यक्ष जी अभी तक यह आदेश कालेजों में और विश्वविद्यालयों में नहीं पहुंचा है, इस कारण से और अधिक बेचैनी है। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं कि इस समस्या का हल कराया जाय और इस गम्भीरतम समस्या पर, अविलम्बनीय इस लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराई जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगें ?

उच्च शिक्षा मंत्री डॉ0 राकेशधर त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, आज पहली बार यह सदन के संज्ञान में आया है और अभी तक कहीं कोई ऐसी स्थिति है नहीं, न तो आन्दोलनों की जानकारी है न ही किसी विश्वविद्यालय अथवा विद्यालय से लिख करके आया है। आपने संज्ञान में डाला है, इसका परीक्षण किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैंनें मा0 सलिल विश्नोई जी को सुना, मा0 मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं, लेकिन मा0 सदस्य सलिल विश्नोई जी ने छात्रों की समस्या को सदन के संज्ञान में लाया है, छात्रों के साथ कहीं पर इस तरह की दुर्व्यवस्था हो गई है कि प्रवेश में कही परेशानी है, तो इसे आप दिखवा लीजिए।

(माननीय सदस्य श्री राधा मोहन दास अग्रवाल का नाम पुकारे जाने पर एवं उनके अनुपस्थित रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य डा0 राधा मोहन दास जी हैं नही, मैं इनकी सूचना को अग्राह्य करता हूं।

डा0 ज्योत्सना श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रत्येक लोकतांत्रिक सरकार का यह कर्तव्य होता है कि वह जन समस्याओं का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण करे। इस समय हमारे प्रान्त में पराग दूध वाले कर्मचारी हड़ताल और धरना आन्दोलन कर रहे हैं, बड़ा जरूरी है कि उनकी समस्या सुनी जाय और उसको हल किया जाय, 36 महीने से ऊपर हो गया, उनको वेतन नहीं मिला है, पराग दुग्ध संघ टूटते जा रहे हैं और जो पी0सी0डी0एफ0 के पराग संघ की जो कम्पनी काम कर रही है, वह बन्द होते जा रहे हैं, आठ स्थानों पर यह बन्द हो गये हैं।

मान्यवर, सहारनपुर, मुरादाबाद, फतेहपुर, बरेली, अलीगढ़ आदि जगहों पर एक के बाद एक में तालाबंदी होती जा रही है और दूध का उत्पादन जो 10 लाख टन प्रतिदिन था वह 3 लाख टन पर पहुंच गया है। हमारा कहना यह है कि उन कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार किया जाय और उनके बकाये वेतन को दिलाया जाय।

मान्यवर, एक बात यह कहना चाहती हूं कि इस समय राम नगर के पराग डेयरी में 112 टन दूध पाउडर तथा 62 टन मक्खन सड़ रहा है। कहने का आशय यह है कि व्यवस्था आपकी ठीक नहीं है। इसे आप देखें। मान्यवर, यह को-आपरेटिव डेयरी फेडरेशन एक राजकीय उपक्रम है। मान्यवर, कम्पनी ऐक्ट के अनुसार जिसमें सरकार का अंशदान 50 प्रतिशत से अधिक हो, वह सरकारी कम्पनी मानी जाती है। इसमें कुल अंश पूंजी का 94 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा निवेशित है अतः यह पूरी तरह से सरकारी उपक्रम है और इस सरकारी उपक्रम में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी अर्थात् लोक सेवक है और ऐसी हालत में जब पी0सी0डी0एफ0 का नियंत्रण सरकार के हाथ में है तो सरकार की पहली ड्यूटी है कि वहां के कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान करायें। उनको वेतन

नहीं मिल रहा है इसमें कई कर्मचारी ऐसी स्थिति में पहुंच गये हैं जिसे भुखमरी कहते है और कई कर्मचारियों का देहान्त भी हो गया है। मान्यवर, वहां के कर्मचारी बकाये वेतन के भुगतान के साथ-साथ पंचम वेतनमान दिये जाने की मांग कर रहे हैं जबकि अन्य जगहों पर छठें वेतन आयोग का वेतनमान भी मिल चुका है। कर्मचारीगण सेवाकाल के आधार पर प्रोन्नत वेतन लागू करने की भी मांग कर रहे है। उनको यह सब सुविधायें न मिलने से उन्हें लग रहा है कि उनकी उपेक्षा हो रही है।

मान्यवर, औद्योगिक झगड़ों के निपटारे हेतु वैधानिक व्यवस्थायें है। यह समस्या उसमें दी जा सकती है। एपीलेट ट्रिब्यूनल भी है कोई भी पक्ष उसमें जा सकता है। लेकिन सरकारी उपक्रम होने के कारण इनके कर्मचारियों का बकाया वेतन पहले सरकार को देना होगा तभी वह औद्योगिक झगड़ों को औद्योगिक न्यायालयों में ले जा सकती है। इसलिए नियमानुसार इनके बकाये वेतन का भुगतान कराया जाय। इसके अतिरिक्त, जब वहां के कर्मचारी प्रबन्ध निदेशक से बात करने जाते हैं तो वह तालाबंदी की धमकी देते हैं। जनता में यह सुगबुगाहट है कि जिनमें तालाबंदी है उनकी जो बिल्डिंग्स हैं सड़क के किनारे हैं और बहुत बड़ी जमीन उनके पास है। सरकार इस समय जमीन की भूखी हो गयी है और जहां भी उनको अच्छी जमीनें दिखायी देती हैं कैसे लिया जाय सरकार सोचने लगती है। कर्मचारी कह रहे हैं शायद इसीलिए हमारी उपेक्षा हो रही है। यह विषय दूध से सम्बन्धित है और यह देश जो बहुत बड़ा शाकाहारी देश है जहां वृद्ध लोग और बच्चे लोगों के लिए दूध एक अमृत की तरह है वही उनके जीवन को बनाये रखती है। वह दूध बिचौलियों के हाथ में चली जाय और किसानों को घाटा हो तो दूध वाले अपने पशुओं को काटने के लिए बेंच देंगे इस तरह से यह समस्या बढ़ेगी। इसका हल बहुत जरूरी है। मैं सदन से यह मांग करती हूं कि इस पर सरकार विचार करे और इसके त्वरित समाधान करने के लिए सरकार कदम बढ़ाये इसका कुछ निस्तारण करे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह हंसी जो है लाखों किसानों का मजाक है। मैं दुख के साथ कह रहा हूं मैं कोई खुशी से खड़ा नहीं हुआ हूं और न नाम लिखाने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे पास यह विभाग रहा 20-25 साल पहले। और मैंने इस विभाग के माध्यम से गांव-गांव तक इस फेडरेशन को ले जाने का काम किया। सहकारी समितियां बनवायी दूध का प्रोक्यूरमेंट करवाया। और मान्यवर गर्व था प्रदेश को कि मुरादाबाद से एक लाख लीटर दूध प्रतिदिन कलकत्ता जाता था। 5 लाख लीटर दूध प्रतिदिन दिल्ली जाता था मेरठ से मान्यवर। आज उसकी क्या स्थिति है कि किसानों का आठ करोड़ रु0 बकाया है एक पैसा नहीं मिला है। दूध बेचने का काम कौन करेगा सबसे जो गरीब किसान है वह दूध बेचने का काम करता है और मान्यवर, ऐसी स्थिति में आप चिन्ता करें। जो आज एमडी के रूप में आपने बिठा रखे हैं अधिकारी उनकी रूचि इसमें हैं नहीं। एक-एक दिन वह चाहते हैं कि बन्द हो जाय किसी तरह से पी0सी0डी0एफ0 तालाबन्दी की तरफ जाय, उनका पूरा प्रयास है। क्यों मारना चाहते हो ? मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं प्रश्न को उठाया गया है यहां पर मैं आपकी संवेदनशीलता चाहता हूं आप वरिष्ठ मंत्री बैठे हुए हैं इस पर आप विचार कर लें और सोचे इस बात को कि किसानों का भुगतान हो जाय और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान हो जाय। आज अगर कर्मचारी जाते हैं उनसे मिलने तो दरवाजा बन्द कर देते हैं और बाहर निकाल देते हैं यह किसी पी0सी0डी0एफ0 में बैठे हुए एमडी का आचरण है, वह उसको चलने नहीं देना चाहते हैं। आप जुड़िये इस कार्यक्रम से, बहुत अच्छा कार्यक्रम

है। अमूल के पैटर्न पर हम लाये थे इसको प्रदेश में। मंत्री जी से मैंने आग्रह किया था कि गम्भीरता से इसको ले, दूधियों को जिन्दा रखने के लिए प्राइवेट लोगों को जिन्दा रखने के लिए इस संस्था को मार रहे है यह उचित नहीं है इस पर कार्यवाही होनी चाहिए।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, एक मैंने दिया था, मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

अभी मैंने नाम पुकारा था तो आप अनुपस्थित थे हम देखेंगे आगे क्रम में विचार कर लिया जायेगा।

माननीय मंत्री जी, डेरी किसानों का, डेरी कर्मचारियों का कुछ विषयों पर चल रहा है माननीया ज्योत्सना जी ने नोटिस के माध्यम से कहा कुछ संज्ञान में हो तो बतायें।

*पशुधन एवं दुग्ध विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अवध पाल सिंह यादव)-

मान्यवर, पी0सी0डी0एफ0 उत्तर प्रदेश में दूध का संग्रह करती है और समितियों के माध्यम से करती है। 13 मई, 2007 को जिस दिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी उससे पिछली सरकार में पी0सी0डी0एफ0 और दुग्ध संघ लगभग सवा सौ करोड़ के घाटे में और लगभग सवा सौ करोड़ के कर्जे में था। बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने एन0डी0डी0बी0 का 101 करोड़ रुपया देकर कर्जा पूरा का पूरा अदा करने का काम किया और पिछले 4 वर्षो में लगभग 40 करोड़ से ज्यादा पी0सी0डी0एफ0 को रुपया देने का काम किया। अब इस समय लगातार पूरे प्रदेश, पश्चिमी प्रदेश में प्रमुख रूप से प्राइवेट डेरिया खुल गयी हैं और उनके कारण और केन्द्र सरकार ने ऐसे कानून बना रखे हैं कि कोई भी व्यक्ति कहीं से पूरे देश में दूध खरीद सकता है और पूरे देश में कहीं भी बेच सकता है तो जो पी0सी0डी0एफ0 ढ़ाई सौ करोड़ के लगभग घाटे में और कर्जे में था उसमें बहुजन समाज पार्टी ने लगभग 101 करोड़ रुपया एन0डी0डी0बी0 का कर्जा अदा करने का काम किया है। कर्जा को अदा करने का काम पूरा कर दिया है और पी0सी0डी0एफ0 की डेरियों को चलाने के लिए जो 4 वर्ष में लगभग 40 करोड़ का पिछला दूध का भुगतान और अन्य भुगतान थे, उसको करने का प्रयास किया है इसके बावजूद भी यह बात सही है कि कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है हम प्रयास करेंगे और सीमित संसाधनों में से जैसे ही हमें पैसा मिलेगा हम उनका भुगतान करने का प्रयास करेंगे। मैंने बता दिया है कि दूध का भी भुगतान करेंगे।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीया ज्योत्सना श्रीवास्तव को सुना यह नियम-56 में नहीं आती है मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से नगर निगम के विकास के सम्बन्ध में यह महत्वपूर्ण विषय है सम्बन्धित तो गोरखपुर से है लेकिन इसका सम्बन्ध

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सम्भवतः समस्त नगर निगमों से है। गोरखपुर महानगर का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी ऐसा है जहां जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं नाले नहीं बनाये गये है और बरसात तो बहुत दूर है बिना बरसात के अधिकांश जगहों पर पानी लगा रहता है और सबसे दुखद सत्य यह है कि बावजूद इस तथ्य को जानते हुए कि जहां जल जमा होता है और वर्ष में 2 महीने या 3 महीने पानी लगा रहता है डामर या पिच की सड़कें नहीं बनाई जानी चाहिए लेकिन इस तथ्य को जानने के बावजूद लगातार नगर निगम के द्वारा वहां डामर या पिच की सड़कें बनाई जाती हैं एक ओर बनती है दूसरी ओर चूंकि जल निकासी नहीं है इसलिए 2-3-4 महीने की बरसात के बाद वह सड़कें टूट जाती हैं और अगले साल उसका लेपन करके फिर से बनाना पड़ता है या 2-3 साल में पूरी की पूरी सड़क नई बनती है। इस प्रकार से नगर निगम के स्थाई विकास का पैसा जो अन्य क्षेत्रों में लग सकता है वह उन्हीं क्षेत्रों में बार-बार लगाया जाता है। यह काम अंजाने में होता है ये अंजाने में करते हैं यह मानने वाली बात नहीं है। वह अच्छी तरह से जानते हैं कि जहां जल जमाव होता है वहां इस प्रकार की सड़कें नहीं बननी चाहियें। इन सड़कों को कम से कम बनाने से पहले प्राथमिकता के आधार पर वहां जल निकासी की व्यवस्था कर लेनी चाहिये। शासन बहुत आसानी से इस बात को कहता है कि नगर निगमें स्वायत्त होती हैं, अपने विकास की योजनायें खुद बनाती हैं, हम उसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन सत्य यही है कि नगर निगम की हर छोटी से छोटी गतिविधि में शासन का हस्तक्षेप होता है। नगर निगम अगर एक सफाई कर्मचारी रखना चाहे तो भी उसे शासन के उस निर्देश का पालन करना होता है कि जिसमें लिखा होता है कि सफाई की व्यवस्था ठेकेदारों के माध्यम से कराई जायेगी। इस प्रकार नगर निगम अपनी ओर से सफाई कर्मी नहीं रख सकता।

मेरा सिर्फ एक आग्रह है, माननीय मंत्री जी यहां बैठे है और इस बात से भलीभांति परिचित होगें। यह पैसे की बरबादी हो रही है और वास्तव में एक रणनीति के तहत खूब समझ करके पैसे की लूट हो रही है, नगर निगम के अधिकारियों और अभियंताओं के माध्यम से। एक निर्देश यहां से बहुत स्पष्ट जाना चाहिये कि नगर निगम के जिन क्षेत्रों में जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, नाले अभी तक नहीं बने हैं वहां सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर नाले बनाये जायें, जल निकासी की व्यवस्था की जाये और एक बार जब वहां निकासी बन जाये, उसके बाद भले ही वह पिच की सड़कें बनवा लें। लेकिन जहां निकासी नहीं है वहां अगर जानबूझकर पैसा लूटने के लिये अधिकारी पिच की सड़कें बनाते है, वह अच्छी तरह जानते है कि अगर एक बार सी0सी0 रोड बना दी जाये तो पानी भले लग जाये लेकिन सड़क खराब नहीं होगी, उसके बावजूद इन क्षेत्रों में पिच की सड़कें बनाई जाती है। इसलिये शासन से और माननीय मंत्री जी से मेरा सिर्फ एक छोटा सा आग्रह है कि इस बात पर शासन को एक नीति तय करनी चाहिये कि नगर निगमों के जलजमाव वाले क्षेत्रों में पहले जल निकासी की व्यवस्था की जाये, नाले बनाये जायें उसके बाद ही उन्हें पिच की सड़कें बनाने की छूट दी जाये। इसी बात को लेकर मैं अपना स्थगन लाया था, क्योंकि जनता का धन इसमें बरबाद हो रहा है। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी यहां बैठे है, वह तो सब समझ रहे होगें अगर आपकी कृपा होगी तो कुछ न कुछ बातें इस पर कह सकेगें।

श्री अध्यक्ष-

जैसा कि मैनें डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती, इसलिये अग्राह्य करता हूं। फिर भी राधा मोहन दास जी ने एक व्यवस्था के संदर्भ में जो कहा

है, जो नगर निगमों में कार्यो का निर्माण हो रहा है और जिस बात पर उन्होंने संकेत किया है कि अगर मार्गों का निर्माण ऐसी परिस्थिति में हो तो वह टिकाऊ भी होगा और वह स्थायी रहेगें, मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि आप इस पर विचार करके दिखवा लीजिये।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, इलाहाबाद में जवाहर लाल नेहरू अरबन रिनीवल मिशन में सीवर, पेयजल, सालिड वेस्ट मैनेजमेंट और परिवहन आदि की व्यवस्था हो रही है। इस समय लगभग दो तिहाई इलाहाबाद नगर सीवर और पेयजल की लाइनों से खुदा हुआ है। लगभग 100 किमी0 सड़क सीवर से और लगभग 600 किमी0 सड़क पेयजल के कारण खोदी गयी है। चारों तरफ धूल का अंबार है, गढ्ढे है। बरसात में और भी स्थिति खराब हो गयी है। तमाम लोग उसमें गिर जाते हैं, बच्चों की ट्राली और स्कूल के रिक्शे उसमें गिर कर उलट जाते हैं। लोग घायल होते है और इसके साथ ही साथ वहां पर यातायात की बहुत भारी अव्यवस्था हो गयी है। क्योंकि इसके रहने से तमाम गाड़ियां वहां जाम हो जाती है और यातायात प्रभावित होता है। कहीं पर भी चलना दूभर है। माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी निर्देश दिये है कि सड़क खोदते जाइये और उसको बनाते जाइये। अभी आगे 2013, जनवरी में कुम्भ आने वाला है। इसके पहले इन सड़कों को ठीक होना है। अगर यह सड़कें लगातार ठीक नहीं होती रहेगीं तो 700 किमी0 सड़क शहर में एकाएक ठीक नहीं हो सकती। इसमें लगातार जल निगम, नगर निगम और लोक निर्माण विभाग, जब तक यह तीनों विभाग मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक इन सड़कों का ठीक होना मुश्किल है। दूसरी बात, मान्यवर, विधायक निधि से, सांसद निधि से और नगर निगम से भी सड़कों के बनाने का काम होता है। एक दूसरे से सामंजस्य न होने से उसमें भ्रष्टाचार भी फैल रहा है। कोई सड़क हम लोग बनवाते है तो उसको नगर निगम दिखा देता है, किसी सड़क को जल निगम दिखा देता है। इस प्रकार वहां पर करोड़ों रूपया जो भारत सरकार ने सीवर, पेयजल के साथ सड़क बनाने के लिये भी दिया है, उसके कामों में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। तमाम ऐसी सड़कें है जहां पर अलग-अलग विभाग अपना काम दिखा रहे है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वहां पर कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जहां पर पूरी सड़कें खुदी है और यातायात दुर्गम है। ममफोर्डगंज, नया कटरा, म्योराबाद, कमला नगर, नया पूरा, मेहदौरी, रसूलाबाद, जोंधवल, पीताम्बर नगर, तेलियरगंज, बेली, राजापुर, ऊंचवा गढ़ी, गंगानगर, मऊ सरैंया, नेवादा सिविल लाइन्स, अशोक नगर, अलोपीबाग, अल्लापुर, सोहबतिया बाग एवं ऐलनगंज आदि मोहल्लों में चलना दूभर हो गया है।

श्री अध्यक्ष-

आपने सन्दर्भ दे दिया है, कृपया समाप्त करें।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

मान्यवर, इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करा लें। चूंकि नगर विकास मंत्री जी यहां पर बैठे हैं और जल निगम ही इसकी नोडल एजेंसी है, मैं चाहूंगा कि वह इन समस्याओं को नोट करके पूर्ति करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। मैंने श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी को सुना, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं लेकिन यदि निर्माण कार्यों में जनता को परेशानी हो रही है तो मा0 मंत्री जी इसको भी जनहित में दिखवा लें।

अगली सूचना डॉ0 अनिल चौधरी जी, श्री पूरन प्रकाश जी और श्रीमती मिथिलेश पाल जी की मथुरा में रिफाइनरी से जाने वाले पेट्रोल, डीजल, तारकोल की कालाबाजारी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है। मा0 पूरन प्रकाश जी कृपया दो मिनट में अपनी बात कहें।

श्री लालजी वर्मा-

आप अपने स्तर से ही निस्तारित कर दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी ने एक बात कही जो आप तक नहीं पहुंची। चूंकि हमारे मंत्री हैं इसलिए हमें उनकी चिन्ता करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि आप अपने से निस्तारण कर दीजिए मा0 सदस्य का काम हो जायेगा इस पर मेरा तो यह कहना है कि मान्यवर, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है आप तो हम लोगों से मन से इतना जुड़े हैं कि मन की सारी बातें जानते हैं आप मन में ही तय कर लीजिए बस काम हो जायेगा।

*श्री पूरन प्रकाश-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारे जनपद मथुरा में पूरे एशिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है पूरे देश में चाहे वह हवाई जहाज का तेल हो, चाहे बी0पी0एल0 कार्ड धारकों के लिए मिलने वाला मिट्टी का तेल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे तारकोल हो वह मथुरा रिफाइनरी से जाता है और मान्यवर, मथुरा रिफाइनरी हमारे विधान सभा क्षेत्र में पड़ती है। अभी मान्यवर, 72 आदमी इसी एरिया के गोवर्धन क्षेत्र के बेली गांव के, मान्यवर, वहां तेल निकलता है, जमा होता है, चोरी होता है, चोरी कराया जाता है और मान्यवर, यह चोरी कराने वाले लोग इतने काले हैं कि हमसे उसका जिक्र नहीं किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य क्या बता रहे हैं, क्या वह 72 आदमी आपके गांव के थे ?

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, मैं वहीं आ रहा हूं, अभी मेरी शुरूआत ही हुई है। मान्यवर, सरकार की आंख के नीचे, नाक के नीचे, उनके नातेदार, रिश्तेदार इस कार्य में लिप्त हैं। दो दिन पहले मैंने एफ0आई0आर, नहीं करायी, किसी ने नहीं करायी बल्कि इसी सरकार की पुलिस ने एफ0आई0आर दर्ज की, एफ0आई0आर0 की कापी मेरे पास है। मान्यवर, सफाई भी आई थी, काबीना मंत्री बोल रहे थे जोर-जोर से।

श्री अध्यक्ष-

कृपया समाप्त करें।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, सारे नातेदार, रिश्तेदार आ गये इस एफ0आई0आर0 में। सरकार मद में, सत्ता में इतना चूर न हो जायें कि आदमी, आदमी को न समझे। जब 72 आदमी मरे थे तो हमारी मुख्य मंत्री

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहन जी ही थीं और वह बेली गांव गई थीं और वहां का हालात देखा था। मान्यवर, इसी सरकार के काबीना मंत्री की देखरेख में यह काम फलफूल रहा है। अभी काबीना मंत्री जी के भतीजे, काबीना मंत्री जी के समधी, जिला प्रमुख के खिलाफ एक दिन पहले पुलिस के द्वारा एफ0आई0आर0 दर्ज की गई है। धारा-141, 142 और भी कई धाराओं के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 दर्ज की गई है।

श्री अध्यक्ष-

आप फिर आरोप-प्रत्यारोप पर आ गये हैं आपको जो कुछ भी कहना है अपनी सूचना पर कहें अन्यथा आपकी बात को मैं नोट नहीं करने दूंगा।

श्री पूरन प्रकाश-

वैसे यह सरकार दलितों द्वारा चुनकर आयी है। लेकिन दलितों पर अत्याचार हो रहे है। सरकार के एक काबीना मंत्री के जो काले कारनामे हैं वह मैं बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, आरोप-प्रत्यारोप मत लगाईये, अपनी सूचना तक सीमित रहिये। पूरन प्रकाश जी आपको दो मिनट का समय दिया गया था, अब आपका समय समाप्त हो गया, इसलिए बैठ जाईये। अब आपकी कोई बात नोट नहीं की जायेगी।

श्री पूरन प्रकाश-

मान्यवर, मेरी बात आ जाने दीजिए। सड़क बनाने के लिए 4 हजार करोड़ रूपये के तारकोल के ड्रम काबीना मंत्री के यहां से बरामद किये गये। मथुरा के अधिकारियों को धौंस दी जा रही है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। मान्यवार, मैं एफ0आई0आर0 की कापी आपको दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

पूरन प्रकाश जी, आपकी बात नोट नहीं की जा रही है। जितना समय निर्धारित है उससे ज्यादा कोई बोलेगा तो वह नोट नहीं किया जायेगा। आप सूचना से हटकरके बात रख रहे हैं। अब आप बैठ जाईये।

(डा0 अनिल चौधरी के खड़े होने पर)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप नियमावली देख लें, एक सदस्य एक दिन में, एक ही सूचना लगा सकता है। मान्यवर, जब एक ही सूचना की बात है और एक सदस्य जब दो-दो सूचना लगाये हैं तो दोनों की ग्राह्यता पर कैसे सुनेंगे। इसलिए मान्यवर, निवेदन है कि इनकी सूचना को अग्राह्य कर दें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने अग्राह्य तो कर ही दिया है। पूरन प्रकाश जी बैठिये। इस पर मैंने श्री पूरन प्रकाश जी को सुना, यह सूचना निमय-56 में नहीं आती है, अतः मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह जी उपस्थित नहीं है इसलिए मैं इस सूचना को भी अग्राह्य करता हूं। अगली सूचना श्री राम विशुन आजाद जी की है।

*श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, आपने मुझे नियम-56 में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। यह उ0प्र0 में पहली सरकार है जिसने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी अंचलों के गरीबों को बी0पी0एल0, अन्त्योदय, ए0पी0एल0 कार्ड धारकों को आज तक राशन तक उपलब्ध नहीं कराया। अगर देखा जाए तो कोटेदार, जिलापूर्ति अधिकारी, उप जिलाधिकारी यह सब मिल करके गरीबों का राशन अनाज माफियाओं के माध्यम से बेचकर पूरा अनाज डकार गये, एक भी गरीब को राशन नहीं मिल पाया है। इनके द्वारा कहा गया कि पर्यवेक्षणीय अधिकारी कोटेदारों का निरीक्षण करने के लिए नियुक्त किये गये है। उसमें लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी नियुक्त किये गये है। संबंधित गोदामों से जो राशन उठाया जाता है कोटेदार द्वारा निर्धारित चौहद्दी पर राशन न ले जा करके संबंधित अधिकारियों की मिलीभगत से अनाज माफियाओं के हाथ राशन बेच करके वह करोड़पति हो रहे हैं। मैं जनपद गोण्डा की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सत्तापक्ष के जो लोग हैं उन्हीं के हाथों में इसकी वितरण व्यवस्था है। पूरा राशन वितरण उन्हीं के इशारे पर चलता है। एक प्रभावशाली कोटेदार कई कोटेदारों का कोटा निलंबित कराकर उसे अपने कोटे से अटैच करा लेते हैं और राशन पता नहीं कहां चला जाता है। गरीबों को राशन नहीं मिल पाता है। जो बी0पी0एल0 अन्त्योदय, व ए0पी0एल0 राशन कार्ड धारक है उनको चीनी, चावल, मिट्टी का तेल अन्य जो भी खाद्य वस्तुएं जो उनको मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पाती हैं। यह पहली सरकार है जो गरीबों का निवाला छीन रही है। जनपद गोण्डा के तहसील तरबगंज, करनैलगंज, मनकापुर की जांच करवा लें एक भी गांव में कोटेदार गरीबों को राशन नहीं देता है। यहां तक पर्यवेक्षण अधिकारी पांच सौ रुपया एक हजार रुपया लेकर कागजों में खाना पूरी करके हस्ताक्षर कर देते हैं और लिख देते है कि वितरण व्यवस्था चुस्त दुरस्त है। मेरी निश्चित जानकारी है कि गरीबों को जो बी0पी0एल0, अन्त्योदय और ए0पी0एल कार्डधारक हैं उनको राशन उपलब्ध नहीं कराया जाता है। उनको मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं कराया जाता है मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह अहम सवाल है लोकमहत्व का है, अविलम्बनीय है इस पर मैं आपसे एक घण्टा चर्चा कराने की मांग करता हूं जिससे पूरे प्रदेश की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि इनकी वितरण व्यवस्था कैसी है। इनकी वितरण व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत सूचना पर श्री राम विशुन आजाद को सुना यह सूचना नियम-56 में नहीं आती इसे अग्राह्य करता हूं और शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि अगर वितरण प्रणाली में कहीं अनियमितता हो तो इसको दिखवा लें।

श्रीमती सैयदा शादाब फातिमा उपस्थित नहीं है इनकी सूचना अग्राह्य करता हूं।

श्री जोखूलाल यादव जी दो मिनट में अपनी बात रखें।

*श्री जोखूलाल यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके आभारी है कि निमय 56 के अन्तर्गत दी गई सूचना की ग्राह्यता पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय यह हमारे विधान सभा क्षेत्र ही नहीं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बल्कि पूरे प्रदेश की आबादी के 70 फीसदी किसानों से जुड़ा हुआ सवाल है। इस समय किसान ने किसी तरह से बारिश के सहारे अपने धान की रोपाई तो कर लिया है लेकिन अघोषित विद्युत कटौती और तमाम सारे ट्रांसफार्मर जो खराब पड़े है उनकी खराबियों के कारण उनके जल जाने के कारण अघोषित विद्युत कटौती के कारण किसान जो अपनी पूरी लागत धान की फसल में लगा चुका है इस सदन के सभी सदस्यगण सहमत होंगे कि इतने ट्रांसफार्मर जल रहे है जो एक नीति थी कि 72 घण्टे के अन्दर जला ट्रांसफार्मर बदल दिया जाएगा लेकिन आज किसान एक एक ट्रांसफार्मर के बदले जाने के लिए विधायकों से निवेदन करते हैं। इतना ही नहीं जिस ट्रांसफार्मर के बारे में विभाग की जिम्मेदारी थी कि जलने के बाद वह उठाकर ले जाते और उसे ठीक कराकर वापस ले आते उसे किसान खुद ही पैसा करके गाड़ी करके ले जाता है और बाद में वापस लाता है। जो विभाग की जिम्मेदारी थी वह भी नहीं निभा रहे है। माननीय अध्यक्ष जी ग्राह्यता का नियम आप देख लें हमारा एक प्रस्ताव है एक विषय पर है यह अविलम्बनीय है और लोक महत्व का है क्योंकि यह किसानों से जुड़ा हुआ है समय को ध्यान में रखते हुए दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा हमारी विधान सभा क्षेत्र प्रतापपुर में जनपद इलाहाबाद में तमाम ऐसे गांव हैं जहां राजकीय नलकूपों के और किसानों के निजी नलकूपों के ट्रांसफार्मर जले हुए है। हमारा आग्रह है मैं नाम बता रहा हूं 389 असरानीपुर, हिरामनपुर, नहरछा नन्दौर, शाहापुर भरौती, सेमरी, गरूआडीह नासिमपट्टी, छतौना जादवपारा देवली, दलपतिपुर, आरा, पाराखुद, भूपतिपुर, फतुहां मुगरसन, घुरवा, गुलचपा बस्ती सिटौली, सेमरी आदि ऐसे तमाम गांव हैं जहां के ट्रांसफार्मर जले पड़े है और यह सरकार जो किसानों की हितैषी बनने की बात करती है लेकिन जले हुए ट्रांसफार्मर को दो-दो महीने चार-चार महीने, छह-छह महीने हो गए हैं मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसकी जांच करा ली जाय आज वह ट्रांसफार्मर बदले नहीं जा रहे हैं ऊर्जा मंत्री हैं नहीं जवाब कुछ भी आ जाय लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आज किसान अपनी धान की फसल की सिंचाई नहीं कर पा रहा है।

किसान की पूंजी लग चुकी है मान्यवर, और हमको आपसे उम्मीद है, इस सरकार से उम्मीद नहीं है। मान्यवर, सरकार को निर्देशित करें कि जो जले हुए ट्रांसफार्मर हैं राजकीय नलकूपों के उनको नहीं बदला जा रहा है जिसकी वजह से नहरों में पानी नहीं जा पा रहा है, आपसे आग्रह करता हूं कि मेरी नोटिस पर नियमों को निलंबित करते हुए कार्यवाही को रोक कर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय जोखू लाल यादव जी को सुना उनकी यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है इसलिए अग्राह्य की जाती है लेकिन अपनी सूचना के माध्यम से जिस जनहित के विषय में उन्होंने ध्यान आकृष्ट किया है कि तमाम ट्रांसफार्मर जो जले हुए हैं उनके स्थान पर नये नहीं लगाये जा रहे हैं जिससे किसानों की सिंचाई की सुविधा प्रभावित हो रही है, इसलिये इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं कि इसको दिखवा लिया जाय।

श्री कुबेर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। यह मेरा प्रश्न नियम 56 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़ा हुआ है। जिसके लिये मैं

यह तो नहीं कह सकता कि प्रदेश की मुखिया अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ अतिक्रमण कर रही होंगीं। वह सबके साथ अतिक्रमण कर रही होंगीं लेकिन एक विशेष जाति जिसे क्षेत्रीय भाषा में कहीं जाटव कहते हैं और कहीं चमार कहते हैं उनके साथ तो कर ही नहीं सकती हैं। इसलिये वे मेरे इस लोक महत्व के प्रश्न पर सहमत नहीं होंगीं। उनसे छिपाकर जो कुछ किया जा रहा है वह किया जा रहा है। विषय यह है कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक सं0 425/23-7-2010-25(स)/09 दिनांक 29.1.2002 में 25 लाख के कार्य तक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिये 23 परसेन्ट का आरक्षण रखा गया था। मुख्य सचिव का आदेश हुआ था। मुख्य सचिव के इस आदेश के उपरान्त अध्यक्ष, जल निगम, सहगल साहब ने भी शासनादेश किया जिसका पत्रांक है 61/योजना/कार्या ज्ञाप/3 दिनांक 28.3.2011 में नगरीय एवं ग्रामीण जल हैण्डपम्प बोरिंग और रि-बोरिंग तथा ग्रामीण क्षेत्र के इन पाइप लाइन पेयजल योजना जिनका क्रियान्वयन परिव्यय के आधार पर किया जाना प्रस्तावित न हो के अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाने के कार्य का पम्प निर्माण हाउस के टेन्डर की लागत अधिकतम 25 लाख सीमा होनी चाहिए इसका लाभ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को ठेकेदारी में मिलना चाहिए। ऐसे दो शासनादेश हुए परन्तु उनका अनुपालन कहां तक हो रहा है। विषय यह है कि हम जैसे अपने यहां कभी-कभी गार्जन से छिपकर के दीवार फांदने का काम करते हैं उसी तरह से प्रदेश की मुखिया से जो उनके दांये बांये बैठे हैं उनके हाथ पैर हैं, दीवार फांदकर के माफिया पैदा करना चाहते हैं। मेरे यहां 90 लाख रूपये का इसमें टेण्डर हुआ है और यह दोनों शासनादेशों का अनुपालन नहीं हुआ है जलेसर विधान सभा क्षेत्र में।

श्री अध्यक्ष-

हो गया कुबेर जी, आपकी बात आ गई।

श्री कुबेर सिंह-

मैं ज्यादा समय नहीं लंगा। आज ही बोल रहा हूं इसके बाद नहीं बोलूंगा। आज के बाद नहीं बोलूंगा। मेरा कहना है कि ऐसे माफियाओं को रोकने के लिये जो इनके दायें बायें बैठकर ऐसा काम कर रहे हैं उनको रोकने के लिये उन पर निगाह रखते हुए तुरन्त इन दोनों शासनादेशों का अनुपालन कराया जाय। मान्यवर, यह तात्कालिक भी है। मान्यवर, सदन में आज साढ़े चार साल में मुझे सुनने को नहीं मिला वैसे मैंने कोई बैठकें नहीं छोड़ी है, कि आज तक नियम 56 में ग्राह्यता पर सुना गया और वह मान भी लिया गया हो। पर यह अपवाद बन जाय। प्रदेश की मुखिया अनुसूचित जाति, जनजाति की हितैषी भी हैं तो मैं संसदीय कार्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसे ग्राह्यता पर मानते हुए तत्काल आदेश हो जाय और यह अपवाद बन जाय कि सरकार सही बात को मान लेती है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय कुबेर सिंह जी को सुना, यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है इसलिये इसको अग्राह्य करता हूं लेकिन जिस विषय की ओर इन्होंने संकेत किया है कि अनुसूचित जाति के लोगों को कान्ट्रेक्ट बेसिस पर जो काम हो रहे हैं उसमें आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। इस तरह की कहीं अनियमितता है तो उस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि कहीं पर अनियमितता हो रही है तो उसको दूर कराया जाय।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, जुलाई महीना धान की रोपाई का महीना था पूरे प्रदेश में डी0ए0पी0 किसानों को निर्धारित मूल्य पर आवश्यकता के अनुरूप नहीं मिल पाई। मान्यवर, जिन-जिन जनपदों में धान की खेती होती है वहां धान की रोपाई हो रही है मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि साधन सहकारी समितियां संघों और दुकानों पर न आज डी0ए0पी0 उपलब्ध है न यूरिया उपलब्ध है। किसान काला बाजारी में मिलावटी और घटतौली में प्राइवेट दुकानों पर ब्लैक में खाद खरीदने को मजबूर है। प्रदेश के साथ-साथ जनपद सीतापुर में हमारी महमूदाबाद तहसील में खाद का हाहाकार मचा हुआ है। आम किसान हमसे कहते हैं कि विधायक जी पांच-पांच बोरी यूरिया और डी0ए0पी0 खाद दिलवा दीजिए। मान्यवर, यह लोक महत्व और अविलम्बनीय महत्व का प्रश्न है इसमें नियमों को शिथिल करके इस पर आधे घंटे की चर्चा की मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने नरेन्द्र सिंह वर्मा जी को सुना। यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है मैं इसे अग्राह्य करता हूं। लेकिन इन्होंने डी0ए0पी0 और यूरिया खाद से उत्पन्न स्थिति के संबंध में कहा, अगर किसानों को कोई परेशानी है तो शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं इसको दिखवा लें। श्री राजाराम त्यागी आपने जो सूचना दिया है रायबरेली स्थित महाराजगंज ड्रेन पर बने पुल की मरम्मत कराये जाने के संबंध में, इस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट करा देता हूं।

श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

मान्यवर, आपने बोलने का अवसर दिया बहुत-बहुत धन्यवाद मान्यवर, यह पुल टूट ही नहीं गया है यह इतना जर्जर और पुराना था मान्यवर, महाराजगंज ड्रेन पर पुल बना हुआ था सिंचाई विभाग के किसी अधिकारी को देखने की जरूरत नहीं पड़ी कि इतना पुराना है कभी भी टूट सकता है। मान्यवर एक ट्रक खाद लदा हुआ निकला और पूरा पुल टूट गया पीछे से मोटर साइकिल सवाल चार लोग थे वह जाकर के पानी में गिर गए। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अधिकारियों ने इसका संज्ञान नहीं लिया कि जर्जर पुल भी टूट सकता है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि लगभग सात करोड़ की लागत से एक सड़क पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत बनी है इसके जो अधिकारी हैं उन्होंने जो उस ओर ध्यान नहीं दिया उनके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

एक व्यवस्था इस संबंध में दे दी है अब आप बैठ जाएं।

श्री राजाराम कोरी उर्फ त्यागी-

मान्यवर, भविष्य में ऐसी घटनायें न हों ऐसे निर्देश आप सरकार को देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

दो मिनट में सिरोही जी अपनी बात कह दें।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही-

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं बुलन्दशहर में कानून व्यवस्था बहुत ही खराब है। मान्यवर, एक अगस्त की घटना है अशोक कुमार एडवोकेट है वह अपने घर से आ रहे थे तीन लोगों ने रास्ते में गाड़ी खड़ी करके रोका जब उन्होंने मना किया तो उनके साथ मारपीट की और उन पर गोली चलाई। एक तारीख की रिपोर्ट 3 तारीख को लिखी गई और तब मुकदमा पंजीकृत हुआ। जिन्होंने मारपीट की उनके नाम है जाहिद, रईस, और शेर मोहम्मद तीन लोग थे जिन्होंने मारपीट की। बुलन्दशहर जनपद की सारी व्यवस्था ठप पड़ी है और पूरे जनपद में भय व्याप्त है। मान्यवर मोबाइल नम्बर 9412227647 से धमकी अशोक कुमार के पिता को दी जाती है अधिवक्ता के पिता जी श्रीपाल जी सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं। उनका मोबाइल नम्बर है 9411054274 इस पर धमकी आती है कि यह जो तुमने रिपोर्ट लिखाई है इसको वापस ले लो वरना तुम्हारे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा और तुम्हें भी ठीक कर दिया जाएगा और अधिवक्ता के ऊपर हम बहुत सारे मुकदमें लाद देंगे। कल से बुलन्दशहर के तमाम अधिवक्ता पूर्ण रूप से हड़ताल पर हैं सभी न्यायालय बन्द पड़े हुए हैं। सारे प्रदेश में धरना प्रदर्शन चल रहे है रैली निकाली गई है डेलीगेशन डी0एम0 और एस0एस0पी0 से मिले हैं। यह सभी मुल्जिम सत्तापक्ष के लोगों से जुड़े हुए हैं, सत्तापक्ष के प्रभावशाली लोगों का उनको बरदहस्त प्राप्त है और सत्तापक्ष के लोग उन्हें धमकाकर मुकदमें को वापस कराना चाहते हैं। मान्यवर, इससे पहले भी कई घटनाएं हुई हैं, सत्तापक्ष के लोगों ने वहां ऐसा हाल मचा दिया, वहां सिपाही पीटे गए, दरोगा पीटे गए और वहां का प्रशासन उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने में अपने को असहाय महसूस कर रहा है। मेरी आपसे अनुरोध कि जो इस केस में हैं, जिसके विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ है, अपराध सं0-307, 323, इसमें जो मुल्जिम हैं, उनकी गिरफ्तारी हो, उनके विरुद्ध कार्यवाही हो और उनको और भी धाराओं में निरुद्ध किया जाए। इसमें शेर मुहम्मद और उनके दोनों बेटे प्रापर्टी डीलर का काम करते हैं, इनके पास लाइसेंस भी हैं। मान्यवर, मेरा अनुरोध कि इसमें कार्यवाही हो, गिरफ्तारी हो और इसके साथ-साथ श्री अशोक कुमार और उनके पिता श्रीपाल सिंह को सुरक्षा प्रदान की जाए और इनके साथ कोई घटना न हो, यह मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने वीरेन्द्र सिंह सिरोही जी को सुना, यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है, मैं इसे अग्राह्य करता हूं और इन्होंने जो अपनी सूचना के माध्यम से इंगित किया है कि जिन अपराधियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज है, यदि अपराध दर्ज है तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए।

अगली सूचना श्री अम्बिका चौधरी और श्री पी0के0 राय जी की छत्रपति साहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय के आरक्षित वर्ग के चिकित्सकों को प्रमोशन न मिलने के सम्बन्ध में।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने समयाभाव के बावजूद भी मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं जो बात आज इस सदन में रखना चाहता हूं, वह मेरे क्षेत्र से या किसी मेरे किसी छोटे-बड़े कार्य से सम्बन्धित नहीं है, सरकार की नीतियों से सम्बन्धित है। मान्यवर, 11 अप्रैल, 1997 को एक शासनादेश हुआ जो

टिक्कू कमीशन की सिफारिशों पर आधारित था और टिक्कू कमीशन ने समयबद्ध प्रमोशन दिए जाने की संस्तुति की थी और 1997 से लेकर 2008 तक यह नियम चलता रहा। मान्यवर, सरकार ने छत्रपति साहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय में यह नियम बदल दिया और मात्र यहां को छोड़कर प्रदेश के बाकी सभी मेडिकल कालेजों में यह नियम आज भी यथावत् लागू है। श्रीमन्, इसलिए मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि इसके न लागू किए जाने से या इस नियम के परिवर्तित होने से जो सर्वाधिक प्रभावित लोग हैं, वह पिछड़ी जाति के और अनुसूचित जाति के लोग हैं। मान्यवर, इसका प्रभाव यह हुआ और मान्यवर, एक और भी स्थिति है कि एक रिट फाइल हुई, मा0 उच्च न्यायालय में डा0 जी0के0 सिंह, डेन्टल फैकल्टी में हैं, उनके मुकदमें में सरकार ने यह स्वीकार किया कि टिक्कू कमीशन की सिफारिशें हमारे यहां लागू हैं, जबकि वहां परिवर्तन कर दिया गया था, सरकार ने मा0 न्यायालय को भी गलत सूचना दी और उसमें जो प्रभावित हुए हैं, अनुसूचित जाति के डेण्टल के डा0 नन्द लाल, डा0 प्रमोद लाल डेविड और डा0 राजीव गुप्ता, रेडियो थिरेपी विभाग के जो पिछड़ी जाति के हैं। मान्यवर, माननीय मंत्री जी पिछड़ी जाति के हमदर्द भी हैं, इन डाक्टरों का प्रमोशन सिर्फ इसलिए नहीं हो सका क्योंकि टिक्कू कमीशन की सिफारिशें यहां बदल दी गयी थी। चूंकि रोज मैं अपनी बात कहता हूं, लेकिन आज मैं वह बात कहना चाहता हूं जो सत्तापक्ष में बैठे लोगों ने जिसमें विधायक और मंत्रिगण भी हैं, जिन्होंने सरकार से यह बात बार-बार कही है। यह पत्र मैं आप तक भेज दूंगा ताकि यह रिकार्ड पर रहे। हम अपने पास यह रखकर के अपनी बात नहीं कहेंगे।

मान्यवर, श्री भगवान दास जी, विधायक खलीलाबाद ने दिनांक 14.06.2009 को एक पत्र लिखा, मान्यवर, श्री त्रिभुवन दत्त, विधायक, जहांगीरगंज, जोन कोआर्डिनेटर ने 02.05.10 को यह पत्र लिखा। राजेश कुमार गौतम, विधायक जी ने पत्र लिखा, जिस पर विधायक श्री बिरजू राम विधायक जी के हस्ताक्षर हैं, कुमारी मीता गौतम के, मा0 श्री राधे लाल रावत के हस्ताक्षर है। मान्यवर, यही नहीं केबिनेट मिनिस्टर श्री नारायण राम जी ने पत्र लिखा है उसकी कापी है कि इसको अनुसूचित जाति के लिए लागू किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसकी प्रति मैं आपको दे रहा हूं। मान्यवर, हमारे मित्र श्री घूरा राम जी ने भी पत्र लिखा। मान्यवर, श्री घूरा राम जी हमारे ऐसे भाई हैं जिनकी बात बलिया में समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं टालता, उनकी बात भी सरकार ने टाल दिया। इनकी बात भी नहीं मानी गयी। मान्यवर, श्री भगेलू राम जी ने एक पत्र लिखा उनकी बात भी नहीं मानी गयी। मान्यवर, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि 11 जुलाई, 2010 को हिन्दुस्तान में आज में और दूसरे अखबारों में लखनऊ एडीशन के एडीशन में उनकी प्रति भी आपको दे दूंगा। माननीय इंद्रजीत सरोज जी विराजमान हैं, माननीय स्वामी प्रसाद मौर्या जी, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, काबीना मंत्री हैं उन्होंने भी लिखा। उनकी बात भी नहीं मानी गयी। मान्यवर, यह सरकार अपने मंत्रियों, विधायकों को नहीं सुनती है और इनके अपने मंत्री और विधायक इनके यहां अपमानित और तिरस्कृत हैं। इसके लिए मेरे साक्ष्य के रूप में हमारी यह बात स्वीकार की जाये। श्रीमन्, मैं यह पत्र आपके पास दे रहा हूं आप इसको दिखवा लें। मान्यवर, एक ऐसी बात जो बहुत जरूरी है। मान्यवर, जिन लोगों की बात करके यह सरकार सत्ता में आयी है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी इस विभाग के मंत्री हैं इसको लागू करने में क्या कठिनाई है। किन कारणों से यह नहीं हो रहा है। वह इस सदन को बताने की कृपा करेंगे। मान्यवर, यह प्रश्न ऐसा नहीं है कि इसको निपटा दिया जाये इसलिए मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसको स्पष्ट करनें की कृपा करेंगे। इसी के साथ मैं अपने कार्य स्थगन पर बल

देते हुए मांग करता हूं कि टिक्कू कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का फैसला जो 1997 में हुआ था। और जो अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के हितों पर कुठाराघात हो रहा है उसको पुनः उस स्थिति में लागू किया जाये जैसा पूरे प्रदेश में लागू है। सरकार इसको नीति रूप में स्वीकार करती है कि उसे इसको लागू करने में आपत्ति नहीं है। मैं इसी मांग के साथ पुनः अपने कार्य स्थगन पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस सूचना पर माननीय अम्बिका चौधरी जी को सुना, यह सूचना नियम 56 में नहीं आती है, मैं इसे अग्राह्य करता हूं। फिर भी अगर इस तरह के शासनादेश का जिसका इन्होंने उल्लेख किया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी आपकी व्यवस्था पर मेरी कोई अपील नहीं है। मान्यवर, मैंने एक अनुरोध किया है, माननीय मंत्री जी सामने मौजूद हैं। कोई कठिनाई हो तो कह दें, हम उनके साथ शामिल हो जायेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 बना हुआ है। अभी आज ही हमने सदन के पटल पर उसकी विनियमावली रखने का काम किया है। वहां पर जो प्रमोशन या नियुक्ति के प्रकरण हैं उस एक्ट के अनुसार विश्वविद्यालय करता है और जो विनियमावली बनी है उसके अनुसार विश्वविद्यालय करता है। मान्यवर, विश्वविद्यालय एक आटोनामस संस्था है लेकिन नियमों का पालन करने के लिए विवश है लेकिन हम इस बात को दिखवा लेंगे कि अगर कहीं भी नियमों की अवहेलना हो रही होगी तो निश्चित रूप से निर्देश देने का काम करेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, इतने मंत्रियों और विधायकों के अनुरोध के बाद भी माननीय विभागीय मंत्री जी की लाचारी उनके शब्दों में प्रकट हो रही है। उनकी इस मजबूरी के साथ हमारी संवेदना है। लेकिन यह मजबूरी इस सरकार को कहां ले जाएगी। वहीं यह तेजी से जा रही है और शीघ्र चली जायेगी, ऐसा मुझे लगता है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, कोई मजबूरी नहीं है, जो नियम है, एक्ट है, उससे हम बंधे हुये हैं और उसी के अनुसार मैंने कहा कि हम दिखवा लेंगे। आवश्यकता होगी तो सरकार की तरफ से विश्वविद्यालय को निर्देश भी दे दिये जायेंगे।

*चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं। मा0 अध्यक्ष जी, इस सदन में मैं पहले भी आपके संज्ञान में लाया हूं कि मेरी जान को बहुत गंभीर खतरा है और यह सच है कि इस सदन का सदस्य इस बात को सदन में कहे तो उसकी बात भी मानी जानी चाहिए, उसको मानना चाहिए। मैं सही बात कह रहा हूं कि वास्तव में मेरी जान का खतरा है। मेरे जो राजनैतिक प्रतिद्वन्द्वी हैं वे मेरी हत्या कराना

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, आपके भी संज्ञान में है, मैंने आपके माध्यम से सुरक्षा की मांग भी की है, नोटिस भी दिया। मा0 अध्यक्ष जी, मेरी बात पर सरकार यकीन न करे तो कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि मैं सदन में झूठ बोलने का काम कर रहा हूं और मेरी जान को खतरा न हो। लेकिन जो एल0आई0यू0 की रिपोर्ट आयी और मेरे जिले से डी0एम0 और एस0एस0पी0 ने भी रिपोर्ट भेजी। ये रिपोर्ट मा0 अध्यक्ष जी 5.5.08 को आयी और इसमें उन्होंने संस्तुति करते हुये लिखा कि मेरी जान को गंभीर खतरा है। मुझे अतिरिक्त सुरक्षा दी जाये। इतना ही नहीं मा0 अध्यक्ष जी इसके बाद 9.3.10 को पत्र सं0-एल0आई0यू0/सुरक्षा/श्री सत्येन्द्र सोलंकी/2010 जो मदन किशोर श्रीवास्तव, गृह/पुलिस अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन को प्रेषित करते हुये पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी, बागपत ने फिर दुबारा से सुरक्षा की संस्तुति देने का काम किया। मा0 अध्यक्ष जी, उसके बाद भी मुझे सुरक्षा नहीं दी गयी। इतना ही नहीं मा0 अध्यक्ष जी पुनः तीसरी बार भी दिनांक 31.05.2010 को जिलाधिकारी और एल0आई0यू0 की रिपोर्ट में मेरी जान को गंभीर खतरा बताते हुये उस अपराधी का नाम भी लिखने का काम किया जिससे मेरी जान का खतरा है और उस पर कोई हजार रूपये का ईनाम नहीं है मा0 अध्यक्ष जी, लाखों का ईनाम भी उस रिपोर्ट में भी लिखने का काम किया कि वह अपराधी फरार है, उस पर लाखों का ईनाम घोषित है शासन की तरफ से और उससे मेरी जान को खतरा है मा0 अध्यक्ष जी। तो मैं नही समझ पा रहा हूं कि जिलाधिकारी कह रहे हैं, पुलिस अधीक्षक कह रहे हैं, एल0आई0यू0 की रिपोर्ट कह रही है तो सरकार को क्या दिक्कत है। मेरी आर्थिक स्थिति नहीं है कि अपनी सुरक्षा के लिये मैं सुरक्षा खर्च वहन करूं। लेकिन मैंने उसके बाद भी सरकार से अनुरोध किया कि अतिरिक्त सुरक्षा का जो खर्च मुझे वहन करना पड़ेगा, मैं करूंगा। पता नहीं सरकार को मेरी परेशानी कैसे नहीं दिखायी दे रही है। मैं इस पर आपका संरक्षण चाहता हूं अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण मुझे मिलना चाहिए। कहीं कल ऐसा न हो कि सम्मानित सदन का एक सदस्य आपके बीच में न रहे और इस सदन के अन्दर इस विधान सभा के अन्दर आपको मेरा शोक प्रस्ताव पढ़ने का काम करना पड़े। यह वास्तव में मेरी पीड़ा है, मुझे गंभीर खतरा है और जो अपराधी हैं वह बहुत बड़े स्तर के अपराधी हैं, ईनाम है उनके लिये। आपकी रिपोर्ट में डी0एम0 ने अपराधियों का नाम लिखकर भेजा है जिनसे मेरी जान को खतरा है। कहीं सरकार को तो मेरे से खतरा नहीं हो गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सरकार भी कहीं शामिल न हो गयी हो, उन अपराधियों के साथ में। कहीं सरकार भी तो यही नहीं चाह रही। मुझे तो संदेह हो रहा है कि तीन बार रिपोर्ट आयी संस्तुति सहित, उसके बाद भी सरकार को मुझे सुरक्षा देने में दिक्कत हो रही है। मा0 अध्यक्ष जी, कहीं सरकार भी तो इनके साथ नहीं मिल गयी है। अगर सरकार उनके साथ नहीं मिल गयी है तो क्यों उन अपराधियों को पकड़ने का काम सरकार नहीं कर रही है, उन्हें जेल भेजने का काम सरकार नहीं कर रही है तो कम से कम मुझे सुरक्षा देने का काम कर दे। मा0 अध्यक्ष जी, मैं इस पर आपका संरक्षण चाहता हूं और आप सरकार को निर्देश दें क्योंकि मुझे सुरक्षा की बहुत आवश्यकता है, मुझे सुरक्षा दिलाने का काम करें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, यह बहुत गंभीर मामला है। बार-बार उन्होंने कहा कि मेरी जान को खतरा है। जिलाधिकारी ने रिपोर्ट दी कि इनकी जान को खतरा है, एल0आई0यू0 की रिपोर्ट आयी कि इनकी जान को खतरा है। बार-बार, लगातार, तीन-तीन बार रिपोर्ट आ रही है कि इनकी जान को खतरा है।

मान्यवर, अगर एक सदस्य सदन में खड़ा हो करके इस बात की दुहाई देते हुये कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है और जो आप कहते हैं कि वहां पर कोई कमेटी बनी हुयी है, उसकी रिपोर्ट आयेगी, वह रिपोर्ट भी आ गयी। आखिर किस बात की प्रतीक्षा है। घटना नहीं हुयी गनीमत है लेकिन घटना होने में कुछ कमी भी नहीं। बार-बार जिस व्यक्ति की जान का इतना बड़ा खतरा हो और इतना बड़ा अपराधी उसमें सम्मिलित हो, जिस पर लाखों रूपये का इनाम उसके ऊपर हो और नाम भी उसका बताया जाए कि उससे खतरा है इस सारे प्रकरण के बावजूद भी आखिर कौन से कारण ऐसे थे कि सरकार उनकी सुरक्षा की व्यवस्था न करें। वह भुगतान करने के लिए तैयार हैं, मैं जानता हूं कि उनकी आर्थिक स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है, कोई करोड़पति आदमी नहीं है, लेकिन अपने वेतन से अपने साधनों से खर्चा देने के लिए तैयार है। मान्यवर, इतनी संवेदनहीनता मैंने कभी भी नहीं देखी आखिर कारण क्या है। मान्यवर, आप यहां पर बैठे हैं, अगर आप भी इस तरह के निर्देश देकर हम लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे तो कहां जायेंगे हम लोग। आज एक मा0 सदस्य खड़ा होकर के अपनी सुरक्षा की मांग कर रहा है और मैं तो सुनकर के दंग रहा गया कि इतना सब कुछ होने के बावजूद, सुरक्षा नहीं प्रदान की गयी है मान्यवर, मेरा आग्रह है कि इसे गंभीरता से लें। (सत्ता पक्ष की ओर इशारा करके) आप भी इसको गंभीरता से लें अगर आपकी कोई नाराजगी हो तो अलग बात है अगर नहीं है तो आज ही उनको सुरक्षा उपलब्ध करा दी जाए।

श्री कौकब हमीद खां-

मान्यवर, यह बहुत ही गंभीर मसला है। वह मेरी पार्टी के हैं, मैं जानता हूं पर व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि उन्हें खतरा है मान्यवर, और सारी रिपोर्टस् आ गयी है, मान्यवर, एल0आई0यू0 की रिपोर्ट आ गयी, डी0एम0 की रिपोर्ट आ गयी है, एस0एस0पी0 की रिपोर्ट आ गयी है। मान्यवर, यह गुजारिश आपसे भी है और सरकार से भी है कि कोई वजह नहीं है, वह पैसा देने को भी तैयार है, स्वयं व्यय करने को भी तैयार हैं तो जैसा कि मा0 हुकुम सिंह जी ने कहा है मा0 सदस्य को आज ही सुरक्षा दी जाए।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसको दिखवा लेंगे, मान्यवर, जो रिपोर्ट होगी उसके लिए कमेटी बनी है। उस कमेटी के आधार पर निर्णय होता है, निश्चित रूप से दिखवा लेंगे और मा0 विधायक जी से बात भी हम कर लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मंत्री जी आप विधायक जी से इस पर बात करके निर्णय दे दीजिए। मैंने सोलंकी साहब को सुना, मा0 मंत्री जी को सुना, इस सूचना को अग्राह्य करता हूं लेकिन मा0 सदस्य ने अपने ऊपर खतरे के संदर्भ में जिस तरह से उल्लेख किया और मा0 मंत्री जी ने कहा है कि मैं मा0 विधायक जी से बात कर लूंगा, मैं भी अनुरोध करता हूं सरकार से कि निश्चित तौर पर इस पर वार्ता कर लें और सुनिश्चित कराने की कोशिश करें कि हमारे विधायक जी की सुरक्षा हो। श्री रघुराज प्रताप सिंह जी हैं, नहीं है तो मैं इनकी सूचना अग्राह्य करता हूं।

श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू-

मा0 अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में गन्ना किसानों का अरबों रूपया बकाया है। इसी क्रम में निजी चीनी मिलों को सरकार की तरफ से निर्देश गए हैं कि गन्ना बकाया शीध्र से शीध्र किया जाए अन्यथा उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसी जगह पर सहकारी और निगम की चीनी मिलों को ऐसा कोई निर्देश अभी नहीं गया है जिससे गन्ना बकाया किसानों को उनका भुगतान किया जाए। हमारे यहां सीतापुर जनपद में सहकारी चीनी मिल महमूदाबाद के ऊपर 13 करोड़ रूपये गन्ना किसानों का बकाया है। गन्ना किसानों का बकाया होने के कारण इन किसानों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने मिलों और समितियों से खाद और ब्याज लिया है, अगर उसी मिल के किसानों को गन्ना भुगतान बकाया है, ब्याज उस पर लिया जाता है। मैं यह सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा आपके माध्यम से, जब उसी चीनी मिल में गन्ना किसानों का भुगतान बकाया है तो चीनी मिल में उनसे जो खाद लिया है उस खाद और ब्याज पर उनसे भी ब्याज न लिया जाए। मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे यहां जनपद में केवल गन्ने का ही सहारा होता है। बाढ़ और कटान से हमारा जिला महमूदाबाद तहसील प्रभावित है। कल ही बाढ़ के विषय में यहां सदन में उठाया गया था कि क्या हालत वहां के किसानों की है और वहीं महमूदाबाद तहसील का क्षेत्र है, जिसमें यह सहाकरी चीनी मिल आती है, उसी सहकारी चीनी मिल पर 13 करोड़ रूपये गन्ना किसानों का बकाया है। गन्ने का दाम जितना लगाया जाता है उसकी लागत किसानों को वापस नहीं मिलती है केवल गन्ना किसानों को तो गन्ने से ही जो लागत मिलती है उससे ही वह अपनी लड़की के ब्याह, अपने बच्चे का मुण्डन और अपने लड़के की शादी करता है। उन्होंने उधार लेकर के अपनी बेटी का ब्याह किया है, अपने लड़के की शादी की है। मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि उन गन्ना किसानों के बकाए का भुगतान हो, कुछ न कुछ सरकार की तरफ से ऐसा आ जाए कि जो सहकारी चीनी मिल का बकाया है, ब्याज सहित चीनी मिलों को दिये जाने का काम सरकार करें। मा0 अध्यक्ष जी मैं सरकार से चाहूंगा कि इस विषय पर कुछ न कुछ निर्देश दे दिए जाए, आपकी बड़ी कृपा होगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय सदस्य श्री महेन्द्र कुमार सिंह जी को सुना यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, मैं इसे अग्राह्य करता हूं, जहां तक सीतापुर सहकारी चीनी मिल, महमूदाबाद में किसानों का गन्ना भुगतान बकाया का विषय है मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराता हूं।

श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ 'झीन बाबू'-

मान्यवर, इस पर सरकार का कुछ बयान आ जाय, वहां बाढ़ और कटान से किसान बहुत पीड़ित है और ऐसी हालत में फरवरी से उसका गन्ना भुगतान बकाया है, उसे कीमत नहीं मिली है, मान्यवर यह तात्कालिक है, लोक महत्व का है, इसलिए मैं चाहता हूं कि गन्ना बकाया भुगतान पर सरकार का जवाब आ जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसमें व्यवस्था दे दी गई है, इसमें मा0 मंत्री जी से आपकी बात भी करा दी जायेगी। भुगतान के सन्दर्भ में सरकार का भी ध्यान आकृष्ट करा दिया हूं किसानों के हित में, बीच में आप भी मा0 मंत्री जी से बात कर लीजिएगा।

शैलेन्द्र यादव जी, आपको इसमें क्या कहना है ?

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'-

माननीय अध्यक्ष जी, पैकफेड प्रखण्ड आजमगढ़ मण्डल के परियोजना अभियन्ता के पद पर अयोग्य अभियन्ता श्री योगेश कुमार गिरी के चार्ज से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-56 के तहत मेरी सूचना है। मान्यवर, यह लोकमहत्व का गम्भीर विषय है, मान्यवर आजमगढ़ में श्री योगेश कुमार गिरी को परियोजना अभियन्ता बना कर भेजा गया है जबकि यह अवर अभियन्ता भी नहीं है और न ही आज तक उनका विनियमितीकरण हुआ है, न ही यह सिविल के है, बल्कि मैकेनिकल डिप्लोमा है नियमतः यह कार्य सिविल अभियन्ता से ही सम्पन्न कराना चाहिए, इसके पूर्व श्री गिरी के विरुद्ध प्रकरण विधान सभा में उठाया गया था जिसमें जांच के दौरान इन्हें दोषी पाया गया था और इनके विरुद्ध आरोप भी सिद्ध हुए थे अभी हाल में निलम्बित थे, परन्तु धन के बल पर बहाल हो गये और इनके विरुद्ध जांच चल रही है। इनकी डिग्री की भी जांच कराई गई, जांच के पश्चात् इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया था। इन्हें केवल मुख्यालय से सम्बद्ध करके इनकी सेवायें पूर्ववत् ली जा रही हैं, इनके कार्य व्यवहार से विभागीय कर्मचारियों में काफी रोष व्याप्त है तथा स्थानीय जनता में भी रोष और क्षोभ व्याप्त है। ऐसी स्थिति में इनका आजमगढ़ मण्डल में रहना जनहित में उचित नहीं है। अतः इस लोकमहत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए मैं चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करा लें तथा दोषी अभियन्ता को तत्काल आजमगढ़ मण्डल से हटाने की और उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैंनें माननीय सदस्य श्री शैलेन्द्र यादव जी को सुना, इनकी सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है, इसे मैं अग्राह्य करता हूं, लेकिन तब भी इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

*श्री विशम्भर प्रसाद निषाद-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, बुन्देलखण्ड के उन हजारों किसानों की समस्या को ग्राह्यता के माध्यम से सुनने का मौका दिया। जनपद बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, जालौन में हजारों एकड़ भूमि असिंचित है और वहां का किसान निजी ट्यूबवेल लगा कर खेती करना चाहता है, वर्ष 2008 से 2011 तक हजारों किसान अपनी बोरिंग करा चुका है और इन्जन से पानी नहीं निकल पा रहा है, इसलिए बिजली का कनेक्शन लेना चाहता है तो जो अनुदान से कनेक्शन मिलते हैं, वह नहीं मिल पा रहे हैं और उन्होंने बैंक कर्ज ले रखे हैं मान्यवर, इस तरह से बैंक के कर्ज के बोझ के कारण मान्यवर, वह आत्महत्यायें कर रहे हैं, मई और जून के महीने में बांदा, महोबा और झांसी में करीब 13 किसानों ने आत्महत्या की है। वहां का किसान भुखमरी की कगार पर आ गया है, तो मान्यवर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि वहां के किसानों के जो विद्युत के कनेक्शन हैं, हजारों की संख्या में हैं, तो उनको विद्युत के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कनेक्शन दे दिये जायें, जिससे वह आत्महत्या करने से बच सकें और वहां पर जितनी भी असिंचित जमीन है उसमें कुछ राजकीय नलकूप लगा दिये जायें इस तरीके की हमारी दो-एक मांगे हैं और जो किसान मरे हैं उनको सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाय, यह हमारी मांग है कि जो विद्युत के कनेक्शन, छूट के कनेक्शन हैं, अनुदान कनेक्शन हैं, उनको तत्काल सरकार आदेश दे जितने भी 2008 से 2011 तक के जिन्होंने ढाई सौ रूपये की रशीद कटा रखी है।

मान्यवर, और यह कहा गया था कि रसीद कटवाइये विद्युत कनेक्शन दिया जायेगा। लेकिन मान्यवर कनेक्शन नहीं दिया गया। उनके ऊपर बैंकों का लाखों रु0 का कर्जा है। वह आत्महत्या कर रहे हैं। उनको अनुदान कनेक्शन दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

यह सूचना नियम-56 के अंतर्गत नहीं आती है इसलिए अग्राह्य करता हूं। फिर भी किसानों के हित से जुड़ा मामला है इसलिए यदि विद्युत कनेक्शन में छूट दिये जाने का प्रावधान है तो निश्चित तौर पर सरकार इसको देख ले।

शेष सभी मा0 सदस्यों की सूचनायें अग्राह्य की जाती हैं।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

*डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन मे प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, एक वर्ष में यह दूसरी बार एक उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम में संशोधन इस सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अभी पिछले सत्र में 2011 में एक बार यह संशोधन प्रस्तुत हुआ था और उस समय मैंने इसके विभिन्न प्रावधानों के बारे में चाहे वह राजस्व घाटे के बारे में रहे हों, या राजकोषीय घाटे के बारे में रहे हों या प्रदेश सरकार के ऋण के जो बोझ हैं उनके बारे में रहे हों, बड़ी विस्तृत चर्चा की थी। जब यह 2011 में संशोधन विधेयक आया रहा होगा तो चूंकि 13वां वित्त आयोग 2010 से 2015 के बीच के देश के और राज्यों की आर्थिक परिस्थितियों के बारे में था इसलिए मानकर यह चला जा सकता है कि राज्य सरकार ने संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करते समय तेरहवें वित्त आयोग को अवश्य पढ़ा होगा। उसको संज्ञान में लिया होगा और उसको

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रस्तुत करते समय जो उन्होंने पिछले सत्र में प्रस्तुत किया तेरहवां वित्त आयोग जो कुछ इनसे अपेक्षा करता था उस अपेक्षा की इन्होंने अपने संशोधन विधेयक में प्रावधान किया रहा होगा। लेकिन जब यह दुबारा यह संशोधन आया मैंने जो पिछली बातें उस सत्र में कही थीं वह सब कार्यवाहियों का हिस्सा है। लेकिन जब यह संशोधन विधेयक इस सदन में आया तो मैंने देखा कि यह सारा का सारा संशोधन तेरहवें वित्त आयोग के आधार पर ही प्रस्तुत कर दिया गया है और इसलिए यह स्वाभाविक जिज्ञासा हुई कि आखिर इस तेरहवें वित्त आयोग में ऐसा क्या है जिसको लेकर सरकार अपने ही उत्तरदायित्व विधेयक को बार-बार बदलने का प्रयास कर रही है। अर्थात् जो पिछली बार उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण करने का दावा इस सरकार ने किया था इस संशोधन के माध्यम से वह बता रही है कि हमारा पिछला आचरण अनुत्तरदायित्वपूर्ण था।

तेरहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट को मैंने पिछले 2-3 दिन में पलट करके पढ़ने का प्रयत्न किया और तेरहवें वित्त आयोग के बारे में यह सत्य है कि पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में केन्द्र सरकार के बारे में भी और देश के समस्त राज्यों के बारे में जो सामान्य केटिगरी के राज्य हैं या जो स्पेशल केटिगरी के राज्य हैं उन सबकी वित्तीय अवस्थाओं का मूल्यांकन किया है और पूरे देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दृष्टि से और सिर्फ आज सुदृढ़ न हों बल्कि भविष्य में भी सुदृढ़ बनी रहें उस दृष्टि से उन्होंने कुछ सुझाव दिये और सुझाव के साथ उन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी है उसमें राज्य सरकारों के लिए यह बाध्यता दी है कि तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप यह सरकारें अपने-अपने राज्यों में अपने प्रदेश का जो उत्तरदायित्व राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम है उसमें यह यथोचित परिवर्तन करेगी, विधेयक में परिवर्तन करेगी और जो सरकारें विधेयक में परिवर्तन करेंगी उन्हीं सरकारों को तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत जो विभिन्न अनुदान मिलते होंगे वह अनुदान दिये जायेंगे। अर्थात् यह बाध्यकारी है किसी भी राज्य सरकार के लिए है और पूरे देश में हो रहे होंगे। अगर बाध्यकारी अब हैं तो बाध्यकारी तब भी रहे होंगे जब पहली बार फरवरी मार्च में यह संशोधन विधेयक आया था। अगर बाध्यकारी है तो इसके साथ एक बाध्यता और भी है तेरहवें वित्त आयोग ने जो अनुशंसा की है हमें अपने इस नये विधेयक को तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप ही बनाना होगा। तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा जहां तक राजस्व घाटे को राजकोषीय घाटे को और किसी भी राज्य के ऊपर जो ऋण है उसके ऋण को ले करके बहुत स्पष्ट है और इसमें से हम इसके किसी भी हिस्से को इग्नोर नहीं कर सकते हैं राजस्व घाटे को ले करके प्रदेश सरकार की स्थिति आज से अच्छी नहीं है। हम लोग लगातार इस सदन में आ रहे हैं और आपके बजट को पढ़ रहे हैं। आपके पूर्ववर्ती सरकारों के बजट पढ़ रहे हैं। अध्यक्ष जी राजस्व घाटा तो 2006-07 में राजस्व बचत में परिवर्तित हो चुका है। 2005-06 का बजट तो करीब-करीब राजस्व शून्य का बजट था और 2006-07 के बाद इस प्रदेश की स्थिति राजस्व सरप्लस या राजस्व बजट आपकी सरकार थी तो उस समय वह राजस्व सरप्लस हो चुका था इस नाते इस प्राविधान से हम प्रभावित नहीं थे। उस प्राविधान के नाते दूसरा अन्तर आया था दूसरा अन्तर यह था कि जिन राज्यों में राजस्व घाटा राजस्व सरप्लस में बदल चुका है उन राज्यों को 2011-12 तक राजकोषीय घाटे को अपने सकल घरेलू उत्पादन से 3 प्रतिशत के अन्दर रखना होगा यह एक बाध्यकारी प्राविधान किया

गया था और दूसरा प्राविधान यह किया गया था कि 2014-15 तक पूरे देश के अन्दर जो ऋण की स्थिति होगी वह केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की मिला करके 68 प्रतिशत के आसपास होगी उनमें से 45 प्रतिशत ऋण माना जाता है केन्द्र सरकार का होगा इसलिए राज्यों का औसत ऋण उनके सकल घरेलू उत्पादन के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए 2014-15 तक। अब यह अगर बाध्यकारी प्राविधान है और 13वां वित्त आयोग यह कह रहा है कि आप परिवर्तन करके इन दोनों प्राविधानों को सुसंगत तरीके से जोड़ देंगे तो केन्द्र सरकार की विभिन्न आर्थिक सुविधाएं और अनुदान जो आपको मिलते हैं मिलेंगे। तो यह दोनों प्राविधान हमारे लिये बाध्यकारी हैं। मैं इस विधेयक को देख रहा था यह संशोधन विधेयक लाया गया है इसके च खण्ड में यह लिखा गया है 2011-12, 2012-13, 2013-14 और 2014-15 तक कुल ऋण स्टाक संगत वर्ष के प्राक्कलित घरेलू उत्पादन का 46-42-45-41 प्रतिशत तक रहेगा।

अब प्रश्न यह है कि हमने 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के आधार पर चूंकि हम बार-बार इसको लिख रहे हैं और अपने राजकोषीय पथ को सुदृढ करने की दृष्टि से हमने इस बात को इंगित भी किया है उनकी रिपोर्ट को मानते हुए हम यह परिवर्तन कर रहे हैं तो आखिर कौन सा यह कारण है जो हमारी समझ में नहीं आया कि अगर इस घाटे की सीमा को घटाकर 25 प्रतिशत तक नहीं लाते हैं तो 13वां वित्त आयोग हमारे इस संशोधन विधेयक से सहमत नहीं होने जा रहा है और सम्भवतः केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का जो धन प्रवाह हमारे यहां आता है उस पर रोक लग सकती है और सबसे बड़ी चीज यह है कि 2011-12 में जो ऋण का बोझ इस विधेयक के माध्यम से हमारे प्रान्त में बताया गया है, सरकार बता रही है वह 46.9 प्रतिशत है। मैंने आपके पिछले साल के जो 2011-12 का बजट आपने प्रस्तुत किया था उसको पढ़ा था आपने उसके साथ-साथ उसका पूरा विवरण देते हैं और वह विवरण बताता है कि आपकी ऋण ग्रस्तता 46 प्रतिशत है ही नहीं। आज के दिन उत्तर प्रदेश की ऋण ग्रस्तता सकल घरेलू उत्पादन का सिर्फ 41.06 प्रतिशत है अर्थात् जब आप जान गये थे कि हमारी ऋण ग्रस्तता सिर्फ 41 प्रतिशत है तो एक विधेयक लाकर यह बताने की क्या आवश्यकता थी। स्वाभाविक रूप से सम्भवतः मैंने उस समय भी कहा था कि वित्त मंत्री के बहुत से काम होते हैं यह तथ्यात्मक अपेक्षाएं हम लोगों को कभी भी नहीं करनी चाहिए कि इतने एक एक आंकड़े के डिटेल को जानेगा यह वह आंकड़े होते हैं जो अधिकारी उन्हें देते हैं। स्वाभाविक रूप से हमारे पास इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उन अधिकारियों के दिये गये आंकड़े को स्वीकार करते हुए उसके अनुरूप ही काम करना होता है यही शासन की व्यवस्था है। जिन भी अधिकारियों ने आंकड़े दिये हैं वस्तुतः माननीय मंत्री जी को सही स्थिति से अवगत नहीं कराया।

अध्यक्ष महोदय, अगर हम राजकोषीय घाटे को कम करना चाहते हैं अगर हमने राजस्व घाटे को समाप्त कर लिया है और वस्तुतः समाप्त नहीं कर लिया है लेकिन जो सीएजी की 3-4 दिन पहले रिपोर्ट प्रस्तुत हुई और उसकी राजस्व प्राप्ति की पूरी डिटेल्स को पढ़ रहा था 2009-10 में ही इस प्रदेश में 7074 करोड़ का राजस्व सरप्लस है जो हमारे सकल घरेलू उत्पादन का तकरीबन 1.43 प्रतिशत है। अगर हमने राजस्व घाटे को नियंत्रित किया था तो हमारे लिये राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल काम नहीं था अगर किसी भी प्रकार से हम दो चीजें कर लेते एक

जहां-जहां हमारे राजस्व प्राप्ति के रास्ते में छेद थे उन छेदों को हम बन्द कर लेते हमारी निगाहें उन छेदों पर नहीं जा रही थीं तो कम से कम जिस सीएजी के माध्यम से हम कहते हैं कि एन0आर0एच0एम0 घोटाले की जांच करा लेंगे। अगर सी0ए0जी का इतना ही महत्व है अगर आप समझते थे कि एन0आर0एच0एम0 के घोटाले उनके द्वारा पकड़ लिये जायेंगे तो सी0ए0जी0 ने जो हमारे विभिन्न विभागों के बारे में अपनी लगातार रिपोर्टें दी हैं, उन रिपोर्टों को पढ़कर ही हम यह समझ सकते थे कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में कहां-कहां छेद है, कहां-कहां कमियां हैं। उन छेदों को बन्द करके हम उन पर नियंत्रण कर सकते थे। अभी 3-4 दिन पहले जो सी0ए0जी0 की रिपोर्ट आई है, वह अखबारों में भी छपी है और वह रिपोर्ट हम लोगों ने भी पढ़ी है। आबकारी विभाग के एक बहुत छोटे से सैम्पल से सी0ए0जी0 ने यह कहा है कि 3744 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली अधिक हो सकती थी। वाणिज्य कर विभाग में 7 लाख मदें होती हैं और 7 लाख मदों में से सिर्फ 2700 मदों में सी0ए0जी0 की रिपोर्ट ने बताया कि 77 करोड़ रुपये की प्राप्ति और अधिक की जा सकती थी।

मान्यवर, दो विभाग सबसे महत्वपूर्ण होते हैं हमारा जितना भी राजस्व प्राप्त होता है वह तकरीबन 45-46 हजार करोड़ रुपये का होगा तो उसमें 20-22 हजार करोड़ हमारा व्यापार कर से आता है। इन्हीं विभागों की राजस्व वसूली को हम बेहतर कर लिये होते तो यह जो बार-बार हमें राजकोषीय घाटे को लेकर अपने विधेयकों के प्राविधानों में परिवर्तन करना पड़ता है, वह शायद नहीं करना पड़ता। अध्यक्ष महोदय, अभी पिछली सी0ए0जी0 रिपोर्ट में राजस्व प्राप्तियों के ऊपर बड़ी सटीक टिप्पणी की गयी है। मैंने उन आकड़ों को पढ़ा है वह कहते हैं कि पूरे देश में जो औसत अनुत्पादक व्यय होता है हमारे बजट का, वह पूरे देश में सिर्फ 32 प्रतिशत होता है जबकि हमारा जो प्रान्त है, उसमें यह व्यय 38 प्रतिशत है। मैंने साफ-साफ इस बात को कहा है कि एक ऐसे प्रान्त में, जहां साक्षरता की दर इतनी कम है, जहां शिशु मृत्यु दर इतनी अधिक है, वहां हमें अपनी प्राथमिकतायें तय करनी चाहिये। अनुत्पादक खर्चों से हम कैसे अपना धन बचा सकते हैं और वह खर्चें जो समाज निर्माण में और प्रदेश के विकास में यथा विकास के कार्य हों, समाजसेवा के कार्य हों, शिक्षा के कार्य हों, स्वास्थ्य के कार्य हों उसमें किसी प्रकार से हम अपनी प्राथमिकतायें ले जा सकें, ऐसा यदि हम कर सकें तो हम इस राजकोषीय घाटे को नियंत्रित कर सकते हैं। यहां तक कि सी0ए0जी ने इस बारे में और स्पष्ट टिप्पणी करते हुये यह भी लिखा है इसके अलावा 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट है उसमें भी दो बातों पर बहुत जोर दिया गया है, एक राज्य अपने अनुत्पादक खर्चों को कम करने का प्रयास करें और आपने व्यय को पुनः परिभाषित करें और उत्पादक कार्यों में लगाये और सबसे बड़ी चीज, जो हमारे सार्वजनिक उपक्रम हैं जिनके बारे में सब जानते हैं कि हमारे इतने भारी पूंजी निवेश के बाद भी अक्सर घाटे में ही चलते हैं, हम उनकी व्यवस्था को किस प्रकार से सुधार सकें। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं आप अधिकांश निगमों की सूचियां देख लीजियेगा। किस प्रकार से हमने उनमें राजनैतिक एप्वाइंटमेंट किये हैं, किस प्रकार से हमने दलीय आधार पर वहां लोगों को पदाधिकारी बनाकर बैठाया है और किस प्रकार से हमने उनको वेतन और सुविधायें दी हैं और किस प्रकार से वह प्रबन्धन जो विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों में एक प्रोफेशनल विकसित प्रबन्धन हो सकता था हमने उन्हें राजनैतिक दबाव में प्रतिबंधित करने का प्रयास किया है इसका फल है अध्यक्ष महोदय, कि राज्य सरकार जो

समाज से ऋण लेती है वह 6.29 प्रतिशत के ब्याज पर लेती है और सार्वजनिक संस्थाओं में हमारा जो होने वाला लाभ है वह सिर्फ .013 प्रतिशत है। अध्यक्ष महोदय, यह एक छोटा सा विधेयक है, लेकिन चूंकि यह प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को पूरे समाज के सामने रखता है, इसलिये यह बातें मैंने पिछली बातों को न दोहराते हुये जो आवश्यक थीं, उन्हीं को रखने का प्रयास किया है। मैं आग्रह करूंगा कि यह विधेयक तो है, सरकार है, बहुमत है लेकिन एक बार सरकार को प्रयास करना चाहिये कि हम किस प्रकार से अपने राजस्व प्राप्ति की पूरी प्रक्रिया को बढ़ा सकें, क्योंकि यह जनता का पैसा है, हमारा आपका पैसा नहीं है। गरीबों से पैसा इकट्ठा होता है, बूंद-बूंद करके घड़ा हमारा भरता है। उस घड़े को हम लात मारकर ठोकर दे दें, इसका कोई औचित्य नहीं है। हमें उसकी एक-एक बूंद का सदुपयोग करना चाहिये। फूल-फूल से कण-कण इकट्ठा करके शहद बनता है और तब समाज में मिठास आती है। हम इस प्रकार से उसको लुटायें यह औचित्यपूर्ण नहीं होगा, इसी के साथ मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने जो आज यह संशोधन विधेयक रखा है, द्वितीय संशोधन, 2011, इसके बारे में अभी माननीय डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी ने बहुत सी बातें कही हैं, उन्होंने बहुत विस्तार से इसके सम्पूर्ण पक्ष को रख दिया है। इसलिये विस्तार और आकड़ों में जाने की मैं कोई आवश्यकता नहीं समझता। इसके तकनीकी पक्ष को भी उन्होंने कहा है और यह आलोचना का मंच नहीं है, हमारे मित्र हैं लेकिन जितनी जटिलता से उसके अधिकारी उसकी शब्दावली बनाते हैं, उससे ज्यादा और जटिलता से उन्होंने अपना संशोधन रख दिया है। मेरी समझ में यह कम आया, इसलिये मैं समझता हूं कि उन्होंने इसका सारा टेक्निकल पहलू अच्छी तरह से रख दिया है, मैं इसकी तकनीकी बहस में नहीं जाना चाहता।

मैं मान्यवर, एक निवेदन करना चाहता था कि वर्ष 2004 में जब यह विधेयक लाये थे तब परिस्थितियां क्या थीं और उसके परिणाम क्या थे और आज इस संशोधन का क्या परिणाम होने जा रहा है, इसी पर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। उत्तर प्रदेश को ऋणजाल के भंवर से निकालने के लिए सरकार को अपने लिए कुछ स्वयं अनुशासन बनाने की आवश्यकता पड़ी और वह इन कारणों से पड़ी कि 12वां वित्त आयोग हो, 13वां वित्त आयोग हो या भारत का योजना आयोग हो उन सबसे प्रदेश को जो राशि प्राप्त होती है वहां हमारे सारे संकेतक, सारे इविडेंस इतने निगेटिव थे कि प्रदेश को बड़ी कठिनाई हो रही थी और एक अच्छा विधेयक पारित हुआ जिसमें आत्मानुशासन की बात आयी कि स्वयं अपने ऊपर सरकार अनुशासन करेगी कोई बाध्य नहीं कर रहा था और उस अनुशासन में यह स्वीकार किया गया कि वर्ष 2011-12 की समाप्ति तक राजस्व घाटा शून्य करेगी। उसका उत्तर तो आपने दे दिया कि राजस्व घाटा 2005-06 की समाप्ति तक ही समाप्त होगा और उसके बाद हम रिन्यू सरप्लस में आ जायेंगे। लेकिन मान्यवर, आज जो संशोधन हम ले करके आये हैं आप देख लीजिए कि 2012 तक जो हमने तय किया था 2014-15 की समाप्ति तक सकल उत्पाद 42 प्रतिशत से अधिक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं हो और जो संशोधन हम ले करके आये हैं वस्तुतः यह संसोधन नहीं है वस्तुस्थिति यह है कि यह इसका निरसन है। तकनीकी तौर पर आप संसोधन कह रहे हैं यदि इसकी आत्मा आप निकाल लेंगे तो सीधे-सीधे आप निरसन विधेयक ले आइये, फिर इसको रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपने इस संशोधन को इस रूप में रखा है इससे आप अभी जो प्रयास करना चाहते हैं आप अपने उद्देश्य में भी सफल नहीं होंगे और 13वें वित्त आयोग की जो आपत्तियां हैं वह बद्स्तूर बनी रहेंगी। इसलिए श्रीमन् हम मा0 मंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि वह जिद न करें कि वह आज ही इसे पारित करायेंगे बल्कि इसे प्रवर समिति को सौंप दें और मान्यवर, उसकी रिपोर्ट आ जायेगी, शायद अभी आप एक सत्र और बुलायेंगे यदि नहीं बुलाना हो तो समिति की रिपोर्ट मंगवा लीजिएगा और आगे जो करना चाहें कीजिएगा, आर्डिनेन्स ले आइयेगा, आप तो सक्षम समर्थ हैं लेकिन आज आपको इसको पारित करने की जिद नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ मैं संसोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के कार्यालय-ज्ञाप-6, 14 जनवरी, 2011 द्वारा वर्ष 2010-2015 की अवधि में वित्तीय सुदृढ़ीकरण हेतु प्रत्येक राज्य हेतु राजस्व घाटा की वार्षिक लक्ष्य दर 2011-12 से 2014-15 तक की अवधि के लिए तथा राजकोषीय घाटा एवं निरदसता के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ अनुपात के वार्षिक लक्ष्य वर्ष 2010-2011 से 2014-15 तक के लिए निर्धारित किये गये हैं। उक्त कार्यालय-ज्ञाप में यह उल्लिखित है कि राज्य सरकारों को 13वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत ऋण राहत एवं विशिष्ट अनुदान तभी प्राप्त हो सकेंगे जब राज्य सरकारें उक्त कार्यालय-ज्ञाप में दिये गये लक्ष्यों का समावेश अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम में कर लें। उसी के तहत जो पिछला हमारा अधिनियम था उसमें 2011-12 एवं 2014-15 की समाप्ति तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनधिक 42 प्रतिशत तक की कुल देनदारियों में कमी करने हेतु संशोधन निरूपति था। मान्यवर, अब इसमें केवल इतना है कि 2010-11, 11-12, 12-13, 13-14, और 14-15 के अलग-अलग करने का काम किया जा रहा है। जो 2010-11 का था उसमें जो उनका था वह पहले से ही था 2014-15 में उन्होंने कहा था कि 42 प्रतिशत से अनधिक न हो तो 41.9 प्रतिशत था। जो बीच के वर्ष थे उनको भी इसमें समावेश किया जा रहा है कि उन वर्षों में किस तरह से हम प्राप्ति करेंगे अपने बजट प्रबन्धन का और इसके लिए यह संसोधन है। मा0 डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी ने कहा कि शायद 25 परसेंट तक 2014-15 के लिए लेकिन 2014-15 के लिए 25 प्रतिशत नहीं है 42 प्रतिशत से अनधिक है और उसके अनुसार 2017-18 तक 25 परसेंट का उल्लेख है। मान्यवर, इसमें आज की जो हमारी स्थिति है, इस संशोधन में उसके अनुसार यह रखने का काम किया गया है। जो 2010-11 में 3.5 प्रतिशत राजकोषीय घाटा, 2011-12 में 3, 2012-13 में 3, 2013-14 में 3, 2014-15 में 3, हालांकि ऋणग्रस्तता 48.7 2010-11 में, 2011-12 में 46.9, 2012-13 में 45.1, 2013-14 में 45.4, 2014-15 में 41.9। हम उस मानकों को पूरा करते हैं। इस समय जो स्थिति है 2010-11 का बजट जो पूरी तरह से निश्चित हो गया है उसमें हमारा राजकोषीय घाटा 3.5 की जगह पर 3 प्रतिशत है और इसके साथ ही

साथ ऋणग्रस्तता 33.5 प्रतिशत है। हमारा जो वर्तमान में है वह 33.5 प्रतिशत है। जो हमारा 2011-2012 का अनुमान है उसके अनुसार जो हमने अनुमानित किया है, जो हमारा राजकोषीय घाटा है वह 2.97 प्रतिशत तथा जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है वह 32.1 प्रतिशत होने का हमारा अनुमान है। मान्यवर, जो अनुपूरक मांग आज हमने रखा है उसको मिलाने के बाद भी हमारा जो राजकोषीय घाटा है वह 2.84 अनुमानित है। इसके अलावा जो 32.1 प्रतिशत सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुमानित है। इस तरह से इसमें एक बहुत छोटा सा संशोधन है। मैं समझता था कि इसको डा0 राधामोहन दास अग्रवाल सहित सभी मा0 सदस्य चूंकि भारत सरकार के 13वें वित्त आयोग से जो हमें सुविधायें प्राप्त करना है, संस्तुति ऋण राहत और राज्य विशिष्ट अनुदान, उसकी दृष्टि से यह संशोधन आवश्यक था और मैं चाहूंगा कि अपना संशोधन वापस लेकर सर्वसम्मति से इसको पास कराने की कृपा करें।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, पिछला संशोधन जो 2011 का जनवरी-फरवरी में लाये थे उसमें यह प्राविधानित किया गया था कि प्रदेश की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए एक प्राधिकरण का गठन किया जायेगा। प्रदेश सरकार पुनर्विलोकन रिपोर्ट तैयार करेगी और उस पुनर्विलोकन रिपोर्ट की प्रति विधान सभा के समक्ष रखी जायेगी। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने ऐसी कोई प्राधिकरण की रचना की है या नहीं, कोई पुनः अपनी आर्थिक नीतियों का पुनर्विलोकन करते हुए कोई नीति या रिपोर्ट तैयार की है या नहीं और क्या उसे कभी सदन के सामने रखने की योजना, अभी 3-4 दिनों का सदन और है, अगर तैयार हुई है तो क्या उसे रखने का काम करेगी ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने कहा कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वह सुदृढ़ है और हमने जो मानक है सभी बिन्दुओं पर इस बात को बताया उसको हम पूरा कर रहे हैं और जो लक्ष्य है, इससे ठीक स्थिति में हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि अपना संशोधन वापस ले लें और इसको सर्वसम्मति से पास करायें।

श्री अध्यक्ष-

अग्रवाल साहब, आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं ?

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन)

विधेयक, 2011

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 का अग्रतर संशोधन करने के लिये-

विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम

2-उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा-4 में, उपधारा (3) में,- — उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 5 सन् 2004 की धारा-4 का संशोधन

(क) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(ग) वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में से प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटा प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के तीन प्रतिशत से अनधिक स्तर को बनाये रखेगी।''

(क) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

''(च) यह सुनिश्चित करेगी कि वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 की समाप्ति पर कुल ऋण स्टाक संगत वर्ष के प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के क्रमशः 46.9 प्रतिशत, 45.1 प्रतिशत, 43.4 प्रतिशत एवं 41.9 प्रतिशत से अनधिक स्तर तक बनाये रखा जाय।''

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2011 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2011 का अननुमोदन करता है।'

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, कार्यकाल इन्होंने बढ़ाया अध्यादेश के माध्यम से दो साल के बजाय एक साल बढ़ाकर तीन साल कार्यकाल कर दिया है। सहकारी के बारे में केवल एक सरकार की बात नहीं करना चाहता लेकिन जो मेरा अनुभव है सहकारिता में विश्वास तो है नहीं और सहकारी समितियों को इन्होंने खिलौना बना दिया जैसे बच्चों को बहकाने के लिये खिलौना पकड़ा देते हैं हाथ में चुनाव होगा एक पार्टी सत्ता में आ जाएगी कार्यकर्ता जो चुनाव में काम करते हैं उनको एडजस्ट करने के लिये वहां पर उनकी नियुक्ति हो जाएगी और हम खुश हो जाएंगे कि हमने सहकारी समिति का गठन कर दिया हमारे कार्य बड़े अच्छी तरह से सम्पन्न हो रहे हैं। मान्यवर, यह मजाक है मखौल है एक संस्था को बिल्कुल खत्म करने की बात है एक उदाहरण देना चाहूंगा अपने जनपद का कि किस प्रकार से चुनाव कराते हैं और किस प्रकार से गठन करते हैं। सहकारी बैंक का चुनाव होना था बहुत दौड़ धूप की लोगों ने इकट्ठे किये डेलीगेट्स इकट्ठा करने के बाद नामांकन दाखिल हुये डिप्टी कलेक्टर उसके रिटर्निंग आफीसर बने। नामांकन के बाद में स्कूटनी का दिन आता है जांच कर। नामांकन पत्र उन्होंने लिया और रिटर्निंग आफीसर उम्मीदवार से कहते हैं कि आपके हस्ताक्षर मिलते नहीं हैं उम्मीदवार कहता है कि मेरे हस्ताक्षर हैं लेकिन वह कहते कि आप कह तो रहे हैं लेकिन हस्ताक्षर मिलते तो नहीं

हैं और वह खारिज कर दिया। दूसरा आदमी पीछे खड़ा था वह भागकर गया अपना शपथपत्र बनवाकर लाया कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा न हो जाय और उसमें लिखा कि नामांकन पत्र पर मेरे ही हस्ताक्षर हैं मैं प्रमाणित करता हूं उसका नामांकन पत्र जैसे ही सामने आया वही उनका कथन था कि आपके भी नहीं मिलते। कारण क्या था सूची यहां से चली गई कि इन-इन को डायरेक्टर बनाना है। सूची के अनुसार वह डिप्टी कलेक्टर पाबंद हैं। एकतरफा चुनाव होना है घोषणा होनी है चुनाव होने नहीं हैं 11 नामांकन पत्र यही कहकर खारिज कर दिये कि आपके हस्ताक्षर नहीं मिलते। जिनके नामांकन थे वह अपना हलफिया बयान भी दे रहे थे खड़े होकर कह भी रहे हैं उनके कार्यकर्ता चिल्ला भी रहे हैं लेकिन धन्य है डिप्टी कलेक्टर भगवान करे वह आई0 ए0 एस0 हो जाय और बड़ा अधिकारी हो जाय या रिटायर होने के बाद इनकी पार्टी में आकर विधायक हो जाय या कैबिनेट सेकेट्री हो जाय और होना भी चाहिये। लोगों ने जब शोर मचाया तो वह आदेश करके गायब हो गया दो दिन तक उसके दर्शन नहीं हुये जिलाधिकारी भी उसको ढूंढ़ते रहे यह सहकारिता है। आप किस लिये कार्यकाल बढ़ा रहे हैं उनको परमानेंट कर दीजिये अगर सहकारिता में विश्वास है तो दो साल हो गये आप चुनाव करा दें चुनाव भी तो आपको ऐसे ही कराना है जैसा मैंने उदाहरण दिया। मैंने अपने जनपद का उदाहरण दिया लेकिन सहारनपुर वालों ने कहा कि हमारे यहां तो किसी और के लिये नामांकन ही नहीं हुआ। एक से बढ़कर एक कदम उठाकर हमने सहकारिता को किस प्रकार समाप्त किया है। खिलौना इसलिये मैं कह रहा हूं कि अगर कार्यकाल तीन साल का है यह मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि दूसरी सरकार कोई आ जाएगी तो वह कार्यकाल घटा देगी एक प्रस्ताव उन्हें करना पड़ेगा अध्यादेश कर देंगे कार्यकाल तीन साल से घटाकर दो साल कर दिया जायेगा। पूरे सहकारिता आन्दोलन को समाप्त करने का काम यह सरकार कर रही है एक साल बढ़ाकर आप क्या तीर मारेंगे। एक साल के बाद आप नहीं रहने वाले। दूसरी आ जायेगी वह आपको नहीं रहने देगी। अच्छा होता कि 2 साल का कार्य काल था, दो साल का कार्य काल समाप्त होने के बाद चुनाव करा लेते। चुनाव आपको वैसे ही कराना था जैसा मैंने आपको उदाहरण दे दिया। मान्यवर, इतने धब्बे लगे हैं, इतनी कालिख पुती है इस सहकारिता के मूवमेंट पर कि इसलिये मुझे मजबूर होकर यहां पर यह संशोधन देना पड़ा। प्रस्ताव भी देना पड़ा कि कम से कम कहने का मौका तो मिल ही जायेगा और हो सकता है कि कहीं न कहीं मेरी बात का प्रभाव हो जाय, मेरी बात से आपको कुछ लज्जा आ जाय। उम्मीद कम है, लेकिन कोशिश करने का मेरा प्रयास था। मैंने कोशिश कर ली और आपसे कहता हूं कि आप इसको वापस ले लें। जिनका कार्य कालसमाप्त हो गया है वे अपने घर जायं नये चुनाव आप करा लें, निष्पक्ष चुनाव आप करा लें और सहकारिता मूवमेंट में कुछ जान आ जाय।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इस संशोधन से माननीय सदस्य ने जो शंका जाहिर की उसका कोई मतलब नहीं है। चुनाव होता है नियमों के अनुसार। अगर चुनाव में कोई गलती होती है तो उसके लिये कोर्ट है मान्यवर। न्यायालय है, मान्यवर और उसमें अपील भी हो सकती है और निश्चित तौर पर ऐसी परिस्थितियों में दो साल के कार्य काल की जगह तीन साल का कार्य काल किया जाना उचित है और इसलिये हमारा यह प्रस्ताव है। मैं माननीय सदस्य से चाहूंगा कि वह अपना संशोधन वापस ले लें और इसको सर्वसम्मति से पास होने दें।

*श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय मंत्री जी ने जो बात बताई श्रीमन्, इसमें आपने जो उद्देश्य और कारण लिखे हैं। उसमें कारण में आपने लिखा है कि सरकारी समितियों की प्रबन्ध समिति का कार्य काल दो वर्ष था जो कि 9 जुलाई, 2011 को समाप्त हो रहा है चूंकि माह जून, जुलाई, 2011 में नगर निकायों के चुनाव सम्भावित थे। मान्यवर, न आपको नगर निकायों का चुनाव कराना था और न आपको इसका चुनाव कराना था। एक लोकतांत्रिक ढंग से चलने वाली संस्था का आपने वो हाल किया जैसा माननीय हुकुम सिंह ने भी बताया पूरे प्रदेश में सहकारी समितियों को आपने बर्बाद करके रख दिया। उसके बाद अगर आज यह संशोधन लेकर भी आये तो कोई बढ़िया बहाना बना लेते कोई अच्छी बात बता देते कि साहब हमको आजकल परेशानी है हम चुनाव नहीं करा पायेंगे। कारण बताना नहीं चाहते। लेकिन आपने कारण नहीं बताया ऐसा कारण रखा कि इसको अगर सफेद झूठ भी कहें तो पता नहीं मुझे लगता है कि यह मुहावरा भी सही साबित नहीं होगा कोई और ठीक शब्द ढूंढा जाय इसके लिये। लेकिन चूंकि इनको चुनाव कराना नहीं था। जून में आपने चुनाव कराये नहीं। जुलाई में आपने चुनाव कराये नहीं और यह अगस्त का महीना बीत रहा है और आपने लिख दिया कि चूंकि जून में समय पूरा हो रहा था इसीलिये बहुत बड़ी कठिनाई उनके सामने आ गई थी। मान्यवर, सरकार की पूरी नीयत ही तमाम लोकतांत्रिक संस्थाओं का अवमूल्यन करने की है, पूरी तरह से उनका लोकतांत्रिक स्वरूप नष्ट करने की है इसलिये मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप संशोधन वापस ले रहे हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी-

नहीं वापस लेने का तो कोई सवाल नहीं है। यह अपना प्रस्ताव भले ही वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2011 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

2-यह 2 जून, 2011 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2- उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा-29 में, उपधारा (2) में,- — उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

(एक) खण्ड (क) में शब्द ''दो वर्ष'' के स्थान पर शब्द ''तीन वर्ष'' रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (ख) में शब्द और अंक ''उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007'' के स्थान पर शब्द और अंक ''उत्तरी प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011'' रख दिये जायेंगे;

(तीन) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

''(ग) प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल, जिसने खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पूर्व अपने गठन के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि पूरी कर ली है, और उसके निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल ऐसे प्रारम्भ पर समाप्त हो जायेगा।''

3-(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2011 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। — निरसन एवं अपवाद उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-2 सन् 2011

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

'द ग्लोकल यूनिवर्सिटी' उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011

उच्च शिक्षा मंत्री (डॉ0 राकेशधर त्रिपाठी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'द ग्लोकल यूनिवर्सिटी' उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि 'द ग्लोकल यूनिवर्सिटी' उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है खुशी होनी चाहिये। प्रसन्नता की बात होनी चाहिये। संशोधन क्यों रखा, मैंने बिल पढ़ा उसमें शर्त यह है कि 50 एकड़ भूमि है तो विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाएगी। नये विश्वविद्यालय बनाने के साथ-साथ क्या हमें इस बात पर विचार नहीं करना चाहिये कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हमारी शिक्षा की स्थिति क्या है क्या हम संतुष्ट है जो वर्तमान स्थिति है। क्या हम संतुष्ट हैं जो वर्तमान विश्वविद्यालय हमारे हैं वह सुचार रूप से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं क्या हम इस बात से संतुष्ट हैं जितने हमारे सरकारी विश्वविद्यालय हैं वह एक तरफ हैं लेकिन निजी क्षेत्र में जो हमने विश्वविद्यालय स्थापित किये हैं उनकी स्थिति क्या है। मैं एक चैनल पर स्टिंग आपरेशन देख रहा था और मैं हैरत में पड़ गया जब मैंने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा इस बात को, कि डिग्री देने की दरें तय हो रही हैं छात्र यह कह रहा है कि अगर मैं न आ पाऊं तो क्या दर होगी परीक्षा में अपने स्थान पर दूसरे छात्र को भेज दूं तो क्या दर होगी, अपसेन्ट रहूं तो क्या दर होगी और उसको दरें बताई जा रही है कि इसकी पांच लाख होगी इसकी पन्द्रह लाख होगी इसकी पच्चीस लाख होगी। अगर डिग्रियों को विश्वविद्यालयों के माध्यम से बांटा जाएगा तो इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का क्या होगा। किसका विश्वास रह जाएगा जब हम जानकारी करते हैं कि 25 हजार भारत के छात्रों ने आवेदन किया है अमेरिका के विश्वविद्यालयों में जाने का, या आस्ट्रेलिया के विश्वविद्यालयों में जाने का, तो कारण क्या है इसके पीछे, कहीं न कहीं कारण यह है कि वर्तमान में

हमारी शिक्षा पद्धति जो हमारे विश्वविद्यालयों की है वह इतनी दूषित हो चुकी है कि प्रमाण-पत्र देने के सिवाय, सनद देने के सिवाय, डिग्री देने के सिवाय और कोई काम नहीं है। जो छात्र आज इतनी योग्यता रखते हैं पढ़ने की इच्छा है और संयोग से उनके मां-बाप उनका खर्चा बर्दाश्त कर सकते हैं क्या कारण है जो यहां नहीं पढ़ना चाहते हैं कारण, एक तरफ एडमीशन की दिक्कत है, प्रवेश नहीं हो रहे हैं प्रवेश किनके नहीं हो पा रहे हैं, प्रवेश उनके नहीं हो पा रहे हैं जो आज अच्छे विश्वविद्यालयों में पढ़ने की स्थिति में नहीं हैं किन्हीं कारणों से। करें क्या, इण्टर पास करने के बाद प्रवेश तो कहीं न कहीं लेंगे डिग्री कालेज या विश्वविद्यालयों में, स्थित आज शिक्षा की यह है कि चोपट हो गया है सारा का सारा और चौपट होने में जिम्मेदारी किसकी होती है, सरकार की। अब आपका क्या नियंत्रण है।

ट्रस्ट है आवेदन कर दिया आपने शर्त लगा दी 50 एकड़ जमीन हो, आज की तारीख में बता दें कोई अनुभव है उनका, शिक्षा के क्षेत्र में, उनके पास कोई महाविद्यालय है, कोई डिग्री कालेज उन्होंने बनाये हैं जहां से उन्होंने जानकारी कर ली है कि अब तक उन्हें डिग्री कालेज का अनुभव था अब विश्वविद्यालय बनाना हैं सीधे-सीधे आपको कोई आवेदन पत्र दे दे कि विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते हैं और आप लेकर के आ जायें विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाए यह शिक्षा व्यवस्था के साथ मजाक होगा या नहीं होगा। हम तकनीकी आधार पर केवल नहीं लाए हैं आप एक आध और लाने वाले हैं वह भी हमारे पास रखा है इस गति से आप विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ा देंगे और विश्वविद्यालय जो निजी क्षेत्र में होंगे उनको मुंह मांगी फीस भी लेने का अधिकार होगा और इस प्रदेश में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है कि उन्हें इण्टर करने के बाद में पांच-छः साल और बिताने हैं अपने जीवन के, जो छात्र ऐसे हैं उनके मां-बाप की मजबूरी है कि कहां बिठायें उनको इण्टर करने के बाद जो आई0 आई0 टी0 में नहीं जा पाते हैं, इंजीनियरिंग में नहीं जा पाता है, बी0 टेक0 में नहीं जा पाता है तो ऐसी जगह आएगा और बी0 टेक के भी विश्वविद्यालय है और अगर यहां ऐसी डिग्री मिलेगी जो उनके एजेन्ट हैं दलाल हैं वह सौदा करेंगे कि पांच लाख की डिग्री बी0 ए0 की होगी, दस लाख की डिग्री एम0 ए0 की होगी और फलां एडमीशन के इतने होंगे तो कहां जाओगे इतनी डिग्रियों को ले करके, चार सौ बीसी करेंगे। अपराध बढ़ेंगे, चीटिंग करेंगे, बैंक में जाकर चेक पर फर्जी साईन करके पैसा वसूलेंगे, पीड़ा यह होनी चाहिये कि कैसे प्रदेश की व्यवस्था को संभालेंगे। मुझे एतराज नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है कि कौन लोग यह विश्वद्यिालय बनवा रहे हैं लेकिन विश्वविद्यालय बनाने के साथ क्या आपकी यह जिम्मेदारी नहीं है कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करें ? आप स्वयं यूनीवर्सिटी से आये हैं और उस यूनीवर्सिटी से आये हैं जिसका कभी नाम था। हां, कभी इलाहाबाद यूनीवर्सिटी का नाम होता था, लेकिन आज उसकी क्या स्थिति है, आप चले जाते, कभी देख लेते, उसके प्रांगण, उसके कैम्पस को देख लेते, उसके कमरों को देख लेते। अब तो खैर संयोग है कि वह केन्द्र में चली गई, बच गयी। लेकिन जो आप वाली है, उसको जाकर देख लीजिये। आप लखनऊ यूनीवर्सिटी को देख लीजिये, क्या स्थिति है। इनको सम्भालिये, कुछ इनकी व्यवस्था को दुरुस्त कीजिये। इनके पीछे कुछ आस्था रखिये जिससे छात्र गर्व के साथ कह सकें कि मैं उत्तर प्रदेश के फलां विश्वविद्यालय से आया हूं और जिससे किसी इण्टरव्यू बोर्ड को भी विश्वास हो सके। मान्यवर, मैं एक विश्वविद्यालय का नाम लिये बिना ही अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरे क्षेत्र का विश्वविद्यालय है, बहुत पुराना है, उसका छात्र नोएडा की एक कम्पनी में इण्टरव्यू में जाता है, कम्पनी वाले पूछते हैं कि कहां से आये हो ? वह जिले का भी नाम लेता है, यह भी बताता है कि फलां विश्वविद्यालय से डिग्री ली है।

मान्यवर, मुझे संकोच हो रहा है, लज्जा भी आ रही है कहते हुये कि बोर्ड के लोग कहते हैं कि जाओ तुम्हारा इण्टरव्यू हो चुका है। मान्यवर, आज उस विश्वविद्यालय की स्थिति यह है कि जब उस छात्र ने विश्वविद्यालय का नाम लिया तो उससे कह दिया गया कि जाओ आपका इण्टरव्यू हो गया। मान्यवर, विश्वास नहीं हो रहा है, यदि विश्वास बढ़ाना है तो आपको शिक्षा का स्तर बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन प्ररूप आपके पास रखा है, नाम बदलना पड़ता है, दूसरा विश्वविद्यालय आ जायेगा, तीसरा विश्वविद्यालय भी आ जायेगा। लेकिन इन विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति होगी, कैसे आप स्तर सुनिश्चित करेंगे, केवल 50 एकड़ जमीन आपको मिल गई, जिसमें बता दिया कि 24 हजार वर्ग मीटर में आपके कमरे बनने चाहिये, प्रशासनिक भवन बनना चाहिये, केवल चहारदीवारी बना करके, भवन बना करके आप विश्वविद्यालय बना देंगे ? विश्वविद्यालय में एक आस्था होती है, विश्वास होता है, वह विश्वास आप कैसे बहाल करेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं और यदि नहीं कर पा रहे हैं तो बिना बात के विश्वविद्यालय मत बनाइये। अगर यहां के विश्वविद्यालयों के एजूकेशन में लोगों को विश्वास रहा होता तो हजारों छात्रों को हर वर्ष बाहर जाने के लिये विवश नहीं होना पड़ता। क्या आपने कभी यह बात सोची है, हमारे मन में यह बात क्यों नहीं आती कि बाहर के लोग यहां के विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करने के लिये आकर्षित क्यों नहीं होते हैं ? हमारे छात्र बाहर क्यों जा रहे हैं, इसका कारण है कि हमारी शिक्षा पद्धति बहुत ही चौपट हो चुकी है, खास तौर से उच्च शिक्षा पद्धति, प्राइमरी या बेसिक शिक्षा तो रही नहीं, वह तो खिचड़ी और चावल में चली गई, इसके अलावा वहां पर कुछ नहीं है। लेकिन उच्च शिक्षा को तो आप ठीक करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आग्रह करना चाहता हूं कि उच्च शिक्षा को गम्भीरता से लिया जाय, केवल हां, न के आधार पर नहीं। आप बहुत बड़ी संस्था बनाने जा रहे हैं, विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं और विश्वविद्यालय की स्थिति क्या होगी, न मंत्री जी को पता है, न हमें पता है और इसे बनाने वालों का क्या अनुभव है, शिक्षा के क्षेत्र में, कोई ख्याति उन्होंने प्राप्त की है या पैसे वाले कुछ लोग हैं, जिनके पास जमीन की व्यवस्था हो जायेगी, विश्वविद्यालय का नाम हो जायेगा, कुछ अध्यापकों को रोजगार मिल जायेगा और उसके बाद डिग्रियों की कीमत लग जायेगी, आप डिग्रियां बांटने लगेंगे, मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि जो प्रश्न मैंने उठाया है, उस पर विचार होगा।

* श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय हुकुम सिंह जी ने जो बातें रखी हैं, मैं पूरी तरह से उन बातों से अपने को सम्बद्ध करता हूं। सच यह है कि जितनी अफरा-तफरी में यह विधेयक लाया गया है, हम इसको ठीक से देख भी नहीं सके है। इसलिये हम इसके प्राविधानों पर टेक्किनल तौर पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं जो भी कमी-बेसी होगी विधेयक में, वह तो अलग है लेकिन श्रीमन्, हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं कि एक बड़ा गम्भीर संकट पैदा हो रहा है, तमाम क्षेत्रों में वह लोग आ रहे हैं जो उस क्षेत्र के लोग नहीं है और उस क्षेत्र के लोगों को आसानी से बाहर ढकेलने के लिये धन-बल के प्रभाव से उसमें प्रवेश कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के मामले में भी, विद्यालय के मामले में भी और मान्यवर, हम आज इस पवित्र सदन में बैठे हैं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों के सामने एक राजनैतिक कार्यकर्ता के सामने यह संकट आ रहा है कि कोई बड़े कार्पोरेट से सपोर्टेड या

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कोई बड़े धनबल का व्यक्ति जिसने समाजसेवा के क्षेत्र में जनता के काम के लिये एक दिन भी काम नहीं किया है, वह किसी न किसी दल का टिकट प्राप्त करके पैसे के बूते राजनीति करने वाले लोगों को अपने पक्ष में ढकेल करके बात करने की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश की विधान सभा में यह संकट कम है लेकिन इससे बड़ा संकट देश की पार्लियामेंट में है लोक सभा में जिस तरीके की स्थिति है और हम दिन व दिन देख रहे हैं किस तरीके से हम इससे बाहर कर दिये जायेंगे। मान्यवर, इसी प्रकार शिक्षण संस्थाओं के नाम पर मैंने सहारनपुर के बारे में पूछा कि सहारनपुर में यह कौन लोग हैं जिन्हेंने शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया। काशी विश्वविद्यालय से जब हम लोग निकले तो महामना मदन मोहन मालवीय जी का नाम लेने से कि हम लोगों ने वहां से शिक्षा प्राप्त की है तो हमारे बहुत सारे दोष धुल जाते हैं। लोग कहते हैं कि मालवीय जी ने जो संस्था स्थापित की वहां से यह पढ़कर आये हैं तो उसकी बात होगी। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आये हैं तो उसकी बात होगी। कोई गोरखपुर विश्वविद्यालय से आया है तो उसकी बात होगी। मान्यवर, अगर कहीं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ का नाम खराब होता है तो लोग कहते हैं कि मेरठ में जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है वहां कापियां ऐसे क्यों फेंकी जाती हैं और वह चौधरी चरण सिंह का नाम खराब करने का काम कर रहे हैं। उन परिस्थितियों में मैंने जब लोगों से पता किया तो यह खनन माफिया तो है लेकिन जो लोग इसके सर्वेसर्वा हैं लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल चलाने का भी तजुर्बा उनको नहीं है। उनके पास चाहे जितना रुपया हो और वह चाहे जिन भी साधनों से आया हो और उस रुपये के बूते अगर वह यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं और आप वह विधेयक लाना चाहते हैं तो मैं आपको मना नहीं कर सकता बस अनुरोध कर सकता हूं कि आप इस पर पुनर्विचार कर लीजिये और मैंने यह भी नहीं कहा कि आप कभी न लाइये। हमने सिर्फ यह कहा है कि आप आज उस पर विचार कर लीजिये, प्रवर समिति के सुपुर्द कर दीजिये, खुद देख लीजिये और लोगों से दिखवा लीजिये। नहीं तो कल बात आयेगी कि इस युनिवर्सिटी का प्रस्ताव किसने किया, आप हमारे बड़े भाई हैं और आप जिन विचारों को लेकर राजनीति में आये और जितना आपने काम किया, अगर कल की तारीख में यह आये कि एक राकेशधर त्रिपाठी जी ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। आप अगर भविष्य में खराब नहीं हों, बाकी उनका भविष्य तो खराब होना ही है जिनका नाम इस विश्वविद्यालय से गलती से भी जुड़ जायेगा। इसलिये मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दीजिये। हमने कभी आरोप नहीं लगाया लेकिन बहुत सारी चीजों में आपका नाम इन साढ़े चार सालों में खराब हुआ। चलते-चलाते इस सरकार में अपना नाम खराब मत कीजिये कि आने वाले दिनों में आपका नाम ऐसे न जोड़ें कि आपने कैसे विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसलिये मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस प्रस्ताव को वापस ले लीजिये और इस विश्वविद्यालय को स्थापित करने की कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है।

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय हुकुम सिंह जी हम सबके आदरणीय हैं और हमारे विश्वविद्यालय के भी वरिष्ठ रहे हैं। इस विधान सभा को और इस प्रदेश को उनसे अच्छे सुझाव और सलाह मिलते रहे हैं। उन्होंने सरकार में रहकर भी नेतृत्व किया है। माननीय अम्बिका चौधरी जी को भी बहुत अनुभव है और सारी जानकारी भी है। मैं 2-3 बिन्दुओं पर अपनी बात कहना चाहूंगा। मान्यवर, पहले भी कई बार इस सदन में चर्चा हुयी है। हमने पहले कहा कि पहले दिन से जब से

निजी विश्वविद्यालय बनना शुरू हुआ आज तक हमने मानक घटाने का काम नहीं किया है जबकि अन्य प्रदेशों में 30, 25 और 10 एकड़ तक कर दिया है। हरियाणा में 10 एकड़ कर दिया है, राजस्थान में 20 एकड़ कर दिया है, मध्य प्रदेश में 20 और 25 एकड़ कर दिया है। हमारे पास भी कई पत्र ऐसे आये। माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहेंगे कि आज भी आबादी के मुताबिक भारत सरकार की गाइडलाइन्स के अनुसार अभी पिछले जुलाई के महीने में भारत सरकार में बैठक थी, इस प्रदेश में अभी कम से कम 50 निजी विश्वविद्यालयों की आवश्यकता का निर्देश है। सारे राज्यों को कहा गया कि उच्च शिक्षा की दर बढ़ाना है, भारत सरकार ने कहा कि इसको 12 प्रतिशत से 14 प्रतिशत तक ले जाना है।

अभी कम से कम पूरे प्रदेश में 500 से 700 विश्वविद्यालय खोलने की उनकी कल्पना है। दूसरा, हमने जमीनों का कम नहीं किया, हमने 10 करोड़ के मानक को कम नहीं किया, हमने तय किया है कि जो राज्य के विश्वविद्यालयों में शासन की नीति लागू होगी, वह नीति इन विश्वविद्यालयों पर भी लागू होगी। चाहे प्रवेश के बारे में हो, चाहे फीस के बारे में हो, चाहे गरीब एवं दलित लड़कों के बारे में हो। इन सब के बारे में रखा है। तीसरा बिन्दु मान्यवर, हमारी उच्च शिक्षा की दर चूंकि बढ़ाने के लिये पिछली बार इसी सदन में तमाम हमारे आदरणीय सदस्यों ने कहा भी था कि ये तो प्रसन्नता की बात है कि इस प्रदेश में नोयडा, गाजियाबाद, मेरठ से हट करके भी भला कोई जिला तैयार तो हुआ। हमारे पास और कोई प्रस्ताव नहीं है, जो प्रस्ताव है वह दूसरा भी सहारनपुर का है, तीसरा इसी लखनऊ बाराबंकी का है। हम तो चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में शिक्षा में समतुल्यता बनी रहे। ऐसा न हो जाये कि डिसबैलेंस हो जाये, कहीं कम हो, कहीं ज्यादा हो। इसीलिये इस बात का भी प्रयास किया जाता है कि अगर ग्रामीण अंचल में, छोटे जिलों में कहीं से प्रस्ताव आता है तो हम उसको थोड़ा वरीयता के आधार पर देखना चाहते हैं। तीसरी बात, मा0 हुकुम सिंह जी चिन्ता जाहिर की, हम तो सहमत हैं और हमें कतई संकोच नहीं है कि शिक्षा की गुणवत्ता में कहीं न कहीं कमी आ रही है, हम उसको रोक नहीं पाये हैं और हम एक लाइन में मा0 अध्यक्ष जी कह दें, ज्यादा लम्बी बहस की आवश्यकता नहीं है। हम तो लड़के को अच्छी शिक्षा दे करके मेरिट से निकालना चाहते हैं लेकिन आज लड़के का गार्जियन को खिड़की के पास खड़े हो करके नकल कराता है, गिरफ्तारी में दोनों गिफ्तार होते हैं। अगर 100 लड़का परीक्षा देने के लिये जाता है तो 200 गार्जियन जाता है उसको नकल कराने के लिये। हम उसको रोकते हैं, हम गिरफ्तारी कराते हैं, इस पर कड़ाई करने का काम करते हैं।

मान्यवर, यह सच है कि जब कम्पटीशन चलेगा, जो निजी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अच्छी गुणवत्ता का छात्र पैदा करेगा, अच्छी फैकल्टी देगा, अच्छे अध्यापक देगा, वहां पर छात्र एडमीशन लेने के लिये जायेगा। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि कई 100 इंजीनियरिंग कालेज इन 20 सालों में खुल गये लेकिन छात्र सब जब मिल नहीं रहा है। ठीक इसी तरह से निजी विश्वविद्यालय में जहां अच्छी फैकल्टी होगी, अच्छे अध्यापक होंगे वहीं पर लड़का प्रवेश लेने के लिये जायेगा। आपने एक चिन्ता और व्यक्त की कि शायद मेरी जानकारी में नहीं है, आप कहियेगा तो हम आपसे अलग से भी जानकारी कर लेंगे, हम आपके पास चले आयेंगे। हमारे अपने किसी विश्वविद्यालय के स्टिंग ऑपरेशन की जानकारी अभी तक नहीं है। एक संस्कृत विश्वविद्यालय, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय

में फर्जी मार्कशीट और अंकतालिका ज्यादा बना करके देने का मामला था, हमने उसकी विजिलेंस जांच के लिये दे दिया और वहां से लिख करके आया तो हमने उसको दे दिया कि सी0आई0डी0 से जांच कराइये, किसी से जांच कराइये। इसलिये कि कहीं पर कोई फर्जीवाड़ा इस तरह से है तो उसको पूरा-पूरा रोकने का प्रयास किया जाता है। अंतिम बार ये निवेदन कर दें मा0 सदस्यगण से कि चूंकि आज भी दिन में प्रवेश के बारे में चर्चा को मा0 सदस्यों ने उठाया और जो आज की स्थिति है, लगभग हर साल इण्टरमीडिएट में दो-सवा दो लाख लड़का ज्यादा पास हो करके आता है। हमारी संख्या बढ़ती चली जा रही है। इस समय भी दो-सवा दो लाख लड़का पास हो करके आया है। आज इन निजी विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है, यह जरूर है कि निजी विश्वविद्यालय खुला है और सब के लिये खोलने का निमंत्रण है। मा0 अम्बिका जी, अगर उनके पास कोई आदमी हो तो सिफारिश न करें, उनको संकोच लगेगा, भेज दें उसका भी खुलवाने का काम करेंगे। बलिया में भी हो तो खुल जायेगा, हम तो 50 खोलना चाहते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

लेकिन हमारे पास 50 एकड़ वाले और 50 करोड़ रुपये वाले लोग नहीं हैं, हम कहां से लायेंगे ? मेरा ये कहना है एकड़ और करोड़ों रुपये जुटाने वाले लोग नहीं हैं, हम उस आधार के विरोधी हैं।

डॉ0 राकेशधर त्रिपाठी-

मैंने पिछली बार जिस बात को कहा था, उसको दोहराना नहीं है। पहले के जमाने में भी राजा-रजवाड़े और मुगल के लोगों के समर्थन और मदद से ही सारी शिक्षण संस्थायें चलती रहीं हैं। निजी लोग कितना खोल पायेंगे। आपकी सरकार रही है, आप सरकार में रहे हैं कितना गवर्नमेन्ट कालेज आप खोल पाये, कितना हम खोल पाते हैं। हमारे पास सीमित संसाधन हैं, एक-एक डिग्री कालेज एक जिले में खोलने में तो आफत होती है। पी0पी0पी0 पर कोई आता नहीं है, कोई आया नहीं खोलने के लिये। कोई आया नहीं खोलने के लिए तो जो कम-से-कम आ रहा है और हमने पिछली बार भी कहा था कि इन विश्वविद्यालयों के खुलने से टैक्नीकल कालेजेज़, इंजीनियरिंग कालेजेज़ के खुलने से पिछले साल आंकड़ा आया था, 9 सौ करोड़ की मेरठ, गाजियाबाद के आस-पास की बचत हुई, जो अन्य प्रदेशों में जाते थे, चाहे महाराष्ट्र जाते हैं, चाहे गुजरात और चाहे तमिलनाडु और कर्नाटक जाते रहे हैं, यह एक अलग बात है, परन्तु हमारा प्रयास इस बात का है कि हम सस्ता, सरल और सुलभ शिक्षा हर विद्यार्थी को, हर ग्रामीण को उसके ग्रामीण अंचल में दे सकें। इसी प्रयास में यह निजी विश्वविद्यालय खोलने का प्रयास है। हमारी विनती है मा0 हुकुम सिंह जी से और मा0 अंबिका चौधरी जी से, जो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे साथी रहे हैं, इस विधेयक को वापस लेकर इसे पारित करने का काम करें, जिससे कि प्रदेश में उच्च शिक्षा की दर और बढ़ सके।

श्री हुकुम सिंह-

सही कहा इन्होंने कि इस विधेयक को वापस ले लिया जाए, और मैं इससे सहमत हूं।

डा0 राकेशधर त्रिपाठी-

संशोधन को वापस ले लिया जाए।

श्री हुकुम सिंह-

चिंता हमारी मान्यवर, केवल शिक्षा के स्तर को लेकर थी। मैंने खुद ही कहा है कि विश्वविद्यालय खुलें और बनें उसमें कोई शिकायत की बात नहीं, लेकिन कौन बनाये, जैसा कि आपने अभी उल्लेख किया, अगर उसमें सच्चाई है कि कहां से इसका पैसा है, किस प्रकार का पैसा इस शिक्षा के क्षेत्र में लगेगा। पाप का पैसा अगर मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में लगेगा तो कभी वह संस्था कामयाब हो ही नहीं सकती। यह पाप का पैसा वहां न लगे तो मान्यवर, अच्छा रहेगा। इससे अच्छा तो न होना ही है। दूसरी बात मान्यवर, शिक्षा के विश्वविद्यालयों को चार साल के लिए, 5 साल के लिए इनको ओल्ड ऐज होम्स न बनाये, जैसे विदेशों में बने हुए हैं। ये संस्थाएं छात्रों के लिए चार साल, पांच साल बर्बाद करने के स्थान न बनें। अभी आपके सामने चिंता व्यक्त की गयी थी, बी0कॉम के बारे में, मैं सोच रहा था कि शायद आप कुछ उसके बारे में भी कह देंगे। लोगों को सीट नहीं मिल रही है, एडमिशन नहीं हो रहे हैं, प्रवेश नहीं मिल रहे हैं, उसमें आप विचार कर लें और इस बात पर भी विचार कर लें मंत्री जी कि किसी भी डिग्री कालेज में जब पढ़ाई का समय होता है, 8 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में, वहां जाकर के आप देख लें, मैं चुनौती के साथ कहता हूं मान्यवर, प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में आप स्वंय जाकर के देख लें अगर आपको वहां पर छात्र मिल जाएं या टीचर पढ़ाता हुआ मिल जाए तो यह मेरी चुनौती है। मुझे शौक है, मैं वहां जाकर देखता हूं। मान्यवर, मैंने सरकारी डिग्री कालेज भी देख लिए हैं और जो आपके सहायता प्राप्त डिग्री कालेज हैं, वह भी देख लिए आज वहां पर किसी की रूचि पढ़ने में नहीं है। आपने सही कहा कि अगर मां-बाप की आदतें ऐसी हैं तो बच्चे क्या पढ़ेंगे ? इसको हम कैसे दुबारा रिवाइव करें, दोबारा उसे कैसे जीवित करें, इस पर विचार होना चाहिए। वरना डिग्री कालेज भी है और डिग्री भी है।

श्री अध्यक्ष-

आप संशोधन का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं एक वाक्य बोलना चाहता हूं। संशोधन वापस लेने के लिए भी एक वाक्य तो बोलना ही पड़ेगा। मा0 अध्यक्ष जी मा0 मंत्री जी ने बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं, जो सचमुच में समस्याओं के समाधान की दिशा में सरकार जो प्रयास करना चाहती है, उसमें योगदान करने के लिए उन्होंने कई कारण और कई बिन्दु गिनाये हैं, उन सबसे कैसे असहमत हुआ जा सकता है। किन्तु मैं दो बातें कहना चाहूंगा जो उन्हीं की बातों से आई हैं। आज सुबह प्रश्न पूछा गया और किसी साथी ने कहा कि साहब ये-ये संकट हैं, उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक भी छात्र के एडमिशन का कोई संकट नहीं है। यह आज के प्रश्नकाल में स्वयं आपका बर्जन था। अभी इन्होंने कह दिया कि सवा दो लाख अधिक हैं। इन दोनों में से कौन-सी बात सही है, इसको दिखवा दें। श्रीमन् जो बातें उन्होंने कहीं हमने जिस आधार पर कहा था, विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उन्होंने एक और बड़ा कारण बताया कि नोयडा और गाजियाबाद से 900 करोड़ और 700 करोड़ का आ रहा होगा वह कुछ भी हो। वह बढ़कर 11 सौ करोड़ और 2 हजार करोड़ भी हो सकता है, लेकिन नोयडा और गाजियाबाद के आस-पास कुकरमुत्तों की तरह उगे हुए इन टैक्नीकल इस्टीट्यूशन ने स्थिति यह पैदा कर दी है कि कानपुर जैसे शहर में इंजीनियरिंग करके आने वाले लोगों को 6 हजार रुपये की तनख्वाह पर रखने को कोई तैयार नहीं है। मान्यवर, मैं एक नंगा सच कहना चाहता हूं इस सदन में कि जो आई0टी0आई0 से पास करके फीटर, मिस्त्री आ रहा है, उसकी तनख्वाह कानपुर में प्राइवेट इण्डस्ट्रीज

वाले 12 हजार देने को तैयार हैं, क्योंकि वह संख्या में नहीं के बराबर हैं। एक फीटर को, मैकेनिक को 12 हजार की तनख्वाह और जो ट्रेन्ड ग्रेजुएट हैं इन प्राइवेट संस्थाओं से निकलने वाले उनको 6 हजार और 8 हजार प्रतिमाह पर भी सबको नौकरी नहीं मिल रही है। और आज उसका दूसरा परिणाम यह निकल रहा है कि एडमीशन के लिए अब जो लोग खोल दिये वह कह रहे हैं कि हमारे यहां 40 परसेण्ट हुए, हमारे यहां 30 परसेण्ट हुए, इसलिए संख्या बढ़ा देने से इसका हल निकलने वाला नहीं है, आपने जो कारण बताया उसमें एक बात जरूर विचार कर लेंगें, मात्र संख्या बढ़ा देने से समस्या का समाधान होगा, ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है, इसलिए मान्यवर, मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि 'द ग्लोकल यूनिवर्सिटी' उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 'दि ग्लोकल यूनिवर्सिटी' उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-53 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

'द ग्लोकल यूनिवर्सिटी' उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011

अली अकबरपुर, तहसील बेहट, जिला सहारनपुर में अब्दुल वहीद एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, सहारनपुर द्वारा प्रायोजित एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने तथा उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:–

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम 'द ग्लोकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2011' कहा जायेगा।

परिभाषायें

2–जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम मे :–

(क) ''विद्यापरिषद्'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद् से है;

(ख) ''बोर्ड'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अध्ययन बोर्ड और नियोजन बोर्ड या अन्य किसी बोर्ड से है;

(ग) ''कुलाधिपति'', ''प्रतिकुलाधिपति'', ''कुलपति'' और ''प्रति–कुलपति'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कुलाधिपति, प्रति कुलाधिपति, कुलपति और प्रति–कुलपति से है;

(घ) ''सभा'' का तात्पर्य विशविद्यालय की सभा से है;

(ङ) ''निदेशक/प्राचार्य'' का तात्पर्य किसी महाविद्यालय; संस्था, केन्द्र और स्कूल, के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजन हेतु नियुक्त व्यक्ति से है;

(च) ''विभाग'' का तात्पर्य अध्ययन विभाग से है और उसके अन्तर्गत अध्ययन और अनुसन्धान केन्द्र भी है;

(छ) ''कर्मचारी'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है और जिसमें विश्वविद्यालय के अध्यापक या कर्मचारी वर्ग के अन्य सदस्य सम्मिलित है;

(ज) ''कार्य परिषद्'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् से है;

(झ) ''विद्यमान महाविद्यालय'' का तात्पर्य ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करता है तथा जिसे विश्वविद्यालय में विलयन करना, उसके द्वारा चलाना तथा अनुरक्षित करना प्रस्तावित है;

(ञ) ''संकाय'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय से है;

(ट) ''छात्रावास'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के शोधार्थी/ छात्रों के छात्रावास से है;

(ठ) ''संस्था'', ''महाविद्यालय'' का तात्पर्य विद्यमान महाविद्यालय सहित ऐसे महाविद्यालय या संस्था से है जो इस अधिनियम और परिनियमावली के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या उससे सहयुक्त हो या उसका संघटक हो;

(ड) ''विहित'' का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है;

(ढ) ''अभिलेखों और प्रकाशन'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के अभिलेखों और प्रकाशन से है;

(ण) ''परिनियमों'' और ''अध्यादेशों'' का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों और अध्यादेशों से है ;

(त) ''छात्र'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के रजिस्टर में नामांकित किसी छात्र से है;

(थ) ''विश्वविद्यालय के अध्यापक'' का तात्पर्य आचार्य, सहआचार्य, उपाचार्य, सहायक आचार्य, प्राध्यापक और ऐसे अन्य व्यक्तियों से है जिन्हें विश्वविद्यालय में शोध संचालित करने सम्बन्धित शिक्षा/अनुदेश प्रदान करने के लिये नियुक्त किया जाए और अध्यादेशों द्वारा अध्यापक के रूप में पदाभिहित किया जाय;

(द) ''कोषाध्यक्ष'', ''कुलसचिव'', ''उप कुलसचिव'', ''वित्त अधिकारी'', परीक्षा नियंत्रक'', ''पुस्तकालयाध्यक्ष'' या ''कुलानुशासक'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः कोषाध्यक्ष, कुलसचिव, उप कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष या कुलानुशासक से है;

(ध) ''ट्रस्ट'' का तात्पर्य भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अधीन 25–3–2009 को उप निबंधक कार्यालय (तृतीय), सहारनपुर में पंजीकृत अब्दुल वहीद एजूकेशनल एण्ड चैरिटेबिल ट्रस्ट, न्यू भगत सिंह कालोनी, बाजोरिया रोड, सहारनपुर से है;

(न) ''विश्वविद्यालय'' का तात्पर्य धारा–3 के अधीन स्थापित 'द ग्लोकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश से है ;

विश्वविद्यालय की स्थापना

3–(1) अली अकबरपुर, तहसील बेहट, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में ट्रस्ट द्वारा 'द ग्लोकल यूनिवर्सिटी', उत्तर प्रदेश के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(2) विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा।

विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए शर्तें

4–ट्रस्ट जो प्रायोजक निकाय है, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रयोजनों से निम्नलिखित शर्तें पूरी करेगा, अर्थात :–

(क) विश्वविद्यालय के लिए चिन्हित न्यूनतम 50 एकड़ परस्पर सटी हुई भूमि का समुचित स्वामित्व हो;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट भूमि पर कम से कम 24000 वर्ग मीटर कारपेट एरिया में भवन निर्माण करेगा जिसमें से न्यूनतम 50 प्रतिशत शैक्षिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए होगा;

(ग) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट भवन में कार्यालय और प्रयोगशालाओं में न्यूनतम पांच करोड़ रूपये मूल्य के उपस्कर की प्रतिस्थापना;

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार कम से कम सात विषयों में शिक्षण और/अथवा अनुसंधान के प्रयोजनों के लिए विभाग/विद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति करना और अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना करना;

(ङ) विश्वविद्यालय के प्रशासन और संचालन के लिए परिनियम और अध्यादेशों का बनाया जाना;

(च) ऐसी अन्य शर्तें; जिनको विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय;

विश्वविद्यालय का आरम्भ

5–(1) राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय के संचालन के प्रारम्भ के लिये ट्रस्ट को प्राधिकार–पत्र जारी किए जाने के पश्चात ही विश्वविद्यालय प्रचालन आरम्भ करेगा।

(2) राज्य सरकार, ट्रस्ट से प्राप्त इस आशय के दस्तावेजों सहित कि, धारा–4 में निर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी कर ली गई हैं, सम्बन्धित असंदिग्ध शपथ–पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही प्राधिकार–पत्र जारी करेगी।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

6–विश्वविद्यालय के उद्देश्य, विद्या की ऐसी शाखाओं में जिसे विश्वविद्यालय उचित समझें, अनुदेश, अनुसंधान और विस्तार सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था, ज्ञान का प्रसार और अभिवृद्धि करने होंगे और विश्वविद्यालय छात्रों और अध्यापकों को निम्नलिखित को अभिवृद्धि के लिए आवश्यक वातावरण और सुविधायें प्रदान करने का प्रयास करेगा :–

(क) शिक्षा में अभिनवीकरण करना जिससे पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना, अध्यापन, प्रशिक्षण और ज्ञानार्जन जिसमें ऑनलाइन ज्ञानार्जन, मिश्रित ज्ञानार्जन, निरन्तर शिक्षा और ऐसे अन्य रूप भी है, की नवीन पद्धति और व्यक्तित्व के समग्र और स्वस्थ विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकें;

(ख) विभिन्न शाखाओं में अध्ययन;

(ग) अन्तर्शाखीय अध्ययन,

(घ) राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और अन्तर्राष्ट्रीय सद्भाव एंव नैतिकता की अंतःक्रिया;

विश्वविद्यालय की शक्तियॉ

7–विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात :–

(क) विद्या की ऐसी शाखाओं में जिन्हें विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करें, शिक्षण की व्यवस्था करना और अनुसंधान के लिए तथा ज्ञान और कौशल की अभिवृद्धि और प्रसार और प्रयोग के निमित्त व्यवस्था करना;

(ख) विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी, जैव एवम् चिकित्सा विज्ञान, दन्त चिकित्सा विज्ञान, फार्मेसी, प्रबन्धन, होटल एवम् सत्कार प्रबन्धन, विधि एवम् अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और इतिहास, संस्कृति, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मानविकी, दर्शन शास्त्र, कला इत्यादि विषयों हेतु भी परिसर में, परिसर से बाहर, परिसर से दूर और उपग्रह केन्द्रों या केन्द्र संचालित करने अथवा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना और उनकी अभिवृद्धि करना;

(ग) शिक्षाविदों एवं प्रख्यात अध्यापकों को प्रोफेसर, एमिरिट्स के अलंकरण से सम्मानित करना;

(घ) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें विश्वविद्यालय अवधारित करें, व्यक्तियों को परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण–पत्र एवम् उपाधि या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना और उचित और पर्याप्त कारणों से ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण–पत्रों, उपाधियों और शैक्षणिक विशिष्टताओं का वापस लेना ;

(ङ) विहित रीति से मानद उपाधियों या अन्य विशिष्टताएं प्रदान करना;

(च) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं, को जैसा कि वह अवधारित करें, शिक्षण तथा प्रशिक्षण प्रदान करना जिसके अन्तर्गत पत्राचार और ऐसे अन्य पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैं;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित डायरेक्टर पद, प्राचार्य पद, आचार्य पद, सह–आचार्य पद/उपाचार्य पद, सहायक आचार्य/प्रध्यापक पद और अन्य अध्यापन का शैक्षणिक पद संस्थित करना और उनके लिये नियुक्तियॉ करना;

(ज) प्रशासकीय लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियॉ करना;

(झ) किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें विशिष्ट ज्ञान हो, को स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये नियुक्त करना या उन्हें काम पर लगाना;

(ञ) देश और विदेश में किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या संस्था से ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिये जैसा विश्वविद्यालय अवधारित करें, सहकार्य व सहयोग करना या उनको सहयुक्त करना;

(ट) अनुसंधान और शिक्षा के लिये विद्यालयों, केन्द्रों विशिष्टीकृत प्रयोगशालाओं या अन्य शोध इकाईयों की स्थापना और अनुरक्षण करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्य को अग्रसर करने के लिये आवश्यक हो;

(ठ) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदक और पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना;

(ड) विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आवासों, छात्रावासों की स्थापना, अनुरक्षण तथा उनका पर्यवेक्षण करना तथा छात्रों एवम् कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याणकारी क्रियाकलापों के लिए प्रोत्साहित करना;

(ढ) अनुसंधान और सलाहकार सेवाओं के लिये उपबन्ध करना और उक्त प्रयोजन के लिये अन्य संस्थाओं या निकायों के साथ ऐसी व्यवस्था में सम्मिलित होना जैसा विश्वविद्यालय आवश्यक समझें;

(ण) परिनियमों के अनुसार यथास्थिति केन्द्र, संस्था, विभाग या विद्यालय की घोषणा करना;

(त) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये मानक निर्धारित करना जिनके अन्तर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य पद्धति हो सकती है ;

(थ) फीस और अन्य प्रभारों को विहित करना, मांग करना और उनका भुगतान प्राप्त करना;

(द) महिलाओं एवं अन्य वंचित छात्रों के सम्बन्ध में विशेष व्यवस्था करना जैसा विश्वविद्यालय वांछनीय समझे ;

(ध) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन विनियमित करना और उसका पालन करना, और इस सम्बन्ध में ऐसे अनुशासनिक उपाय करना जैसा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाय ;

(न) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण के सम्बर्द्धन के लिये व्यवस्था करना ;

(प) विश्वविद्यालय के कल्याण के लिए दान प्राप्त करना और विक्रय/पट्टा/ किराया के माध्यम से किसी चल या अचल सम्पत्ति का, अर्जन धारण, प्रबन्ध और निपटारा करना ;

(फ) समिति के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की सम्पत्ति के सापेक्ष आडमान या बंधक के रूप में उधार लेना ;

(ब) संविदा या अन्य किसी आधार पर ऐसी अध्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शियों, अध्येताओं, विद्वानों, कलाकारों, पाठ्यक्रम लेखकों और ऐसे अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने में योगदान प्रदान कर सकें;

(भ) बहिर्वती अध्ययन और प्रसार सेवा का आयोजन करना और जिम्मा लेना;

(म) ऐसे अन्य समस्त कार्य और कृत्य करना जो विश्वविद्यालय के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये आवश्यक आनुषंगिक या सहायक हो।

प्रवेश और मानक

8–(1) विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों में प्रवेश तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार किये जायेंगें।

(2) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये पाठ्यक्रमों के शैक्षिक मानक यथास्थिति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा विधिक निकाय इत्यादि के दिशा–निर्देशों के अनुसार हों।

(3) अध्यापक–छात्र अनुपात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या विशिष्ट परिषद् के दिशा–निर्देशों के अनुसार होगा।

विश्वविद्यालय सभी वर्गों और मतावलम्बियों के लिये होगा

9—विश्वविद्यालय प्रत्येक लिंग, वंश, मत, जाति या वर्ग के व्यक्तियों के लिये होगा और विश्वविद्यालय के लिये यह विधिसम्मत नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति के लिये किसी अधिकारी, अध्यापक, कर्मचारीवृन्द या छात्र के रूप में उसमें प्रवेश किये जाने के लिये या उसमें कोई पद धारण करने के लिये या वहां से स्नातक करने के लिए हकदार करने के उद्देश्य से धार्मिक विश्वास या व्यवसाय की कोई परीक्षा, जो भी हो, ले या उस पर अधिरोपित करें :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये विश्वविद्यालय में पदों तथा कर्मचारियों की भर्ती पर तथा किसी पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश पर आरक्षण समय—समय पर राज्य सरकार के आदेशों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के अधिकारी

10—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :—

(क) कुलाधिपति
(ख) प्रति कुलाधिपति
(ग) कुलपति
(घ) प्रति कुलपति
(ङ) निदेशक/प्रधानाचार्य
(च) कुलसचिव
(छ) संकायाध्यक्ष
(ज) छात्र कल्याण का संकायाध्यक्ष
(झ) परीक्षा नियंत्रक
(ञ) मुख्य कुलानुशासक
(ट) कोषाध्यक्ष
(ठ) वित्त अधिकारी और
(ड) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जाये।

कुलाधिपति

11—(1) ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए कुलाधिपति की नियुक्ति की जायेगी।

(2) कुलाधिपति अपने पद की हैसियत से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा और अंतरिम कार्य परिषद् का गठन करेगा।

(3) कुलाधिपति ट्रस्ट को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है।

प्रतिकुलाधिपति

12—(1) प्रति कुलाधिपति की नियुक्ति ट्रस्ट की प्रबन्ध समिति द्वारा तीन वर्ष के लिये की जायेगी।

(2) प्रति कुलाधिपति, कुलाधिपति को दायित्वों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा तथा उनकी अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा।

(3) प्रति—कुलाधिपति, कुलाधिपति को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है।

कुलपति

13–(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष के लिए ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् एवम् योजना बोर्ड का अध्यक्ष होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(3) यदि कुलपति की राय में किसी मामले में तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो तो वह इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकता है और ऐसे मामले में वह कृत कार्यवाही से उस प्राधिकारी को अवगत करायेगा ;

परन्तु यह कि विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत, कोई प्राधिकारी या व्यक्ति जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, वह आदेश के संसूचित किये जाने के एक माह के भीतर कुलाधिपति को इस कार्यवाही के विरूद्ध अपील कर सकता है। कुलाधिपति, कुलपति द्वारा कृत कार्यवाही की पुष्टि कर सकता है या उसे परिवर्तित कर सकता है या उसे उलट सकता है।

(4) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

प्रतिकुलपति

14–(1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रतिकुलपति आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रतिकुलपति जैसे और जब कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाय, दिन प्रतिदिन के कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति की सहायता करेगा।

(4) प्रतिकुलपति उतनी धनराशि का मानदेय प्राप्त करेगा जितनी ट्रस्ट द्वारा अवधारित की जाय।

निदेशक/प्राचार्य

15–निदेशक/प्राचार्य की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का संपादन करेगा जैसे विहित की जाय।

कुलसचिव

16–(1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय।

(2) कुलसचिव को यह शक्ति होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से अनुबंध करे, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करें और अभिलेखों को अभिप्रमाणित करें और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कार्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(3) कुलसचिव कार्य परिषद् और विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा।

संकायाध्यक्ष

17–प्रत्येक संकायाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का संपादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

कोषाध्यक्ष

18–कोषाध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

वित्त अधिकारी

19—(1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति ऐसी रीति से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा जैसा विहित किया जाय।

(2) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा।

अन्य अधिकारी

20—छात्र कल्याण के संकायाध्यक्ष, परीक्षा नियंत्रक और मुख्य कुलानुशासक सहित विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, शक्ति तथा कर्तव्य ऐसे होंगे जैसे विहित किए जाए।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

21—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगें :—

(क) सभा ;

(ख) कार्य परिषद् ;

(ग) विद्या परिषद् ;

(घ) वित्त समिति ;

(ङ) नियोजन बोर्ड ;

(च) संकाय बोर्ड ;

(छ) प्रवेश समिति ;

(ज) परीक्षा समिति और ;

(झ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालयों का प्राधिकारी घोषित किया जाय।

सभा

22—(1) सभा के गठन और उसके सदस्यों की पदावधि ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए सभा की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, यथा :—

(क) विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों का समय—समय पर पुनरीक्षण करना और विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली, उसके उन्नयन और विकास के लिए अध्युपायों का सुझाव देना ;

(ख) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों और ऐसे लेखों की सम्परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना और संकल्प पारित करना ;

(ग) ऐसे किन्हीं मामलों के सम्बन्ध में कुलाधिपति को परामर्श देना जो उसे परामर्श हेतु संदर्भित किये जाय ;

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का संपादन करना जैसा विहित किया जाय।

कार्य परिषद्

23—(1) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक निकाय होगा।

(2) कार्य परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाए।

विद्या परिषद्

24—(1) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय का प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगा और इस परिनियमों और अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों के सामान्य पर्यवेक्षण का समन्वय करेगा और उसका प्रयोग करेगा।

(2) विद्या परिषद् का गठन, इसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाए।

वित्त समिति

25–(1) वित्त समिति वित्तीय मामलों की देखभाल करने के लिये विश्वविद्यालय की प्रधान वित्तीय निकाय होगी।

(2) वित्त समिति का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा विहित किया जाय।

नियोजन बोर्ड

26–(1) नियोजन बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रमुख नियोजन निकाय होगा। बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवस्थापना और शैक्षिक सहायता प्रणाली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य सम्बन्धित परिषदों के मानकों को पूरा करें।

(2) नियोजन बोर्ड का गठन उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसा कि विहित किये जाएं।

संकाय परिषद्, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

27–संकाय परिषद्, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हे परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जाय का गठन, शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगें जैसे विहित किये जाएं।

परिनियमों को बनाने की शक्ति

28–(1) कार्य परिषद् इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये परिनियम बनाएगी।

(2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये परिनियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थात :–

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों जिनका समय–समय पर गठन किया जाए, का गठन उनकी शक्तियां और कृत्य ;

(ख) उक्त प्राधिकारियों के सदस्यों के पद की नियुक्ति और निरन्तरता, सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना और उन प्राधिकारियों से सम्बन्धित अन्य समस्त मामले जिनके लिये उपबंध करना आवश्यक हो ;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, शक्तियां और कर्तव्य और उनकी परिलब्धियां ;

(घ) विश्वविद्यालय के अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक और प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी परिलब्धियां ;

(ङ) विश्वविद्यालय या संस्था में कार्यरत अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग की एक संयुक्त परियोजना का दायित्व लेने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए नियुक्ति ;

(च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें, जिसके अन्तर्गत सेवानैवृत्तिक लाभों, बीमा और भविष्य निधि, सेवा समाप्ति की और अनुशासनात्मक कार्यवाहियों से सम्बन्धित उपबन्ध भी है ;

(छ) कर्मचारियों की सेवा की ज्येष्ठता को शासित करने वाला सिद्धान्त;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के मध्य विवादों के निपटारे की प्रक्रिया ;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी के किसी कृत्य के विरूद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा कार्य परिषद् के समक्ष अपील करने की प्रक्रिया;

(ञ) सम्मानार्थ उपाधियों का प्रदान किया जाना ;

(ट) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्टियों का वापस लेना;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों को संस्थित करना;

(ड) छात्रों के मध्य अनुशासन को बनाये रखना ;

(ढ) विभागों, केन्द्रों और अन्य घटक संस्थाओं/महाविद्यालयों आदि की स्थापना करना और उनको समाप्त करना ;

(ण) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और

(त) अन्य सभी मामले जो इस अधिनियम के अधीन विहित किये जाने हो या विहित किये जा सकते हों।

(3) कार्य परिषद् विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी की शक्ति या गठन को प्रभावित करने वाले किसी परिनियम को न तो बनायेंगी और न ही उसमें संशोधन या निरसन करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दिया गया हो और इस प्रकार व्यक्त की गयी किसी राय पर कार्य परिषद् द्वारा विचार किया जायेगा।

(4) पूर्वगामी उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कुलाधिपति स्वयं द्वारा विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध मे परिनियम में उपबन्ध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकता है और यदि कार्य परिषद् निदेश की प्राप्ति के दिनांक से साठ दिन के भीतर ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में असमर्थ रहती है तो कुलाधिपति कार्य परिषद् द्वारा ऐसे निदेश को कार्यान्वित करने में अपनी असमर्थता के विषय में सूचित किये गये कारणों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात तद्नुसार, जैसा वह उचित समझे, परिनियम बना सकता है या उसे संशोधित कर सकता है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

29–इस अधिनियम और परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये अध्यादेश कार्य परिषद् द्वारा बनाये जाएंगें जिनमें निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी मामले के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगें, अर्थात :–

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और इस रूप में उनका नामांकन ;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमा और प्रमाण–पत्र के लिये अध्ययन पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाना ;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम ;

(घ) उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र तथा शैक्षणिक विशिष्टियां प्रदान करना और उनकी अर्हतायें निर्धारित करना और उन्हें प्रदान किये जाने और प्राप्त करने के सम्बन्ध में किये जाने वाले उपाय ;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण–पत्रों के लिये प्रभार्य शुल्क ;

(च) अधिछात्रवृत्तियां, छात्रवृत्तियां, विद्यावृत्तियां, पदकों और पारितोषिकों को प्रदान करने की शर्ते ;

(छ) परीक्षाओं का संचालन जिसके अन्तर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमांकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और कर्तव्य भी है ;

(ज) विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास की शर्ते ;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिये बनायी जाने वाली विशेष व्यवस्थायें, यदि कोई हों, और उनके लिए विश्वविद्यालय के अन्तर्गत विशेष अध्ययन पाठ्यक्रमों को विहित करना ;

(ञ) ऐसे कर्मचारियों, जिनके लिये परिनियम में उपबन्ध किया गया हो, से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और परिलब्धियां ;

(ट) अध्ययन केन्द्रों, अध्ययन बोर्डों, अन्तर्शाखीय अध्ययन, विशिष्ट केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना ;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों जिसके अन्तर्गत विद्वत निकाय और संघ भी है, के साथ सहयोग और सहभागिता की रीति ;

(ड) किसी ऐसे अन्य निकाय जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिये आवश्यक समझा जाय, के सृजन, संरचना और कृत्य ;

(ढ) परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तःनिरीक्षकों और सारणीयकों को भुगतान किये जाने वाले पारिश्रमिक ;

(ण) अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी वर्गों की सेवा की ऐसी अन्य निबन्धन और शर्तें, जो परिनियमों द्वारा विहित न हो ;

वार्षिक रिपोर्ट

30—(1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद् के निदेश के अधीन तैयार की जायेगी तथा उसे ऐसे दिनांक को या उसके पश्चात सभा को प्रस्तुत किया जायेगा जैसा विहित किया जायेगा और सभा अपनी वार्षिक बैठक में रिपोर्ट पर विचार करेगी।

(2) सभा अपनी टिप्पणी के साथ, यदि कोई हो, वार्षिक रिपोर्ट कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

वार्षिक लेखा

31—(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलना—पत्र कार्य परिषद् के निर्देशों के अधीन तैयार किये जायेंगें और उनकी सम्परीक्षा प्रख्यात चार्टर्ड एकाउन्टेंट के अनुभवी और अर्ह फर्म द्वारा वर्ष में कम से कम एक बार जो पन्द्रह माह के अन्तराल से अधिक नहीं होगा, करायी जायेगी।

(2) सम्परीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखों की एक प्रति कार्य परिषद् के प्रेक्षण सहित सभा के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

32—(1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार नियुक्त किया जायेगा/काम पर लगाया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय और मौलिक रूप से नियुक्त किसी कर्मचारी के मध्य उठने वाले किसी विवाद को कुलपति को निर्दिष्ट किया जायेगा जो मामले को सन्दर्भित किये जाने के दिनांक से तीन मास के भीतर कर्मचारी को अवसर प्रदान करने के पश्चात विवाद का विनिश्चय करेगा।

(3) व्यथित कर्मचारी, कुलपति के आदेश के विरूद्ध कुलाधिपति को अपील कर सकता है।

(4) अस्थायी रूप से या तदर्थ आधार पर या अंशकालिक या आकस्मिक आधार पर कार्यरत किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में किसी विवाद की सुनवाई और उसका विनिश्चय अन्तिम रूप से सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

(5) कुलपति के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति कुलाधिपति को अपील कर सकता है। ऐसे अपील में कुलाधिपति का विनिश्चय अन्तिम होगा और कुलाधिपति द्वारा विनिश्चय किये गये मामलों के सम्बन्ध में कोई वाद किसी न्यायालय में संस्थित नहीं किया जा सकेगा।

अपील करने का अधिकार

33–(1) किसी परीक्षा के लिए कोई छात्र या अभ्यर्थी जिसका नाम यथास्थिति, विद्या परिषद्, कुलानुशासक बोर्ड या परीक्षा नियंत्रक के आदेश या संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय की नामांकन सूची से हटा दिया गया हो और जिसको एक से अधिक वर्ष तक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वर्जित कर दिया गया हो, अपने द्वारा ऐसे आदेशों या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति के दिनांक के दस दिन के भीतर लिखित रूप में कुलपति को यथास्थिति, उपर्युक्त प्राधिकारियों या संबंधित समिति के विनिश्चय को पलटने के लिए अपील कर सकता है।

(2) कुलपति द्वारा लिया गया कोई निर्णय अन्तिम होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन

34–विश्वविद्यालय, अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए कार्य परिषद् द्वारा अवधारित ऐसी पेंशन, कल्याणकारी योजना या भविष्य निधि का गठन कर सकता है या ऐसी बीमा योजनाओं की व्यवस्था कर सकता है जैसा कार्य परिषद् द्वारा ऐसी रीति और ऐसी शर्तों के अधीन निश्चित किया जाए।

प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

35–यदि ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न हो, कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक, रूप से नामित या नियुक्त किया गया या वह उसका सदस्य होने का हकदार है तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस विषय में विनिश्चय अन्तिम होगा।

समितियों का गठन

36–जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन समितियां नियुक्त करने की शक्ति दी गयी हो वहां ऐसी समितियों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, संबंधित प्राधिकारी के सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, होंगे।

रिक्तियों का भरा जाना

37–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में हुई सभी रिक्तियों को ऐसे व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसने उन सदस्यों को जिनके स्थान रिक्त हुए हैं नियुक्त,या नाम निर्दिष्ट या सहयोजित किया था ऐसी अवधि के लिए जो नियुक्त या सहयोजित किया गया हो यथा शक्य शीघ्र भरा जायेगा।

कार्यवाही की अविधि मान्यता

38–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही उसके सदस्यों में किसी रिक्ति या रिक्तियों की विद्यमानता मात्र के कारण अविधिमान्य नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों को प्रमाणित करने की रीति

39–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज जो विश्वविद्यालय के आधिपत्य में हो को यदि कुलसचिव द्वारा प्रमाणित किया गया हो तो ऐसी रसीद आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज को या रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा और उसमें अभिलिखित मामले और संव्यवहार के जहां मूल प्रस्तुत किया जाय, साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जायेगा।

परिनियमों ओर अध्यादेशों का प्रकाशन

40–(1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम या अध्यादेश लिखित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नया परिनियम या अध्यादेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये जाने पर यथाशीघ्र प्रवृत्त किया जाएगा।

स्थायी विन्यास निधि

41–(1) ट्रस्ट कम से कम दस करोड़ रूपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा।

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निवेश करने की शक्ति होगी।

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा।

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी।

सामान्य निधि

42–(1) विश्वविद्यालय सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात :–

(क) सभी शुल्क जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय ;

(ख) किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि ;

(ग) ट्रस्ट द्वारा किये गये सभी अंशदान ; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो इस निमित्त किये गये सभी अंशदान।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के सभी आवर्ती व्ययों के लिये किया जायेगा।

विकास निधि

43–(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा, जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी; अर्थात :–

(क) विकास शुल्क जो छात्रों से प्रभारित किया जा सकता है ;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य स्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि ;

(ग) ट्रस्ट द्वारा किये गये सभी अंशदान ;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान; और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय।

(2) विकास निधि में समय–समय पर जमा की गयी धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिए किया जायेगा।

निधि का अनुरक्षण

44–धारा–41, 42 एवं 43 के अधीन स्थापित निधियों को सभा के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रणों के अधीन रहते हुए ऐसी रीति से विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसी विहित की जाय।

वित्तीय शर्तें

45–विश्वविद्यालय राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय अथवा निगम से किसी सहायतानुदान अथवा किसी वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होगा।

शुल्क

46–विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए प्रभारित शुल्क तत्समय प्रवृत्त विधियों के अनुसार लिया जायेगा।

सूचना और अभिलेख मांग करने के लिए राज्य सरकार की शक्तियां

47—(1) विश्वविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन अथवा वित्तीय और अन्य कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचनाओं या अभिलेखों को प्रस्तुत करें जैसा कि राज्य सरकर द्वारा मांग की जाय।

(2) राज्य सरकार यदि वह समझती है कि अधिनियम अथवा परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों का उल्लंघन हुआ है तो वह धारा—51 के अधीन विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जिसे वह आवश्यक समझें।

विश्वविद्यालय का विघटन

48—(1) यदि विश्वविद्यालय अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है तो वह राज्य सरकार को कम से कम छः माह की लिखित नोटिस देगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार विश्वविद्यालय के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को यथाविहित रीति से पूरा न कर लें, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा जैसी विहित की जाय।

विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

49—(1) धारा 48 के अधीन विश्वविद्यालय के दायित्व ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि से किया जायेगा।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के दायित्व को ग्रहण करने के दौरान विश्वविद्यालय के व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या अस्तियों का निस्तारण करके पूरा किया जा सकेगा।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की मान्यता वापस लिया जाना

50—(1) जहां राज्य सरकार को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय के कार्य न करने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हो तो वह विश्वविद्यालय को शिकायत की प्रति भेजते हुए विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसे समय के भीतर जो दो मास से कम नहीं होगा, कारण बतायें कि विश्वविद्यालय की मान्यता क्यों न वापस ले ली जाय।

(2) उपधारा (1) के अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रथम दृष्टया विश्वविद्यालय की कार्य प्रणाली में दुष्प्रबंधन या इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जांच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जांच के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा जांच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के उपबन्धों के अभिकथित उल्लंघन की जांच के लिए नियुक्त करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन प्रत्येक जांच अधिकारी या प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को संपादन करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में विचारण करने वाली सिविल न्यायालय की शक्ति होगी अर्थात :–

(क) किसी साक्षी को समन करना और उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ पूर्वक परीक्षण करना ;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना ;

(घ) शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(ङ) कोई अन्य मामला जो विहित किया जाय।

(5) यदि जांच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय ने अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय को निर्देश देगी कि वह आवश्यक सुधार करें और इस अधिनियम के उपबन्धों के समुचित क्रियान्वयन के लिए सुझाव दें।

(6) यदि अनुभव किया जाता है कि विश्वविद्यालय ने लगातार तीन बार अधिनियम का उल्लंघन किया है तो राज्य सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अनुमोदन से विश्वविद्यालय की मान्यता वापस ले सकती है।

(7) उपधारा (6) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिए कर सकेगी। यदि विश्वविद्यालय की निधियां विश्वविद्यालय के अपेक्षित व्यय को पूरा न करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय को पूरा करने के लिए विश्वविद्यालय की अस्तियों या सम्पत्तियों का निस्तारण कर सकेगी।

(8) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष क्रियान्वयन के पूर्व रखी जायेगी।

राज्य सरकार समय–समय पर विश्वविद्यालय को ऐसी नीतिगत मामलों पर ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, जैसा वह आवश्यक समझे, ऐसे निर्देश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

इस अधिनियम में ऊपर उल्लिखित किसी खण्ड के अधीन विश्वविद्यालय के विघटन की स्थिति में विश्वविद्यालय की समस्त अस्तियां और सम्पत्तियां, जिसमें स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या कोई अन्य निधि सम्मिलित है तथा विश्वविद्यालय के दायित्व भी है, ट्रस्ट से सम्बन्धित हो जायेंगें।

राज्य सरकार की नीति विषयक मामलों में निर्देश देने की शक्ति

51—राज्य सरकार समय—समय पर विश्वविद्यालय को ऐसी नीतिगत मामलों पर ऐसे निर्देश जारी कर सकती है जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, जैसा वह आवश्यक समझे, ऐसे निर्देश का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

विघटन/मान्यता रद्द होने पर परिसम्पत्तियों/उत्तरदायित्व की

52—इस अधिनियम में ऊपर उल्लिखित किसी खण्ड के अधीन विश्वविद्यालय के विघटन की स्थिति में विश्वविद्यालय की समस्त अस्तियां और सम्पत्तियां, जिसमें स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या कोई अन्य निधि सम्मिलित है तथा विश्वविद्यालय के दायित्व भी है, ट्रस्ट से सम्बन्धित हो जायेंगे।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

53—(1) राज्य सरकार ऐसी किसी कठिनाई को, विशिष्टतः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के उपबन्धों से इस अधिनियम के उपबन्धों के संक्रमण के संबंध में दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी कालावधि जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, चाहें वह उपान्तर, परिवर्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि कोई कठिनाई जैसी उपधारा में निर्दिष्ट की गयी है विद्यमान नहीं थी अथवा उनको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-53 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

डॉ0 राकेशधर त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'दि ग्लोकल यूनिवर्सिटी' उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 पारित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 'दि ग्लोकल यूनिवर्सिटी' उत्तर प्रदेश विधेयक, 2011 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2005-2006) के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर विचार करने सम्बन्धी प्रस्ताव

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि ''यह सदन उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2005-2006) के प्रथम प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर विचार करे।''

मान्यवर, मैं सिर्फ दो शब्द कहना चाहता हूं। मान्यवर, संस्तुति तो आई, विचार भी हो जायेगा इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन जो स्थिति है, जिस माननीय सदस्य के साथ में एक घटना घटित हुई है, आपकी जानकारी में भी है और हमारी जानकारी में भी है। एक अधिकारी ने अपनी वर्दी के रौब में आ कर के जो उसका अपमान किया है, जिस तरह से उसको प्रताड़ित भी किया, मारा, चोट पहुंचाई मान्यवार स्ट्रेचर पर डाल कर के माननीय मुख्यमंत्री आवास उसको जाना पड़ा, सदन में आना पड़ा, पूरे सदन ने उसको अपनी दृष्टि से देखा मान्यवर इतना अमानवीय व्यवहार किसी विधायक के साथ में किसी सदस्य के साथ में शायद आज तक इस विधान सभा के इतिहास में हुआ नहीं, ऐसे अधिकारी को बख्शना नहीं चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दण्डित उसको होना चाहिए, सबक मिल जाना चाहिए दूसरे अधिकारियों को भी कि अपनी सीमा के अन्दर रह कर के काम करें, वह विधायकों के साथ में ऐसा व्यवहार न करें, मान्यवर यह मेरा आग्रह है।

श्री सलिल विश्नोई, स0वि0स0, उ0प्र0 द्वारा श्री अब्दुल समद, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी बाबूपुरवा, कानपुर नगर तथा अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना पर उ0 प्र0 चौदहवीं विधान सभा के विशेषाधिकार समिति (2005-2006) के प्रथम प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध स्वविवेक से सुविचारित निर्णय लेने हेतु मा0 अध्यक्ष, विधान सभा का प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन श्री सलिल विश्नोई, सदस्य विधान सभा, उत्तर प्रदेश द्वारा श्री अब्दुल समद, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बाबूपुरवा, कानपुर नगर तथा अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना पर उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2005-2006) के प्रथम प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध स्वविवेक से सुविचारित निर्णय लेने हेतु माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को प्राधिकृत करता है।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन श्री सलिल विश्नोई, सदस्य विधान सभा, उत्तर प्रदेश द्वारा श्री अब्दुल समद, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी, बाबूपुरवा, कानपुर नगर तथा अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना पर उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की विशेषाधिकार समिति (2005-2006) के प्रथम प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में आरोपी व्यक्तियों के विरुद्ध स्वविवेक से सुविचारित निर्णय लेने हेतु माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को प्राधिकृत करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री सलिल विश्नोई-

माननीय अध्यक्ष जी, सिर्फ हमारे साथ ही अपमानजनक व्यवहार नहीं किया गया, उसके आडिया और वीडियो कैसेट हैं जिसमें उसने विधान सभा को भी गालियां दी है, पूरी विधायिका को

अपमानित किया है, मान्यवर यह मेरा व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है न ही किसी दल से सम्बन्धित प्रश्न है, मेरा आपसे अनुरोध है कि पूरी कार्यवाही को एक बार आप देख लीजिएगा, कोई भी निर्णय करने के पहले उसके फोटोग्राफ, उसके वीडियो, आडियो टेप में उसने विधान सभा को गाली दी है, अपमान किया है क्योंकि इस समय यह कोई हम दलीय भावना से यह बात नहीं कर रहे हैं, यह पूरे 403 विधायकों के मान-सम्मान का प्रश्न है। मेरे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वह तो अपनी जगह अलग है, लेकिन जो विधायिका का अपमान हुआ, विधान सभा का अपमान हुआ, उन सब बिन्दुओं पर भी आप जरूर विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसको देखा जायेगा।

प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर प्रभावी नियंत्रण लगाने हेतु रोजगार परक शिक्षा एवं कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दिये जाने, प्रदेश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रभावी नीति बनाये जाने तथा प्रदेश के किसानों को उनकी फसलों के लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु सरकार द्वारा कार्य योजना बनाये जाने विषयक श्री जोखू लाल यादव द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 19 फरवरी, 2009 को सदन में प्रस्तुत प्रस्तावों पर चर्चा

श्री जोखू लाल यादव-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित एवं दिनांक 19 फरवरी, 2009 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा,

(1) ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर प्रभावी नियंत्रण लगाने हेतु रोजगार परक शिक्षा एवं कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दी जाय।''

(2) ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रभावी नीति बनायी जाय।''

(3) ''यह सदन प्रस्ताव करता है कि प्रदेश के किसानों को उनकी फसलों के लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु सरकार द्वारा कार्य योजना बनायी जाय।''

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, चर्चा जारी कर दें।

श्री अध्यक्ष-

चलिये, आपके प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

श्री जोखूलाल यादव-

मान्यवर, यह पिछले कई समय से लम्बित है। आपने चर्चा जारी रखने की बात कह दी है। मान्यवर, मेरे प्रस्तावों में बढ़ती बेरोजगारी पर प्रभावी नियंत्रण के साथ-साथ, प्रदेश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की भी बात है कि कोई प्रभावी नीति बनाई जाय। इसी तरह से किसानों को उनकी फसलों का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने हेतु कार्ययोजना बनाई जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इस पर चर्चा जारी रहेगी।

उत्तर प्रदेश में मांस के निर्यात को प्रतिबन्धित करने हेतु पशुवध पर तत्काल रोक लगाये जाने विषयक श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल कैलाश डेरी वाले द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित तथा दिनांक 16 फरवरी, 2010 को सदन में प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा

श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल कैलाश डेरी वाले-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित तथा दिनांक 16 फरवरी, 2010 को सदन में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर जारी चर्चा :-

''यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश से मांस के निर्यात को प्रतिबन्धित करने हेतु पशुवध पर तत्काल रोक लगाई जाय।''

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, चर्चा जारी कर दें।

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, चर्चा जारी कर दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, माननीय सत्य प्रकाश अग्रवाल जी, आपके प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी।

अब मैं नियम-51 की सूचनाओं को लेता हूं।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 9 अगस्त, 2011 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 71 सूचनाएं प्राप्त हुईं, स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

पहली सूचना महन्त कौशलेन्द्र नाथ योगी की बलरामपुर स्थित क्षतिग्रस्त तुलसीपुर-बरदौलिया मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री अमित गौरव की एटा के निधौलीकला क्षेत्र में ट्रांसफार्मरों एवं क्षतिग्रस्त विद्युत लाइनों को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में तथा तीसरी सूचना श्री राजाराम त्यागी की छत्रपतिशाहू जी नगर स्थित ग्राम सीवन में उद्घाटित शिलालेख/पत्थर को नष्ट करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

चौथी सूचना श्री अम्बिका चौधरी की पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में गोंड़ जाति को अनुसूचित जाति की जगह पर अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री कौकब हमीद खां की गाजियाबाद विकास प्राधिकारण के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे घोटालों के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री संजय कपूर की रामपुर की तहसील विलासपुर स्थित राजकीय महाविद्यालय में एम0ए0 की कक्षाएं प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं

डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल की कांशीराम शहरी गरीब आवास योजना में गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कराये गये अधोमानक निर्माण के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह की प्रतापगढ़ के ग्राम सभा पूरी पाण्डेय एवं प्रयागपुर औरिसता में नरेगा के अन्तर्गत कराये गये कार्यों में वित्तीय अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री श्याम देव राय चौधरी की पं0 दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय वाराणसी में डायलसिस मशीन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी की गौतमबुद्ध नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एन0आर0 एच0एम0 योजना में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री राजेश कुमार गौतम की लखीमपुर खीरी में फैक्स पैड व यू0पी0 पी0सी0एल0 के द्वारा ग्राम पंचायत सचिवालयों के निर्माण में हो रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में तथा बारहवीं सूचना श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला की सिद्धार्थ नगर अन्तर्गत राप्ती नदी पर अजगरा एवं गायघाट के बीच पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाएं केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती हैं।

तेरहवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की वी0आई0पी0 ड्यूटी में लगे उ0प्र0 पुलिस कर्मियों का मंहगाई भत्ता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में, चौदहवीं सूचना श्री शम्भू चौधरी की प्रदेश में अनुसूचित जाति खरवार को कम्प्यूटरीकृत प्रमाण-पत्र निर्गत न किये जाने के सम्बन्ध में। पन्द्रहवीं सूचना श्री अशोक कुमार सिंह की रायबरेली के विकास खण्ड सरेनी अन्तर्गत नहर पर पुलों का निर्माण एवं क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में। सोलहवीं सूचना श्री महेन्द्र कुमार सिंह की सीतापुर के विकास खण्ड रेउसा में अग्नि शमन केन्द्र स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में। सत्रहवीं सूचना श्री अंगद यादव की आजमगढ़ स्थित क्षतिग्रस्त संजरपुर-मोहनपुर मार्ग, सरायमीर-बीनापार मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में। अट्ठारहवीं सूचना श्री जावेद अंसारी की वाराणसी मण्डल के अपर सचिव क्षेत्रीय कार्यालय (माध्यमिक शिक्षा) के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में। उन्नीसवीं सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जनपद प्रतापगढ़ स्थित रामपुर कसिहा लिफ्ट कैनाल को 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र से जोड़े जाने के सम्बन्ध में। बीसवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की प्रदेश में मुख्य चिकित्साधिकारियों के अधीन वरिष्ठ चिकित्साधिकारियों को तैनात किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। इक्कीसवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की सीतापुर अन्तर्गत सुभाष चन्द्र बोस स्टेडियम में कोच उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में। बाइसवीं सूचना श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव की वाराणसी महानगर में भयंकर जल संकट एवं गन्दगी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। तेइसवीं सूचना श्री उदयभान करवरिया की प्रदेश में बढ़ रहे कुपोषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। चौबीसवीं सूचना श्री सर्वेश कुमार सिंह की ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा आजमगढ़ में तैनात अधिशासी अभियंता द्वारा की जा रही धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। पच्चीसवीं सूचना श्री संजीव दरियाबादी की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों पर प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में। छब्बीसवीं सूचना श्री दशरथ प्रसाद चौहान की सन्तकबीर नगर अन्तर्गत जूनियर हाई स्कूल मान्यता प्राप्त वित्त पोषित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में। सत्ताइसवीं सूचना श्रीमती कृष्णाराज की प्रदेश में क्षेत्र पंचायत सदस्यों को प्रशासन द्वारा अन्य पंचायत के जनप्रतिनिधियों की भांति अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में। अट्ठाइसवीं सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की सिद्धार्थनगर स्थित सिंचाई विभाग बाढ़ खण्ड द्वारा की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में। उन्तीसवीं सूचना डॉ0 अजय तोमर की जनपद बागपत के ग्रामीण

क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में। तीसवीं सूचना श्रीमती राजमती निषाद की बांदा में मरोन्ध रेलवे स्टेशन मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में। इकतीसवीं सूचना डॉ0 वकार अहमद शाह की बस्ती के ग्राम पंचायत खैरा में सड़क निर्माण में की जा रही अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में। बत्तीसवीं सूचना श्री कुवेर सिंह की एटा में जिला योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़कों के निर्माण हेतु धन अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में। तैतीसवीं सूचना श्री सुखलाल की गोमतीनगर लखनऊ स्थित विकास खण्ड-5 में स्थित पार्क का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में। चौतीसवीं सूचना श्री राम विशुन आजाद की गोण्डा में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के अन्तर्गत मनकापुर में ग्राम सचिवालयों के निर्माण में की जा रही धांधली के सम्बन्ध में। पैंतीसवीं सूचना श्री धर्मेन्द्र कुमार कश्यप की लखनऊ स्थित गोमतीनगर के विशाल खण्ड-1 में स्थित पार्क का सुन्दरीकरण कराने एवं पार्क को कब्जे से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचना अस्वीकृत की जाती है :-

1-श्री यशपाल सिंह चौहान,

2-श्री मदन भैया,

3-श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही,

4-श्री राधेश्याम गुप्ता,

5-श्री विशम्भर सिंह शाक्य,

6-श्री इरफान सोलंकी,

7-श्री सुरेश कुमार खन्ना,

8-श्री दीप नारायण सिंह,

9-श्री लालजी यादव,

10-श्री विशम्भर प्रसाद निषाद,

11-श्री कृष्ण गोपाल पटेल,

12-श्री राम प्रकाश यादव,

13-श्री अरविन्द सिंह यादव,

14-डा0 आर0ए0 उस्मानी,

15-श्री इमरान मसूद,

16-श्री विनोद सरोज,

17-डा0 हरगोविन्द भार्गव,

18-श्री सलिल विश्नोई,

19-श्री विजय कुमार यादव,

20-श्री बाला प्रसाद अवस्थी,

21-श्रीमती विद्या चौधरी,

22-श्री महेश चन्द्र गुप्ता,

23-श्री राजेश यादव,

24-डा0 पी0के0 राय,

25-श्री पूरन प्रकाश,

26-श्री सनातन पाण्डेय,

27-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव,

28-श्री लल्लू सिंह,

29-श्री अनूप कुमार गुप्ता,

30-श्री विश्वनाथ,

31-श्री शिव शंकर चौहान,

32-डा0 अनिल चौधरी,

33-श्री राजेन्द्र सिंह,

34-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल,

35-श्री दीपक कुमार तथा

36-श्री उदय राज यादव।

प्रदेश में समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति बाहुल्य दो हजार प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर समाज कल्याण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

माननीय सदस्य विधान सभा .....

*वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग तथा व्यवसायिक शिक्षा मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लाल जी वर्मा-

[श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में कहा गया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति बाहुल्य प्राथमिक विद्यालय वर्ष 1974 से प्रारम्भ किये गये। वर्ष 1994 तक 677 विद्यालयों को वेतन अनुदान सूची में सम्मिलित कर लिया गया, शेष 2000 प्राथमिक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल करने हेतु वर्ष 1994 से वर्ष 2000 तक जांच कराई गई, किन्तु उन्हें अभी तक अनुदान सूची में शामिल नहीं किया गया और प्रकरण शासन में विचाराधीन है। समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के इन प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान सूची में न लेकर 183 विद्यालयों को रु0 6,00,000/- की धनराशि प्रतिवर्ष एकमुश्त आर्थिक सहायता के रूप में दिये जाने हेतु दिशा-निर्देश शासनादेश संख्या-1965/26-2-2010-19(53)/2005, दिनांक 3-8-2010 द्वारा जारी किया गया। यह शासनादेश मात्र अनुसूचित जाति बाहुल्य प्राथमिक विद्यालयों के लिये था, किन्तु जो सूची भेजी गई है, उसमें संस्कृत विद्यालय, इण्टर कालेज व डिग्री कालेज से सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय भी सम्मिलित है। इस प्रकार विभाग द्वारा अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालयों को उपेक्षित किया गया, जिससे शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है एवं ऐसे विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों का भविष्य अन्धकार में पड़ गया है। अतः उनमें चिन्ता एवं रोष व्याप्त है। अतः वक्तव्य की मांग करता हूं।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति बाहुल्य प्राथमिक विद्यालय संचालित किये जाने की कोई योजना नहीं रही है, बल्कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य बस्तियों के बच्चों की शिक्षा प्रोत्साहन हेतु निजी प्रबन्धाधिकरण के माध्यम से संचालित बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त ऐसे प्राथमिक विद्यालय जिनमें 50 प्रतिशत या अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे, को समाज कल्याण विभाग द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में आवर्ती अनुदान प्रदान किये जाने की योजना संचालित थी। वर्ष 1994 के पश्चात् ऐसे प्राथमिक विद्यालयों को आवर्तक अनुदान पर नहीं लिया गया।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21-ए के अन्तर्गत 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा राज्य सरकार का दायित्व है जिसके अनुपालन में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक गांव में 1.5 कि0मी0 की दूरी पर बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालय स्थापित है तथा बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा 1.00 कि0मी0 दूरी की सभी आबादी क्षेत्रों को प्राथमिक विद्यालयों से संतृप्त किये जाने का लक्ष्य है। उपरोक्त व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश संख्या-2547/26-2-2006, दिनांक 5-10-2006 द्वारा निजी प्रबन्धाधिकरण द्वारा संचालित नये प्राथमिक विद्यालयों को समाज कल्याण विभाग द्वारा आवर्ती अनुदान पर लिये जाने की नीति/व्यवस्था समाप्त कर दी गई। उपरोक्त से स्पष्ट है कि निजी प्रबन्धाधिकरण द्वारा संचालित अनुसूचित जाति बाहुल्य प्राथमिक विद्यालयों को आवर्तक अनुदान पर लिये जाने का प्रकरण शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं रहा।

वर्तमान सरकार प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिये कृत संकल्प है तथा शैक्षिक विकास विशेष रूप से अनुसूचित जाति के छात्रों में शिक्षा के प्रसार हेतु कटिबद्ध है। अतः शासनादेश संख्या-1965/26-2-2010-19(53)/2005, दिनांक 3-8-2010 द्वारा शासन के सीमित वित्तीय स्रोत को दृष्टिगत रखते हुए तथा वर्ष 2006 में प्राथमिक विद्यालयों को आवर्तक अनुदान पर लिये जाने की नीति समाप्त हो जाने के कारण 200 ऐसे प्राथमिक विद्यालय जहां अनुसूचित जाति के छात्र काफी संख्या में पढ़ाई करते हैं, को एकमुश्त आर्थिक सहायता (रु0 छः लाख जिसमें से रु0 पांच लाख वेतन तथा एक लाख रु0 विद्यालय के भवन के रख-रखाव, मरम्मत एवं निर्माण हेतु

निर्धारित है) प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। इस योजना में संस्थाओं के चयन में पारदर्शिता हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी की समिति गठित की गई, जिनके द्वारा शासन स्तर से निर्धारित 08 बिन्दुओं के मानक पूर्ण करने वाले विद्यालयों की सूची जनपद स्तर से वरीयताक्रम में प्रेषित किये जाने के निर्देश जारी किये गये। तत्क्रम में सम्बन्धित जिलाधिकारियों के स्तर वरीयताक्रम में प्राप्त प्रस्तावों पर शासन द्वारा 183 विद्यालयों का चयन करते हुए दिनांक 30-5-2011 को शासनादेश निर्गत किया गया।]

जनपद प्रतापगढ़ की क्षेत्र पंचायत मंगरौरा में कार्यरत खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

माननीय सदस्य विधान सभा .....

*वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग तथा व्यवसायिक शिक्षा मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[द्वारा दिनांक 5-8-2011 को विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में उल्लेख किया गया है कि जनपद प्रतापगढ़ के क्षेत्र पंचायत मंगरौरा में कार्यरत अनुसूचित जाति के कर्मचारी श्री अरुण आदित्य एवं श्री सतीश चन्द्र, वरिष्ठ लिपिक, श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लिपिक, श्री जगदम्बा प्रसाद सरोज, ग्राम विकास अधिकारी, श्री हरि प्रसाद, स्वीपर कम चौकीदार, श्री चमन प्रकाश, श्री बरसाती राम आदि ने कार्यरत श्रीमती कुसुम सिंह, खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध उत्पीड़न, अनुसूचित जाति के प्रति अपमानजनक टिप्पणी, अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को शारीरिक एवं मानसिक क्षति पहुंचाने की दृष्टि से धमकी वेतन से रिश्वत मांगे जाने के सम्बन्ध में शिकायत की गई है।

श्री अरुण आदित्य ने प्रकरण पर अपना उत्तर दिनांक 29-1-2011, 19-2-2011 एवं जिला विकास अधिकारी का पत्र 525, दिनांक 10 फरवरी, 2011, 268 दिनांक 20 जनवरी, 2011 सहित अन्य संदर्भ अनुसूचित जाति उत्पीड़न के लिए पुख्ता प्रमाण है। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 02-07-2011 को समय 1.30 बजे अनुसूचित जाति के कर्मचारियों ने खण्ड विकास अधिकारी, मंगरौरा द्वारा किये जा रहे उत्पीड़न के सम्बन्ध में सतीश चन्द्र, बरसाती राम, श्री जगदम्बिका प्रसाद आदि द्वारा यह शिकायत जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को प्रेषित करते हुए अवगत कराया है कि उन्होंने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बदतमीज, हरामखोर, गर्मी झाड़ देने एवं निलम्बित कराने के साथ-साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा गया कि चमार, धोबी, तुम्हारे बहुत गर्मी चढ़ी है, गर्मी झाड़ दूंगी। अभी बताती हूं तथा अवैध धन के मांग की भी शिकायत की गई है। शिकायती-पत्र दिनांक 4-7-2011 को जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला विकास अधिकारी को 20 हस्ताक्षर सहित प्राप्त कराया जा चुका है तथा एक पत्र अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग को भी शिकायतों के साथ भेजा गया है।

अतएव श्री अरुण आदित्य के प्रकरण में अभिलेखों को संलग्न करते हुए कृषि उत्पादन आयुक्त को एक शिकायती-पत्र मेरे द्वारा दिनांक 6-6-2011 एवं 5-7-2011 को खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने एवं एफ0आई0आर0 दर्ज कराये जाने हेतु लिखा गया है। दो माह व्यतीत होने पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। यही स्थिति श्री सतीश चन्द्र आदि के शिकायती-पत्र दिनांक 4-7-2011 के संबंध में भी है। जिला प्रशासन उदाशीनता बरत रहा है।

चूंकि प्रकरण श्री अरुण आदित्य सहित लगभग कार्यरत समस्त अनुसूचित जाति के उत्पीड़न से सम्बन्धित है। ऐसी स्थिति में दोषी खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए उनके विरुद्ध उच्च स्तरीय जांच कराये जाने, जिनका मायका एवं ननिहाल जनपद प्रतापगढ़ में होने के कारण निष्पक्ष जांच सम्पादित हो, को तत्काल अन्यत्र हटाये जाने, गरीब अनुसूचितों को न्याय दिलाये जाने हेतु सदन से वक्तव्य की मांग की गई है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गई सूचना में उल्लिखित पत्र दिनांक 6-6-2011 एवं 5-7-2011 में उल्लिखित शिकायतों की जांच कराकर आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध कराये जाने के निर्देश जिलाधिकारी प्रतापगढ़ को शासन के पत्र दिनांक 18-7-2011 द्वारा दिये गये। मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 05-08-2011 द्वारा यह अवगत कराया है कि सूचना में उल्लिखित कर्मचारियों से शिकायत प्राप्त हुई, जिसकी जांच हेतु 03 अधिकारियों की समिति का गठन कर पत्र दिनांक 30-07-2011 द्वारा प्रकरण की जांच हेतु आदेश दिये गये हैं। प्रकरण अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग को भी प्रेषित एवं लम्बित है। जांच आख्या अभी प्रतीक्षित है। जांच आख्या प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद सिद्धार्थनगर स्थित चेतिया बाजार, तिलौली बाजार एवं सकारपार में विकास खण्ड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय सदस्य विधान सभा .....

*वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग तथा व्यवसायिक शिक्षा मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना गया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[द्वारा दिनांक 05-08-2011 को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में उल्लेख किया गया है कि सिद्धार्थनगर नवसृजित जनपद है, इसकी सीमायें अन्तर्राष्ट्रीय है, जो भारत नैपाल सीमा से मिलती है। यह जनपद अन्तिम छोर पर स्थित है अतः यहां तक विकास की किरणें नहीं पहुंच पाई है। अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के लिये यहां के लोगों को लम्बी दूरी तय करके सरकारी कार्यालयों में जाना पड़ता है। विगत कई वर्षों से वहां की जनता विकास खण्डों के गठन का अनुरोध कर रही है, जिससे कुछ क्षेत्रों का विकास सम्भव हो सके, इसके लिये समय-समय पर लोगों द्वारा जनान्दोलन भी किये जाते रहे हैं। शासन-प्रशासन द्वारा लगातार आश्वासन दिये जाने के बावजूद भी अभी तक चेतिया बाजार, तिलौली बाजार एवं सकारपार को विकास खण्ड नहीं बनाया गया है, जिससे लोगों को जहां अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वहीं उनमें चिन्ता एवं रोष भी व्याप्त है। अतः मा0 सदस्य द्वारा लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग की गई है।

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गई सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्तावित विकास खण्ड चेतिया बाजार में विकास खण्ड बांसी की न्याय पंचायत चेतिया तथा छतवा एवं विकास खण्ड खुनियांव की न्याय पंचायत बारिकपार व गोनरा को भौगोलिक दृष्टिकोण से सम्मिलित किये जाने के उपरान्त उक्त प्रस्तावित विकास खण्ड चेतिया बाजार की जनसंख्या-55463 होगी। प्रस्ताविक विकास खण्ड तिलौली बाजार में विकास खण्ड मिठवल की न्याय पंचायत साड़ीकला, अयार, छितौनी, तुर्सिया, भावपुर तथा खेसरहा विकास खण्ड की न्याय पंचायत मसैचा एवं सेखुई को सम्मिलित किये जाने के उपरान्त प्रस्तावित विकास खण्ड तिलौली बाजार की कुल जनसंख्या-87299 होगी। प्रस्तावित विकास खण्ड सकारपार में विकास खण्ड बांसी की न्याया पंचायत तिवारीपुर, विकास खण्ड जोगिया की न्याय पंचायत पटखौली एवं टडिया बाजार तथा विकास खण्ड उसका बाजार के न्याय पंचायत रेहरा के ग्राम पंचायत अजिगरा एवं तालनटवा, विकास खण्ड खेसरहा की न्याय पंचायत टीकुर एवं कुड़जा को सम्मिलित किये जाने के उपरान्त प्रस्तावित विकास खण्ड सकारपार की कुल जनसंख्या-58435 होगी। प्रस्तावित विकास खण्डों में उक्त न्याय पंचायतों को सम्मिलित किये जाने के उपरान्त विकास खण्ड बांसी की जनसंख्या-85385, विकास खण्ड जोगिया की संख्या-83265, विकास खण्ड मिठवल की जनसंख्या-105907, विकास खण्ड खेसरहा की जनसंख्या-103683 तथा विकास खण्ड उसका बाजार की जनसंख्या-82527 रह जायेगी।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रस्तावित विकास खण्ड चेतिया बाजार, तिलौली बाजार एवं सकारपार की जनसंख्या एक लाख से कम है। चूंकि एक लाख की आबादी पर नये विकास खण्ड का सृजन किया जाता है। अतः एक लाख से कम जनसंख्या होने के कारण उक्त प्रस्तावित तीनों विकास खण्डों का सृजन औचित्यपूर्ण नहीं है।]

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा करायी जाने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की आयु सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय सदस्य विधान सभा .....

*वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग तथा व्यवसायिक शिक्षा मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[श्री अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा दिनांक 5-8-2011 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा दिनांक 9-8-2011 को वक्तव्य प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। मा0 विधान सभा सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में निम्न बिन्दु उठाये गये हैं:--

(1) उत्तर प्रदेश राज्य की प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष किया जाना।

(2) पी0सी0एस0(जे), अभियोजन अधिकारी तथा सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा के पदों का विज्ञापन।

(3) सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2010 का परीक्षा परिणाम संशोधित किया जाना।

(4) खाद्य निरीक्षक परीक्षा, 2010 को निरस्त किया जाना।

2-उपर्युक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है:--

(1) अधिसूचना दिनांक 21-1-2000 के द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की सेवाओं में भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गयी है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष तथा विकलांगजनों हेतु अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य है। सम्यक् विचारोपरान्त अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष को बढ़ाकर 40 वर्ष किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है। इस सम्बन्ध में यह भी सूच्य है कि अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष किये जाने सम्बन्धी मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(2) पी0सी0एस0(जे) परीक्षा, 2006 की संस्तुतियों शासन को नहीं प्रेषित की जी चुकी हैं। उक्त परीक्षा के उपरान्त कोई अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुआ है। सहायक अभियोजन अधिकारी के 102 पदों का विज्ञापन आयोग द्वारा दिनांक 6-8-2011 को प्रकाशित करा दिया गया है। सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा का विज्ञापन माह मई, 2009 में प्रकाशित हो चुका है तथा इसकी प्रारम्भिक परीक्षा दिनांक 8-1-2012 को निर्धारित है।

(3) सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2010 का परिणाम दिनांक 1-6-2011 को घोषित किया गया था। आयोग के निर्णय के अनुसार परीक्षा परिणाम घोषित करने के पूर्व प्रत्येक प्रश्न पत्र के चारों सीरीजों की उत्तरकुंजी को आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कराकर, अभ्यर्थियों से आपत्तियां आमंत्रित की जाती हैं। समाज शास्त्र एवं रसायन विज्ञान विषय में अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों पर विशेषज्ञ समिति द्वारा संशोधित करने की संस्तुति नहीं की गयी। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-34448/2011 संजय कुमार मिश्र प्रति उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य एवं अन्य रिट याचिकाओं में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किये जाने से पूर्व आयोग द्वारा नवीन विशेषज्ञ समिति गठित कर आपत्तियों का पुनर्परीक्षण कराया गया। नवीन विशेषज्ञ समिति ने रसायन विज्ञान विषय में कोई अन्तर नहीं पाया किन्तु समाज शास्त्र विषय के 13 प्रश्नों के उत्तर परिवर्तित करने की संस्तुति की गयी। उक्त संस्तुति के फलस्वरूप आयोग को परीक्षा परिणाम संशोधित करना पड़ा, जिससे पूर्व में सफल घोषित 107 अभ्यर्थी असफल घोषित हुए तथा 122 नवीन अभ्यर्थी सफल घोषित किये गये। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-34448/2011 में दिनांक 21-7-2011 को पारित अन्तरिम निर्णय में असफल घोषित किये गये समस्त अभ्यर्थियों को औपबन्धिक रूप से मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के आदेश दिये गये हैं। प्रश्नगत मुख्य परीक्षा दिनांक 1-8-2011 से सकुशल सम्पादित करायी जा रही है। त्रुटि करने वाले विशेषज्ञों को आयोग के कार्यों से सदैव के लिए प्रतिवारित कर दिया गया है।

(4) खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा खाद्य निरीक्षक के 430 पदों का अधियाचन लोक सेवा आयोग को प्रेषित किया गया था। उक्त परीक्षा दिनांक 24-7-2011 को निर्धारित की गयी थी। इसी मध्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के पत्र दिनांक 12-7-2011 द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि भारत सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा तद्संबंधी नियम-2011, जो दिनांक 5-5-2011 को अधिसूचित किये गये हैं, दिनांक 5-8-2011 से प्रभावी हो जायेंगे। उक्त अधिनियम तथा नियम में खाद्य निरीक्षक का पद नाम खाद्य सुरक्षा अधिकारी करते हुए, उसकी शैक्षिक अर्हताओं में भी परिवर्तन कर दिया गया है, अतः प्रश्नगत परीक्षा का आयोजन रोकते हुए, पूर्व प्रेषित अधियाचन शासन को वापस कर दिया जाय। शासन के उक्त पत्र के संदर्भ में आयोग की अधिसूचना दिनांक 18-7-2011 के द्वारा प्रश्नगत परीक्षा का आयोजन स्थगित कर दिया गया। इस सम्बन्ध में यह भी सूच्य है कि उत्तर प्रदेश सरकार के

भारत सरकार को प्रेषित किये गये पत्र दिनांक 16-7-2011 के उत्तर में भारत सरकार के पत्र दिनांक 18-7-2011 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि चूंकि प्रश्नगत अधिनियम दिनांक 5-8-2011 से प्रभावी हो गया है तथा खाद्य निरीक्षक का पदनाम खाद्य सुरक्षा अधिकारी कर दिया गया है, अतः दिनांक 5-8-2011 के उपरान्त खाद्य निरीक्षक के पद पर कोई भर्ती/नियुक्ति संभव नहीं होगी।

3-उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश राज्य की लोक सेवाओं/पदों में भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष किये जाने का औचित्य नहीं है तथा आयोग द्वारा समस्त कार्यवाही सदाशयता से की गयी है।

प्रदेश के परिषदीय अध्यापकों की वेतन विसंगति को दूर कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम बिशुन आजाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, यह स्थगित है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, यह स्थगित है।

पूर्वी जिलों में रेशम उत्पादन के सम्बन्ध में चलायी जा रही योजनाओं में वित्तीय अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर रेशम उद्योग मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

मान्यवर, यह स्थगित है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, यह स्थगित है।

बदायूं स्थित कबूलपुरा छोटी जयारत-कुरूऊ मार्ग पर सोत नदी रपटा पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश चन्द्र गुप्ता द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय सदस्य विधान सभा.....

*वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग तथा व्यवसायिक शिक्षा मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[श्री महेश चन्द्र गुप्ता द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 5-8-11 को मा0 अध्यक्ष जी विधान सभा को दी गई सूचना में यह अवगत कराया गया है कि उनके विधान सभा क्षेत्र जनपद बदायूं के विश्व प्रसिद्ध छोटी जयारत कबूलपुरा-कुरूऊ मार्ग पर सोत नदी के दोनों ओर बस चुका है, परन्तु इस नदी पर अभी तक रपटे का निर्माण नहीं हुआ है, जिससे 40 गांव के लोगों के आवागमन में अत्यन्त कठिनाई होती है तथा यह गांव विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए है। 10 कि0मी0 की दूरी तय करने के पश्चात् ही जनपद मुख्यालय तक पहुंच पाते हैं। रपटा का निर्माण होने से ग्रामवासियों को मुख्यालय तक आने के लिये 03 कि0मी0 की दूरी तय करनी होती है। यदि रपटे का निर्माण हो जाता है तो देशभर से आने-जाने वाले जायरीनों को काफी सुविधा होगी तथा गांव का विकास भी सम्भव हो सकेगा।

मा0 सदस्य महोदय द्वारा की गई उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति यह है कि जनपद बदायूं स्थित कबूलपुरा-कुरुऊ मार्ग पर सोत नदी से बदायूं की ओर लेपन स्तर तक मार्ग निर्मित है तथा सोत नदी पर रपटा एवं रपटे से बदायूं बिजनौर मार्ग तक निर्माण की स्वीकृति किसी योजना में न होने के कारण रपटे व मार्ग का निर्माण नहीं हुआ है। कबूलपुरा-कुरुऊ मार्ग पर सोत नदी पर रपटा एवं पहुंच मार्ग के निर्माण का आगणन जनपद बदायूं की वित्तीय वर्ष 2009-10 की जिला योजना में 4225 एस0सी0सी0 के अन्तर्गत प्रेषित किया गया था परन्तु सीमित संसाधनों के कारण एस0सी0पी0 योजना मूल में वापस कर दी गई थी। उक्त कार्य हेतु रु0 148.50 लाख की आवश्यकता होगी। इसका आगणन मुख्य अभियन्ता बरेली के पत्र दिनांक 05-08-2011 द्वारा प्रमुख अभियन्ता कार्यालय को उपलब्ध करा दिया गया है। उक्त आगणन का परीक्षण प्रमुख अभियन्ता कार्यालय द्वारा किया जा रहा है।]

प्रतापगढ़ के थाना मान्धाता अन्तर्गत शनिदेव धाम कुशफरा में पुलिस चौकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उदयभान करवरिया द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

श्री उदयभान करवरिया, मा0 सदस्य विधान सभा.....

*वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग तथा व्यवसायिक शिक्षा मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गई है कि जनपद प्रतापगढ़ के थाना मान्धाता क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम कुशफरा में रिपोर्ट पुलिस चौकी की स्थापना का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा शासन को पत्र दिनांक 2-12-2010 द्वारा भेजा गया है, लेकिन शासन द्वारा लगभग एक वर्ष बीत जाने के बावजूद भी पुलिस चौकी स्थापित किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं। ग्राम कुशफरा में शनिदेव धाम स्थित है, जो ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्थान है, जहां पर क्षेत्रीय व्यक्तियों का दर्शन के लिये आना-जाना लगा रहता है।

2-मा0 सदस्य द्वारा दी गई सूचना के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि ग्राम कुशफरा में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी की स्थापना का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से उनके पत्र दिनांक 2-12-2010 द्वारा शासन में प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव का परीक्षण करते हुए प्रस्तावित रिपोर्टिंग पुलिस चौकी का क्षेत्रफल, उसमें विगत 03 वर्षों (2008, 2009 एवं 2010) में होने वाले अपराधों का विवरण तथा थाना मान्धाता के क्षेत्रान्तर्गत विगत 03 वर्षों (2008, 2009 एवं 2010) में घटित अपराधों के विवरण उपलब्ध कराने की अपेक्षा उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से शासन के पत्र दिनांक 28-6-2011 द्वारा की गई है। एतद्सम्बन्धी सूचना हेतु पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को पत्र दिनांक 5 अगस्त, 2011 द्वारा निर्देशित किया गया है।

3-पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ एवं अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से वर्ष 2010 में घटित अपराधों का विवरण अभी तक शासन में प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण ग्राम कुशफरा में रिपोर्टिंग पुलिस चौकी की स्थापना के सम्बन्ध में निर्णय लेना नहीं हो पा रहा है।]

मथुरा शहर से अलीगढ़ जाने वाले मार्ग पर जमुना नदी पर पड़ने वाले क्षतिग्रस्त पुल का सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय सदस्य विधान सभा.....

*वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग तथा व्यवसायिक शिक्षा मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना गया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[श्री प्रदीप माथुर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 05-08-2011 को दी गई सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि मथुरा शहर से अलीगढ़ जाने वाले मार्ग पर लाखों यात्री व वाहन मथुरा प्रस्थान से प्रथम पड़ने वाले पुल से गुजरते हैं, जो लगभग 40 वर्ष पुराना है। उक्त पुल काफी क्षतिग्रस्त है। इसके खम्भों में दरारे आ गई है, जिससे यह पुल काफी असुरक्षित हो गया है। पुल से कभी भी इतना बड़ा हादसा घटित हो सकता है, जो अपूर्णीय क्षति पहुंचा सकता है। अतः क्षतिग्रस्त पुल के सुदृढ़ीकरण कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त सूचना पर मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, आगरा क्षेत्र से आख्या प्राप्त की गई है। तद्नुसार उक्त सेतु जनपद मथुरा में पीलीभीत-बरेली-मथुरा-भरतपुर राजमार्ग सं0-33 के कि0मी0 260 में स्थित है। सेतु का निर्माण कार्य वर्ष 1962 में हुआ था। सेतु का प्रकार 'बैलेन्सड केन्टीलीवर बाक्स' टाइप है। सीमेंट कंक्रीट में तथा एवटमेंट में बीम के नीचे क्रैक है। सेतु के फुटपाथ ब्रेकेटस की कंक्रीट कहीं-कहीं से क्षतिग्रस्त होने के कारण फुटपाथ क्षतिग्रस्त होते हैं, जिसकी मरम्मत समय-समय पर कराई जाती है। मथुरा के यमुना नदी पर एक ओर सेतु है, जो दिल्ली कलकत्ता मार्ग से गोकुल पहुंच मार्ग पर मिलता है। इस सेतु से अधिकतर भारी वाहन अलीगढ़ एवं हाथरस जनपदों के आवागमन हेतु गुजरते है। प्रथम दृष्ट्या उक्त सेतु की दशा संतोषजनक है। वर्तमान में उक्त सेतु पर यातायात सुगमता से चल रहा है।]

वाराणसी नगर निगम द्वारा नया कर लगाये जाने से पूर्व सदन की स्वीकृति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा) द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

उत्तर प्रदेश नगर निगम .....

*वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग तथा व्यवसायिक शिक्षा मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[अधिनियम, 1959 की धारा-114 नगर निगम के अनिवार्य कर्तव्यों के सम्बन्ध में है। धारा-114 की उपधारा 3, 4, 6 तथा आगे की कतिपय अन्य उपधाराओं एवं धारा 385 के अन्तर्गत

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्य नगर अधिकारी द्वारा सड़क सफाई, कूड़ा-करकट आदि हटाये जाने के सम्बन्ध में की जाने वाली व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इस हेतु नगर निगम, वाराणसी द्वारा पूर्व से ही सफाई हेतु 3100 सफाई कर्मी तैनात किये गये हैं, जिनके माध्यम से उपरोक्त दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एम0एस0डब्लू0 रूल्स, 2000 लागू होने के पश्चात् नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन, जिसके अन्तर्गत घर-घर से कूड़ा उठाना, उसका परिवहन तथा वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारण सम्मिलित है, नगर निगम की विधिक बाध्यता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार द्वारा संचालित जे0एन0एन0यू0आर0एम0 के यू0आई0जी0 कार्यांश के अन्तर्गत वाराणसी सालिड वेस्ट मैनेजमेंट की योजना नगर निगम की स्वीकृति के पश्चात् भारत सरकार को संदर्भित की गई थी। भारत सरकार द्वारा स्वीकृति के पश्चात् पी0पी0पी0 मॉडल के आधार पर मे0 ए0टू0जेड0 के साथ अनुबन्ध करके योजना क्रियान्वित की जा रही है। परियोजना अन्तर्गत लगभग रु0 62.00 करोड़ व्यय होना है, जिसमें से रु0 48.60 करोड़ की धनराशि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत और शेष धनराशि निजी कम्पनी द्वारा लगाया जाना है।

2-उ0प्र0 नगर निगम, अधिनियम, 1959 की धारा-573-क के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु प्रयोक्ता प्रभार (यूजर चार्जेज) लिये जाने की व्यवस्था है। जो सेवा नगर निगम की अनिवार्य सेवा के अन्तर्गत नहीं आता है उनका यूजर चार्ज लिया जा सकता है। ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन इसी श्रेणी में आता है। प्रयोक्ता प्रभार लगाये जाने हेतु उपविधि बनाने का प्रस्ताव नगर निगम सदन में विचाराधीन है, तब तक इस सेवा को ऐच्छिक रूप में वाराणसी नगर निगम में लागू किया गया है। यह प्रभार प्रयोक्ता की सहमति के आधार पर लिया जा रहा है।

3-नगर निगम की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, लगभग रु0 83.00 करोड़ की पुरानी देनदारियां है। वेतन भत्ते इत्यादि पर ही लगभग रु0 72.00 करोड़ का खर्च प्रति वर्ष आ रहा है जो निगम के संसाधनों के सापेक्ष अपर्याप्त है। एम0एस0डब्लू0 रूल्स, 2000 के अनुसार ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन पर भी लगभग रु0 11.00 करोड़ अधिक व्यय आयेगा। संसाधनों में कटौती किये जाने से अनिवार्य जन सुविधाओं को भी उपलब्ध कराने में कठिनाई होगी। इस प्रकार सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की विशिष्ट सेवा, जो एम0एस0डब्लू0 रूल्स के अनुसार बाध्यकारी है, पर यदि प्रयोक्ता प्रभार नहीं लगाया जायेगा तो कूड़े का उठान समय से नहीं होगा और यदि समय से कूड़ा नहीं मिलेगा तो स्थापित प्लान्ट संचालित नहीं हो पायेगा। प्रयोक्ता प्रभार का तात्पर्य नगर निगमों द्वारा अधिनियम के अनुसरण में दी गई विनिर्शिष्ट सेवा (स्पेसिफिक सर्विस) या सृजित अवसंरचना या प्रदान की गई सुविधाओं के लिये उद्गृहीत प्रभार से है। इस प्रकार यूजर चार्जेज के सम्बन्ध में प्रयोक्ता के साथ कोई भी दण्डात्मक कार्यवाही नहीं की जा रही है।]

जनपद मिर्जापुर के चुनार विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत पूर्वांचल विकास निधि एवं विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि से स्वीकृत 12 गांवों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर उर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य, वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष, संस्थागत वित्त एवं स्टाम्प, न्यायालय शुल्क तथा पंजीयन मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

माननीय सदस्य द्वारा जनपद .....

*वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग तथा व्यवसायिक शिक्षा मंत्री (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र चुनार के 12 ग्रामों में विद्युत वितरण प्रणाली विस्तार यथा परिवर्तक स्थापित करने, बिजली के खम्भे एवं तार लगाये जाने हेतु वर्ष 2010-11 में पूर्वांचल विकास निधि (जिलांश) एवं विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत रु0 2804202/- की योजनाओं के दिये गये प्रस्तावों के सापेक्ष कार्य प्रगति पर है तथा सम्पूर्ण कार्य माह दिसम्बर, 2011 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

2-इसके अतिरिक्त मा0 सदस्य द्वारा वर्ष 2011-2012 में उपरोक्त निधियों के अन्तर्गत प्रस्तावित 116 ग्रामों के विद्युत वितरण प्रणाली विस्तार सम्बन्धी कार्यों हेतु आगणन बनाने का कार्य प्रगति पर है, जिसे दिनांक 31-08-2011 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः बैठेंगे।

इसके बाद सदन का उपवेशन 8 बजकर 15 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :

दिनांक 09 अगस्त, 2011

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी 'क'

(देखिये अता0प्र0सं0-1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 33-34 पर)

परिशिष्ट-1

माध्यमिक शिक्षा विभाग में अपर संयुक्त एवं उप निदेशकों के सृजित पदों पर तैनात अधिकारियों के विवरण

क्र0सं0	पद का नाम	तैनात अधिकारी
1	2	3
1	अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) मुख्यालय	श्री अमर नाथ वर्मा (प्रभारी)
2	अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार) पत्राचार कार्यालय, इलाहाबाद।	श्री अमर नाथ वर्मा (प्रभारी)
3	अपर शिक्षा निदेशक (व्यवसायिक शिक्षा) शिविर कार्यालय, लखनऊ।	श्रीमती रूबी सिंह (प्रभारी)
4	अपर शिक्षा निदेशक (महिला) मुख्यालय	श्री वासुदेव यादव

संयुक्त शिक्षा निदेशक

क्र0सं0	पद का नाम	तैनात अधिकारी
1	2	3
1	संयुक्त शिक्षा निदेशक (अर्थ) मुख्यालय	श्रीमती नीना श्रीवास्तव
2	संयुक्त शिक्षा निदेशक (शिविर) शिविर कार्यालय लखनऊ।	श्रीमती रूबी सिंह
3	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ	श्रीमती मंजू सिंह (प्रभारी)
4	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, सहारनपुर	श्रीमती कमला सिंह चौहान
5	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा	श्री संजय यादव (प्रभारी)
6	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद	श्री महेन्द्र देव (प्रभारी)
7	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, बरेली	श्री रमेश
8	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ	श्री के0के0 गुप्ता (प्रभारी)
9	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, फैजाबाद	श्री सुरेन्द्र कुमार तिवारी (प्रभारी)
10	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, गोरखपुर	श्री प्रताप सिंह बघेल (प्रभारी)
11	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, बस्ती	श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय (प्रभारी)
12	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़	श्री अखिलेश कुमार पाण्डेय (प्रभारी)
13	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी	श्री ओम प्रकाश द्विवेदी (प्रभारी)

क्र0सं0	पद का नाम	तैनात अधिकारी
1	2	3
14	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मिर्जापुर	श्री उपेन्द्र कुमार
15	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद	श्री अमर नाथ वर्मा
16	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, कानपुर	श्रीमती माया निरंजन (प्रभारी)
17	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, झांसी	श्री मनोज कुमार द्विवेदी (प्रभारी)

परिशिष्ट-2

उप शिक्षा निदेशक

क्र0सं0	पद का नाम	तैनात अधिकारी
1	2	3
1	उप शिक्षा निदेशक (सेवा-1) मुख्यालय	कुमारी गायत्री
2	उप शिक्षा निदेशक (शिविर) शिविर कार्यालय, लखनऊ	श्री प्रेम चन्द्र यादव (प्रभारी)
3	उप शिक्षा निदेशक (मा0-1) मुख्यालय	श्रीमती शैल यादव
4	उप शिक्षा निदेशक (मा0-2) मुख्यालय	श्री मनोज कुमार द्विवेदी
5	उप शिक्षा निदेशक (मा0-3) मुख्यालय	श्रीमती पुष्पा कुमारी
6	उप शिक्षा निदेशक (महिला) मुख्यालय	श्रीमती शकुन्तला यादव
7	उप शिक्षा निदेशक (व्यवसायिक शिक्षा) शिविर कार्यालय, लखनऊ	श्रीमती अनारपति वर्मा
8	उप शिक्षा निदेशक (संस्कृत) मुख्यालय	डा0 मुकेश चन्द्र अग्रवाल
9	मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (मा0), मेरठ	श्रीमती मंजू शर्मा
10	मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (मा0), सहारनपुर	श्रीमती शील वर्मा
11	मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (मा0), आगरा	श्री संजय यादव
12	मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (मा0), मुरादाबाद	श्री महेन्द्र देव
13	मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (मा0), बरेली	रिक्त
14	मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (मा0), लखनऊ	श्री गणेश कुमार
15	मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (मा0), फैजाबाद	श्री सुरेन्द्र कुमार तिवारी
16	मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (मा0), गोरखपुर	श्री प्रताप सिंह बघेल (प्रभारी)
17	मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (मा0), बस्ती	श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय
18	मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (मा0), आजमगढ़	रिक्त
19	मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (मा0), वाराणसी	श्री ओंकार शुक्ल
20	मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (मा0), मिर्जापुर	श्री उपेन्द्र कुमार (प्रभारी)
21	मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (मा0), इलाहाबाद	श्री राजेन्द्र प्रताप
22	मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (मा0), कानपुर	श्रीमती माया निरंजन (प्रभारी)
23	मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक (मा0), झांसी	श्री आर0पी0 शर्मा

परिशिष्ट-3

माध्यमिक शिक्षा विभाग में अपर, संयुक्त एवं उप निदेशकों के सृजित जिन पदों पर उससे निम्न स्तर के अधिकारी तैनात हैं, उनका विवरण निम्नवत् है :-

क्र0सं0	पद का नाम
1	अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) मुख्यालय
2	अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार) पत्राचार कार्यालय, इलाहाबाद
3	अपर शिक्षा निदेशक (व्यवसायिक शिक्षा) शिविर कार्यालय, लखनऊ
4	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ
5	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा
6	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद
7	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, लखनऊ
8	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, फैजाबाद
9	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, गोरखपुर
10	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, बस्ती
11	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़
12	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, वाराणसी
13	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, कानपुर
14	मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, झांसी
15	उप शिक्षा निदेशक (शिविर) शिविर कार्यालय, लखनऊ

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0प्र0सं0-9 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38-41 पर)

वर्ष 2007-08 से 2010-11 तक निर्मित समस्त निर्माण कार्यों की सूची विकास खण्डवार/वर्षवार, जनपद-मुजफ्फरनगर

विकास क्षेत्र	निर्माण वर्ष	तहसील	निर्मित नवीन प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	निर्मित नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	प्रा0वि0 में निर्मित अतिरिक्त कक्षा कक्षों की संख्या	उ0प्रा0वि0 में निर्मित अतिरिक्त कक्षा कक्षों की संख्या
जानसठ	2007-08	जानसठ	0	4	40	0
पूरकाजी	2007-08	सदर	0	4	16	0
मोरना	2007-08	जानसठ	0	3	22	0
चरथावल	2007-08	सदर	1	4	35	0
थानाभवन	2007-08	शामली	1	2	33	1
कैराना	2007-08	कैराना	1	0	18	0
खतौली	2007-08	खतौली	0	4	27	0
शाहपुर	2007-08	बूढ़ाना	0	1	11	2
सदर	2007-08	सदर	0	0	20	3
शामली	2007-08	शामली	0	0	22	0
ऊन	2007-08	कैराना	3	7	28	2
बुढ़ाना	2007-08	बुढ़ाना	0	2	20	0
कांधला	2007-08	कैराना	0	1	18	0
बघरा	2007-08	सदर	0	5	36	4
न0क्षे0 मु0 नगर	2007-08	सदर	0	0	0	0
न0क्षे0 कैराना	2007-08	कैराना	0	0	0	0
न0क्षे0 शामली	2007-08	शामली	0	0	0	0
योग :			6	37	346	12
जानसठ	2008-09	जानसठ	2	6	28	0
पूरकाजी	2008-09	सदर	0	2	16	1
मोरना	2008-09	जानसठ	0	0	11	1
चरथावल	2008-09	सदर	0	1	14	4
थानाभवन	2008-09	शामली	0	2	24	1

विकास क्षेत्र	निर्माण वर्ष	तहसील	निर्मित नवीन प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	निर्मित नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	प्रा0वि0 में निर्मित अतिरिक्त कक्षा कक्षों की संख्या	उ0प्रा0वि0 में निर्मित अतिरिक्त कक्षा कक्षों की संख्या
कैराना	2008-09	कैराना	0	0	18	0
खतौली	2008-09	खतौली	0	5	30	1
शाहपुर	2008-09	बुढ़ाना	0	0	5	2
सदर	2008-09	सदर	0	1	11	3
शामली	2008-09	शामली	0	0	9	1
ऊन	2008-09	कैराना	1	2	30	0
बुढाना	2008-09	बुढाना	0	0	38	1
कांधला	2008-09	कैराना	0	3	7	1
बघरा	2008-09	सदर	0	1	30	2
न0क्षे0 मु0 नगर	2008-09	सदर	0	0	0	0
न0क्षे0 कैराना	2008-09	कैराना	0	0	0	0
न0क्षे0 शामली	2008-09	शामली	0	0	0	0
योग :			3	23	271	18
जानसठ	2009-10	जानसठ	0	0	2	1
पूरकाजी	2009-10	सदर	0	0	2	2
मोरना	2009-10	जानसठ	0	0	3	0
चरथावल	2009-10	सदर	0	0	2	2
थानाभवन	2009-10	शामली	0	0	2	1
कैराना	2009-10	कैराना	0	0	1	0
खतौली	2009-10	खतौली	0	0	1	2
शाहपुर	2009-10	बुढ़ाना	0	0	2	0
सदर	2009-10	सदर	0	0	2	1
शामली	2009-10	शामली	0	0	2	1
ऊन	2009-10	कैराना	0	0	2	2
बुढ़ाना	2009-10	बुढ़ाना	0	0	2	0
कांधला	2009-10	कैराना	0	0	2	0
बघरा	2009-10	सदर	0	0	0	2

विकास क्षेत्र	निर्माण वर्ष	तहसील	निर्मित नवीन प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	निर्मित नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	प्रा0वि0 में निर्मित अतिरिक्त कक्षा कक्षों की संख्या	उ0प्रा0वि0 में निर्मित अतिरिक्त कक्षा कक्षों की संख्या
न0क्षे0 मु0 नगर	2009-10	सदर	0	0	0	0
न0क्षे0 कैराना	2009-10	कैराना	0	0	0	0
न0क्षे0 शामली	2009-10	शामली	0	0	0	0
योग			0	0	25	14
जानसठ	2010-11	जानसठ	0	0	41	0
पूरकाजी	2010-11	सदर	0	0	14	0
मोरना	2010-11	जानसठ	0	0	4	0
चरथावल	2010-11	सदर	0	0	8	0
थानाभवन	2010-11	शामली	0	0	7	0
कैराना	2010-11	कैराना	0	0	20	0
खतौली	2010-11	खतौली	0	0	22	0
शाहपुर	2010-11	बुढ़ाना	0	0	11	0
सदर	2010-11	सदर	0	0	43	0
शामली	2010-11	शामली	0	0	8	0
ऊन	2010-11	कैराना	0	0	60	0
बुढ़ाना	2010-11	बुढ़ाना	0	0	21	0
कांधला	2010-11	कैराना	0	0	11	0
बघरा	2010-11	सदर	0	0	6	0
न0क्षे0 मु0 नगर	2010-11	सदर	0	0	6	0
न0क्षे0 कैराना	2010-11	कैराना	0	0	2	0
न0क्षे0 शामली	2010-11	शामली	0	0	1	0
योग :			0	0	285	0
महायोग :			9	60	927	44

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0प्र0सं0-22 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46-47 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2011 के पहले मंगलवार हेतु निर्धारित डा0 आर0 ए0 उस्मानी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या-22 के उत्तर का संलग्नक

विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	स्थापित संयंत्रों की संख्या
1-पलिया	पटिहन	2
	बड़ापत तारा	1
	पलिया देहात	1
	सरधना पूरब	1
	बड़ागांव	1
	बड़ागांव आदाबनगर	1
	पलिया	6
	अतरिया	1
	पुलिस चौकी बन्सीनगर (दुधवा)	1
	निशादनगर	1
	दुदुआ	1
	विकोलिया	1
	परसहिवा	1
	पतवारा	1
	बसंतापुर कलां	1
	भगवंत नगर	1
	त्रिलोकपुर	2
	महंगई	3
	खलेपुरवा	1
	किश्नानगर	1
	कमलापुर	1
	गोबिन्द नगर	1
	रानी नगर कालोनी	1

विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	स्थापित संयंत्रों की संख्या
	परसिया	3
	सोनहा	1
	सुमेरनगर	2
	बलहरा	2
	पुरैना	2
	बेलडाडी	1
	पचपेड़ा	2
	मौरा	1
	मुड़नोचनी	1
	पोगा	2
	बरबटा	2
	रामनगर चन्दर चौकी	2
	सुरमा	1
	सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, पलिया	4
	आवास विद्यालय सोनहा	4
2-ईसानगर	मूडी	1
	रामपुर	8
	लालजीपुरवा	1
	गाजीपुरवा	1
	रुसानीपुरवा	1
	काजीपुर	3
	बेलागढ़ी	1
	वीरसिंहपुर	2
	परसिया	1
	बेल्हुआ	6
	चौरी	1
	खमरिया	1
	अखतियारपुर	1

विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	स्थापित संयंत्रों की संख्या
3-बांकेगंज	टिहुलिया	2
	रामपुर	3
	मोतिपुर	1
	ढल्लापुर	2
4-बिजुआ	विकास खण्ड कार्यालय	1
	बिजुआ	2
	भवानीपुर	1
	लमहाभूड	1
	जानकीदेवी स्कूल बिजुआ	1
5-धौरहरा	धौरहरा	1
	लहबड़ी	1
6-मितौली	विछिया	2
7-लखीमपुर	किसान इण्टर कालेज फरधान	2
	मलिनवा बुजुर्ग	15
	खीरी टाउन	6
	मो0 ईदगाह लखीमपुर	2
	बरखेरवा	1
	करनपुर	3

नत्थी 'घ'

(देखिये अता0प्र0सं0-32 का उत्तर पीछे पृष्ठ 50 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2011 के पहले मंगलवार हेतु निर्धारित श्री कुबेर सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या-32 के उत्तर का संलग्नक

सोलर घरेलू लाइट-2 की सूची

क्रमांक	नाम सर्वश्री	पिता का नाम सर्वश्री	ग्राम	विकास खण्ड
1	किशन	हरस्वरूप	न0 कमले	जैथरा
2	रवीदेव	अनेक सिंह	न0 कमले	जैथरा
3	चोब सिंह	कप्तान सिंह	गनेशपुर	शीतलपुर
4	सत्यदेव	सोवरन सिंह	न0 पोपी	शीतलपुर
5	विनोद कुमार	श्रीराम	रूपधनी	जैथरा
6	लक्ष्मन सिंह	गंगा सिंह	बरौलिया	अलीगंज
7	हरवेन्द्र कुमार	राजवीर सिंह	न0 कन्ही	मारहरा
8	छत्तर पाल	गेंदालाल	बेगमपुर	जैथरा
9	अमित प्रताप	वेदपाल सिंह	सुल्तानपुर	अवागढ़
10	जय प्रकाश	बेनीराम	वाहनपुर	शीतलपुर
11	देवसिंह	मूलचन्द्र	वाहनपुर	शीतलपुर
12	मानपाल सिंह	सालिकराम	वाहनपुर	शीतलपुर
13	हरपाल	शंकरलाल	पहरा	अलीगंज
14	ओमवीर	धनपाल	दरिनपुर	शीतलपुर
15	विकास	हरीसिंह	खरगपुर	मारहरा
16	योगेन्द्र सिंह	रनसिंह	गोखलपुरा	जैथरा
17	नारायन लाल	धर्मपाल	वाहनपुर	शीतलपुर
18	ग्रीश चन्द्र	टीकमचन्द्र	अजानपुर	नि0 कलां
19	छोटे लाल	रामस्वरूप	न0 जवाहरी	मारहरा
20	अर्जुन सिंह	प्रहलाद सिंह	खवा	जैथरा

क्रमांक	नाम सर्वश्री	पिता का नाम सर्वश्री	ग्राम	विकास खण्ड
21	विनोद कुमार	मुंशीलाल	बरौलिया	जैथरा
22	मेघ सिंह	बच्चन लाल	न0 पुन्नी	सकीट
23	हीरा गिरि	नेमगिरि	अथेवा	शीतलपुर
24	यादराम	शौदान सिंह	मोहकमपुर	नि0 कलां
25	अरविन्द	शौदान	मोहकमपुर	नि0 कलां
26	धर्मवीर	मटरू सिंह	मोहकमपुर	नि0 कलां
27	अवनेश	पन्ना लाल	वादामपुर	नि0 कलां
28	अमर सिंह	नेकराम सिंह	बरौलियां	अलीगंज
29	इन्द्रजीत	नरेन्द्र सिंह	माहवत्तपुर	नि0 कलां
30	मनोज कुमार	करनपाल सिंह	तवापुर	अवागढ़
31	लक्ष्मण सिंह	लाखन सिंह	मागपुर	शीतलपुर
32	भूप सिंह	सुबेदार सिंह	लहपौरा	जैथरा
33	शान्तीकुंज		अवागढ़	अवागढ़
34	शान्तीकुंज		अवागढ़	अवागढ़
35	वैभव कुमार	बृज किशोर	मेहनी	मारहरा
36	धर्मराज सिंह	राम सिंह	न0 वूला	नि0 कलां
37	रूप किशोर	सोवरन सिंह	गनकपुर	शीतलपुर
38	राम प्रकाश	सियाराम	न0 दली	नि0 कलां
39	गजेन्द्र पाल सिंह	सूरजपाल सिंह	रुद्रपुर	अवागढ़
40	सन्तोष कुमार	राज बहादुर	विजौरी	जैथरा
41	सुरेन्द्र सिंह	अंगद सिंह	खेरिया	सकीट
42	श्यामपाल सिंह	चेतराम	न0 मढ़िया	शीतलपुर
43	कुलदीप	देवेन्द्रपाल सिंह	विन्दावन	नि0 कलां
44	निरोतम सिंह	नाथूराम	कलवरिया	जैथरा

(सोलर स्ट्रीट लाइट की सूची)

क्रमांक	लाभार्थी ग्राम सभा का नाम	विकास खण्ड	स्थापित संयंत्रों की संख्या
1	ग्राम पंचायत मानिकपुर	सकीट	03
2	ग्राम पंचायत मुवारिकपुर सराय	सकीट	02
3	ग्राम पंचायत मजराजाता जैथरा	जैथरा	01
4	ग्राम पंचायत तौसईया मलूक	जैथरा	01
5	ग्राम पंचायत बारथर	शीतलपुर	01
6	ग्राम पंचायत गही	अलीगंज	01
7	ग्राम पंचायत अमरौली रतनपुर	अलीगंज	01
8	ग्राम पंचायत हिम्मतपुर काकामई	नि0 कलां	01
		योग :	**11**

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता0प्र0सं0-41 का उत्तर पीछे पृष्ठ 53-54 पर)

वर्ष 2010-11 में विकास खण्ड जलेसर एवं अवागढ़ में मध्यम गहरे बोरिंग योजना के अन्तर्गत जिला योजना में 32 बोरिंग पूर्ण किये गये जिनकी कृषकवार सूची निम्नानुसार है। इनमें से 16 कृषकों द्वारा बोरिंग पर सव-मर्सिबल पम्पसेट आदि स्थापित किये गये, जिन पर अनुदान दिया गया। जिनका कृषकवार विवरण निम्नानुसार है। शेष कृषकों द्वारा पम्पसेट आदि स्थापित करने के पश्चात् अनुदान का भुगतान किया गया

पूर्ण मध्यम गहरे बोरिंग की सूची

क्र0सं0	कृषक का नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम	विकास खण्ड	विभाग द्वारा व्यय की गई धनराशि
1	श्री मिहीलाल	श्री मेघ सिंह	बहोरनपुर	अवागढ़	58858.00
2	श्री धनवन्त सिंह	श्री कढ़ेरमल	पवरा	जलेसर	58152.00
3	श्री राम कुमार	श्री नरायनदास	इसौली	अवागढ़	56731.00
4	श्री त्रिलोकपाल सिंह	श्री छत्रपाल सिंह	सलेमपुर	अवागढ़	58858.00
5	श्री बहोरन सिंह	श्री रामचन्द्र	भूड़गढ़ढा	जलेसर	59652.00
6	श्री मुलायम सिंह	श्री गुलाब सिंह	पसियापुर बेगमपुर	जलेसर	59106.00
7	श्री चोब सिंह	श्री शोभाराम	मई (काजीपुर)	जलेसर	58266.00
8	श्री राजवीर सिंह	श्री दुर्जन सिंह	बारासमसपुर	जलेसर	58152.00
9	श्री गंगादेवी	श्री चन्द्रपाल	वीरनगर	अवागढ़	56231.00
10	श्री कामता प्रसाद	श्री रामचन्द्र	मोहनपुरा	अवागढ़	56231.00
11	श्री विशन सिंह	श्री सूरजपाल सिंह	न0धनीराम(समसपुर)	जलेसर	59652.00
12	श्री भगवान सिंह	श्री यादराम	सलेमपुर मितरौल	अवागढ़	56731.00
13	श्री सुभाष	श्री कृष्णपाल	न0 छौंकर	जलेसर	55639.00
14	श्री चरन सिंह	श्री केशरी सिंह	न0 धनी	जलेसर	59652.00
15	श्री चन्दन सिंह	श्री भूदेव	सालवाहनपुर	जलेसर	59652.00

क्र0सं0	कृषक का नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम	विकास खण्ड	विभाग द्वारा व्यय की गई धनराशि
16	श्री सुरेश चन्द्र	श्री रामरक्षपाल सिंह	कर्थनी	जलेसर	57309.00
17	श्री भागीरथ	श्री पातीराम	पसियापुर बेगमपुर	जलेसर	61812.00
18	श्री डोरी लाल	श्री धूरी सिंह	पसियापुर बेगमपुर	जलेसर	60639.00
19	श्री राजपाल सिंह	श्री छदामी	धर्मपुर	जलेसर	58185.00
20	श्री राजाराम	श्री वालेराम	मई	जलेसर	51764.00
21	श्री दलवीर सिंह	श्री राम प्रसाद	बारासमसपुर	जलेसर	59109.00
22	श्री औसान सिंह	श्री महाराज सिंह	बहादुरपुर कासिमपुर	जलेसर	59685.00
23	श्री नाथूराम	श्री टोढ़ीराम	बुधैरा	जलेसर	56436.00
24	श्री जसवन्त सिंह	श्री रामकिशन	सराय राजनगर	जलेसर	59685.00
25	श्री विश्राम सिंह	श्री पुन्नी सिंह	जगतपुरा	अवागढ़	57541.00
26	श्री सुखराम	श्री खमानी	चुरथरा	अवागढ़	57541.00
27	श्री राकेश कुमार	श्री रामचरन सिंह	राजारामपुर	जलेसर	62304.00
28	श्री महावीर सिंह	श्री नत्थू सिंह	भरकना	अवागढ़	57816.00
29	श्री तहसीलदार	श्री शेरपाल सिंह	बुधैरा	जलेसर	59304.00
30	श्री हरप्रसाद	श्री पूरन सिंह	रसीदपुर	जलेसर	58256.00
31	श्री सरोजदेवी	श्री राजपाल सिंह	पवरा	जलेसर	62304.00
32	श्री राजकुमार	श्री जगदीशपाल	अकबरपुर साथा	जलेसर	62304.00
				योग :	**1873557.00**

अनुदान की सूची

क्र0सं0	कृषक का नाम	पिता/पति का नाम	ग्राम	विकास खण्ड	अनुदान की धनराशि (रु0 में)
1	श्री मिहीलाल	श्री मेघ सिंह	बहोरनपुर	अवागढ़	26142.00
2	श्री राम कुमार	श्री नरायनदास	इसौली	अवागढ़	28269.00
3	श्री बहोरन सिंह	श्री रामचन्द्र	भूड़गढ़्ढा	जलेसर	25348.00
4	श्री मुलायय सिंह	श्री गुलाब सिंह	पसियापुर बेगमपुर	जलेसर	25894.00
5	श्री राजवीर सिंह	श्री दुर्जन सिंह	बारासमसपुर	जलेसर	26848.00
6	श्री गंगादेवी	श्री चन्द्रपाल	वीरनगर	अवागढ़	28769.00
7	श्री कामता प्रसाद	श्री रामचन्द्र	मोहनपुरा	अवागढ़	28769.00
8	श्री विशन सिंह	श्री सूरजपाल सिंह	न0धनीराम(समसपुर)	जलेसर	25348.00
9	श्री सुभाष	श्री कृष्णपाल	न0 छौंकर	जलेसर	29361.00
10	श्री चन्दन सिंह	श्री भूदेव	सालवाहनपुर	जलेसर	25348.00
11	श्री भागीरथ	श्री पातीराम	पसियापुर बेगमपुर	जलेसर	23188.00
12	श्री डोरी लाल	श्री धूरी सिंह	पसियापुर बेगमपुर	जलेसर	24361.00
13	श्री राजपाल सिंह	श्री छदामी	धर्मपुर	जलेसर	26815.00
14	श्री राजाराम	श्री वालेराम	मई	जलेसर	33236.00
15	श्री दलवीर सिंह	श्री राम प्रसाद	बारासमसपुर	जलेसर	25891.00
16	श्री तहसीलदार	श्री शेरपाल सिंह	बुधैरा	जलेसर	25696.00
				योग :	**429283.00**
				कुल योग :	**2302840.00**

सहायक अभियन्ता, ल0सिं0 एटा।

पी0एस0यू0पी0-एल0 118 विधान सभा (219)-18-10-2011-813 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।